बुधवार, 6 अक्टूबर 1982

14 आश्विन, 1904 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

दसवाँ सत्र

[खंड 1 में अंक 1 से 11 तक हैं]

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय सूची

अंक 3, बुधवार, 6 अक्तूबर, 1982/ 14 आश्विन, 1904 (शक)

विषय		पृष्ठ
सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण	...	—1
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :		
*तारांकित प्रश्न संख्या : 41 से 46	...	1—22
लिखित उत्तर :		
रांकित प्रश्न संख्या : 47 से 53, 55 से 57 और 59	....	23—29
अतारांकित प्रश्न संख्या : 438 से 444, 446 से 456 458 से 468, 470 से 523, 525 से 534, 536 से 584, 586 से 613, 615 से 634, 636, 637 और 640 से 645	...	30—188
ा पटल पर रखे गये पत्र	...	189—191
-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति 49वां प्रतिवेदन	...	—192
स्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण		
श्रीमती प्रमिला दण्डवते	...	193
वनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	...	194—203
दिल्ली में विद्युतचालित रिंग रेल सेवा को बंद करने का कथित प्रस्ताव		
श्री बी०डी० सिंह	....	194—197
श्री मल्लिकार्जुन	...	194—202
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी	...	197—198

* किसी नाम पर अंकित यह † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

विषय		पृष्ठ
श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी	...	198—201
श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री	...	—199
श्री दौलत राम सारण	...	—202
समितियों के लिये निर्वाचन	....	204—205
(एक) राजभाषा समिति	...	—204
(दो) प्राक्कलन समिति	...	—205
नियम 377 के अधीन मामले	....	205—209
(एक) बम्बई से कपड़ा मिलों का प्रस्तावित स्थानान्तरण		
श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी	...	205—20
(दो) गडंक नदी पर छितौनी पुल के पुन: निर्माण कार्य को पूरा करने की आवश्यकता		
श्री ए० के० राय	..	—20[illegible]
(तीन) जनगणना विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी रोजगार देने की आवश्यकता		
श्री हरिकेश बहादुर	...	—207
(चार) भिक्षावृत्ति को समाप्त करने की आवश्यकता		
श्री बी०डी० सिंह	...	207—208
(पांच) आन्ध्र प्रदेश में येलेरू जलाशय परियोजना के लिए कुल आवंटित धनराशि को उपलब्ध कराने की आवश्यकता		
श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति	...	—208
(छः) दिल्ली में तथा देश के अन्य भागों में नये बूचड़खानों के निर्माण की अनुमति न देने की आवश्यकता		
श्री सत्यनारायण जटिया	...	208—209

विषय	पृष्ठ
(सात) कावेरी नदी से तमिलनाडु को जल की सप्लाई	
श्री एन० सेलवाराजू ····	— 209
सिक्किम स्टेट बैंक (शेयरों का अर्जन) तथा प्रकीर्ण उपबंध विधेयक ····	210 – 225
विचार करने का प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी ···	210 — 212
श्री आनन्द पाठक ···	212 214
श्री पी०एम० सुब्बा ···	214 — 217
श्री नगनगोम मोहेन्द्रा ···	217 — 218
श्री हरीश कुमार गंगवार ···	218
खंड 2 से 20 तथा 1	
संशोधित पास करने का प्रस्ताव	
श्री जनार्दन पुजारी ···	220 — 225
श्री मूलचन्द डागा ···	224 — 225
राष्ट्रीय जलमार्ग (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी का इलाहाबाद-हल्दिया भाग) विधेयक ···	226 — 248
विचार करने का प्रस्ताव-राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	
श्री सीताराम केसरी ···	226 – 248
श्री सत्य गोपाल मिश्र ···	227 – 231
श्री बी०डी०सिंह ··	231 233
श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा ···	233 — 235
श्री ईरा मोहन ···	235 238
श्री भीम सिंह ···	238 240
श्रीमती गीता मुखर्जी ···	240 — 242
श्री हरीश कुमार गंगवार ···	242 — 24

विषय		पृष्ठ
खंड 2 से 15 तथा 1		
पास करने का प्रस्ताव		
श्री सीताराम केसरी	...	247—248
श्री रामावतार शास्त्री	...	247—248
सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक	...	249—266
विचार करने का प्रस्ताव		
श्री सीताराम केसरी	...	249—266
श्री मोहम्मद इस्माइल	...	254—255
श्री वृद्धि चन्द्र जैन	...	255—257
श्री जगपाल सिंह	...	258—260
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	261—264
श्री चतुर्भुज	...	264—266

लोक सभा

बुधवार, 6 अक्तूबर, 1982/14 आश्विन, 1904 (शक)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

सदस्य द्वारा शपथ-ग्रहण

श्री एस० टी० के० जक्कायन (पेरियाकुल)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मारुति कारों का उत्पादन और मूल्य

* 41. श्री अमर राय प्रधान :

श्री चिंता मणि जेना : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मारुति उद्योग की उत्पादन योजना को अन्तिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) मारुति कार की उत्पादन-लागत और बिक्री मूल्य क्या होगा ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वीरभद्र सिंह) : (क) तथा (ख) जी, हां। मारुति उद्योग लिमिटेड को 1983 के अन्त तक उत्पादन प्रारम्भ करने और वित्त वर्ष 1984-85 के शुरू में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारम्भ करने की आशा है। इसका विचार छोटी यात्री कार, माइक्रो बस और वैन का निर्माण करने का है। 1984-85 में लगभग 20,000 गाड़ियों का उत्पादन करने की परिकल्पना है जिसे एक वर्ष में 20,000 नग तक बढ़ा दिया जाएगा ताकि वर्ष 1988-89 में लगभग 1,00,000 गाड़ियों का उत्पादन किया जा सके।

(ग) कार की उत्पादन-लागत और अन्तिम विक्रय मूल्य अन्य बातों जैसे परियोजना पर निवेश और कच्चे माल की कीमत और अन्य अन्तवंस्तुओं और समय-समय पर अन्य वित्तीय करों के अलावा सीमा शुल्क और उत्पादन शुल्क की मात्रा पर निर्भर करेगा। बिक्री कर की दरों से भी विभिन्न राज्यों में विक्रय मूल्य निश्चित होगा।

श्री अमर राय प्रधान : अध्यक्ष महोदय, ऐसा समाचार आया है कि लम्बी प्रत्याशा के पश्चात, इस आशय का विज्ञापन आया है कि जनता कार सस्ती कार— मारुति कार की बुकिंग दिसम्बर, 1982 से आरम्भ होगी।

महोदय, मारुति का एक लम्बा इतिहास है. मारुति आरम्भ हुई, बन्द भी हुई और 1980 में उसका राष्ट्रीयकरण भी किया गया और उसके पश्चात 4.34 करोड़ रुपए का उसकी क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान भी किया गया। अब जापान की बहु राष्ट्रीक कम्पनी सुजुकी के सहयोग से मारुति का नाम मारुति सुजुकी मोटर कम्पनी (मा० सु० मो० क०) होने जा रहा है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न क्या है ?

श्री अमर राय चौधरी : महोदय, मन्त्री महोदय ने मेरे प्रश्न का उत्तर सही नहीं दिया। उनका उत्तर टालने-बचने वाला है क्योंकि उन्होंने यह नहीं बताया कि कार का असल मूल्य क्या है। परन्तु सुजुकी कारों की अन्तर्राष्ट्रीय बाजारों में मांग है। वे उसे विश्व बाजार में 16,000/- रुपये की क़ीमत (भारतीय रुपए में मूल्य) पर बेच रहे हैं। अतः, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहूंगा कि क्या मारुति उद्योग लिमिटेड में बनने वाली कारों का मूल्य अन्ततः 15,000/ रुपए या उससे अधिक होगा ? एक बहु-राष्ट्रीक कम्पनी से सहयोग क्यों किया गया है ? इसके पीछे क्या कारण हैं और मारुति उद्योग लिमिटेड और सुजुकी के बीच समझौते की क्या शर्तें रखी गई हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : सर्व प्रथम. मैं माननीय सदस्य का उनकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवादी हूं और इस कार के उत्पादन के सन्दर्भ में उन्हें बहुत ही मूल्यवान समझता हूं। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वासन देता हूं कि जहां तक किसी प्रश्न का सम्बन्ध है, हम कभी भी टाल-मटोल करने या उससे बचने के हक में नहीं हैं. प्रश्न में अवधि का कोई उल्लेख नहीं था। हमारे लिए यह सही-सही बताना कठिन है कि प्रथम वर्ष और उससे अगले वर्ष में देश में इस कार की क्या कीमत होगी क्योंकि इसके अनेक कारण हैं। किसी वर्ष-विशेष या वर्षों मे या किसी विशिष्ट अवधि में कार की कीमत निर्धारण में जो तत्व सक्रिय होते हैं हमने उन सभी का उल्लेख किया है।

जहां तक सुजुकी की विश्व कीमतों का सम्बन्ध है मेरे पास वे आंकड़े नहीं हैं जोकि माननीय सदस्य के पास हैं अर्थात 16,000/-रुपये या उसके आसपास. क्योंकि आप तो मुद्रा के उतार-चढ़ाव को जानते हैं, विनिमय दरों के परिवर्तन से भली भांति परिचित हैं। हम यह नहीं कह सकते हैं कि सुजुकी कार की कीमत फिलिपाइन्स में क्या होगी या उसी अर्थ में क्या यह उतनी ही होगी जितनी कि बर्मा या पाकिस्तान या पूर्वी अफ्रीका में या काई भी देश क्यों न हो उसमें। सीमा शुल्क और उन कारणों को जिनका कि मैंने उल्लेख किया है उनको जोड़ा जाए तो कीमतें हर देश में भिन्न होंगी। परन्तु जैसा कि मैंने कहा है, जहां तक मारुति सुजुकी सहयोग की शर्तों का सम्बन्ध है कम्पनी सरकारी कम्पनी रहेगी। अपने सहयोगियों, के माध्यम से 40% तक

अंशदान को बढ़ाने की छूट के साथ सुजुकी 26% तक अपने इक्विटी अंश का निवेश करेगी। सरकार के पास 51% से कम इक्विटी नहीं होगी। सुजुकी और इसके सहयोगियों, सरकार तथा भारतीय वित्तीय संस्थानों का कम्पनी की इक्विटी में सहयोग सीमित रहेगा। कम्पनी को उचित लाभ कमाने तथा उचित लाभांश घोषित करने के उद्देश्य से एक वाणिज्यिक उपक्रम की तरह चलाया जाएगा। महोदय, समझौते के बारे में सबको जानकारी है और ब्यौरा स्पष्ट रूप से समाचार पत्रों में प्रकाशित किया गया है और उन सभी बातों को पढ़कर सभा का समय नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है जिनका कि समझौते में उल्लेख किया गया है परन्तु मैं कहूंगा कि हमारे हितों की पूर्ण सुरक्षा का ध्यान रखा गया है।

श्री अमर राय प्रधान : अध्यक्ष महोदय, बहुत पहले 1966 में जब यह निर्णय लिया गया था कि भारत में छोटी कार का उत्पादन किया जायेगा तब विश्व-निविदायें आमन्त्रित की गईं थीं। उस समय रेनोल्ट नाम की फ्रांसीसी कम्पनी ने प्रथम प्रस्ताव किया था। दूसरा प्रस्ताव जापान की माजदा कम्पनी का था और तीसरा सबसें कम दर का स्व० श्री संजय गांधी—मारुति लिमिटेड का था। 1970 में यह घोषणा की गई थी कि 24 अश्वशक्ति के दो चरण (स्ट्रोक) वायु शीत इंजनों, दो पश्च आरोहित सीलेन्डरों, जिनमें 20% विदेशी माल की आवश्यकता होगी, सहित मारुति में बनी कार की कीमत केवल 6,000/ रुपये होगी जो कि उमका फैक्टरी मूल्य होगा। अत: मैं मन्त्री महोदय से 1970 में दिए गए आश्वासन के सन्दर्भ में यह स्पष्टरूप से जानना चाहता हूं कि आज रुपए की कीमत के सन्दर्भ में मारुति कार का वास्तविक मूल्य क्या होगा ?

महोदय, दूसरी बात यह है कि कल सुजुकी कम्पनी के अध्यक्ष और प्रधान मन्त्री श्रीमती इन्दिरा गाँधी के बीच एक बैठक हुई थी और सुजुकी को यह आश्वासन दिया गया था कि थोड़ी ही अवधि में 20% के इक्विटी शेयर को 40% तक बढ़ा दिया जायेगा। अतः, मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या यह स्पष्ट दृष्टान्त नहीं है कि भारत का सरकारी क्षेत्र बहु-राष्ट्रीकों यथा सुजुकी एण्ड कम्पनी के आधार-भूत ढांचे के रूप में कार्य कर रहा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, पहली बात तो यह है कि अर्थशास्त्र और वित्त के अपने समग्र ज्ञान के साथ माननीय सदस्य यह स्वीकार करेंगे कि 1966 और 1977 में उपलब्ध कीमतों की तुलना वर्तमान दरों पर राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय जगत में विद्यमान कीमतों से करना बहुत ही कठिन है बल्कि असम्भव है। जहाँ तक उनके प्रश्न के भाग (ख) का सम्बन्ध है, महोदय, कल जब सुजुकी कम्पनी के अध्यक्ष ने औपचारिक भेंट की तो उस पर निर्णय नहीं लिया जा सका। स्वयं समझौते में यह बात कही गई थी कि सुजुकी और सहयोगियों का इक्विटी सहयोग 40 प्रतिशत तक जा सकता है।

महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करूंगा कि वह बहु-राष्ट्रीक आदि प्रश्नों को न उठाएं क्योंकि हमने यह सहयोग नवीन ईंधन कुशल लघु मोटरयान प्रौद्योगिकी को अपनाने के संदर्भ में

लिया है। यह एक ऐसा सहयोग है जोकि स्वचालित मोटर उद्योग को आधुनिक रूप देने हेतु अपने राष्ट्रीय हितों को पूर्णतया ध्यान में रख कर किया गया है।

श्री चिंतामणि जेना : महोदय, 1955-56 में, देश में छोटी वाली कारों का उत्पादन एक सपना था और हम अपनी प्रधान मन्त्री महोदया. श्रीमती इन्दिरा गाँधी के आभारी हैं जिनकी सरकार के शासनकाल में उनके व्यक्तिगत प्रयासों से ये छोटी यात्री कारें हमारे देश में ही बनने जा रही हैं। इनका उपयोग हमारे देश के मध्यम वर्ग के लोग करेंगे। यह लोगों की एक दीर्घ-आकांक्षित मांग है। जैसा कि लोग कहते हैं, यह लघु यात्री कार जनता की कार होगी। मामले के इन पहलुओं पर दृष्टिपात करते हुए मैं मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि 1988-89 तक देश में इस जनता-कार की क्या मांग होगी ? मारुति उद्योग में इन छोटी कारों का क्या उत्पादन होगा ?

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री चिंतामणि जेना : मारुति उद्योग जिन मोटरयानों का उत्पादन करेगा, उसमें उपयोग करने हेतु बहुत से घटकों को आयातित किया जाएगा, इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या वे सीमाशुल्क से मुक्त रहेंगे या नहीं ? मुझे डर है कि यदि उन्हें सीमाशुल्क से छूट नहीं दी जाती है, तो यह आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाएगी तथा वे इस कार को खरीद नहीं सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप इस प्रकार बोलते नहीं रह सकते हैं। इसमें कोई प्रश्न नहीं है।

श्री चिन्तामणि जेना : इन छोटी कारों की ईंधन खपत क्या होगी ?

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको कोई प्रश्न मिला है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी : जी हां। माननीय सदस्य ने संभावित मांग के आंकड़ों के बारे में पूछा है। मेरे विचार से हमें यह बताया गया है कि जितना ही हम उत्पादन करते जायेंगे मांग उतनी ही बढ़ती जायेगी। 1988-89 तक हम एक लाख कारों/मोटरयानों का उत्पादन करने लगेंगे। बाकी के बारे में, मैं पहले ही बता चुका हूं। जहां तक उत्पाद शुल्क को कम करने का सम्बन्ध है. नई किस्म की मोटरयान के लिए सरकार इस प्रश्न पर पहले से ही विचार कर रही है। यह बताया गया है कि कार की ईंधन खपत 18 से 20 कि० मी० प्रति लीटर के लगभग होगी।

श्री प्रताप भानु शर्मा : जापान की सुजुकी कम्पनी से तकनीकी सहयोग करके मारुति उद्योग देश की प्रतिष्ठित स्वचालित मोटर परियोजना बन गई है इससे देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। अतः, मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हू कि विभिन्न घटकों की मांग को पूरा करने के लिए, मारुति उद्योग हेतु कितने सहायक उद्योगों को बढ़ावा

दिया जायेगा अथवा विकसित किया जाएगा। क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार ने इसके लिए कोई कार्य-योजना विकसित की है ? इन सहायक इकाईयों के माध्यम से प्रत्यक्ष रोजगार का क्या भविष्य है ?

श्री नारायणदत्त तिवारी : मारुति उद्योग ने देश में विद्यमान सहायक इकाईयों का सर्वेक्षण कराया है। यह उत्पाद-मिश्रित होगा। बाजार में जो कुछ पहले से उपलब्ध है, हम जो भी सदुपयोग उनका कर सकते हैं, उसी सन्दर्भ में, वर्तमान दवाइयों को उपयोग में लाया जायेगा। अतः यह तो लगभग एक अनवरत प्रक्रिया है। मेरे विचार से सभी ब्यौरा अभी नहीं दिया जा सकता है। परन्तु माननीय सदस्य मेरे इस कथन से सहमत होंगे कि हमें विद्यमान कार सहायक इकाईयों को उपयोग में लाना होगा और हमें नई इकाईयाँ भी खोलनी होंगी। मारुति उद्योग लिमिटेड को यह तकनीकी निर्णय लेना है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : मेरे प्रश्न का उत्तर दे दिया गया है। मैं एक और प्रश्न पूछूंगा।

श्री कमल नाथ : लागत और विक्रय मूल्य के बारे में बहुत बातें हुई हैं। परन्तु एक तरह से लागत और विक्रय की बात असंगत है। प्रश्न यह है कि यातायात क्या वहन कर सकता है। जब मैं यह कहता हूं कि यातायात वहन कर सकता है तो मेरा मन्तव्य शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों अर्थों से था। आज फियेट कार अपनी कीमत के कारण नहीं बिकती है, अपितु क्योंकि व्यवहार्यतः इसका अवमूल्यन नहीं के बराबर रहता है। फियेट कार की पूंजीगत लागत वही रहती है और इसकी पुनर्विक्रय कीमत लगातार बढ़ती जाती है। अतः इस प्रकार की कारों के बढ़ते हुए उत्पादन से पारिस्थितिक उलझने होने की सम्भावना है, क्योंकि इस प्रकार की बातें सारे पर्यावरण पर परिस्थितिक प्रभाव डालती हैं। मैं विशिष्टतया इस बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि सड़कें हैं। यातायात बत्तियां हैं और उपरि—पुल हैं। बढ़ती हुई मांग के कारण, क्या मैं यह जान सकता हूं कि सड़कों पर मोटर-कारों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए, बम्बई, कलकत्ता और दिल्ली जैसे भीड़-भाड़ वाले नगरों में हमारी सभी सड़कों, सभी यातायात बत्तियों और सभी उपरि-पुलों के पारिस्थितिक सन्तुलन को ध्यान में रखा गया है ?

एक माननीय सदस्य : क्या हमें और अधिक कारों का उत्पादन नहीं करना चाहिए ?

श्री कमल नाथ : जब तक पारिस्थितिक प्रभावों के प्रति सावधानी न बरती जाए, हमें अधिक कारों का उत्पादन नहीं करना चाहिये। इन पारिस्थितिक प्रभावों का उचित मूल्यांकन आवश्यक है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न। श्री पासवान।

सुन्दर नगर, नई दिल्ली में दिन दहाड़े डकैती

*42. †श्री राम विलास पासवान :

श्री निहाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 11 सितम्बर, 1982 को दिन दहाड़े पड़ी एक साहसिक डकैती में तीन सशस्त्र डाकू सुन्दर नगर, नई दिल्ली की एक जौहरी की दुकान में घुस गये और दो लाख रुपये के मूल्य के हीरे लूटे;

(ख) क्या यह भी सच है कि गत छः महीनों के दौरान राजधानी में लूटमार, डकैती और चोरी के मामलों में भारी बृद्धि हुई है; और

(ग) यदि हाँ, तो राजधानी में इस प्रकार के मामलों की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० बेंकट सुब्बय्या) : (क) 11 सितम्बर, 1982 को लगभग उपराह्न 3 बजे 3 युवकों ने सुन्दर नगर मार्किट में एक जौहरी की दुकान में लूटमार की और लगभग 1.50 लाख रु० के मूल्य के कुछ हीरे ले गये।

(ख) तथा (ग) यह कहना सच नहीं है कि पिछले 6 महिनों के दौरान डकैती, लूटमार और चोरी की घटनाओं में वृद्धि हुई है। इसके विपरीत ऐसे मामलों में कमी हुई है। विभिन्न उपायों जैसे दिल्ली पुलिस की जनशक्ति और वाहनों में वृद्धि, नये पुलिस थाने और पुलिस चौकियाँ खोलना, पैदल और गाड़ियों द्वारा गहन गश्त का लगाया जाना, वाहनों की अकस्मात जांच करना, ज्ञात अपराधियों पर निगरानी और संवेदनशील स्थानों पर टुकड़ियां तैनात करने से दिल्ली की कानून और व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली में प्रतिदिन हत्यायें हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं। जब भी यहां पर प्रश्न पूछा जाता है कि सरकार हमेशा कहती है कि दिल्ली में कानून-व्यवस्था ठीक है और कमी हो रही है। मैं जनता पार्टी की हकूमत की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, उस वक्त एक घटना घटी थी – संजय और गीता की। उस समय आप विरोधी पक्ष में थे और हमारी सरकार ने एक हफ्ते के अन्दर बिल्ला और रंगा को पकड़ लिया था। दिल्ली में निरंकारी बाबा और संतोष सिंह के हत्यारे को आज तक पकड़ा नहीं गया है। दिल्ली की कानून और व्यवस्था दिनोंदिन खराब होती जा रही है। आपके यहां फारन-डिगनिटरीज आने वाले हैं, क्योंकि एशियाड खेल शुरू होने जा रहे हैं। इस परिस्थिति में कोई ऐसा दिन नहीं जाता है, जब समाचार पत्रों में हत्या और डकैती की खबरें न आती हों। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार ने किस आधार पर कह दिया कि हमारे यहां कानून-व्यवस्था ठीक है, कमी हुई है। मैं जानना चाहता हूं कि 1981 में कितनी हत्यायें हुई और 1982 में अब तक कितनी हत्यायें हुई ?

श्री०पी० वेंकटसुब्बय्या : श्रीमन, माननीय सदस्य ने जौहरी की दुकान में हुई चोरी का जिक्र किया है और मैंने इस बारे में सभी आकड़े और तथ्य दे दिये हैं। मैंने कहा है कि जहां तक आंकड़ों का प्रश्न है उनके अनुसार अपराध दर, जहां तक लूटमार की घटनाओं का संबंध है, में कमी हुई है। लेकिन प्रशासन, भारत सरकार और हम खुद भी, डकैती और चोरी के मामलों में आई कमी से सन्तुष्ट नहीं हैं। असल में अपराधियों का पता लगाने के लिए हर सम्भव कोशिश की जा रही है। आकड़ों से यह बात सिद्ध हो जाती है। पिछले छः माह के दौरान दर्ज कराये गये मामले इस प्रकार हैं :—

	1-4-81 से 30-9-81	1-4-42 से 30-9-02
लूट मार	93	75
डकैती	17	13
चोरी	8594	6727

प्रशासन और भारत सरकार उन तथ्यों के प्रति सचेष्ट है, क्योंकि दिल्ली की आवादी में काफी वृद्धि हुई है और लूट मार तथा चोरी के मामलों में प्रयोग किये जाने वाले आधुनिक हथियारों से भी परिचित है। इसीलिए हम पुलिस प्रशासन को सभी प्रकार के यंत्र और गाड़ियां प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पैदल और वाहन गश्त में वृद्धि की है, साथ ही सशस्त्र गश्त जिनके पास दूर संचार सेट और दूरसंचार यंत्रों वाली मोटर साईकिल आदि होते हैं को भी बढ़ा दिया है। विकसित हो रही आसूचना द्वारा डाकुओं, लुटेरों और अन्य अपराधियों का पता लगाने के लिए जिलों के विशेष दलों द्वारा निरन्तर अभियान भी चलाये जाते हैं। अपराधियों को पकड़ने के लिए वाहनों की अचानक तलाशी भी ली जाती है। कुख्यात अपराधियों पर निगरानी को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाये गये हैं। पुलिस गश्त दल के सहयोग से स्थानीय लोगों एवं निजी चोकीदारों द्वारा ठीकरी पहरा' भी लगाया जा रहा है। रिहा किये गये अपराधियों पर भी विशेष नजर रखी जा रही है। इसलिए यह कहना ठीक नहीं है कि दिल्ली में डकैती और लूटमार की घटनाओं में वृद्धि हुई है।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैंने सीधा-सा सवाल पूछा था कि हत्याएं कितनी हुई 1981 में और 1982 में? निरंकारी बाबा और संतोषसिंह के हत्यारों को पकड़ा गया है या नहीं ? ये डकैती-डकैती क्या कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये।

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द सेठी) : मैं माननीय सदस्य का ध्यान उनके प्रश्न की ओर आकर्षित करना चाहूंगा जिसमें उन्होंने खुद कहा है कि रौवरी डैकोयटी और चोरी की घटनाएं

क्या दिल्ली में बढ़ रही हैं । इसमें हत्यारों का कोई जिक्र नहीं है । मैं उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन करूंगा कि वह हत्या के सम्बन्ध में अलग सवाल रखें ।

श्री राम विलास पासवान : श्री संतोष सिंह और निरंकारी बाबा के बारे में भी अलग से सवाल रखें ?

अध्यक्ष महोदय : मेरी बात सुनिये, हमें प्रैक्टिकल होना चाहिये । जो चीज आपने पूछी है, उसके सवाल का जवाब भी पूछ लीजिये । इसके अलावा और कोई समस्या हल करवानी है तो और सवाल ले लीजिये । हत्याओं का करवाना है तो हत्आरों का करवा देंगे । उनके पास उसी सवाल का जवाब होगा जो आपने पूछा है (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : अब आप रोबरी और डकैती पर ही आइये ।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी जानबूझकर सदन को गुमराह कर रहे हैं । 20-7-82 को उन्होंने दूसरे सदन में जवाब दिया है, मेरे पास उनकी लिस्ट है, जिसमें उन्होंने कहा है कि 1981 में हत्याएं 199 हुईं और 1-1-82 से 15-7-82 तक 132 हत्याएं हुई हैं।

अध्यक्ष महोदय : हम लूटमार की चर्चा कर रहे हैं, हत्याओं की नहीं, इस प्रश्न का क्षेत्र बढ़ाने की कोशिश न करें । कृपया सहयोग दें ।

श्री राम विलास पासवान : मैं दूसरा सवाल पूछता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : इस तरह से अन-नैसेसरी टाइम जाया होता है ।

श्री राम विलास पासवान : मेरा क्वैश्चन दिल्ली के ला एन्ड आर्डर के सम्बन्ध में है और दिल्ली के ला एंड आर्डर में क्या हत्याएं नही हैं । हत्याएं दिल्ली के ला एंड आर्डर सें बाहर हैं क्या ?

मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सही है कि दिल्ली में कानून और व्यवस्था के बिगड़ने का सबसे बड़ा कारण यह है कि दिल्ली में चुनाव नहीं हो रहा है, जन-प्रतिनिधि नहीं है ?

क्या यह भी कारण है कि जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें पूरे देश में तो इंटरफीयरेंस हो ही रहा है, पटना में भी पढ़ेंगे कि डा० गौतम·······।

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ? कहां पटना और कहां दिल्ली ? क्यों समय बर्बाद कर रहे हैं ?

आप क्या कहना चाहते हैं ? आप शिकार के अभियान पर आ गये हैं।

श्री राम विलास पासवान : अध्यक्ष महोदय, मैं दिल्ली के बजाय पटना कहूं तो क्या करूं ?

क्या यह सही है कि पहला कारण यह है कि आप चुनाव दिल्ली में नहीं करा रहे हैं, और दिल्ली के पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन में डे-टू-डे इंटरफीयरेंस हो रहा है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : नहीं, श्रीमन्।

श्री निहाल सिंह : पूरे मुल्क में डकैतियों की संख्या बढ़ रही है।

अध्यक्ष महोदय : यह दिल्ली का सवाल है।

श्री निहाल सिंह : जो डकैती होती है, उसको चोरी दर्ज कर दिया जाता है, गांव, कस्बा बड़े शहर में डकैती, दिल्ली में डकैती, ससद्-सदस्यों के घर में डकैती, केवल पार्लियामेंट और सेठी साहब का घर बच गया है, जिसमें डकैती नहीं हो रही है। (व्यवधान)।

श्री निहाल सिंह : मुझे जहां तक मालूम है, जितने थाने बढ़ते जा रहे हैं, जितनी पुलिस चौकियां बढ़ती जा रही हैं। उतनी ही डकैतियों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्या यह सच नहीं है कि जिस थाने में जिस जगह डकैती कम पड़ती हैं, वहां का थाना इंचार्ज मालूम होता है ? इससे पता लगता है कि पुलिस को हर डकैती का राज मालूम होता है।

मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि पुलिस के आचारण को सुधारने के लिये आप कौनसा ठोस पग उठा रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : कल शाम को इसका जवाब आ गया। कल शाम तक हम सारा डिस्कस करते रहे हैं, आप यहां नहीं थे।

श्री प्रकाश चन्द्र सेठी : मैं माननीय सदस्य को बताया चाहूंगा कि होम मिनिस्ट्री में आने के तुरन्त पश्चात् मैंने दिल्ली के लैफ्टिनेन्ट गवर्नर और पुलिस अधिकारियों की एक मीटिंग बुलाई और उसमें इस बात पर जोर डाला है कि दिल्ली में डकैती और रौबरी की घटनाएं बिल्कुल नहीं होनी चाहियें। मैंने यह भी कहा है कि जिस थाने के अन्तर्गत घटनाएं हों, उस इलाके के थानेदारों के या बड़े अफसरों के रिकार्ड में इस बात को अंकित किया जाना चाहिये कि उनके यहां घटनाएं पहले से कम हुई हैं या ज्यादा हुई हैं ?

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको हंसी का पुट दे दिया गया है। कहा गया है कि आंकड़ों से सरकार संतुष्ट नहीं है। मैं यह पूछना चाहता हूं कि दिल्ली में जो इतनी घटनाएं हो रही हैं और प्रतिदिन एक न एक घटना

लूट की, डकैती की होती है। इसलिए सही आंकड़े प्राप्त करने के लिए आप क्या कार्यवाही कर रहे हैं। साथ ही 15 दिन पहले लाल किले के अन्दर पश्चिम जर्मनी की एक महिला को लूटा गया और उसके साथ बलात्कार किया गया। इस संबंध में गृह-मंत्रालय ने अब तक क्या कार्यवाही की गई और उसकी वास्तविकता क्या है ?

श्री पी० वेंकटसुब्बय्या : श्रीमन, कृपया उन्हें अलग से प्रश्न पूछने दें।

गुजरात में स्पंज लोह संयंत्र की स्थापना

*43. **श्री आर०पी० गायकवाड़ :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात औद्योगिक निवेश निगम ने, प्राकृतिक गैस का प्रयोग करके 4 लाख टन प्रतिवर्ष की क्षमता वाला एक स्पंज लोह संयंत्र स्थापित करने के लिए मार्च, 1979 में कोई आवेदन प्रस्तुत किया था ;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्रस्तावित संयंत्र सूरत के निकट हजीरा में स्थापित किया जाना है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि महाराष्ट्र सरकार ने भी एक स्पंज लोह संयंत्र के लिए आवेदन किया था ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार गुजरात परियोजना को तत्काल स्वीकृति देने का है ; और

(ङ.) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) जी, हां।

(घ) और (ङ०) सरकार दोनों आवेदनों पर सक्रिय रूप से विचार कर रही है।

श्री आर०पी० गायकवाड़ : आपकी अनुमति से, मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान अपने प्रश्न के पहले दो अंशों की ओर दिलाना चाहता हूं। गुजरात सरकार ने अपनी एजेंसी ज़ी०आई०आई०सी० की मार्फत यह आवेदन पत्र 1979 में दाखिल किया था। उसके पश्चात् काफी समय गुजर गया है। मैं समझता हूं कि अगर मैं मंत्री महोदय से और विस्तृत उत्तर की उपेक्षा करूं तो गलत न होगा।

दूसरे, अगर उत्तर हां में है, तो गुजरात में हजीरा नामक स्थान पर संयंत्र लगाने में देरी क्यों की जा रही है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : श्रीमन्, यह ठीक है कि अक्तूबर 1979 में आवेदन पत्र प्राप्त हुआ था। लेकिन जब दिसम्बर 1979 में लाईसेंसिंग समिति ने इस पर विचार किया तो पाया कि प्रशासनिक मंत्रालय के पास इस बारे में आवश्यक सूचना नहीं है कि संयंत्र के लिए आवश्यक किस्म की गैस कहां से उपलब्ध होगी। इस आवेदन पत्र का संबंध गैस को कम करने की तकनीक से इस्पात तैयार करना था। इसलिए जरूरी था कि यह सुनिश्चित कर लिया जाए कि इस संयंत्र के लिए उपयुक्त किस्म की गैस की काफी सप्लाई उपलब्ध होगी। 1980 में पैट्रोलियम विभाग ने इस किस्म की गैस की उपलब्धता के बारे में कुछ शर्तों के साथ हामी भरी, जिनका कि ब्यौरा अब मिल गया है। इसके अलावा योजना आयोग ने गैस स्रोतों के अनुमानित खर्च के बारे में एक समिति गठित की थी। जुलाई 1981 में योजना आयोग ने इस संयंत्र के अनुमानित खर्च के बारे में अपनी राय भेजी है। अब इस आवेदन पत्र पर काफी विचार हो चुका है। लाईसेंसिंग समिति ने इस मामले पर पहले ही विचार कर लिया है। अब से 5 दिन बाद, 11 अक्तूबर को एक बैठक का आयोजन किया गया है, जिस में सचिव (इस्पात), सचिव (योजना आयोग) और सचिव (औद्योगिक विकास), सभी मिलकर बाकी बचे हुए मामलों पर विचार करेंगे। मैं समझता हूं कि इस बैठक के बाद हम इन आवेदन पत्रों पर शीघ्र फैसला ले सकेंगे।

श्री आर०पी० गायकवाड़ : मुझे विश्वास है मंत्री महोदय को यह जानकारी होगी कि काफी मात्रा में पिघलने वाला स्क्रेप बाहर से आयात किया जा रहा है। जबकि देशी स्पंज लोहा इसके बदले में प्रयोग किया जा सकता है, इसलिए इस यूनिट के बारे में तुरंत निर्णय लिया जाये। क्योंकि गुजरात ने पहले आवेदन किया था, इसलिए गुजरात को यह संयंत्र दिया जायेगा। मैं मंत्री महोदय से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि कब यह संयंत्र लगाया जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि, मैंने पहले ही यह स्पष्ट कर दिया है कि आज से पाँच दिनों बाद सचिव स्तर की बैठक होने जा रही है, जिसके बाद इस पर शीघ्र ही निर्णय ले लिया जायेगा।

श्री बी०बी० देसाई : जैसा कि मेरे साथी ने पहले कहा कि बड़ी मात्री में स्क्रेप का आयात किया जा रहा है और देश में छोटे इस्पात संयंत्रों के लिए स्पंज इस्पात ही एक मात्र हमेशा के लिए समाधान है। मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या केवल गुजरात और महाराष्ट्र की विकास निगमों ने ही लाइसेंस के लिए आवेदन किया था या, कर्णाटक समेत अन्य राज्यों ने भी आवेदन किया था ? अगर हां, तो मंत्री महोदय ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : जहाँ तक मेरी जानकारी है विभिन्न राज्य उपक्रमों के जिनमें कर्णाटक भी है, करीब 36 आवेदकों ने आवेदन किया है। इन सब पर भी विचार हो रहा है।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : महाराष्ट्र की मांग किस तारीख में आई हैं और इस पर पैट्रोलियम मंत्रालय ने क्या अभिप्राय: बताया है और स्थल-चयन के बारे में क्या स्थिति है, यह बताया जाये ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : महाराष्ट्र की मांग भी कुछ समय पूर्व आई थी, उस पर भी साथ साथ विचार हो रहा है। 11 अक्तूबर को जो मीटिंग हो रही है. उसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों की अर्जियों पर विचार हो रहा है।

श्री मोतीभाई आर० चौधरी : महाराष्ट्र के प्रपोजल पर पैट्रोलियम मंत्रालय का क्या अभिप्राय: है, इसमें गैस मिलता है क्या ? स्क्रीनिंग कमेटी ने क्या बताया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : पैट्रोलियम मिनिस्ट्री ने कहा है कि हम थोड़ी गैस दे सकेंगे, उसी आधार पर विचार हो रहा है।

श्री एस० टी० कावरी : अपने जबाब में मंत्री महोदय ने कहा है कि मामले पर सक्रिय रूप से विचार हो रहा है। मैं समझता हूं कि अब फाइलें मिल गई हैं और 11 अक्तूबर को बैठक होगी। अपने उत्तर में आपने यह भी कहा कि यह संयंत्र, गैस कम करने की प्रक्रिया पर लगाया जा रहा है। क्या योजना आयोग ने इस बात को मान लिया है कि महाराष्ट्र और गुजरात में दो यूनिट स्थापित करने के लिए बम्बई हाई से काफी मात्रा में गैस उपलब्ध है ? क्या वह स्पष्ट कह सकते हैं कि गुजरात के हाजीरा स्थान पर इस यूनिट को लगाने के लिए बम्बई हाई से गैस को ले जाया जायेगा ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : पैट्रोलियम मंत्रालय ने इस की पुष्टि की है कि 0.4 से 0.5 मिलियन टन तक स्पंज लोहे के उत्पादन के लिए गैस उपलब्ध है बशर्ते कि स्पंज लोह संयंत्र का स्थान उर्वरक यूनिट के लिए गैस ले जानी वाली पाईप लाईन के नजदीक हो।

दूसरे सिर्फ लीयन गैस, यानि वह गैस जिससे एल. पी. जी. और पैट्रो=केमिकल अंश निकाले जाते हैं ही सप्लाई की जायेगी। मुख्य पाइप लाईन से स्पंज लोह संयंत्र तक जोड़ने वाली पाइप लाइन का खर्च स्पंज लोहे संयंत्र को वहन करना होगा। यही मुख्य शर्तें हैं। लेकिन अन्य भी शर्तें हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : श्रीमन, अगर आप अनुमति दें तो क्या मैं पूछ सकता हूं कि यह लीयन गैस क्या है ? यह एक महत्वपूर्ण मामला है। मूल्यवान कच्चे माल, प्राकृतिक कच्चे माल, न—पुनरुज्जीवित होने वाले स्रोतों को ऊर्जा के लिए जलाया जा रहा है। मगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं मंत्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि इस लीयन गैस का प्रकार क्या है ? क्या यह मिथेन है या कोई अन्य वस्तु है ? मैं जानना चाहता हूं।

श्री नारायण दत्त तिवारी : पहले माननीय सदस्य इस मत्रांलय को देखते रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह इस बारे में जानते होंगे कि लीयन गैस जिसका कि यहां संबन्ध है वह गैस है; जिसमें से एल. पी. जी. और पैट्रो केमिकल अंश निकाल लिया गया है।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : माननीय मंत्री ने इस बारे में काफी तैयारी की है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में विवाद

*44. श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (आर० एण्ड डी०) डिविजन) में उन विवादों की ओर दिलाया गया है जिनके बारे में दिनांक 31 जुलाई, 1982 के 'इन्डिया टूडे' में समाचार दिया गया था ;

(ख) भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के विकासनगर काम्पलैक्स में 'एनर्जी सिस्टम्स ग्रुप' को हटाने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या इसका परिणाम यह नहीं होगा कि महत्वपूर्ण विश्लेषणात्मक ग्रुप, जिन्हें प्रयोगशालाओं में किए गए अध्ययन की आवश्यता होती है तथा प्रयोगशालाएं, जिन्हें विश्लेषणात्मक अध्ययन की आवश्यकता होती है, एक दूसरे से अलग हो जाएंगें; और

(घ) सरकार का विचार यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का है कि भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स की अनुसन्धान और विकास डिविजन को, जिसे आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की बड़ी उम्मीदों से अगस्त, 1978 में स्थापित किया गया था, सभी अपेक्षित सुविधाएं तथा 'बैक अप' समर्थन प्राप्त हो ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री बीरभद्र सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) विकासनगर काम्पलेक्स से इनर्जी सिस्टम्स ग्रुप को हटाने का निर्णय मुख्यतः इस विचार से किया गया था कि यह अब कार्यकारी निदेशक, तिरुचि के प्रशासनिक नियंत्रण के काम कर रहा है न कि कारपोरेट अनुसंधान तथा विकास के एक अंग के रूप में। इसके कार्य-क्षेत्र को विस्तृत करने और इसे अनुसंधान के अधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र सौंपने के उद्देश्य से ऐसा किया गया था। इसका वर्तमान स्थापना-स्थल जो अन्य अनुसंधान तथा विकास संगठनों के निकट है, इन एककों के साथ और अच्छे समन्वय के लिए अवसर प्रदान करता है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सरकार इसके अनुसंधान तथा विकास प्रभाग की गुणात्मक तथा मात्रात्मक क्षमता का विकास करने और इनसे पूरा लाभ उठाने के लिए भी बी०एच०ई०एल० को अपेक्षित समर्थन प्रदान करती रहेगी।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : क्या मैं जान सकता हूं कि जिस पत्रिका का जिक्र किया गया है उसकी रिपोर्ट माननीय मंत्री जी ने पढ़ली है ? क्या उसमें उन्होंने बी०एच०ई०एल० के

चेयरमैन की यह टिप्पणी भी देखी है कि वैज्ञानिक 'फर्नीचर के टुकड़े' के समान होते हैं। मैं 'फर्नीचर के टुकड़े' को कह रहा हूं जिसे कि वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर बदल सकते हैं। अगर हाँ तो (क) क्या वह इस मत से सहमत हैं; (ख) अगर नहीं, तो क्या उन्होंने राष्ट्र निर्माताओं के प्रति ऐसे शब्द कहने के लिए चेयरमैन को डांटा है; (ग) उन्होंने कहा है कि यह विभाजन इसलिए किया गया है, जिससे कि कार्यक्षेत्र का विस्तार किया जा सके; क्या मैं पूछ सकता हूं कि अब तक इस विशेष संगठन का क्या क्षेत्र या और अब इसे कौन से नये क्षेत्र प्रदान किये गए हैं; (घ) क्या माननीय मंत्री यह कहेंगे कि अब तक आर एण्ड डी अनुभाग की सफलतायें अन्य लोगों से तकनीकी सहयोग करने से इन लोगों में प्रवेश के बाद बेकार हो गयी हैं, जिसके परिणाम स्वरूप बी०एच०ई०एल० को निर्यात-आयात करना पड़ा है जबकि 1974-75 में 59 प्रतिशत का आयात किया गया था। क्षेत्र का विस्तार करने का अर्थ यह होगा कि बाहर से अधिक वस्तुओं का आयात कैसे किया जाए, और खुद मात्र मोर की गन्दी टागों के सामान रहा जाए; और अन्त में...... (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : वे इन प्रश्नों का केवल एक ही पूरक प्रश्न बनाने जा रहे हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : उनकी वर्णमाला की जानकारी 'ङ' से आगे नहीं जाती।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मैं मंत्री महोदय से 1945 के बाद का पूछ रहा हूं; इसलिए यह और भी अधिक होगा। आखिर में मैं माननीय मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या 'इंडिया टूडे' और अन्य समाचार पत्रों में रिपोर्टों को पढ़ कर सर्वोच्च वैज्ञानिकों जिन्होंने खुद ही एक समिति का गठन किया है, की कार्यकारी समिति की बैठक बुलाई है और उसमें उन्होंने इस आर एण्ड डी के विभाजन के बारे में उनके विचारों को पूछा है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : जहां तक प्रश्न (क) का सम्बन्ध है, मैंने बी०एच०ई०एल० के चेयरमैन से 'इन्डिया टूडे' में छपे कथित वक्तव्य कि उनको 'फर्नीचर का एक टुकड़ा' आदि कहा गया है के बारे में पूछा था। उन्होंने जोर देकर कहा है कि किसी से भी उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही है, बी०एच०ई०एल० के प्रचार विभाग के प्रचार अधिकारी ने 'इन्डिया टूडे' को एक पत्र लिखा है, जिसमें उन्होंने इस तथ्य के बारे में मनाही की है। साथ ही कल ही चेयरमैन द्वारा मुझ से मिले थे और उन्होंने कहा है कि उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है। इस लिए, इस संदर्भ में प्रश्न (ख) के उत्तर का प्रश्न ही नहीं उठता। जहां तक प्रश्न (ग) का संबंध है, यह ऊर्जा प्रणाली ग्रुप आर एण्ड डी ग्रुप की स्थापना के बाद स्थापित की गई थी। और से हैदराबाद में सी. एस. आई. आर. वी. क्षेत्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला के साथ मिलकर कोयले और अवशेषों से प्राप्त ऊर्जा पर अनुसंधान कार्य करने की जिम्मेदारी सोंपी गई थी। बाद में इस ऊर्जा प्रणाली ग्रुप को तिरची केन्द्र की गतिविधियों के साथ जोड़ दिया गया। तिरची केन्द्र अणु इंजीनिरिंग, अवशेषों से ऊर्जा विकास परियोजनाएं, कम्बाईन्ड साईकिल परियोजना और सेवाएं और सामान्य आर एण्ड डी ग्रुप का काम देख रहा है। हैदराबाद केन्द्र

डायनेमिक्स प्रणाली, मकेनिकल डिजाइनों, अणु और विशेष परियोजनाएं, गर्मी का स्थानान्तर, और द्रव्य का भेजा जाना और कोयला और सम्बन्धित आर एण्ड डी ग्रुप आदि का कार्य देख रहा था। क्योंकि दोनों ही अनुसंधान कार्य एक दूसरे से सम्बन्धित थे इसलिए दोनों को मिलाकर कार्यकारी निदेश, तिरची के अधीन कर दिया गया है। मुझे बताया गया है कि इसका विलय ऊर्जा प्राणालियों के और अच्छे परिणाम निकालने के उद्देश्य से किया गया है।

जहां तक भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड में अनुसंधान कार्य होता है, मेरे विचार में माननीय सदस्य ने कुछ समय पूर्व इस सम्मानित सदन में दिए गए अपने भाषण में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के कार्यों की प्रशंसा की थी और मैं समझता हूं कि पिछले कुछ वर्षों अथवा इसकी स्थापना के बाद इनकी जो कुछ भी उपलब्धि है, वह पूरे देश के लिए गर्व का विषय हैं। अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में इसमें कई कार्य किए हैं उदाहरण के तौर पर उसने फ्लूयडाइसड कम्बक्शन 'बायलरस', लो के आधार पर बायलय के लिए कोल गैस पद्धति, गैर-परंपरागत ऊर्जा विकास का आधार, बैटरी चालित गाड़ियां, फॉस्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्कर के लिए स्टीम टरबाइनस आदि। इसकी नवीनतम उपलब्धि सौर ऊर्जा के लिए 'फोटो वोलटेक सेल्ड' का विकास है। मैं यहां उसकी उपलब्धियों की पूरी सूची देने की आवश्यकता नहीं समझता। हमने भारत हैवी इक्ट्रिकल्स लिमिटेड की रिपोंटों के माध्यम से समय समय पर इसके द्वारा किए गए अनुसंधान और विकास के सम्बन्ध में पूरी सूचना सभा पटल पर रख दी है। यदि माननीय सदस्य इच्छुक हों, तो मैं 'भेल' में किए जा रहे अनुसंधान कार्यों सम्बन्धी विवरण को पुनः सभा पटल पर रखने के लिए तैयार हूं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : महोदय, मैं "इन्डिया टूडे' में प्रकाशित वक्तव्य, जिसका जिक्र मैंने अपने प्रश्न में किया है. के सम्बन्ध में सभापति द्वारा किए गए खंडन की तिथि और समय जानना चाहता हूं। क्या यह मेरे प्रश्न पूछने के बाद किथा गया था मेरे प्रश्न से पहले? दूसरे, उन्होंने कहा, "प्रश्न ही नहीं उठता," क्या प्रश्न नहीं उठता? मैंने इस प्रश्न से सम्बन्धित प्रश्न पूछा था जो इस मूल उद्योग विशेष की आत्मनिर्भरता, अनुसंधान और विकास के बारे में था, जिस पर हम सब को गर्व है किन्तु इस सरकार की गलत और अकाल्पनिक नीतियों द्वारा इसे ढाया जा रहा है। अतः मंत्री महोदय को मेरे प्रश्न का सही उत्तर देना होगा।

और अन्त में उन्होंने कहा कि बहुत सी उपलब्धियां हुई हैं। मेरा आरोप यह है कि उन उपलब्धियों को व्यर्थ कर दिया गया है क्योंकि इन वर्षों में उन वस्तुओं का भी आयात किया गया है जिनके सम्बन्ध में हम प्रौद्योगिकी और सामान दोनों मामलों में आत्मनिर्भर थे। क्या मंत्री महोदय ने उस प्रश्न विशेष को ध्यान में रखकर उस प्रश्न का उत्तर दिया था? यदि हां, तो मैं दूसरा प्रश्न पूछूंगा।

श्री नारायण दत्त तिवारी : महोदय, माननीय सदस्य द्वारा यह प्रश्न पूछे जाने से बहुत पहले 31 जुलाई, 1982 को 'भेले' के अध्यक्ष की ओर से प्रचार अधिकारी द्वारा 'खंडन' पत्र

'इंडिया टूडे' को लिखा गया था। मेरे पास उस पत्र की एक प्रति है। मैं उसका एक अंश पढ़ता हूं—

"कृपया इंडिया टूडे के 31 जुलाई, 1982 के अंक में 'भारत हैवी इलैक्ट्रिकल्स लिमिटेड की विद्युत संबंधी समस्याएं' शीर्षक से दिए गए लेख को देखें। इस लेख में जो सूचना दी गई है वह तथ्यपूर्ण नहीं है। इस लेख के दो लेखकों ने हमारे अध्यक्ष और प्रबन्ध निदेशक, श्री के. एल. पुरी को उद्धृत किया है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दोनों में से किसी भी लेखक को यह बयान नहीं दिया गया था। अतः उद्धरण में प्रकाशित अध्यक्ष द्वारा बताया गया बयान उनकी अपनी कल्पना है। इस लेख में उठाए गए मामलों के संबंध में इन दोनों लेखकों ने कभी भी अध्यक्ष से मुलाकात नहीं की। इसी तरह, उद्धरण में प्रकाशित हमारे निदेशक, अनुसंधान और विकास, श्री टी. वी. बालाकृष्णन द्वारा बताए गए बयान वास्तव में सही नहीं हैं और उन्हें नकारा गया है।"

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : आयातित वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : आयात के सम्बन्ध में, जिस व्यक्ति को 'भेल' के संबंध में जानकारी है, वह अच्छी तरह जानता है और मुझे विश्वास है कि 'भेल' के बारे में सदस्य को भी अच्छी जानकारी है, कि प्रौद्योगिकी आवश्यकताओं और ग्राहकों की मांग को पूरा करने के सिवाय किसी भी वस्तु का आयात नहीं किया है। मैं समझता हूं जब मैंने कहा कि प्रौद्योगिकी के प्रयोग के बारे में हमें 'भेल' पर गर्व होना चाहिए तो सदन मेरे इस मूल्यांकन से सहमत है। 'भेल' द्वारा समय समय पर करीब 36 से 38 सहयोग संबंधी समझौते किए गए हैं। अब अधिकतर समझौतों पर इस अर्थ में उपलब्धि मिली है कि प्रौद्योगिकी का उपयोग पहले ही किया गया है और कुछ मामलों में कुछ विदेशी सहयोग सम्बन्धी समझौते भी किए गए हैं, जो कुछ निश्चित समय तक आयात करने के लिए किए गए हैं। प्रौद्योगिकी आयोग संबंधी मामलों में 'भेल' काफी आगे बढ़ रहा है और जिन आयातित वस्तुएं के बारे में वह कह रहे हैं, केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात किया जा रहा है जो नई प्रौद्योगिकी की शुरूआत करने या ग्राहकों की मांग को पूरी करने के लिए आवश्यक हैं।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : मंत्री महोदय सदन को गुमराह कर रहे हैं। मैं एक नोटिस देना चाहूंगा। कि मैं इस प्रश्न पर चर्चा करना चाहता हूं।

श्री ई० बालानन्दन : मंत्री महोदय ने कहा है कि वह केवल उन आवश्यक वस्तुओं का आयात कर रहे हैं जिनसे हमारे विकास सम्बन्धी प्रयत्नों में बाधा नहीं पड़ेगी। लेकिन यह बात तथ्यों के विरुद्ध है क्योंकि आयात हमारे अनुसंधान और विकास के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों के विरुद्ध है। हमें अपने वैज्ञानिकों पर गर्व है। क्या सरकार इस बात की जाँच करेगी कि क्या हमने आयात के मामले में कुछ गलत कार्य किया है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : मैंने यह एकदम स्पष्ट कर दिया है कि हम केवल उन्हीं वस्तुओं या पुर्जों विशेष का आयात कर रहे हैं जो नई प्रौद्योगिकी की शुरूआत अथवा विभिन्न क्षेत्रों में ग्राहकों की आवश्यक माँगों को पूरा करने के लिए आवश्यक हैं। केवल उन्हीं वस्तुओं का आयात किया गया है जिसकी अनुमति दी गई है। (व्यवधान)।

श्री नीरेन घोष : 'भेल' उस समय विवाद का केन्द्र बन गया जब एक बहु-राष्ट्रीय जर्मन फर्म के साथ एक समझौता किया गया, जोकि एकदम अनावश्यक था। उस समझौते को पूर्णतः भंडाफोड़ किया गया था और सरकार द्वारा उसका कोई उपयुक्त उत्तर नहीं दिया गया। यह प्रश्न पुनः सदन के समक्ष रखा जा रहा है। जहां तक मुझे जानकारी है, कई पुर्जे और प्रौद्योगिकी या तकनीकी सहयोग सन्बन्धी समझौतों पर विचार किया जा रहा है और आयात किया जा रहा है। जिन्हें 'भेल' अथवा अन्यथा देश में अन्तर्राष्ट्रीय मानक तक तैयार किया जा सकता है। खंडन या दृढ़कथन से किसी तर्क को काटा नहीं जा सकता। क्या सरकार इस मामले की वैज्ञानिक विशेषज्ञ समिति द्वारा जाँच पड़ताल कराएगी ?

अध्यक्ष महोदय : इसका कोई प्रश्न ही नहीं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : वह जाँच के लिए कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस बात को दोहराया गया है। (व्यवधान)।

श्री एम० राम गोपाल रेड्डी : 'भेल' हमारे देश का गौरव है और देश के बाहर भी 'भेल' के उत्पादनों की बहुत मांग है। क्या इस बात की सबको प्रशंसा नहीं करनी चाहिए ? उस पर मंत्री महोदय की क्या प्रतिक्रिया है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : 'भेल' ने बहुत सफलता पूर्वक मलेशिया, लीविया थाइलैंड और अन्य देशों को यूनिट निर्यात किए हैं। हमें 'भेल' को इस सफल उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं देनी चाहिए।

श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा : सरकार ही 'भेल' की हर समय विदेशों से बहुत सी वस्तुएं आयात करने के लिए निन्दा करती रही है।

कुद्रेमुख लौह अयस्क का निर्यात

***45. श्री डूमर लाल बैठा :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कुद्रेमुख लौह अयस्क का कम निर्यात मूल्य पर सप्लाई किया जाता है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण हैं ;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान कितना उत्पादन हुआ, किन-किन देशों को कितना-कितना लौह अयस्क निर्यात किया गया और सामान सूची का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) क्या सरकार का निर्यात की स्थिति में सुधार लाने का कोई विचार है ?

उद्योग और इस्पात तथा खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया गया है ।

विवरण

(क) और (ख) कुद्रेमुख आयरन ओर कम्पनी लिमिटेड अपने लौह-अयस्क सांद्रण का निर्यात-मूल्य अपने उत्पाद की स्वीकार्यता तथा ऐसे उत्पादों के प्रवर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रख कर विभिन्न खरीददारों के साथ बातचीत करके तय करती है ।

(ग) मैसर्स कुद्रेमुख आयरन और कम्पनी लिमिटेड ने वाणिज्यिक स्तर पर लौह-अयस्क सांद्रण का उत्पादन 1 अक्तूबर, 1981 से आरम्भ किया था । उत्पादन, निर्यात तथा इतिशेष माल के आँकड़े इस प्रकार हैं :—

अवधि	मात्रा (डी० एम० टी०)
उत्पादन :—	
1.10.81 को अद्य शेष माल	33,095
1981-82 (1.10.81 से)	580,966
1982-83 (31.8.82 तक)	418,750
निर्यात :—	
कुल :	1,032,811
रूमानिया को	883,18
चैकोस्लोवाकिया को (ट्रायल आर्डर)	29,873
कुल :	913,060
31.8 81 को इतिशेष माल	119,751

(घ) कुद्रेमुख के सांद्रण को अन्य खरीददारों को बेचने के लिए भरकस प्रयत्न किए जा रहे हैं।

श्री डूमर लाल बैठा : प्रश्न (क) और (ख) के उत्तर में कहा गया है कि कुद्रेमुख लौह-अस्यक कम्पनी लिमिटेड अपने लौह-अयस्क सांद्रण का निर्यात-मूल्य अपने उत्पाद की स्वीकार्यता तथा ऐसे उत्पादों के प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय सूल्यों को ध्यान में रख कर विभिन्न खरीददारों के साथ बातचीत करके तय करती है। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि बातचीत द्वारा स्वीकार्य किया गया मूल्य कितना है ? प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कितना है और उत्पाद की कीमत क्या है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : कुद्रेमुख संयंत्र ईरानी समझौते के अनुकूल था, जिसे अभी कार्यान्वित किया जाना शेष है। जैसा कि मैंने कहा, पूरे मामले पर बातचीत की गई है। स्वीडन और ब्राजील जैसे देश इसके मुख्य संभरक देश हैं जो अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में अधिक होड़ लगा सकते हैं। अतः रूमानिया के साथ हमने जो मूल्य निर्धारित किया है सप्लाई के प्रारम्भिक वर्ष तक इसका मूल्य 16.5 प्रति डी० एम० टी० होगा। यह कहा जा सकता है कि लौह-अयस्क के निर्यात के मूल्य के मुकाबले में यह बिलकुल उपयुक्त मूल्य है। उत्पाद की स्वीकार्यता और प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों को ध्यान में रखकर ही यह निर्यात मूल्य निर्धारित किया गया है।

श्री डूमर लाल बैठा : प्रचलित अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य कितना है ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : अन्तर्राष्ट्रीय मूल्य घटता बढ़ता रहता है।

श्री डूमर लाल बैठा : उत्पाद की कीमत कितनी है ?

एक माननीय सदस्य : घटता बढ़ता रहता है।

श्री नारायण दत्त तिवारी : चूंकि अब केवल दो ही लाइनें चल रही हैं, जैसा कि तुलन-पत्र में उल्लेख किया गया है, मार्च 1982 तक के आधे वर्ष में हमें 36.34 करोड़ रुपए की शुद्ध हानि हुई। चूंकि इसके अन्य भी कई कारण हैं। अतः अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के साथ उत्पाद की कीमत का निर्णय करना कठिन होगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मेरा प्रश्न लौह-अस्यक के आयात से संबंधित है। क्या मंत्री महोदय, हमें बतायेंगे कि क्या जापान ने भारत से लौह-अयस्क का निर्यात करना बहुत कम कर दिया है। यदि हाँ, तो जापान में इसका कारण गुण, मूल्य या संकट, क्या है ? आप लौह-अयस्क का निर्यात अन्य किन वैकल्पिक देशों को करने का प्रयत्न कर रहे हैं ?

श्री नारायण दत्त तिवारी : माननीय सदस्य इससे सहमत होंगे कि प्रश्न कुद्रेमुख परि-योजना के प्रश्न से उत्पन्न नहीं होता है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : राष्ट्र को यह जानने का अधिकार है। यदि वह पूरी सूचना देने की स्थिति में नहीं हैं तो वह यह भी कह सकते है कि वह इसका उत्तर अगली बार देंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप एक और प्रश्न का नोटिस दे सकते हैं।

श्री सत्य साधन चक्रवर्ती : मंत्री महोदय को लौह-अयस्क के निर्यात की स्थिति की अच्छी तरह से जानकारी है।

अध्यक्ष महोदय : आप एक अन्य प्रश्न का नोटिस दे सकते हैं।

इन्सैट-1 ए० की असफलता

*46. †श्री सत्य नारायण जटिया :

श्री राजेश कुमार सिंह : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत का प्रथम इन्सैट 1 ए० असफल हो गया है और सरकार ने इसे त्याग दिया है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी असफलता के लिए उत्तरदायी प्रमुख कारण क्या हैं ;

(ग) सरकार द्वारा इस प्रयोग पर कुल कितना खर्च किया गया ; और

(घ) इन्सैट-1 ए० की असफलता से प्रभावित कार्यक्रमों को जारी रखने के लिए क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारस्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) इन्सैट-1 ए० की असफलता के विस्तृत पुनरीक्षण के लिए आदेश दे दिए गए हैं। जब तक कि असफलता का विश्लेषण पूरा नहीं होता है, जिसके कि अक्तूबर 1982 के अन्त तक पूरा होने की संभावना है, असफलता के कारणों के किसी निश्चित निर्धारण पर पहुंचना असामयिक होगा।

(ग) इन्सैट-1 अन्तरिक्ष खंड, जिसमें इन्सैट-1 प्रणाली के कक्षा में दो अन्तरिक्षयान और उनके नियंत्रक तथा प्रबन्ध के लिए भूमि पर प्रधान नियंत्रण सुविधा शामिल है, के लिए स्वीकृत [illegible]जीगत परिव्यय की राशि 113 करोड़ रुपए है। इन्सैट-1 अन्तरिक्ष-खंड पर अगस्त 31, 1982 [illegible]क हुए कुल व्यय की राशि 83.16 करोड़ रुपए के लगभग है। इन्सैट-1 की योजना दूरसंचार, [illegible]समविज्ञान, दूरदर्शन और रेडियो सेवा प्रदान करने के लिए एक प्रचालनात्मक प्रणाली के रूप बनाई गई थी।

(घ) इन्सैट-1 बी० अर्थात द्वितीय इन्सैट-1 उपग्रह की उपलब्धता के समय तक (1) सभी 28 स्थिर भू-केन्द्रों का इस्तेमाल करते हुए समस्त सुदूर क्षेत्र तक तथा प्रमुख प्राइमरी-मुख्य मार्गों पर संक्षिप्त जरूरी दूरसंचार सेवा को और (2) सभी टी० वी० उपग्रह-अन्तसंबंध/कार्यक्रम प्रसारण सेवा को इन्टेलसैट प्रेषानुकरों की अतिरिक्त क्षमता पट्टे पर लेकर पुन: स्थापित किया जाएगा ; इन्टेलसैट प्रेषानुकर को आंशिक रूप में पट्टे पर लेकर विस्तार करके सात दूरसंचार भू-केन्द्रों के प्रचालन कार्य का पुन: स्थापन पहले ही कर दिया गया है ।

अध्यक्ष महोदय : हमने इस पर विस्तृत चर्चा की है ।

श्री सत्य नारायण जटिया : मैं केवल यह जानना चाहता हूं,···(व्यवधान) यह बहुत महत्वपूर्ण मामला है ।

अध्यक्ष महोदय : क्यों वक्त जाया किया जाये ?

श्री सत्य नारायण जटिया : मैं सीधा प्रश्न पूछ रहा हूं ।

अध्यक्ष महोदय : सभी लोग सीधा प्रश्न ही पूछते हैं, टेढ़ा कोई नहीं पूछता है ।

श्री सत्य नारायण जटिया : सीधा आदमी, सीधा प्रश्न ।

जो हमारा इन्सैट-1 फेल हुआ है, दुनिया के जितने भी सैटलाइट अन्तरिक्ष में स्थित हैं, हमने सैटलाइट जब डिजाइन की तो उसमें तीन प्रकार की डिजाइन की, दूर संचार, मौसम विज्ञान, दूरदर्शन और रेडियो वाली 3 सुविधाएं उसमें रखीं । इस सैटलाइट की डिजाइनिंग 3 जानकारियों के लिए एकत्रित की गई थी । जो दूसरे सैटलाइट बने हैं, उनमें 2 पंख होते हैं, लेकिन हमारे इसके डिजाइन में केवल एक हाथ और एक पंख था, वह खुला नहीं । इसके कारण जो सारी योजनाएं थीं, वह धूमिल हो गई ।

मेरा प्रश्न यह है कि इन्सैट-1 जो फेल हुआ है यह डिजाइन की संरचना में दोष के कारण हुआ है क्या ?

दूसरा प्रश्न यह है कि जो इसका टेंडर हुआ था उसमें हुजेरा एयर क्राफ्ट कम्पनी जो अमेरिका की है और दूसरे फोर्ड एऊरो स्पेश ने टेंडर के लिए मना कर दिया या टेंडर समान आए थे ?

अध्यक्ष महोदय : यह सारी बातें आ गई थीं ।

श्री सत्य नारायण जटिया : टेंडर मांगे गये थे तो क्या उसने टेंडर देने से इन्कार कर दिया था ? यह हमारा सीधा सा प्रश्न है ।

अध्यक्ष महोदय : यह सारी बातें आ चुकी हैं । (व्यवधान) ।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें सदन में इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। अब श्री त्रिलोक चन्द बोलेंगे—प्रश्न संख्या 47 (व्यवधान)।

इसका उत्तर पहले ही दिया जा चुका है। यदि आप कार्यवाही वृत्तांत को देखें तो आपको पता चल जाएगा। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : कोई फर्क नहीं पड़ता है। सब बातों का उत्तर दिया जा चुका है।

श्री सत्य नारायण जटिया : क्या यह डिजाइन के दोष के कारण हुआ है ? मैं साधारणसी बात पूछ रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : यह सारी बातें बता दी गई हैं।

श्री सत्य नारायण जटिया : नहीं आया है।

अध्यक्ष महोदय : नहीं कैसे आया है ? (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : आप अनावश्यक रूप से व्यवधान क्यों डाल रहे हैं। मुझे अपने कार्य की जानकारी है। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता। इसे बार बार दोहराया गया है।

श्री फूल चंद वर्मा : अध्यक्ष महोदय, जब यह जवाब आ गया था तो यह प्रश्न एलाऊ ही क्यों किया गया ? आपको इसे स्थगित कर देना चाहिए था। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। (व्यवधान) आप कुछ बातों को समझने का प्रयास करें ?

श्री सी. पी. एन. सिंह : महोदय, माननीय सदस्य के प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर मैंने अपने लिखित वक्तव्य में दिया है। लेकिन मैं समझता हूं कि जो निविदा दी गई है वह उसके बारे में स्पष्टीकरण लेना चाहते हैं। हमारी प्रणाली ये निविदाएं लिखित रूप में देने की है। 15 देशों या 15 कम्पनियों में ये टेंडर करीब 100 डालर में लिए लेकिन केवल दो कम्पनियों ने अपने टेंडर भरें और अपने आदमी भेजे। उनमें से एक था फोर्ड एयरोस्पेस और दूसरा ह्यूग्स। अतः मैं नहीं समझता कोई और स्पष्टीकरण देना आवश्यक है।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी : जब जनता सरकार के शासन काल में भास्कर उपग्रह असफल हुआ था तो आपने कहा था—"इससे पता चलता है कि सरकार गिरने वाली है ?" क्या इसका मतलब है कि आपकी सरकार भी अब गिरने वाली है ? (व्यवधान)।

श्री सी. पी. एन. सिंह—महोदय, माननीय सदस्य को, मुझे विश्वास है, इस तथ्य की नकारी है कि सभी बातचीत और मंजूरी के ही शासन काल के दौरान की गई थी हमने

उस अंतरिक्षयान के केवल एक पहलू और जोड़ा है कि उस अंतरिक्षयान के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रो में टेलिविजन दिखाया जाए जिसको आपकी प्रधानमंत्री ने अस्वीकार कर दिया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री सिंह, कम से कम उनकी आशाओं पर पानी मत डालिए।

श्री सी. पी. एन. सिंह : नहीं।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : प्रश्न है, वह इस 1440 लाख डालर के लिए जिम्मेदार है··· (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हो चुका है। मैंने आपके प्रश्न को भी लेने का प्रयत्न किया है लेकिन प्रश्न काल समाप्त हो चुका है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

केरल में हुई शराब दुर्घटना

*47. **श्री त्रिलोक चन्द :**

श्री बी०डी० सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में हाल में शराब-दुर्घटना में मरने वालों की बड़ी संख्या को देखते हुये सरकार ने देश के विभिन्न भागों में बार-बार हो रही ऐसी दुर्घटनाओं को रोकने के लिये नकली शराब बनाने और इसकी बिक्री के लिए एक अधिक कठोर केन्द्रीय कानून लाने की बांछनीयता पर विचार किया है; और

(ख) यदि हाँ, तो इस दिशा में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

नशिली शराब का उत्पादन, निर्माण रखना, परिवहन, क्रय तथा विक्रय राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। शराब संबंधी अपराध भारतीय दण्ड संहिता, राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के आवकारी तथा मद्यनिषेध कानूनों के अधीन नियमित किये जाते हैं।

परन्तु सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से अनुरोध किया गया है कि वे अवैध शराब की समस्या से निपटने के लिए लघु अवधि के और दीर्घ अवधि के दोनों उपाय करें।

रुग्ण लघु एककों की संख्या में वृद्धि

*48. श्री नवीन रवाणी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों में रुग्ण एककों की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ती जा रही है ;

(ख) यदि हां, तो 31 मार्च, 1982 को ऐसे एककों का प्रतिशत कितना था और इसके मुख्य कारण क्या हैं ;

(ग) क्या सरकार लघु उद्योगों को प्रोत्सान देने संबंधी अपनी नीति में कतिप्रय परिवर्तन करने पर विचार कर रही है ; जिस पर संशोधित 20 सूत्री कार्यक्रम में विशेष रूप से जोर दिया गया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) सरकार ने लघु उद्योगों के विकास को सुलभ बनाने और प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने के लिए कई उपाय किए हैं जिनमें संस्थागत कार्य का विस्तार विशेषकर पिछड़े क्षेत्रों में लघु एककों को आवश्यक सहायता और सेवाएं प्रदान करना, कार्यशाला सुविधाओं को समेकित कराना और उनमें सुधार करना, प्रक्रिया और उत्पाद विकास केन्द्रों और क्षेत्र परीक्षण केन्द्रों की स्थापना करना बढ़ी हुई विपणन सहायता की व्यवस्था करना, विभिन्न केन्द्रीय और राज्य अभिकरणों के साथ समन्वय और सम्पर्क बनाए रखने तथा कच्ची सामग्री आदि की रुकावटों को दूर करना आदि सम्मिलित हैं।

गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र के वित्त पोषण संबंधी अध्ययन दल की रिपोर्ट

*49. श्री आर०एन० राकेश :
श्री के० राममूर्ति : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना में गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र के वित्त पोषण संबंधी अध्ययन दल ने अपना कार्य पूरा कर लिया है और अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख सिफारिशें क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ; और कार्य पूरा न किये जाने पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) से (ग) छठी पंचवर्षीय योजना में निजी निगमित क्षेत्र की वित्त-व्यवस्था से संबंधित अध्ययन दल अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में लगा हुआ है और इसके अक्तूबर, 1982 के अन्त तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर देने की आशा है। इसमें निहित मामले जटिल थे जिनकी विस्तृत जांच किए जाने की आवश्यकता थी, इस कारण यह कार्य निर्धारित समयावधि के भीतर पूरा नहीं किया जा सका। इसलिए सरकार अध्ययन दल का समय अक्तूबर, 1982 तक बढ़ाने के लिए सहमत हो गई ?

दहेज के कारण हुई मौतें

*50. श्री एन० के० सेजबलकर :

श्री बी०वी० देसाई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में दहेज के कारण पिछले छः महीने के दौरान राज्यवार, हुई मौतों का पता लगाया है ; और

(ख) इस मीनेस को रोकने के लिये दहेज अधिनियम में संशोधन करने सहित, क्या प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : राज्य सरकारें और संघ शासित क्षेत्र प्रशासन अपराधों से संबंधित कानून लागू करने के लिए उत्तरदायी है। पिछले छः महीनों के दौरान दहेज के कारण हुई मौतों की राज्यवार कुल संख्या के संबंध में अखिल भारतीय आधार पर कोई आंकड़े संकलित नहीं किए जाते हैं क्योंकि यह राज्य का विषय है।

(ख) इस संबंध में 13-8-1982 को सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को विस्तृत निदेश जारी किए गए थे। जारी किए गए निदेशों की प्रतिलिपि सभापटल पर रखी जाती है [ग्रंथालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 5464/82] दहेज की बुराई को रोकने के लिए सरकार वर्तमान दहेज निवेश अधिनियम 1961 में संशोधन करने पर विचार कर रही है।

तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र के लिए ईंधन की प्राप्ति

*51. श्रीमती भाई आर० चौधरी :

श्री बापूसाहिब परुलेकर : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यदि तारापुर परमाणु विद्युत केन्द्र के लिए अपेक्षित परमाणु ईंधन प्राप्त नहीं किया जाता तो उसके लिए कार्य करना कठिन हो जायेगा ; और

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों के साथ ऐसा ईंधन प्राप्त करने के लिए बातचीत करने का विचार है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) सपलब्ध ईंधन को लम्बे समय तक चलाने के उद्देश्य से तारापुर परमाणु बिजलीघर को उसके विद्युत-स्तर से कम स्तर पर चलाया जा रहा है। अनुमान है कि ईंधन का वर्तमान भंडार सन् 1964 तक चलेगा। तथापि भारत सरकार इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखेगी कि तारापुर परमाणु बिजलीघर लगातार काम करता रहे।

(ख) अमरीका के साथ हाल ही में हुई एक सहमति के अन्तर्गत, तारापुर परमाणु बिजली घर की ईंधन संबंधी आवश्यकता को पूरा करने का दायित्व अमरीका के स्थान पर फ्रांस ले लेगा, तथा यह दायित्व सन् 1963 में भारत और अमरीका के बीच हुए सहकार करार की और उस करार के आधार पर सन् 1971 में हुए सुरक्षोपाय संबंधी करार की सीमाओं में रहेगा। फ्राँस के साथ कुछ बात-चीत हुई है तथा दोनों सरकारों के बीच विचार-विमर्श जारी है।

हैदराबाद में परमाणु ऊर्जा संयंत्र का बन्द होना

*52. **श्री दया राम शाक्य** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संशोधित यूरेनियम की कमी के कारण हैदराबाद स्थित परमाणु ऊर्जा संयंत्र बन्द होने वाला है ; और

(ख) क्या संयुक्त राज्य अमरीका ने वर्ष 1980, 1981 और 1982 में मांग के अनुसार संसाधित यूरेनियम की सप्लाई नहीं की है ; और

(ग) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रया है तथा इस संयंत्र को चालू करने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) परमाणु ऊर्जा विभाग के हैदराबाद स्थित नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के समृद्ध यूरेनियम अनुभागों का काम समृद्ध यूरेनियम न मिलने की वजह से सितम्बर, 1982 के दूसरे सप्ताह से रोक दिया गया है।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका ने 1980, 1981 और 1982 की मांग के अनुरूप समृद्ध यूरेनियम नहीं दिया है ।

(ग) उससे और समृद्ध यूरेनियम न मिलने की स्थिति में, इसके सिवाय कोई और विकल्प नहीं रहेगा कि नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र के समृद्ध यूरेनियम अनुभागों को बन्द कर दिया जाए।

छठी योजना का मध्यवर्ती मूल्यांकन

*53. **श्री रशीद मसूद** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना के मध्यवर्ती मूल्यांकन के अनुसार छठी योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में काफी कमी रह जायेगी।

(ख) यदि हां, तो कारण सहित तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है। और

(ग) योजना के लक्ष्यों को अधिकतम सीमा तक प्राप्त करने के लिये सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) और (ख) छठी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया जा रहा है और इसके पूरे होने के बाद ही निश्चित स्थिति मालूम होगी।

(ग) योजना के मध्यावधि मूल्यांकन को ध्यान में रखते हुए आवश्यक उपाय निर्धारित किए जाएंगे।

महाराष्ट्र में पुलिस आंदोलन के लिए सीमा सुरक्षा बल की तैनाती

*55. **डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी** :

श्री रतन सिंह राजदा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अभी हाल ही में महाराष्ट्र में पुलिस आंदोलन को दबाने के ए सेना तथा सीमा सुरक्षा बल के सैनिक तैनात किए गये थे ;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस कार्य के लिए महाराष्ट्र में कितने सैनिक भेजे थे ; और

(ग) महाराष्ट्र सरकार ने कितने सशस्त्र सैनिकों की मांग की थी ?

गृह मंत्री (श्री प्रकाश चन्द्र सेठी) : (क) जी नहीं, श्रीमान। महाराष्ट्र राज्य में पुलिस अशांति के संबंध में विधि व व्यवस्था से निपटने के लिए उस राज्य में सेना और सुरक्षा बल के कार्मिक तैनात किये गए थे।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र सरकार के मांग करने पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को लगभग 9 बटालियनों और सीमा सुरक्षा बल की 5 बटालियनों की सेवाएं राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई थी। सेना की तैनातगी के ब्यौरे प्रकट करना लोक हित में नहीं है।

नांगल में भारी पानी संयंत्र का बन्द किया जाना

*56. श्री सुभाष यादव :

स्वामी इन्द्रवेश : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नांगल स्थित भारी पानी संयंत्र पिछले एक वर्ष से बन्द कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या इस परियोजना को फिर चालू करने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है अथवा करने का विचार है, और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : (क) नांगल का भारी पानी संयंत्र, जनवरी, 1982 से लगातार काम करता रहा था, लेकिन बिजली न मिलने की वजह से उसे 30 सितम्बर, 1982 से बंद करना पड़ा था।

(ख) तथा (ग) संयंत्र को फिर से चालू करने के लिए आवश्यक बिजली प्राप्त करने की कोशिश की जा रही हैं।

पांच प्रमुख उद्योगों के आधुनिकीकरण करने के लिए धन

*57. कु० पुष्पा देवी सिंह :

श्री गुफरान आजम : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सूती कपड़ा सीमेंट, चीनी, पटसन कपड़ा और इंजीनियरी उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए भारतीय वाणिज्य तथा उद्योग मंडल के महासंघ ने सरकार से धन माँगा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ;

(ग) क्या उत्पादन और किस्म में सुधार होने से कमी दूर होगी और आयात में कमी आयेगी ; और

(घ) मुद्रा स्फीति को रोकने में इससे कहां तक सहायता मिलेगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) दिफेडेरेशन आफ इन्डियन मैम्बर्स आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री ने अनुमान लगाया है कि 5 से 7 वर्षों में पांच उद्योगों के आधुनिकीकरण के लिए 3682 करोड़ रुपए की धन राशि की आवश्यकता होगी संस्थागत वित्त की आवश्यकता प्रति वर्ष 589 से 421 करोड़ रुपए के बीच होगी। 147 करोड़ से 105 करोड़ रुपए तक की 20 प्रतिशत सीमांत राशि का प्रबन्ध उद्योगों को अपने आंतरिक स्रोतों से ही करना होगा।

(ग) जी, हां।

(घ) इसी प्रकार प्रारम्भ से लगाये जाने वाले उद्योग की अपेक्षा आधुनिकीकरण में पूंजी गहनता होगी, अतः इस प्रक्रिया में मुद्रा स्फीतिकरण दबाव निस्सन्देश ही कम होगा।

दिल्ली में कारों की चोरियां

*59. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में गत दो वर्षों में कारों की चोरियों में काफी वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी व्यौरा क्या है ; और

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कितनी गाड़ियां बरामद की गयीं हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री वेंकटसुब्बया) : (क) से (ग) यह कहना ठीक नहीं है कि दिल्ली में गत दो वर्षों के दौरान कारों की चोरियों में कोई वृद्धि हुई है। इसके विपरीत ऐसे मामलों में कमी हुई है। वर्ष 1980, 1981 तथा 1982 (15-9-1982 तक) के दौरान चुराई गई तथा बरामद की गई कारों की संख्या नीचे दी गई है :—

	चुराई गई	बरामद की गई
1980	1124	889
1981	943	716
1982 (15-9-1982 तक)	492	361

योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारियों के रिक्त पद

438. श्री भीखा भाई : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारियों के पद कितनी अवधि से रिक्त पड़े हैं ;

(ख) तत्संबंधी कारण क्या हैं ;

(ग) क्या वे इतने लम्बे समय से इन पदों के रिक्त रहने के कारणों की जांच करायेंगे ;

(घ) यदि अधिकारियों को सही आधारों पर इन पदोन्नतियों में बिलम्ब करते पाया गया हैं तो क्या उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी ; और

(ङ) ये पदोन्नतियां कब तक कर दी जाएंगी ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) योजना आयोग में अनुसंधान अधिकारियों के पांच पद क्रमशः दिनांक 21-8-80, 1-2-81, 1-7-81, 24-9-81 और 1-8-82 से खाली हैं।

(ख) ये पद प्रोन्नति कोटे में आते हैं। अपेक्षित विषयों में निचले पदों पर काम करने वाले पात्र अधिकारी उपलब्ध नहीं थे, इसलिए ये पद सभी मंत्रालयों/राज्य सरकारों, आदि को परिचालित किए गए थे। केवल एक मामले में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा एक उपयुक्त उम्मीदवार का चयन किया जा सका जिसे अभी कार्यभार ग्रहण करना है। शेष चार पदों में से तीन पदों के बारे में सीधी भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग को लिखा गया था। अन्तिम पद के बारे में भी उन्हें जल्दी ही लिखे जाने की संभावना है। इन चार पदों में से एक मामले में संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चयन किया जा चुका है।

(ग) और (घ) इस मामले की जांच की गई है। बिलम्ब के लिए कोई व्यक्ति उत्तरदायी नहीं है।

पोर्ट ब्लेयर में हत्याएं

439. **श्री चतुर्भुज** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पोर्ट ब्लेयर तहसील में गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष में कितनी हत्यायें हुई ;

(ख) कितने मामलों में अपराधियों को रजिस्टरों में दर्ज किया गया और कितने अपराधियों को दर्ज नहीं किया गया ;

(ग) पोर्ट ब्लेयर जैसी छोटी जगह पर अपराधियों का पता लगाने में पुलिस के असफल रहने के क्या कारण हैं ; और

(घ) क्या यह सच है कि पुलिस स्टेशन अबेरदीन, पोर्ट ब्लेयर गत पांच वर्षों से एक ही सर्किल इंस्पेक्टर के प्रभार में है, यदि हां, तो क्या सर्किल इंस्पेक्टर को बदलने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ख) विवरण संलग्न हैं।

विवरण

इस सम्बन्ध में स्थिति नीचे दी गयी है ।

वर्ष	पोर्ट ब्लेयर तहसील में हुई हत्याओं की संख्या	हत्या के उन मामलों की सं० जिनमें अपराधियों को दर्ज किया गया	हत्या के उन मामलों की सं० जिनमें अपराधियों को दर्ज नहीं किया गया
1979	7	5	2
1980	2	2	—
1981	3	2	1

वर्ष 1979 के दौरान पता न लगे शेष दो मामलों में से एक मामला दुर्घटना से हुई मृत्यु का मामला पाया गया जबकि पुलिस के भरसक प्रयत्न के बावजूद भी दूसरे का पता नहीं लगा क्योंकि कोई साक्ष्य नहीं पाया गया। वर्ष 1981 के दौरान दर्ज न किए गए एक मामले में, अभियुक्त ने हत्या करने के बाद आत्महत्या कर ली ।

पुलिस स्टेशन अबेरदीन पोर्ट ब्लेयर पिछले 5 सालों से एक ही सर्कल इन्सपेक्टर के प्रभार में है । उसके स्थानान्तरण के मामले पर सामान्य रूप से उस समय विचार किया जाएगा, जब आम तबादले किये जायेंगे ।

'न्यू ट्विस्ट टू कलर टी० वी० इंपोर्ट' शीर्षक समाचार

440. श्री सनत कुमार मंडल : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या उनका ध्यान 15 सितम्बर, 1982 के 'टाइम्स आफ इण्डिया' में 'न्यू ट्विस्ट टू कलर टी० वी० इम्पोर्ट' शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या प्रतिक्रिया है ;

(ग) क्या यह सच है कि जबकि आयातित कलर टी० वी० किट का प्रेषण विमानों और समुद्री जहाजों के द्वारा शुरू हो गया है तब इनका आर्डर देने वाले निर्माता पीछे हट रहे हैं ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) सरकार द्वारा इस मामले को ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाने का विचार है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) दूरदर्शन सेट के जिन विनिर्मिताओं को एशियाड-82 के लिए आयात सहायता दी जा रही है वे आयात लाइसेंस में शामिल की जाने वाली शर्तों से संबंधित कुछ छोटे-छोटे मुद्दे विचार-विमर्श के लिए लेकर उपस्थित हुए थे। उनके साथ हुए विचार-विमर्श के दौरान इन मुद्दों को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया गया था।

(ग) माल की खेपें विमानों तथा समुद्री जहाजों से आनी शुरू हो गयी हैं किन्तु संबंधित हकदार विनिर्माता माल नहीं उठा रहे हैं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

प्रशिक्षण के लिए विदेश भेजे गए राज्यों के अधिकारी

441. **श्री राम लाल राही** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों से बड़ी संख्या में भारत सरकार के पास तैनात किए अधिकारियों को गत तीन वर्षों के दौरान प्रशिक्षण/दौरे के लिए विदेश भेजा गया है ;

(ख) क्या केन्द्र में विशेष क्षेत्र में कार्य करने के लिए इस प्रकार प्रशिक्षित किए गए उन अधिकारियों को अपने मूल राज्यों को निश्चित रूप से अन्तरित कर दिया गया है जिससे उनको दिए गए प्रशिक्षण का प्रयोजन व्यर्थ हो गया ; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार भविष्य में ऐसे अधिकारियों के प्रशिक्षण का भार उन सम्बन्धित राज्यों पर छोड़ने का है जहां वे मूलतः नियुक्त हुए थे क्योंकि ऐसा करने से विदेशी प्रशिक्षण का व्यर्थ शोक नहीं होगा जो इस समय केन्द्र में व्याप्त है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) वर्तमान प्रणाली के अधीन केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और राज्य सरकारों के अधिकारियों तथा अखिल भारतीय सेवाओं के अधिकारियों के दावों पर चाहे वे केन्द्र में सेवा कर रहे हों अथवा राज्यों में, विदेशों में विभिन्न प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए नामांकन के मामले में उचित विचार किया जाता है। गत तीन वर्षों के दौरान, बहुत से ऐसे अधिकारियों को प्रशिक्षण पर विदेश भेजा गया था।

(ख) जो अधिकारी राज्यों से प्रतिनियुक्ति पर केन्द्र में आते हैं, उन्हें सामान्यतः ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए भेजा जाता है जो उनसे संगत होते हैं, चाहे वे अधिकारी केन्द्र के कार्यों के सम्बन्ध में कार्य करते हों अथवा राज्यों के कार्यों के सम्बन्ध में। इसलिए उन्हें दिया गया प्रशिक्षण उनके सेवावधि पूरी करने पर अपने राज्यों को प्रत्यावर्तित हो जाने के बाद भी व्यर्थ नहीं जाता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा में कागज मिलों की स्थापना करना

442. **श्री अजय विश्वास :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिपुरा राज्य सरकार ने त्रिपुरा में एक कागज मिल की स्थापना के लिए केन्द्रीय सरकार को कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह सच है त्रिपुरा में एक कागज मिल की स्थापना के लिए सभी स्थितियां अनुकूल पाई गई हैं लेकिन यह केन्द्रीय सरकार है जो इस योजना के लिए धनराशि उपलब्ध कराने के लिए अनिच्छुक है ; और

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार त्रिपुरा जैसे पिछड़े राज्य के हित में इस मामले को शीघ्र अन्तिम रूप देगी ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) त्रिपुरा की सरकार ने राज्य के बांस-स्रोतों पर आधारित 250/300 मी० टन की दैनिक क्षमता वाला एक कागज/लुगदी मिल स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। किन्तु कागज मिल जैसी बड़ी परियोजनाओं के सहायतार्थ समुचित अवस्थापना सुविधाओं का विकास किया जाना आवश्यक है। चूंकि विद्यमान अवस्थापना सुविधाएं अपर्याप्त हैं इसलिए इस परियोजना को चालू योजना में सम्मिलित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

राज्यों का औद्योगिक विकास

443. **श्री एस० एम० कृष्ण :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औद्योगिक विकास (राज्य-वार) के लिए राज्यों द्वारा कितनी राशि की व्यवस्था की गई है और उसमें केन्द्रीय सरकार का कितना अंशदान है ; और

(ख) विभिन्न राज्यों में 1972-1980 के दौरान प्रति व्यक्ति आय में कितनी वृद्धि हुई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) औद्योगिक विकास राज्य योजनाओं का अभिन्न अंग है। राज्यों को केन्द्रीय सहायता सामान्य अनुदानों और ऋणों के रूप में दी जाती है। औद्योगिक विकास के लिए केन्द्रीय सहायता अलग से निश्चित नहीं की जाती है।

(ख) वर्ष 1971-72 में और वर्ष 1979-80 में प्रति व्यक्ति निवल राज्य देशीय उत्पादन के संबंध में राज्यवार स्थिति का विवरण सभा पटल पर प्रस्तुत है।

विवरण

(रुपए)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र		1971-72	1979-80
1.	आन्ध्र प्रदेश	591	630
2.	असम	545	533
3.	बिहार	406	405
4.	गुजरात	832	848
5.	हरियाणा	875	931.
6	हिमाचल प्रदेश	680	646
7.	जम्मू और कश्मीर	547	616
8.	कर्नाटक	683	696
9.	केरल	571	555
10.	मध्य प्रदेश	507	393
11.	महाराष्ट्र	786	993
12.	मणिपुर	409	438
13.	उड़ीसा	434	435
14.	पंजाब	1046	1321
15.	राजस्थान	538	524
16.	तमिलनाडु	599	698
17.	त्रिपुरा	540	558
18.	उत्तर प्रदेश	451	439
19.	पश्चिम बंगाल	745	723
20.	दिल्ली	1226	1370
21.	गोवा, दमन और द्वीप	1006	1318

अल्पसंख्यक आयोग और उच्चाधिकार प्राप्त पैनल का दर्जा

444. **श्री अशफाक हुसैन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) न्यायमूर्ति बेग की अध्यक्षता में अल्पसंख्यक आयोग और डा० गोपाल सिंह की अध्यक्षता में उच्चाधिकार प्राप्त पेनल का दर्जा क्या है ;

(ख) क्या यह सच है कि अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन ने आयोग को सांविधिक दर्जा देने के लिए कहा है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि इसे सौंपे गए कार्यों को करने में गंभीर समस्याओं का सामाना करना पड़ रहा है ;

(घ) क्या यह भी सच है कि सांविधिक दर्जे के बिना यह साक्षी से शपथ पर पूछताछ नहीं कर सकता और अपने निर्देशों का पालन सुनिश्चित नहीं कर सकता है और न ही रिकार्ड मंगा सकता है ; और

(ङ) क्या सरकार का दोनों आयोग और उच्चाधिकार प्राप्त पेनल को सांविधिक दर्जा प्रदान करने का विचार है और यदि हां, तो कब और यदि नहीं, तो उसके कारण क्या हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) अल्पसंख्यक आयोग और उच्चाधिकार प्राप्त पैनल भारत सरकार द्वारा क्रमशः उसके तारीख 12 जनवरी, 1978 और 10 मई, 1980 के संकल्पों के अन्तर्गत कार्यकारी आदेशों के अधीन स्थापित किए गए थे।

(ख) जी हाँ, श्रीमान ।

(ग) और (घ) केन्द्रीय सरकार ने आयोग द्वारा भेजे गए मामलों के सम्बन्ध में सूचना को शीघ्र भेज कर आयोग के कार्य को सरल बनाने के संबंध में राज्य सरकारों को जोर देकर कहा है। सरकार ने आयोग को भी सूचित किया है कि यदि कोई विनिर्दिष्ट मामला सरकार के ध्यान में लाया जाता है जिसमें राज्य सरकार अथवा कोई अन्य प्राधिकारी आयोग के साथ पूर्ण रूप से सहयोग करने में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो सरकार उपयुक्त रूप से कारंवाई करेगी ।

(ङ) अल्पसंख्यक आयोग को सांविधिक अथवा संवैधानिक दर्जा देने के बारे में प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है । इस प्रयोजन के लिए ठीक समय सीमा बताना कठिन होगा । समबद्ध आयोग होने के कारण उच्चाधिकार प्राप्त पेनल के लिए ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

इस्पात संयंत्रों के पास इस्पात के भारी भंडार का जमा हो जाना

446. श्री मोहन लाल पटेल :
श्री चिन्तामणि जैना :
श्री हरीश रावत : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस्पात संयंत्र के पास अनबिके इस्पात का भारी भंडार जमा हो गया है ;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान इसका इस्पात के उत्पादन पर कोई प्रभाव पड़ा है ; और

(ग) अनबिके भंडार को कम करने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ; ताकि उत्पादन पर इसका कुप्रभाव न पड़े ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं। 1.9.1982 को स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड (सेल) के कारखानों में विक्रेय इस्पात का स्टाक 3.37,800 टन था। यह स्टाक पिछले महीने से कम है।

(ख) जी. नहीं। सेल का उत्पादन कार्यक्रम इस प्रकार बनाया गया है कि बाजार की मांग की पूर्ति की जा सके।

(ग) बिक्री में वृद्धि तथा स्टाक में कमी करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :

(1) बाजार की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सेल के कारखानों के प्रौडक्ट-मिक्स में परिवर्तन करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

(2) कच्चे लोहे को छोड़कर इस्पात सामग्री के अन्ततः उपयोग के लिए लोहा और इस्पात नियंत्रण आदेश की धारा-7 के अन्तर्गत घोषणा करने की व्यवस्था समाप्त कर दी गई है ;

(3) वितरण व्यवस्था में ढील दी गई है ;

(4) सूचना-पट्टों पर पुराने/अनबिके स्टाक की स्थिति दर्शाकर इसे ग्राहकों को बेचा जा रहा है (ग्राहकों में व्यापारी भी शामिल हैं) ;

(5) मुख्य उत्पादकों द्वारा कुछ प्रकार के माल के मूल्य में छूट दी जा रही है ;

(6) ग्राहकों को कुछ प्रकार का माल उधार पर भी दिया जा रहा है ;

(7) दोषयुक्त न बिकने योग्य मदों को टेंडर मंगवा कर बेचा जाता है ;

(8) निर्यात की संभावनाओं का पता लगाया जा रहा है ; और

(9) ग्राहकों से सम्पर्क बढ़ाने का काम तेज कर दिया गया है ।

इसके अलावा केन्द्रीय विपणन संगठन से कहा गया है कि वे विभिन्न प्रकार के इस्पात के इस्तेमाल के आधार पर देश और विदेश दोनों में बाजार तैयार करें और जिन मदों का आयात किया जा रहा है उन मदों का देश में अधिक उत्पादन करने के काम को बढ़ावा दें।

महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले में भारत एल्युमिनियम परियोजना की प्रगति

447. प्रो० मधु दंडवते : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र के रत्नगिरि जिले में सरकारी क्षेत्र की भारत एल्युमिनियम परियोजना के काम में कितने वर्ष से कोई प्रगति नहीं हुई है ;

(ख) इस परियोजना के काम के रुके रहने के क्या कारण हैं ; और

(ग) परियोजना के कब तक चालू हो जाने की आशा है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क), (ख) और (ग) रत्नगिरि परियोजना को एल्युमिनियम पिंडों और ई० सी० ग्रेड एल्युमिनियम वायर राड्स के निर्माण हेतु 1974 में स्वीकृति दी गई थी । परन्तु इसका कार्यान्वियन वित्तीय कठिनाइयों के कारण शुभ नहीं किया जा सका। यह परियोजना छठी पंचवर्षीय योजना के निर्माण के समय विचार में ली गई परियोजनाओं में से थी । समीक्षा से पता चला कि परियोजना तब तक किफायती नहीं होती, जब तक कि संयंत्र का आकार बड़े पैमाने का न हो तथा एक अति आधुनिक ऊर्जा बचत वाली प्रौद्योगिकी न अपनाई जाए। फरवरी, 1982 में सरकार ने खनिज गवेषण निगम को बाक्साइट के व्यापक अन्वेषण कार्य पर लगाया था ताकि क्षेत्र में अतिरिक्त बोक्साइट भंडारों की पुष्टि हो सके। व्यापक अन्वेषण का कार्यक्रम 26 महीनों की अवधि का है। चूंकि रत्नगिरि परियोजना को कम क्षमता के लिए स्वीकृति थी जोकि चालू मानकों के अनुसार उपादेय नहीं है, सरकार ने इस परियोजना के संबंध में औद्योगिक लाइसेंसों को प्रतिसंहृत कर लिया है । खनिज गवेषण निगम द्वारा क्षेत्र में भंडारों का पुनर्मूल्यांकन कर लिए जाने के बाद परियोजना की नई मूल्यांकन रिपोर्ट बनाने पर विचार किया जाएगा ।

अशोक पेपर मिल्स के जोगिघोपा और रामेश्वर नगर यूनिटों का बन्द किया जाना

448. श्री योगेन्द्र झा : क्या उद्योग मंत्री अशोक पेपर मिल्स के जोगिघोपा और रामेश्वर नगर यूनिटों के बन्द किए जाने के बारे में 12 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न सख्या 911 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान वर्ष के दौरान अशोक पेपर मिल्स लिमिटेड के जोगिघोपा और रामेश्वर नगर यूनिटों की अधिष्ठापित क्षमता की तुलना में वास्तविक मासिक उत्पादन की सही स्थिति क्या है ; और

(ख) कार्यकारी पूंजी की वास्तविक कमी क्या है और इस कमी के कारण क्या हैं और इसका उत्तरदायित्व किस पर है और इस कम्पनी को पुनः चालू करने के लिए राज्य सरकार के प्रयासों का क्या परिणाम रहा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) अशोक पेपर मिल के जोगीघोपा तथा रामेश्वर नगर एककों की अधिष्ठापित क्षमता उत्पादन तथा क्षमता का उपयोग नीचे बताया जाता है :—

अधिष्ठापित क्षमता

जोगीघोपा एकक—प्रतिमास 2250 मी० टन

रामेश्वर नगर एकक—प्रतिमास 1125 मी० टन

उत्पादन तथा क्षमता का उपयोग :

माह	जोगीघोपा एकक मीट्रिक टनों में उत्पादन	क्षमता के उपयोग का प्रतिशत	रामेश्वर नगर एकक उत्पादन (मीट्रिक टनों में)	क्षमता के उपयोग का प्रतिशत
जनवरी	836	37	242	22
फरवरी	1004	45	257	23
मार्च	725	32	250	22
अप्रैल	84	4	224	20
मई	437	19	126	11
जून	214	10	100	9
जुलाई	229	10	121	11
अगस्त, 82	154	7	75	7
कुल :	3683	20	1395	16

(ख) लगभग 300 लाख रुपए की कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता है और कम्पनी के पास इस समय प्रायः निधि नहीं है । कम्पनी को पुनरुज्जीवित करने हेतु निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे हैं :—

(1) सक्षम व्यवसायविदों को लाकर कम्पनी के प्रबन्ध को सुदृढ़ बनाया जाना है। वित्तीय संस्थानों द्वारा राज्य सरकारों के परामर्श से ब्योरा तैयार किया जा रहा है।

(2) वित्तीय संस्थान निदेशक मंडल को पुनर्गठित करने हेतु अन्य संबंधितों से संपर्क करेंगे ताकि वह प्रभावी बन सकें ।

(3) मिलों के उत्पादन मिश्रण, विपणन तथा अन्य पक्षों में सुधार करने की जांच की जा रही है।

(4) वित्तीय संस्थान तथा बैंकर्स को कम्पनी के लिए अनेक वित्तीय राहतें देने का हिसाब लगाना है।

(5) राज्य सरकारें बिजली, कच्चे माल आदि की उपलब्धि सम्बन्धी अवस्थापनागत सुविधाओं से संबंधित अन्य समस्याएं देख रही हैं।

(6) विभिन्न संबंधित अभिकरणों से कम्पनी को देय और भी धनराशि देने का अनुरोध किया गया है ताकि जब तक पुनरुज्जीवित करने की एक विशद योजना का कार्यान्वयन हो तब तक अपना काम प्रारम्भ कर चालू रख सके।

राजस्थान द्वारा दिल्ली नगर निगम को सीमेंट की सप्लाई

449. श्री धर्मदास शास्त्री : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली नगर निगम को उसके उपयोग/विकास कार्यों के लिए राजस्थान से सीमेंट प्राप्त करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या यह सच है कि राजस्थान में राज्य के उपयोग/मांग के अनुसार सीमेंट का उत्पादन नहीं किया जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप दिल्ली नगर निगम (जिसे पहले ही सीमेंट का कम कोटा आवंटित किया गया है) को सीमेंट की सप्लाई नहीं हो रही है ; और

(ग) क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए, कि दिल्ली नगर निगम के विकास और जनता की सुविधाओं से सम्बन्धित कार्यों में बाधा न हो, किसी अन्य राज्य से दिल्ली नगर निगम को सीमेंट की सप्लाई करने पर विचार कर रही है और यदि हां, तो इस सम्बन्ध में ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) राजस्थान में बिजली की कटौती के कारण सीमेंट के उत्पादन पर काफी प्रभाव पड़ा है । जिसके कारण दिल्ली नगर निगम सहित दिल्ली को सीमेंट की कम पूर्ति हुई है। दिल्ली को सीमेंट की पूर्ति का अगला स्त्रोत मध्य प्रदेश है और इस राज्य में भी बिजली की कटौती के कारण सीमेंट का उत्पादन काफी प्रभावित हुआ है ।

फिर भी यदि दिल्ली नगर निगम की तत्काल आवश्यकता के लिए सीमेंट जरूरी होगा तो प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्था करने के प्रयास अनुरोध प्राप्त होते ही किए जाएंगे।

कार्य दल द्वारा भट्ट समिति के प्रतिवेदन को अद्यतन किया जाना

450. श्री एस० ए० दोराई सेबस्तियन : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भट्ट समिति के 1972 के प्रतिवेदन में दी गई जानकारी को अद्यतन बनाने के लिए लघु उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कार्यकारी दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस प्रतिवेदन में क्या सुझाव दिए गए हैं और उस पर क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) कार्य-दल ने अपनी रिपोर्ट जून, 1982 में प्रस्तुत की थी तथा दल द्वारा निकाले गए निष्कर्षों और की गई सिफारिशों का सारांश निम्न प्रकार है :—

1. लघु औद्योगिक एककों की कानूनी परिभाषा :

लघु उद्योग की अत्यधिक सुदृढ़ कानूनी परिभाषा करना कठिन है क्योंकि अधिकांश उद्योग/कार्यकलाप लघु क्षेत्र के अन्तर्गत आते हैं । सरकारी अधिसूचना के माध्यम से लघु उद्योग की परिभाषा के अधिसूचित करने की विद्यमान प्रक्रिया चलती रहनी चाहिए।

2. लघु एककों का अनिवार्य पंजीकरण :

देश में बड़े पैमाने पर फैली बेरोजगारी तथा अधिक एककों को बढ़ावा देने तथा लघु उद्योगों को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सभी एककों का अनिवार्य रूप से पंजीकरण करना उचित नहीं होगा। पंजीकरण सम्बन्धी प्रक्रिया को सरल बनाया जाना चाहिए और स्थापना स्थल अथवा कार्यों की किस्म के बारे में एककों के पंजीकरण सम्बन्धी सभी अड़चनों को

दूर करना चाहिए। अधिकांश एककों को पंजीकरण की सीमा के अन्दर के बाद ही बाद की तारीख से अनिवार्य रूप से पंजीकरण किये जाने की आवश्यकता पर विचार किया जा सकता है।

(3) **आंकड़ों का संकलन :**

चूंकि सुदृढ़ परिभाषा और अनिवार्य रूप से पंजीकरण को अभी तक व्यावहारिक नहीं समझा गया है, अत: आंकड़ों के संकलन के बारे में कोई वेधानिक प्रावधान करना व्यावहारिक नहीं होगा। किन्तु, आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन कर रहे लघु एककों अथवा अनुषंगी उद्योगों की स्थिति वाले एकक अथवा विशेष रियायतों का लाभ उठा रहे क्षेत्रों में स्थापित एककों की शत प्रतिशत मानिटरिंग करने के लिए अधिक कर्मचारी तैनात किए जाने चाहिए। इस प्रकार संकलित किए गए आंकड़ों की सहायता से ऐसे एककों की कच्ची सामग्री की सम्पूर्ण आवश्यकता की जानी चाहिए। इससे पंजीकरण और मॉनीटरिंग करने में उनको सहयोग प्राप्त करने में मदद मिलेगी।

(4) **बिलों का तुरंत भुगतान :**

सरकारी क्षेत्र के सभी एकक और सभी बड़े एकक की लेखा परीक्षा के दौरान स्वत: जांच की जाएगी तथा निर्धारित 60 दिन की अवधि से अधिक के भुगतान सम्बन्धी सभी विलम्ब के मामले लेखा परीक्षा रिपोर्ट में लाए जाने चाहिए।

(5) **पूर्णरूपेण लघु एककों द्वारा उत्पादन के लिए उत्पादों का आरक्षण**

आरक्षण संबंधी प्रावधान को अधिक सुदृढ़ और कठोर बनाया जाना चाहिए। उक्त कार्य में लगे लघु एककों को पर्याप्त सूचना दिए बिना आरक्षण समाप्त नहीं किया जाना चाहिये।

जब आरक्षित वस्तुओं का उत्पादन करने वाला लघु एकक लघु क्षेत्र की निर्धारित सीमा से बाहर चला जाता है तो उसे अपनी उत्पादन क्षमता बढ़ाने के बाद, जहाँ पर वह उक्त सीमा को पार करते समय था, उक्त वस्तु का उतना ही उत्पादन करने की अनुमति प्रदान की जा सकती है।

(6) **सरकारी स्टोर खरीद कार्यक्रम :**

(1) सरकारी खरीद सम्बन्धी नीति की पुन: जांच करने की आवश्यकता है तथा इसे और अधिक स्पष्ट करने और अधिमानता का विवरण देने की जरूरत

है जिससे न केवल केन्द्र सरकार पर ही अपितु राज्य सरकार के अभिकरणों और अन्य वैध संगठनों पर भी खरीदने की बाध्यता रखी जा सके ।

(2) भण्डारों की खरीद के लिए अभिकरण की आवश्यकता नहीं है ।

(7) **वित्तीय प्रोत्साहन :**

इस बारे में किसी भी कानून की आवश्यकता नहीं है तथा विचार-विमर्श द्वारा बेहतर समन्वय किया जाना चाहिए ।

(8) **प्रतिबंधित साझेदारी अधिनियम :**

ऐसी कानूनी व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे छोटी कंपनी आसानी से और सस्ते में बनाई जा सके । साझेदारी अधिनियम में भी इस प्रकार संशोधन किया जाना चाहिए जिससे बड़ी संख्या में साझीदार एक ही फर्म की भागीदारी में शामिल किया जा सके और एक भागीदार की मृत्यु के कारण फर्म के सुचारू रूप से चलने पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े ।

एक फर्म अथवा लघु कम्पनी द्वारा चलाए जा रहे सभी लघु एककों पर केवल वे ही आयकर/निगमित कर होने चाहिए जिनका भुगतान फर्म कर सकें न कि वे जो निगमित फर्म पर लागू होते हैं ।

(9) **प्रशासनिक अभिकरण :**

विकास आयुक्त लघु उद्योग के प्राधिकरण पर ध्यान केन्द्रित करके उसमें पदेन अपर सचिव स्तर का पद बनाकर उसे सुदृढ़ करने की आवश्यकता है जिससे भारत सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न एजेंसियों के कार्य में बेहतर समन्वय किया जा सके ।

अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड की नई दिल्ली में दिनांक 17 और 18 अगस्त, 1982 को हुई 36 वीं बैठक में कार्यदल द्वारा की गई सिफारिशों और नीति व कार्यक्रम संबंधी स्थायी समिति द्वारा पृष्ठांकित सिफारिशों पर विचार किया गया था । कुछ सदस्यों विशेष रूप से लघु उद्योग संगठनों के कुछ प्रतिनिधियों द्वारा दिए गए सुझाव पर यह निर्णय लिया गया कि देश के कुछ और अधिक लघु उद्योग संगठनों के विचारों को ध्यान में रखते हुए नीति व कार्यक्रम संबंधी स्थायी समिति को इस मामले की और जांच करनी चाहिए तथा अपनी सिफारिशें लघु उद्योग बोर्ड की आगामी बैठक में रखनी चाहिए ।

"इंडियन एक्सप्रेस" में "कॉरोलरी इज सर्टेनली ट्रू शीर्षक से लेख

451. श्री जगन्नाथ पाटिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 20 सितम्बर, 1982 के "इंडियन एक्सप्रेस" में "दी कॉरोलरी इज सर्टेनली ट्रू" शीर्षक से प्रकाशित लेख की ओर दिलाया गया है जिसमें महिलाओं के साथ किए जा रहे अपराधों से निपटने में दिल्ली प्रशासन को कथित निष्क्रियता की घटना का उल्लेख किया गया है ;

(ख) यदि हाँ, तो दिल्ली पुलिस में 1 जनवरी, 1980 से 31 अगस्त, 1982 की अवधि में ऐसे कुल कितने मामले दर्ज कराए गए जिनमें विवाहित महिलाएं आत्महत्या, हत्याओं, दुर्घटनाओं के कारण मरीं ;

(ग) दहेज के कारण दुर्व्यवहार की श्रेणी के अन्तर्गत कुल कितने मामले दर्ज कराये गये ;

(घ) कितने मामले अपराधियों को उपर्युक्त दंड देकर समाप्त किये गये और कितने गवाही के अभाव में अन्तिम रूप से समाप्त कर दिए गए ; और

(ङ) पुलिस कार्यवाही के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति जेल काट रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

संकटग्रस्त आणविक विद्युत संयंत्र

452. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में सभी आणविक विद्युत संयंत्रों को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) उन्हें ठीक करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारस्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) भारत के चालू परमाणु बिजलीघरों में से तारापुर परमाणु बिजलीघर के दोनों यूनिटों को उनके विद्युत स्तर से नीचे स्तर पर चलाया जा रहा है, ताकि समृद्ध यूरेनियम मिलने की अनिश्चित स्थिति को ध्यान में रखते हुए, उपलब्ध ईंधन को और लम्बे समय तक काम में लाया

जा सके । राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दोनों यूनिटों में समय-समय पर प्रचालन संबंधी समस्याएं सामने आती रही हैं । ऐसा उपस्करों के ठीक से काम न करने, ग्रिड में खराबी आने तथा मानवीय भूलों के कारण हुआ है।

(ग) भारत सरकार इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखेगी कि तारापुर परमाणु बिजलीघर लगातार काम करता रहे ।

राजस्थान परमाणु बिजलीघर के कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से प्रचालन संबंधी समस्याओं की समीक्षा लगातार की जाती रहती है । ग्रिड में उत्पन्न होने वाले दोषों के मामले पर सम्बन्धित बिजली बोर्ड से तथा केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण से लगातार विचार-विमर्श किया जा रहा है ताकि इस समस्या को दीर्घकालीन आधार पर हल किया जा सके । राजस्थान परमाणु बिजलीघर के कार्यकरण का मूल्यांकन तकनीकी दृष्टि से करने के लिए सरकार ने विशेषज्ञों की एक समिति भी बनाई थी। उस समिति की रिपोर्ट मिल चुकी है और उसका अध्ययन किया जा रहा है ।

उत्तरी पीतमपुरा, दिल्ली में पुलिस चौकी

453. श्री काली चरण शर्मा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें पता है कि उत्तरी पीतमपुरा, आवासीय योजना, दिल्ली की बी.सी.डी. एफ.एस. के. एल.एम.एस.टी. और यू. पाकेटों के लिए कोई पुलिस चौकी नहीं है और इन पाकेटों में पुलिस की गश्त त्रुटिपूर्ण है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्तरी पीतमपुरा में एक पुलिस चौकी स्थापित करने तथा पुलिस कर्मियों द्वारा इन पाकेटों की दिन में और रात में गश्त लगाने का प्रबन्ध करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) यह क्षेत्र आदर्श नगर थाने के क्षेत्राधिकार में आता है, जहाँ से उत्तरी प्रीतमपुरा में गश्त लगाने के लिए पुलिस कर्मियों को तैनात किया जाता है । दिल्ली सशस्त्र पुलिस तथा होम गार्डस से अतिरिक्त स्टाफ को भी इस क्षेत्र में गश्त लगाने के लिए तैनात किया । संघ शासित क्षेत्र के विभिन्न भागों में पुलिस चौकियों/थानों को स्थापित करने के प्रस्तावों के साथ प्रीतमपुरा में एक अलग पुलिस चौकी स्थापित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जायेगा ।

मुकदमा चलाये बिना जेलों में रखे गए बन्दी

454 श्री बी॰ एन॰ गाडगिल : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत की जेलों में मुकदमा चलाये बिना रखे गये बन्दियों की कुल संख्या क्या है ;

(ख) ऐसे बन्दियों की कुल संख्या क्या है जिनके संबंध में एक वर्ष से भी अधिक समय तक मुकदमा शुरू नहीं हुआ है ; और

(ग) ऐसे बन्दियों की संख्या में कमी लाने के उद्देश्य से सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) 31-12-81 को सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में 92785 विचारणाधीन कैदी थे। इसमें 30-6-81 तक आन्ध्र प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के संबंध में और 22-3-82 तक दिल्ली के संबंध में सूचना सम्मिलित है क्योंकि 31-12-81 तक के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) भारत सरकार इन आंकड़ों को नहीं रखती है।

(ग) यह सुनिश्चित करने के विचार से कि विचारणाधीन कैदी जेलों में अनावश्यक अधिक समय तक बन्दी न रहे, राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को, सावधिक रूप से विचारणाधीन कैदियों के मामलों का पुनरीक्षण करने के लिए, गरीब और असहाय कैदियों को कानूनी सहायता देने का प्रबन्ध करने के लिए और मामलों की जांच पड़ताल के लिए निर्धारित समय सीमा के विषय में दण्ड प्रक्रिया संहिता के उपबंधों के सख्त अनुपालन के लिए राज्य और जिला स्तर की समितियों के गठन की सलाह दी गयी है। उनसे यह भी अनुरोध किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा समय-समय पर दिए गए निदेशों को ध्यान में रखते हुए विचारणाधीन कैदियों के मामलों की जाँच की जाय। हाल ही में गठित 10वें विधि आयोग के विचारणीय विषयों में अन्य बातों के साथ विलम्ब को दूर करने, और शेष कार्य को तेजी से निपटाने को सुनिश्चित करने के लिए न्यायिक प्रशासन की प्रणाली को निरन्तर पुनरीक्षित करना एक विषय है। इसके अतिरिक्त सातवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार कुछ राज्यों में अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना करने की व्यवस्था की गई है।

राजस्थान को सीमेंट का आबंटन

455. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान को वर्ष 1982 के पहली, दूसरी और तीसरी तिमाही में अब तक कितना लेवी सीमेंट आवंटित किया गया है ; और

(ख) इसी अवधि के दौरान जिलावार सीमेंट का वितरण और उपलब्धता क्या थी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 1982 की पहली तीन तिमाहियों में राजस्थान को लेवी सीमैंट का आवंटन निम्न प्रकार किया गया :

अवधि	आवंटन (मी०टन)	टिप्पण
1982 की 1 तिमाही	1,63,700	सिंचाई और विद्युत के लिए आवंटन भी सम्मिलित हैं।
1982 की 2 तिमाही	60,600	सिंचाई और विद्युत क्षेत्रों के लिए 79,400 मी०टन का आवंटन किया गया।
1982 की 3 तिमाही	60,600	सिंचाई और विद्युत परियोजनाओं के लिए 78,900 मी० टन का आवंटन किया गया।

(ख) लेवी सीमैंट का जिलावार आवंटन राज्य सरकारों और संघ प्रशासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है।

महाराष्ट्र में गर्भ निरोधक संयंत्र की स्थापना

456. श्रीमती ऊषा प्रकाश चौधरी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के पिछडे क्षेत्र में रबड़ का गर्भ निरोधक संयंत्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) क्या इस परियोजना के लिये केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ; और

(ग) उत्पादन क्षमता, तकनीकी जानकारी और उत्पादन शुरू करने की संभावित तारीख संबंधी व्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) दि स्टेट इण्डस्ट्रियल एण्ड इन्वेस्टमेंट कारपोरेशन आफ महाराष्ट्र लिमिटेड का महाराष्ट्र के पिछडे ज़िले औरंगाबाद में जो निवेश राजसहायता की केंन्द्री योजना का पात्र है, गर्भ निरोधक एकक स्थापित करने का प्रस्ताव है।

(ग) एकक की स्वीकृत अधिष्ठापित क्षमता 2000 लाख नग प्रतिवर्ष है। विदेशी तकनीकी जानकारी मैंसर्स एल० आर० सी० ओबरसीज लि०, लन्दन से प्राप्त की जा रही है। परियोजना के लिए उपकरण की लागत 251 लाख रुपये अनुमानित है। फरवरी, 1983 के अन्त तक उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है।

न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों की प्रगति

458. श्री अमल दत्त : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न कार्यक्रमों की राज्यवार प्रगति क्या है और विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्य-वार अलग-अलग कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) क्या व्यय में कमी होने का एक कारण उचित कार्यक्रमों का प्राप्त न होना है ; और

(ग) यदि हां, तो यह सुनिनिश्त करने के लिये कि कायन्वियन एजेंसियां स्वीकृत कार्यक्रम बनाने में समर्थ हैं, सरकार द्वरा क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार है ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) इस सूचना के विवरण 1 से 10 सभापटल पर प्रस्तुत हैं। [ग्रंथालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5465/82] ।

(ख) और (ग) प्रश्न उपस्थित नहीं होते क्योंकि वर्ष 1980-81 में वास्तविक व्यय और 1981-82 में प्रत्याशित व्यय अनुमोदित परिव्ययों से केवल कुछ ही (अर्थात क्रमश: .16 प्रतिशत और .2 प्रतिशत) कम हैं। ब्यौरे विवरण 1 में दिए गए हैं।

रोजगार संवर्धन परिषद की स्थापना करना

459. श्री मूल चन्द डागा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र हैं जहां नई रोजगार नीति के संदर्भ में देश में जनशक्ति के संसाधनो का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करने के लिये रोजगार के नये अवसर उत्पन्न करने के हेतु रोजगार संवर्धन परिषदों की स्थापना की गई है ;

(ख) वे कब स्थापित की गई थी ; और

(ग) इनका क्या परिणाम रहा ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है जिसमें उन राज्यों के नाम दिए गए है जहां जिला जनशक्ति योजना और रोजगार सृजन परिषदें स्थापित की गई हैं और साथ ही उनकी स्थापना की तारीखें दी गई हैं।

(ग) परिणामों का मूल्यांकन करना इस समय संभव नहीं है।

विवरण

उन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम जहाँ जिला जनशक्ति योजना और रोजगार सृजन परिषदें स्थापित की गई हैं	महीना/वर्ष
1. गुजरात	फरवरी, 1981
2. लक्षद्वीप	मई, 1981
3. कर्णाटक	मई, 1981
4. मिजोरम	जून-जुलाई, 1981
5. मध्य प्रदेश †	अगस्त, 1981
6. महाराष्ट्र	अगस्त, 1981
7. उत्तर प्रदेश	सितम्बर, 1981
8. पश्चिम बंगाल	सितम्बर, 1981
9. दिल्ली	सितम्बर, 1981
10. जम्मू तथा कश्मीर †	अक्तूबर, 1981
11. तमिलनाडु	अक्तूबर, 1981
12. असम	दिसंबर, 1981
13. बिहार	दिसंबर, 1981
14. मणिपुर	दिसंबर, 1981
15. अरुणाचल प्रदेश †	जनवरी, 1982
16. त्रिपुरा	जनवरी, 1982
17. उड़ीसा	मार्च, 1982
18. हिमाचल प्रदेश †	मई, 1982
19. आंध्र प्रदेश	मई, 1982
20. हरियाणा	जून, 1982

† जिला जनशक्ति योजना और रोजगार सृजन परिषद का कार्य अन्य जिला अभिकरणों को सौंपा गया है।

हैवी इलैक्ट्रिकल्स के उत्पादन में गिरावट सम्बन्धी समाचार

460. **श्री नारायण चौबे :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 31-8-1982 के 'स्टेट्समैन' (कलकत्ता संस्करण) में छपे "फाल इन प्रोडक्शन आफ हैवी इलेक्ट्रिकल्स" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि 1982 के पूर्वार्द्ध के दौरान 1981 की इसी अवधि की तुलना में हैवी इलेक्ट्रकल्स का उत्पादन 15 प्रतिशत गिर गया था ;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए क्या सुधारात्मक उपाय करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) जो नहीं । तकनीकी बिकास महानिदेशालय द्वारा रखे गए आंकड़ों के अनुसार प्रेस रिपोर्ट में उल्लिखित विद्युत तथा बितरण ट्रांसफारमरों का उत्पादन 2.05% बढ़ गया है जबकि विद्युत मोटरों, पावर केबलों और हाइटेंशन सर्किट ब्रेकरों जैसी अन्य वस्तुओं का उत्पादन जनवरी-जून 1982 की अवधि में 1981 की इसी अवधि की तुलना में 2% से 5.2% तक मामूली सा कम हो गया है । उत्पादन में गिरावट के कारणों में एक कारण बिजली बोर्डों, जो कि भारी विद्युत उपकरण उद्योग के प्रमुख ग्राहक हैं, के पास कोष की कमी का होना है । सरकार इस मामले में ध्यान दे रही है ।

बिहार में भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण

461. **श्री डी० पी० यादव :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में मुंगेर का भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण का प्रस्ताव का अध्ययन पूरा हो गया है ; और

(ख) यदि हां. तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) और (ख) समूचे मुंगेर जिले के 7927 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र का भूवैज्ञानिक मानचित्रण किया जा चुका है । मुंगेर के समेकित भूवैज्ञानिक कार्यक्रम के अंग के रूप में अतिरिक्त सर्वेक्षण और वैज्ञानिक अध्ययन भी किए गए हैं ।

प्रारंभिक अन्वेषणों से अधिकतर उच्च ग्रेड के 1.51 मि० टन बॉक्साइट भंडार तथा 13.50 मि० टन चूना पत्थर (निम्नम ग्रेड के) भंडारों का संकेत मिला है। क्वार्टज, क्वार्टजाइट क्ले, काइनाइट और अभ्रक के लिए भी प्रारम्भिक खोज की गई है। इनमें से कुछ अन्वेषण 1982-83 के फील्ड सीजन में जारी रखे जाएंगे।

बिहार प्रेस विधेयक पर अनुमति

462. श्री जगन्नाथ पाटिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान प्रशासनिक प्रथा के अनुसार राज्य के विधेयकों को जिन पर विधान सभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात् राष्ट्रपति की अनुमति की आवश्यकता होती है, राज्य विधान सभा में पुर: स्थापित करने से पूर्व केन्द्र सरकार को उसको प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेजा जाता है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार सरकार ने बिहार प्रेस विधेयक को राज्य विधान सभा में पुरः स्थापित करने से पूर्व केन्द्र सरकार को उनकी स्वीकृति के लिए भेजा था ;

(ग) उक्त विधेयक किस तारीख को गृह मंत्रालय में प्राप्त हुआ था और स्वीकृति किस तारीख को प्रेषित की गई ;

(घ) स्वीकृति देने से पूर्व किस किस मंत्रालय से परामर्श किया गया था ; और

(ङ) क्या उक्त विधेयक, जैसा कि अब राज्य विधान सभा द्वारा पारित कर दिया है और जिस पर राष्ट्रपति की स्वीकृति प्रतीक्षित हैं, स्पष्ट रूप से सभी प्रकार से उस मसोदा विधेयक के अनुरूप है जिस पर पहले ही स्वीकृति भेजी गई थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हाँ, श्रीमान, लेकिन राज्य सरकारों के स्वनिर्णय पर निर्भर करता है और सभी मामलों में ऐसे विधेयक राज्य विधान सभाओं में पुर:स्थापित किए जाने से पहले केन्द्रीय सरकार को पूर्वानुमति के लिए नहीं भेजे जाते हैं।

(ख) जी नहीं, श्रीमान।

(ग), (घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

हेमावती, हरंगी और काविनी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण

463. श्री के०टी० कोसलराम : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कर्नाटक सरकार ने योजना आयोग की अनुमति के बिना काबेरी नदी के चार तटीय राज्यों का काबेरी जल विवाद समाप्त होने से पहले ही काबेरी नदी पर हेमावती, हरेंगी और काविनी सिंचाई परियोजनाओं का निर्माण कर दिया हैं ; और

(ख) राज्य सरकार ने इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की है और क्या उन्हें केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) जी, हां।

(ख) कर्नाटक सरकार के अनुसार, वर्ष 1981-82 के अंत तक इन परियोजनाओं पर प्रत्याशित व्यय निम्नलिखित होगा :-

		(करोड़ रु०)
1.	हेमावती	91.6
2.	हरंगी	40.6
3.	काबिनी	68.0.

उनको कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी गई है।

राज्यों में पुलिस आंदोलन

464. श्री पी. एम. सईद :
श्री विजय कुमार यादव :
प्रो० अजित कुमार मेहता :
प्रो० मधु दंडवते :
श्री रतनसिंह राजदा :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री कमला मित्र मधुकर :
श्री रामसिंह यादव :
श्री बालासाहिब विखे पाटिल :
श्री जगपाल सिंह :
श्री शिव शरणवर्मा :
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 1979 के पश्चात् उत्तरी राज्यों में अगस्त और सितम्बर, 1982 में पुलिस कर्मचारी फिर आन्दोलन कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ;

(ग) कितने राज्यों में पुलिस आन्दोलन तथा हड़तालें हुई हैं और कितने मामलों में केन्द्र से सहायता मांगी गई है ;

(घ) क्या सबसे अधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र और हरियाणा है ;

(ङ) यदि हां, तो क्या दोनों राज्यों नें केन्द्रीय रिजर्व पुलिस नियुक्त करने की मांग की है ; और

(च) और क्या सहायता दी गई है और पुलिस कर्मचारियों की कितनी मांगे पूरी की गई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

बोकारो इस्पात संयंत्र के विस्तार का प्रस्ताव

455. श्री पी. राजगोपाल नायडू : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बोकारो इस्पात संयंत्र के विस्तार का कोई विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी अनुमानित लागत कितनी होगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) बोकारो इस्पात कारखाने की क्षमता को 25 लाख टन से बढ़ाकर 40 लाख टन करने का कार्य चल रहा है । इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 1637.55 करोड़ रुपये है ।

रंगीन दूरदर्शन के ट्रांसमिशन की तकनीक

466. श्री वी० एस० विजय राघवन : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रंगीन दूरदर्शन के ट्रांसमिशन की तकनीक के विकास के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ;

(ख) सरकार इस क्षेत्र में विदेशी तकनीक पर कितना निर्भर करती है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में हम कब तक आत्म निर्भर हो जायेंगे ?

इलेक्ट्रानिकी विभाग में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) से (ग) रंगीन प्रसारण के लिए यह आवश्यक है कि न केवल ट्रांसमीटर अपितु स्टूडियों में कार्यक्रम तैयार करने

के लिए जिन उपक्रमों का इस्तेमाल किया जाता है, वे रंगीन प्रसारण के लिए उपयुक्त है। भारत इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड में निर्मित किए जाने वाले दूरदर्शन ट्रांसमीटरों का रंगीन प्रसारण के लिए दुबारा डिजाइन बनाया गया है और अब से आगे बनाए जाने वाले सभी ट्रांसमीटर रंगीन प्रसारण के लिए उपयुक्त होंगे। भारत इलेट्रानिकी लिमिटेड तथा गुजरात संचार इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड में पहले से उत्पादित किए जा रहे अधिकांश स्टूडियों उपस्करों में रंगीन प्रसारण की क्षमता पहले से ही विद्यमान है जिनमें व्यावसायिक प्रसारण स्तर के वीडियों टेप रिकाडंर, वीडियों पल्स, वितरण एम्पलीफायर स्थायीकारक (स्टैबलाइसिंग) एम्पलीफायर अंकीय टाइमबेस करेक्टर, स्विचन तथा मिश्रण उपस्कर शामिल हैं। इसी प्रकार क्षेत्रीय कार्यक्रम निर्मित करने के लिए सुवाह्य (पोर्टेबल) वीडियों कैसेट रिकार्डर, ऐडिट कट्रोल यूनिट तथा सुवाह्य (पोर्टेबल) कैमरा को भी रंगीन प्रसारण के अनुरूप बनाया जा रहा है और गुजरात संचार इलेक्ट्रानिकी लिमिटेड में इनका शीघ्र उत्पादन किया जाने वाला है। इस प्रकार इस सभी क्षेत्रों में देश औद्योगिक दृष्टि से पहले ही स्वावलम्बी है। स्टूडियों केमरा टेलीसिने चेन, परिशुद्ध मॉनीटर तथा अन्य आवश्यक उपस्करों का उत्पादन भी शुरू किया जा रहा है और 1984 तक ये उपस्कर स्वदेशी विनिर्माताओं से प्राप्त होने लगेंगे। जहाँ तक प्रौद्यागिकी जानकारी से सम्बन्धित नीति का प्रश्न है, सरकार ने स्वदेशी प्रौद्योगिकी के विकास तथा विदेशी प्रौद्योगिकी जानकारी प्राप्त करने की मिली जुली नीति अपनाई है। जो प्रत्येक मामले में सभी सम्बद्ध बातों पर निर्भर करेगी जिसमें समय की उपलब्धता, मांग की मात्रा के संदर्भ में विकास कार्य पर आने वाली लागत आदि बातों पर निर्भर करेगी।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग के प्रतिवेदन का कार्यान्वयन

467. प्रो० अजित कुमार मेहता :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री रामावतार शास्त्री :
श्री बी० नरसिन्हा रेड्डी :
श्री गुलाम रसूल कोचक :
श्री जगदीश टाईटलर :
श्री बिजय कुमार यादव :
श्री राम सिंह यादव :
श्री बाला साहिब बिखे पाटिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय पुलिस आयोग के प्रतिवेदन पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो पुलिस बल सामान्य संतोष को कम करने और एक स्वतन्त्र राष्ट्र के मौजूदा सम्मान की सेवा करने के लिए पुलिस को और अधिक लाभकारी बनाने के लिए सुझाए गए सुधारों को लागू करने की दृष्टि से सिफारिशों को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) राष्ट्रीय पुलिस आयोग के पहले प्रतिवेदन पर 6 जून 1979 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था। ऐसे विषय जिन पर विशेष रूप से विचार किया गया था और जिन पर निर्णय लिए गए थे, की सूची विवरण में दी गई है। वे निर्णय जो पुलिस बल में सुधार से संबंधित हैं को शीघ्र कार्यान्वियन के लिए सभी राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों को भेजा गया था। अधिकांश निर्णयों को या तो कार्यान्वित कर दिया गया है अथवा वे कार्यान्वियन की विभिन्न अवस्थाओं में हैं।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग के दूसरे और बाद के प्रतिवेदनों की जांच की जा रही है।

विवरण

राष्ट्रीय पुलिस आयोग के प्रथम प्रतिवेदन में निहित विषय जिन पर 6 जून 1979 को हुए मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया था :—

1. पुलिस संघ।

2. शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र।

3. हस्तक्षेप के विरुद्ध आक्रोश।

4. अर्दलियों का दुरुपयोग।

5. कांस्टेबुलरी का वेतन स्तर तथा भत्ते।

6. कांस्टेबुलरी की कार्य दशायें।

7. छुट्टियों पर पुलिस कर्मचारियों की डयूटी के लिए प्रतिपूर्ति की मांग।

8. आवास।

9. पुलिस के विरुद्ध शिकायतों की जाँच करने के लिए रूप रेखाएं।

"प्लेयर स्केयर अराउन्ड स्टेडियम" शीर्षक समाचार

468. श्री अर्जुन सेठी :
श्री एन० ई० होरो :
श्री अनन्त रामुलुमल्लु :
श्री के० मालन्ना : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 18-9-1982 के "हिन्दुस्तान टाइम्स," में प्रकाशित "प्लेयर स्केयर अराउन्ड स्टेडियम" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या यह सच है कि आयुध कारखानों में बनाए गए प्रोजेक्टाइल्स पैराशूटों से सज्जित थे और उनका डिजाइन "पंखनुमा" बनाया गया था तथा प्रयुक्त खोलों से ये पैराशूट देखे नहीं जा सके क्योंकि वे भूमि पर गिरने से पहले ही जल गए थे ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) तथा (ग) आयुध कारखानों में बनाए गए प्रोजेक्टाइल्स पैराशूटों से सज्जित किए गए थे और उनको उड़ान के दौरान स्थिरता देने के लिए उनको पंख भी लगाए गए थे। प्रोजेक्टाइल्स का डिजाइन "पंखनुमा" नहीं बनाया गया था। पैराशूट सामान्य तौर से उड़ान में नहीं जाते हैं। ये प्रदीप्त यंत्र आयुध वस्तुएं थी और इनमें बहुत छोटी पैराशूट होती हैं जो प्रदीपन को लम्बे समय तक रखने के लिए उड़ान में खुलती है। किसी व्यक्ति को चोट लगने अथवा सम्पत्ति की हानि के न्यूनतम अवसर को समाप्त करने के लिए अपेक्षित सुरक्षा पूर्वोपाय किए गए थे। किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं दी गई है।

उत्तर प्रदेश के पिछड़े खंडों तथा तहसीलों में उद्योगों की स्थापना

470. **श्री उमाकांत मिश्र** : क्या उद्योग मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वी उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास के प्रयोजना से उन सभी प्रखंडों तथा तहसीलों को जहाँ कोई उद्योग नहीं है, शीघ्र ही पिछड़ा क्षेत्र घोषित किया जायगा ; और

(ख) क्या योजना के दौरान इस प्रकार की प्रत्येक पिछड़ी तहसील तथा प्रखंड में गैर सरकारी अथवा सरकारी क्षेत्र में एक उद्योग स्थापित किया जाएगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों को "उद्योग रहित" जिला माना गया है :—

बांदा, चमोली, फतेहपुर, हमीरपुर, जालौन,

जौनपुर, पौड़ी गढ़वाल, सुल्तानपुर, टेहरी-

गढ़वाल, उत्तर काशी और कानपुर (देहात)।

राज्य सरकार और संबंधित मंत्रालय औद्योगीकिकरण के लिए इन जिलों को उचित महत्व दे रहे हैं। औद्योगिक लाइसेंसिंग के मामले में और तकनीकी प्राधिकरणों में एककों का पंजीकरण करने के मामले में उद्योग रहित जिलों में उद्योगों की स्थापना हेतु आवेदन पत्रों को अपेक्षाकृत प्राथमिकता दी जा रही है।

सरकारी क्षेत्र की केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना पर मूल रूप से तकनीको आर्थिक आधार पर निर्णय लिया जाता है इसके अधीन सरकार की नीति केन्द्रीय परियोजनाओं की स्थापना करने के लिए तुलनात्मक रूप से पिछड़े क्षेत्रों को अधिमानता देना है ।

"सी० आई० ए० पाक ट्रेन—खालिस्तान गुरिल्लाज" शीर्षक से समाचार

471. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**

श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 सितम्बर, 1982 के ब्लिट्ज में "सी० आई० ए-पाक ट्रेन खालिस्तान गुरिल्ला" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और उस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) इस सम्बन्ध में सरकार को विशिष्ट सूचना नहीं है ।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग का प्रतिवेदन

472. **श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपना कार्य पूरा कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग द्वारा अब तक कितने प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं ;

(ग) आयोग की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ; और

(घ) अब तक कितनी रिफारिशें कार्यान्वित की गई हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां ।

(ख) आठ ।

(ग) तथा (घ) आयोग के प्रथम प्रतिवेदन में विवरण में उल्लिखित मदों से संबंधित सिफारिशें दी गई हैं । इन सिफारिशों पर 6 जून, 1979 को हुए मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था । इसके निष्कर्षों को कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकारों को भेजा गया था । दूसरे और बाद के प्रतिवेदनों में दी गई सिफारिशों में विस्तृत विषय हैं और इनकी संख्या काफी है । ये सिफारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

विवरण

उन मदों की सूची जिन पर राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने सरकार को प्रस्तुत अपनी प्रथम रिपोर्ट में सिफारिशें की हैं।

(1) कांस्टेबुलरी।

(2) वेतन ढांचा।

(3) आवास।

(4) पुलिस कर्मचारियों को आवश्यक वस्तुओं की सहायक दरों पर पूर्ति।

(5) अर्दली पद्धति।

(6) पुलिस कर्मचारियों की शिकायतों के निवारण के लिए तन्त्र।

(7) पुलिस परिवारों के लिए कल्याणकारी उपाय।

(8) भर्ती, प्रशिक्षण और कैरियर प्लेनिंग।

(9) पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ शिकायतों कीं जाँच के लिए रूप रेखाएं।

दिल्ली महानगर परिषद् और दिल्ली नगर निगम के चुनाव

473. श्री राम जेठमलानी :
श्री राम प्रसाद अहिरवार :
श्री बाबूराव परांजपे :
श्री जगन्नाथ पाटिल :
श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली महानगर परिषद् और दिल्ली नगर नियम को निलम्बित करते हुए प्रत्येक अवसर पर क्या कारण दिए गए हैं ;

(ख) क्या नवीनतम बढ़ाई गई अवधि का कारण दिल्ली में आयोजित किये जा रहे एशियायी खेल हैं ; और

(ग) दिल्ली में चुनाव कब अयोजित किए जाएंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) दिल्ली महानगर परिषद से संबंधित दिल्ली प्रशासन अधिनियम, 1966 के कुछ उपबंधो के निलम्बन की अवधि दिल्ली के उपराज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर समय-समय पर बढ़ाई जाती रही है। दिल्ली नगर निगम को निलम्बित किया गया था क्योंकि इसने लगातार गलती की थी और

अपने कर्तव्यों के निष्पादन में अक्षमता दिखाई थी तथा अपने अधिकारों का दुरुपयोग किया था और अपने कर्तव्य पूरा करने में सक्षम नहीं था। निलम्बन के बाद लघु अवधि तथा लम्बी अवधि के अनेक कार्यक्रमों/उपायों के शीघ्र कार्यान्वियन के लिए नागरिक नीतियों को नई दिशा तथा नया रूप दिया गया था, जिनका उद्देश्य नागरिक प्रशासन को गतिशीलबनाना, जड़ से भ्रष्टाचार समाप्त करना, फिजूल खर्च रोकना और नागरिकों की दिन प्रतिदिन की समस्याओं पर शीघ्रता से ध्यान देना था। परन्तु, इस प्रक्रिया को पूरा करने के उद्देश्य से निलम्बन की अवधि 6 महीने के लिए अर्थात् 10-10-81 तक बढ़ाई गई थी। चूंकि किए जाने वाले उपाय अथवा जिन्हें करने का विचार किया गया था, उन्हें पूरा नहीं किया गया था, इसलिए निलम्बन की अवधि और 6 महीने के लिए अर्थात् 10-4-82 तक बढ़ाना आवश्यक हो गया था। तब से पर्याप्त प्रगति हुई है, लेकिन बकाया कार्य जिसे पूरा करना था, इस प्रकार का था और कर्मचारी लगाने में प्रक्रिया/कठिनाइयां थी। वित्तीय व्यवस्था को सुचारू बनाने में समय अपेक्षित था जिससे काफी कार्य करना बना रहा। इसलिए निलम्बन की अवधि 6 महीने और बढ़ाना आवश्यक हो गया था। तदनुसार निलम्बन की अवधि 6 महीने के लिए, अर्थात 10-10-82 तक बढ़ा दी गई थी।

(ग) लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1961 की धारा 15 के अधीन उपराज्यपाल को चुनाव आयोग से परामर्श करके महानगर परिषद के चुनावों के लिए कहना होता है। जब उपराज्यपाल द्वारा परामर्श किया जाता है तो चुनाव आयोग उपराज्यपाल को चुनावों की वास्तविक तारीखों की सलाह देगा। दिल्ली नगर निगम के चुनावों के बारे में केन्द्र सरकार को अभी निर्णय लेना है।

पिछड़े क्षेत्रों के उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश को रिलीज की गई राशि

474. **डा० बसंत कुमार पंडित** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81, 1981-82 और 1982-83 के दौरान पिछड़े क्षेत्रों के औद्योगिक उत्थान, कमजोर वर्गों और शिक्षित बेरोजगारों के लिए विभिन्न केन्द्रीय सहायता वाली योजनाओं के अन्तर्गत मध्य प्रदेश को कुल कितनी राशि रिलीज की गई ;

(ख) मध्य प्रदेश राज्य और उनकी एजेंसियों, जिन्हें यह कार्य सौंपा गया है, द्वारा प्रत्येक वर्ष इसका वास्तविक उपयोग कितना किया गया था ;

(ग) क्या इन योजनाओं के कार्यान्वियन में व्यापक अन्तराल और कमियां पाई गई थीं ; यदि हां, तो उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई हैं ;

(घ) उपरोक्त वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान राजगढ़ विदिशा और गुना के पिछड़े औद्योगिक क्षेत्रों में मध्य प्रदेश राज्य द्वारा इन योजनाओं के अन्तर्गत कितनी राशि खर्च की गई थी और इसके अन्तर्गत वास्तविक उपलब्धि क्या है ; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कितने नए उद्योग खोले गए हैं और कितने शिक्षित बेरोजगारों और उद्यमकर्ताओं को प्रोत्साहन दिए गए हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) से (ङ) राज्य सरकार से सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होते ही प्रस्तुत कर दी जाएगी ।

मोटर गाड़ी उद्योग में उत्पादन में कटौती

475. **श्री ई० बालानन्दन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि मोटर गाड़ी निर्माण उद्योग में उत्पादन पर कटौती लागू कर दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ;

(ग) इसके कारण क्या हैं ; और

(घ) स्थिति को सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) कुल खरीद में कमी के कारण मोटरगाड़ी उद्योग में कुछ एककों के उत्पादन में कमी आई है एक एकक से दूसरे एकक में उत्पादन रूपरेखा भिन्न होती है । उद्योग द्वारा प्रस्तुत किए गए कारणों में से एक कारण यह था कि भावी खरीददारों को ऋण सुविधाएं पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है । इसके उत्तर में रिजर्व बैंक ने बैंकों को सलाह दी है कि उत्पादक प्रयोजनों के लिए ऋण सम्बन्धी आवश्यकताओं को पर्याप्त रूप से पूरा करे जिसमें ट्रैक्टरों और वाणिज्यिक गाड़ियों की खरीद भी शामिल है ।

दिल्ली में अपराधों में वृद्धि

476. **श्री एन०ई० होरो** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत छह महीनों में राजधानी में लड़कियों का अपहरण करने और उन से बलात्कार करने और बैंकों में डकैतियों के मामलों में वृद्धि हुई है ;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार के नोटिस में ऐसे मामले भी आए हैं जिनमें वयस्क अथवा बूढ़े व्यक्तिओं द्वारा भी अवयस्क लड़कियों से बलात्कार किया गया था; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है और इस बारे में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) पिछले 6 महीनों के दौरान अर्थात 15 मार्च 1982 से 15 सितम्बर 1982 तक, गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में बैंक लूटपाट के मामलों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है जबकि अपहरण और बलात्कार के मामले में वृद्धि हुई है।

(ख) इस अवधि के दौरान दिल्ली पुलिस को 14 ऐसे मामले सूचित किये गये हैं।

(ग) इन 14 मामलों में यह सूचित किया गया है कि 4 वर्ष से 15 वर्ष की आयु के बीच की 14 नाबालिक लड़कियों का वयस्कों द्वारा तथाकथित बलात्कार किया गया है। इन मामलों में 34 अभियुक्त व्यक्ति गिरफ्तार किये गये हैं और इनमें से दो मामलों में चालान न्यायालय में प्रस्तुत किए जा चुके हैं। ऐसे अपराधों को रोकने के लिए लड़कियों के स्कूलों और कालिजों में पुलिस गस्त कड़ी कर दी गइ है और वहाँ पुलिस कर्मचारी तैनात किये जाते हैं।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए येलेरु जल सप्लाई योजना

477. **श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश सरकार ने केन्द्रीय सरकार से आग्रह किया है कि वह विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र की संचालन स्थिति में जल की सप्लाई के लिए येलेरू जल सप्लाई योजना के कार्यान्वयन के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायें ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस मामले में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां। राज्य सरकार ने हाल में इस्पात विभाग से 147.02 करोड़ रुपये की कुल लागत में से 39.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता देने के लिए अनुरोध किया है।

(ख) चूंकि यह परियोजना राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है इसलिए इस्पात विभाग के लिए सहायता देना सम्भव नहीं है। विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना के लिए सरकार द्वारा मंजूर की गई राशि में इस मद पर खर्च करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है।

राज्यों के लिए धन का आवंटन योजना आयोग द्वारा किया जाता है। तदनुसार राज्य सरकार से कहा गया है कि वह इस बारे में योजना आयोग से लिखा पढ़ी करें।

बम्बई में पुलिस आन्दोलन

478. **श्री कृष्ण चन्द्र पांडे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को बम्बई (महाराष्ट्र) में पुलिस आन्दोलन के बारे में पूर्व सूचना थी ;

(ख) यदि हाँ, तो इसे रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई ; और

(ग) यदि नहीं, तो बम्बई जैसे बड़े शहर में इतने बड़े पैमाने पर आन्दोलन के बारे में केन्द्रीय सरकार को सूचित न करने के लिए कौन सी आसूचना एजेंसी जिम्मेदार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) महाराष्ट्र पुलिस के निम्न पदों में बढ़ती हुई अनुशासनहीनता से केन्द्रीय सरकार को समय-समय पर सूचित रखा गया था और वह राज्य सरकार के साथ निरन्तर सम्पर्क बनाये रही थी। राज्य सरकार ने कुछ उद्दण्ड पुलिस कर्मचारियों के विरुद्ध बड़ी कार्रवाई की थी ताकि उनके पुलिस बल में अनुशासन बढ़ सके।

"बजाज स्कूटर्स' की कमी

479. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को देश में "बजाज स्कूटर्स" की बढ़ती हुई मांग और इनकी कमी की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो "बजाज स्कूटर्स" की घरेलू आवश्यकता को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास करने का विचार है ; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) मे० बजाज आटो लिमिटेड को प्रतिवर्ष 3,00,000 नग तक क्षमता का पर्याप्त विस्तार करने की मंजूरी दी गई है। प्रसिद्ध विदेशी पार्टियों के सहयोग से स्कूटरों सहित द्विपहियों का निर्माण करने के लिए विभिन्न पार्टियों को भी मंजूरी दी गई है। आशा है कि इन मंजूरियों से माँग को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए विभिन्न और प्रतियोगी ब्रांडों के द्विपहियों और स्कूटरों के उपलब्ध होने में सहायता मिलेगी।

मारुति कारों के कल पुर्जों के आयात पर सीमा शुल्क

480. श्री टी० एस० नेगी : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मारुति कार परियोजना के लिए आयात किए जाने वाले कल-पुर्जों पर लिए जाने वाले सीमा-शुल्क पर कोई अन्तिम निर्णय लिया है जैसा कि दिनांक 15 अगस्त, 1982 के 'इंडिया टुडे' में समाचार छपा है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार पेट्रोल के आयात को कम करने के लिए 'फिएट' और एम्बेसडर' कारों के लिए अधिक दक्ष इंजन लागू करने का है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) उन प्रस्तावों जिनका उद्देश्य सामान्य प्रयोजनीयता से है और मारुति उद्योग लिमिटेड के लिए पृथक रूप से प्रस्तावित नहीं है के बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है ।

(ख) मे० हिन्दुस्तान मोटर्स लिमिटेड और प्रीमियर आटोमोबाइल्स लिमिटेड का विचार विभिन्न बाडी स्टाइलिंग और सुधरे हुए सस्पेन्शन, स्टियरिंग और ट्रांसमिशन सिस्टम वाली नये माडल की कारों को शुरू करने का है । निर्माताओं ने बताया है कि नई कारों में अधिक ईंधन क्षमता होगी ।

राज्यों अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी

481. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की राज्यवार संख्या कितनी है और उनमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारी कितने हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : विवरण संलग्न है ।

मध्य प्रदेश और सिक्किम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की संख्या से संबन्धित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

विवरण

क्र. सं.	राज्य संवर्ग का नाम	1-1-1982 को आसीन भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की संख्या	1-1-82 को अनु०जाति के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की संख्या	1-1-82 को अनु० जनजाति के भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की संख्या
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	133	11	4
2.	असम-मेघालय	87	4	21
3.	बिहार	151	19	6

1	2	3	4	5
4.	गुजरात	86	6	4
5.	हरियाणा	72	10	—
6.	हिमाचल प्रदेश	47	6	3
7.	जम्मू तथा कश्मीर	42	2	2
8.	कर्नाटक	96	10	3
9.	केरल	79	4	2
10.	मध्य प्रदेश	210	उ.न.	उ.न.
11.	महाराष्ट्र	155	13	2
12.	मणिपुर-त्रिपुरा	47	2	5
13.	उड़ीसा	100	4	2
14.	पंजाब	85	16	—
15.	राजस्थान	108	5	5
16.	सिक्किम	8	उ.न.	उ.न.
17.	तमिलनाडु	107	19	1
18.	संघ शासित क्षेत्र	86	9	3
19.	उत्तर प्रदेश	309	45	3
20.	पश्चिम बंगाल	179	12	10

उ.न.—उपलब्ध नहीं ।

बिहार को औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति

482. श्री डी०पी० यादव : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार सरकार द्वारा औद्योगिक लाइसेंसों की स्वीकृति के लिए कितने प्रार्थना-पत्र मंत्रालय में लम्बित पड़े हैं ; और

(ख) तत्संबंधी व्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) बिहार राज्य के सरकारी उपक्रमों से नायलोन फिलामेन्ट यार्न, प्रोसेस कन्ट्रोल इन्स्ट्रूमेन्टेशन सिस्टम ग्रामीण इलेक्ट्रानिकी एक्सचेंज, टेलीविजन की पिक्चर ट्यूबों और टेलीविजन रिसीवरों आदि जैसी बिभिन्न वस्तुओं के उत्पादन के लिए आशयपत्रों की स्वीकृति हेतु प्राप्त पांच आवेदन इस समय विचाराधीन हैं।

विदेशी सहयोग

483. श्री एम०एम० लारेंस : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि : 1982 की दूसरी तिमाही के दौरान सरकार द्वारा अनुमोदित विदेशी सहयोगों की देशवार कुल संख्या कितनी है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : सभी विदेशी सहयोगों के विवरण भारतीय निवेश केन्द्र द्वारा परिशिष्ट के रूप में मन्थली न्यूज लेटर में तिमाही आधार पर परिशिष्ट के रूप में प्रकाशित किए गए हैं। इसकी प्रतियां नियमित रूप से पार्लियामैंट लाइब्रेरी को भेजी जाती हैं।

इंजीनियरिंग उद्योग में मन्दी

484. प्रो० रूपचन्द पाल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हमारे देश में इंजीनियरी उद्योग को मांग सम्बन्धी भारी मन्दी का सामना करना पड़ रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं। किन्तु मुद्रास्फीति पर रोक लगाने में प्राप्त हुई प्रत्यक्ष सफलता के उपरान्त और इन उद्योगों के सम्बन्ध में कुछ अन्य विशेष बातों से कुछ इंजीनियरी उद्योगों में मांग और पूर्ति में कुछ समायोजन किया जा रहा होगा।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी कम्पनियों को रायल्टी के भुगतान

485. डा० कृपा सिन्धु भोई : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत को प्रौद्योगिकी का अन्तरण करने वाली विदेशी कम्पनियों को रायल्टी के भुगतान करने संबंधी नीति हाल ही में उदार बनाई गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है;

(ग) नीति के पुनरीक्षण के क्या कारण हैं; और

(घ) इससे देश को कहां तक लाभ होगा ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) सरकारी नीति विदेशी सहयोग के मामलों में आमतौर पर पांच वर्ष तक रायल्टी का भुगतान करने की अनुमति देती है। ऐसे मामलों में जिनमें अपेक्षित प्रौद्योगिकी जटिल होती है, करार की अवधि में अन्तर्निहित दीर्घ अवधि तक जिसे बढ़ाकर 10 वर्ष किया जा सकता है रायल्टी के भुगतान पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

(ग) सम्प्रति आयात की जा रही प्रौद्योगिकी को आत्मसात करने के लिए दीर्घकालीन करार की आवश्यकता होती है। करार की अवधि में रायल्टी भुगतान की दीर्घावधि त्वरित उत्पादन को प्रोत्साहन देने का कार्य करती है।

(घ) इससे अपेक्षित प्रौद्योगिकी अंतःप्रवाह को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

औद्योगिक निवेश में छूट का समाप्त किया जाना

486. श्री के० राममूर्ति : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक निवेश में 15 प्रतिशत की छूट 1 अक्तूबर, 1982 से समाप्त कर दी गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस उत्पादकतर वर्ष में ऐसा करने के क्या कारण है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) चुने हुए पिछड़े जिलों/क्षेत्रों में औद्योगिक एकक स्थापित करने के लिए केन्द्रीय निवेश राज-सहायता योजना की अवधि विद्यमान शर्तों और उपबंधों के आधार पर 31 दिसम्बर, 1982 तक बढ़ा दी गई है।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में "मल्लाह" जाति को शामिल करना

487. श्री जयपाल सिंह कश्यप :
श्री भीखाभाई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार, सार्वाधिक विधाही "मल्लाह" (नाविक) जाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने का है ; और

(ख) यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गई है और इस संबंध में सरकार की भावी योजना क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) मल्लाह (नाविक) समुदाय को अनुसूचित जातियों की सूची में शामिल करने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं ।

(ख) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूची में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के संदर्भ में और इस मामले में अपनाये गये सम्बद्ध मानदण्ड के अनुसार संबंधित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों और भारत के महापंजीयक से परामर्श करके अन्य ऐसे प्रस्तावों के साथ उपर्युक्त प्रस्ताव सिफारिशों, सुझावों और अभ्यावेदनों की विधिवत जांच की जा रही है । कुछ राज्य सरकारों की टिप्पणियां अभी प्रत्याशित हैं और उन्हें नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं । अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की वर्तमान सूची में कोई संशोधन संविधान के अनुच्छेद 341(2) और 342(2) को ध्यान में रखकर संसद के अधिनियम द्वारा ही किया जा सकता है ।

हिन्दुस्तान पिल्किंगटन ग्लास वर्क्स में तालाबंदी

488. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान पिल्किंगटन ग्लास वर्क्स लिमिटेड में चल रही दो वर्ष पुरानी तालाबंदी, जिससे 1400 मजदूर तथा कर्मचारी बेरोजगार हो गए हैं; को उठाने के लिए सरकार द्वारा कोई कदम उठाए जा रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्योरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल सरकार से मिली सूचना के अनुसार हिन्दुस्तान पिलाकिंगटन ग्लास वर्क्स, आसनसोल ने त्रिपक्षीय समझौते के आधार पर 1 सितम्बर, 1982 से काम करना प्रारम्भ कर दिया है जिसके अन्तर्गत 11 मूल वेतन तथा मंहगाई भत्ते के भुगतान में कोई परिवर्तन नहीं होगा' (2) अनिर्णीत अनुशासनात्मक कार्यवाहियां समाप्त कर दी जायेंगी (3) प्रोत्साहन देने की नई योजनाएं प्रारम्भ की जायेंगी (4) वर्ष 1979 के लिये बोनस का भुगतान 8.33 प्रतिशत की दर से किया जायेगा । (5) कारखाने के सभी स्थाई कर्मचारियों को प्रावस्थाबद्ध रूप में 120 दिनों के अन्दर खपा लिया जायेगा तथा खपाये जाने तक उन्हें वेतन के 25 प्रतिशत के साथ-साथ पूरा मकान किराया भत्ता मिलेगा ।

पर्यावरण सम्बन्धी चुनौती

489. श्री के० लकप्पा :

श्री एच०एन० नन्जे गौडा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या देश को पर्यावरण सम्बन्धी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय पर्यावरणीय योजना समिति ने इस चुनौती का सामना करने के लिए वर्तमान वन नीति में परिवर्तन करने की सिफारिश की है ;

(ग) यदि हां, तो क्या समिति द्वारा सरकार को कोई सिफारिश की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण विभाग में उप मंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) जी, हां ।

(ख) से (घ) राष्ट्रीय पर्यावरणीय योजना समिति आजकल इस सम्बंध में अपने विचार प्रतिपादित करने के कार्य में लगी है कि वर्तमान वन की आवश्यकताओं का किस प्रकार पुनर्निर्धारण किया जाय, और आशा है कि समिति अपने विचार सरकार को निकट भविष्य में भेज देगी ।

पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिये छठी पंचवर्षीय योजना में प्रावधान

490. श्री रास बिहारी बहेरा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के पिछड़े तथा विकासाधीन क्षेत्रों के विकास के लिए छठी पंचवर्षीय योजना में विशेष प्रावधान किए गए हैं ; और

(ख) इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों द्वारा राज्यवार कितनी धनराशि की मांग की गई है ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए छठी योजना में दी गई विशेष केन्द्रीय सहायता नीचे बताई गई है :—

	करोड़ रु०)
(1) पहाड़ी क्षेत्र (पश्चिमी घाट क्षेत्र सहित जिसके लिए 75 करोड़ रु० की व्यवस्था की गई है)	560.00
(2) जनजातीय क्षेत्र	470.00
(3) सूखा प्रवृत्त क्षेत्र	175.00

(4) रेगिस्तानी क्षेत्र 50.00

(5) औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्र 100.00

(6) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र 340.00

(ख) सभापटल पर एक विवरण प्रस्तुत है।

विवरण

विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकारों द्वारा प्रस्तावित राशि

(करोड़ रु०)

राज्य	पहाड़ी क्षेत्र	जनजातीय क्षेत्रX	सूखा-प्रवृत क्षेत्र	रेगिस्तानी क्षेत्र	औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रXX	उत्तर पूर्वी क्षेत्र+
1	2	3	4	5	6	7
1. आंध्र प्रदेश		17.20	28.50			
2. बिहार		57.18	25.40			
3. गुजरात		34.36	23.80*	*		
4. हरियाणा			4.87	9.75		
5. हिमाचल प्रदेश		6.49		1.40		
6. जम्मू और कश्मीर			6.06	5.00		
7. कर्नाटक		3-14	17.50			
8. केरल		2.39				
9. मध्य प्रदेश		111.62	16.15			
11. महाराष्ट्र		27.88	27.88			
12. उड़ीसा		56 51	7.84			
13. पंजाब						

1	2	3	4	5	6		7
14.	राजस्थान		20.11	29.88	31.87		
15.	सिक्किम		1.18				
15.	तमिलनाडु	42.53	4.69	20.10			
16.	उत्तर प्रदेश	969.45**	0.53	40.00			
17.	पश्चिम बंगाल	40.00	20.23	14.38			
18.	असम	77.00	20.33				%445.87
19.	मणिपुर		8.24				
20.	मेघालय						
21.	नागालैंड						
22.	त्रिपुरा		7.12				
	जोड़	1128.98**	470.00	262.36	48.02?	100.00XX	%445.87

X यह इस कार्यक्रम के लिए निर्धारित कुल राशि में राज्यों को बताए गए आंवटन के लिए है।

XX राज्य सरकारों द्वारा किए गए दावों के आधार पर राज्य सरकारों को औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों के लिए प्रतिपूर्ति की जाने वाली केन्द्रीय निवेश राज सहायता की व्यवस्था।

+ यह राज्य योजना और विशेष केन्द्रीय सहायता दोनों से अंशदान के लिए है। उत्तर प्रदेश के लिए मांग में विशेष केन्द्रीय सहायता और राज्य योजना के बीच आंकड़ों का वितरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। उत्तर प्रदेश के पहाड़ी क्षेत्रों के लिए अनुमोदित विशेष केन्द्रीय सहायता 350 करोड़ रुपए हैं।

* यह राज्य सरकार द्वारा सूखा-प्रवृत क्षेत्र कार्यक्रम और रेगिस्तान विकास कार्यक्रम दोनों के लिए बताई गई सम्मिलित धनराशि की व्यवस्था है।

** यह उत्तर-पूर्वी परिषद् की क्षेत्रीय स्कीमों के लिए है जिनसे उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एक से अधिक राज्यों को लाभ पहुंचता है।

% उत्तर-पूर्वी परिषद के सचिवालय द्वारा प्रस्तावित।

? इस जोड़ में रेगिस्तानी क्षेत्रों के लिए धनराशि की व्यवस्था शामिल नहीं है, क्योंकि यह गुजरात के लिए सूखा-प्रवृत क्षेत्र कार्यक्रम के लिए बताई गई राशि में मिला दिया गया है।

औद्योगिक नीति में परिवर्तन

491. श्री सुनील मैत्रा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नवम्बर, 1981 से अब तक सरकार द्वारा देश की औद्योगिक नीति में क्या परिवर्तन सोचे गये हैं अथवा लागू किए गए हैं; और

(ख) क्या ये परिवर्तन 1948 और 1956 के औद्योगिक नीति के संकल्पों के विपरीत हैं?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प और जुलाई, 1980 के औद्योगिक नीति विवरण में औद्योगिक नीति निहित है । नीति में कोई औपचारिक परिवर्तन नहीं किया गया है । किन्तु, बदलती परिस्थितियों में औद्योगिक नीति संकल्प के उद्देश्यों को प्राप्त करने की दृष्टि से सरकार समय-समय पर उनके अभ्युपाय करती रही है और ढील देती रही है । नवम्बर, 1981 से किए गए महत्वपूर्ण अभ्युपाय और दी गई ढील में निम्नलिखित शामिल हैं :—

1. दिसम्बर, 1981 में लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित बस्तुओं की सूची की संवीक्षा करने के परिणामस्वरूप 2 और वस्तुएं शामिल की गई हैं और 13 वस्तुएं सूचि में से निकाल दी गई हैं। 19 वस्तुओं के मामले में, बदली स्थितियों और उद्योग की आवश्यकताओं को देखते हुए उनके विद्यमान नाम बदल दिए गए हैं ।

2. ऊर्जा के वैकल्पिक स्त्रोतों का विदोहन करने सम्बन्धी उपस्करों को जनवरी, 1982 में लाइसेंस युक्त कर दिया गया है ।

3. दिनांक 16 फरवरी, 1973 की छूट सम्बन्धी अधिसूचना की अनुसूची 5 में तकनीकी प्राधकरणों में पंजीकरण के लिए जो उद्योग पात्र नहीं है उनकी सूची की संवीक्षा की गई और जनवरी, 1982 में एक नई अनुसूचि 5 चालू की गई जिसके अन्तर्गत 66 वस्तुएं शामिल की गई और अगस्त, 1982 में इसमें एक वस्तु और शामिल कर दी गई है ।

4. फरवरी, 1982 में ऐसे जिलों की सूची तैयार की गई जिनमें कोई भी बड़ा या मझोला औद्योगिक एकक नहीं है । सरकार ने इन जिलों में उद्योगों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंसों सम्बन्धी आवेदनों को अन्य सभी स्थापना-स्थल सम्बन्धी आवेदनों की अपेक्षा सर्वाधिक प्राथमिकता देने का भी निर्णय लिया है ।

5. दिनांक 2 फरवरी, 1973 के प्रेस टिप्पण के अनुबंध-1 की जिसमें बड़े औद्योगिक गृहों और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली कम्पनियों के लिए खुले उद्योग दिए गए हैं, अप्रैल, 1982 में पुनः परिभाषा कर दी गई है ।

6. उत्पदकता वर्ष, 1982 में औद्योगिक क्षमता के उपयोग को बढ़ाने के लिए एक नई योजना अप्रैल, 1982 में चालू कर दी गई है।

7. मई, 1982 में सरकार ने यह निर्णय लिया है कि "उद्योग रहित जिले" से अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र सहित किसी अन्य क्षेत्र में चाहे वह उसी राज्य में हो या किसी अन्य राज्य में हों, स्थापनास्थल को बदलने सम्बन्धी किसी अनुरोध पर सामान्यत: अनुमति नहीं दी जायगी।

8. सरकार ने जून, 1982 में यह निर्णय लिया है कि लाइसेंसिंग से छूट प्राप्त प्रस्तावों का तकनीकी प्राधिकरणों में पंजीकरण किए जाने के मामले में उद्योग रहित जिलें, पिछड़े राज्य के अधिसूचित पिछड़े जिले/क्षेत्र की लाइसेंसिंग के मामले में लागू होने वाले अधिमानता क्रम की तरह ही अधिमानता क्रम लागू होगा। यह भी निर्णय लिया गया था कि पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू तथा काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पहाड़ी क्षेत्रों, गोवा तथा पाण्डिचेरी में स्थापना स्थल वाले आवेदनों के पंजीकरण विशेषत: किए जायेंगे।

9. सितम्बर, 1982 में सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि स्थापना स्थल की दृष्टि से छूट और लाइसेंसिंग के प्रयोजनों के लिए भारत की 1971 की जनसंख्या के आंकड़ों के स्थान पर भारत की 1981 की जनसंख्या के आँकड़े अपनाये जायेंगे।

उपर्युक्त उठाए जाने वाले सभी उपर्युक्त कदम और छूट सरकार के औद्योगिक नीति संकल्प की परिसीमा के ही अन्तर्गत आते हैं।

आवश्यक सेवा अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तारियाँ

492. **श्री सुधीर कुमार गिरि :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आवश्यक सेवा अधिनियम, में इसके लागू किए जाने से लेकर 1 सितम्बर, 1982 तक, के प्रावधानों के अनुसरण में देश भर में राज्यवार कितने लोगों को गिरफ्तार किया गया;

(ख) इस अवधि के दौरान कितने व्यक्तियों को रिहा किया गया और इस प्रकार की रिहाई किस प्रकार की थी; और

(ग) उपरोक्त अवधि के दौरान किस प्रकार के और कितने व्यक्तियों के, यदि कोई हैं तो दोष सिद्ध हुए ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए पूंजी निवेश में वृद्धि

493. **श्री जय नारायण रोत :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने छठी योजना अवधि के दौरान राजस्थान में उद्योगों के विकास के लिए अपने निवेश में वृद्धि के लिए प्रयास करने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के दौरान केन्द्र सरकार राजस्थान राज्य में सरकारी क्षेत्र के अनेक केन्द्रीय औद्योगिक एकक स्थापित करेगी। इन योजनाओं पर (जिनके लिए स्थापना स्थल निश्चित हो गया है) कुल मिलाकर 63.06 करोड़ रुपये का परिव्यय होगा मोटे तौर पर ब्यौरा निम्नलिखित है :—

(क) खनन क्षेत्र —हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड व हिन्दुस्तान जिंक लि0 (खेतरी काम्प-लेक्स, देवरी, राजपुरा, दरीवा, मातन, जवार वाला, वरोई आदि) का विस्तार करने के लिए 133.68 करोड़ रुपये।

(ख) रसायन तथा उर्वरक :—10.61 करोड़ रुपये जिसमें आई. डी. पी. एल. तथा मेसर्स पायराइट फास्फेट्स एवं रसायन की परियोजनाएं आती हैं।

(ग) उद्योग : - 4.91 करोड़ रुपये जिसमें इन्स्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, कोटा तथा अजमेर में एच. एम टी. एकक का विस्तार करना शामिल है।

(ङ) एटामिक एनर्जी विभाग: —हैवी वाटर प्रोजेक्ट के लिए 13.86 करोड़ रुपये।

उपर्युक्त परियोजनाओं के अलावा छठी पंचवर्षीय योजनावधि में राणाप्रताप एटामिक पावर प्रोजेक्ट के लिए विनियोजन करने की प्रकल्पना भी है। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों के लिए योजना में परिव्यय पूर्व निश्चित कर दिए जाते हैं, यद्यपि स्थापना स्थल सम्बन्धी निर्णय लिया जाना शेष रहता है अतएव, विभिन्न सरकारी विभागों/अभिकरणों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली इस प्रकार की परियोजनाओं, यदि कोई हों तो, के बारे में संभाव्यता रिपोर्टों के आधार पर राजस्थान राज्य में नई परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त विनियोजन भी करना पड़ सकता है।

मेसर्स जेसप, बर्न, ब्रेथवेट, एच०ई०सी० और एम०ए०एम०सी० को सहायता

494. श्रीमती गीता मुखर्जी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने घाटे में चल रहे सरकारी क्षेत्र के संगठनों के प्रमुखों को एक पत्र भेजा है कि सम्बन्धित फर्मों को बन्द कर दिया जाएगा जब तक कि वे 1983-84 तक घाटे की स्थिति से मुक्त हो जाएं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि इस प्रकार के संगठनों में पश्चिम बंगाल स्थित जेसप, बर्न, ब्रेथवेट, हेवी इंजिनियरिंग वर्क्स, माईनिंग एण्ड एलाइड मशीनरी कारपोरेशन आदि शामिल हैं

(ग) यदि हाँ, तो इन संगठनों को, इन्हें मजबूत बनाने के लिए, सरकारी क्रयादेश देने, अतिरिक्त वित्तीय सहायता, वृहत् विपणन सुविधाएं आदि के रूप में क्या सहायता दिए जाने पर विचार किया जा रहा है; और

(घ) इस प्रकार के प्रतिष्ठानों में कुल कितने मजदूर कार्य करते हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

(घ) इन कम्पनियों द्वारा नियोजित कर्मचारियों की अनुमानित संख्या निम्नलिखित है :—

हेवी इंजीनियरिंग कारपोरेशन	21,481
माइनिंग एण्ड अलाइड मशीनरी कारपोरेशन	7,417
जेसप	10,148
बर्न	16,351
ब्रेथवेट	6,001

हिमाचल प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन

495. प्रो० नारायण चंद पराशर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिमाचल प्रदेश के ऐसे स्वतंत्रता-सेनानियों के नाम क्या हैं, जिनके स्वतंत्रता सेनानी सम्बन्धी पेंशन देने के मामले स्वीकृति देने हेतु सरकार के विचाराधीन हैं ;

(ख) इनके मामले किस किस तारीख से विचाराधीन हैं तथा अब तक पेंशन की स्वीकृति न देने के क्या कारण है ; और

(ग) उनकी पेंशन किस-किस तारीख तक स्वीकृति हो जाने की आशा है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन देने के लिए हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुए 152 आवेदन पत्र विचाराधीन हैं। इनमें से अधिकांश दावे 1.8.80 से लागू उदार बनाई गई पेंशन योजना के अंतर्गत भेजे गए हैं और राज्य सरकार की जांच रिपोर्ट तथा/अथवा यातना के दावों के प्रमाण के अपेक्षित दस्तावेजी साक्ष्य के अभाव में लम्बित है। जब से ये आवेदन पत्र लम्बित हैं उन विनिर्दिष्ट तारीखों को बताना संभव नहीं है। फिर भी इन मामलों को राज्य सरकार से रिपोर्ट और अथवा आवेदक से अपेक्षित सूचना प्राप्त होते ही अन्तिम रूप दिया जाएगा।

पेपर मशीनरी का देश में निर्माण

496. श्री भीकू राम जैन : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनेक औद्योगिक गृह पुरानी तथा दूसरे दर्जे की पम्प और पेपर मशीनरी का आयात कर रहे हैं जिसके परिणामस्वरूप क्षमता का उपयोग अत्यन्त कम स्तर पर होता है और बड़ी मात्रा में ऊर्जा की खपत होती है ; और

(ख) पेपर मशीनरी के देश में निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है और तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) दूसरे दर्जे की कागज और लुगदी मशीनों के आयात की अनुमति 75-81 की अवधि में दी गई थी जो मुख्यरूप से कागज का निर्माण करने के लिए द्वितीय कोटि के कच्चे माल के प्रयोग को बढ़ावा देने और कागज की कमी को घटाने की दृष्टि से की गई थी। इन मशीनो की हालत और इनकी काम कर सकने की बकाया अवधि को ध्यान में रखने के बाद आयात पर वास्तव में विचार किया गया था और स्वीकृत किया गया था। इस नीति के परिणामस्वरूप कागज मिलों की संख्या 1974 में 63 से बढ़कर 1981 में 136 हो गई। इस अवधि में कागज उद्योग की क्षमता में अधिकांश वृद्धि छोटी कागज मिलों के कारण हुई। मार्च, 1981 से छोटी दूसरे दर्जे की कागज मशीनों के सामान्य आयात को बन्द करने का निर्णय किया गया था।

(ख) कागज और लुगदी मशीन उद्योग की वर्तमान अधिष्ठापित क्षमता 51 करोड़ रु० होने का अनुमान है। 1980-82 (अगस्त, 1982 तक) के बीच 3 एककों जिन्हें आशय-पत्र जारी किया गया है, के अलावा विभिन्न कागज मिल मशीनों के निर्माण के लिए 19 अतिरिक्त एककों को तकनीकी विकास महानिदेशालय के पास स्वतः पंजीकरण प्रदान किए गए हैं। इस उद्योग की वृद्धि को बढ़ावा देने हेतु चयनात्मक आधार पर विदेशी सहयोगों पर विचार किया जाता है। पिछले चार वर्षों में कागज और लुगदी मशीनों का उत्पादन निम्न प्रकार था :

वर्ष	उत्पादन (लाख रु०)
1978	2609.97
1979	3003.15
1980	3661.27
1981	2370.60

तमिलनाडु में नमक उपकर निधि का उपयोग

497. **श्री एम० अरुणाचलम :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नमक उपकर निधि बनाने का प्रयोजन क्या है और यह राशि किस प्रकार खर्च की जा रही है ;

(ख) क्या तमिलनाडु में गैर सरकारी प्रबंध वाले एक विद्यालय को दो लाख रुपये अनुदान देने का प्रस्ताव है ; और

(ग) क्या एक गैर सरकारी प्रबन्ध द्वारा चलाये जाने वाले शैक्षिक संस्थान को इस निधि में से अनुदान दिये जाने की अनुमति है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) नमक उपकर निधि जैसी कोई निधि नहीं है। नमक उपकर इकट्ठा करने में आई सरकार द्वारा यथा निश्चित लागत को निकालकर नमक उपकर से हुई आय का उपयोग नमक उपकर अधिनियम, 1953 की धारा 4 के अधीन निर्दिष्ट किए गए सभी या उनमें से किसी कार्य के लिए किया जा सकता है। उपर्युक्त मार्गदर्शी सिद्धांतों के आधार पर उपकर संबंधी आय इस बारे में सरकार द्वारा बनाई गई सिद्धान्त नियमावली के उपबन्धों के अधीन व्यय की जा रही है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) जहां तक इस विद्यालय का संबंध है, इसे सम्बन्धित राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा विधिवत् रूप से मान्यता प्राप्त है तथा इससे नमक उद्योग में कार्यरत श्रमिकों को लाभ होता है। नमक उपकर आय से सहायता गैर सरकारी प्रबन्ध के अधीनस्थ स्कूल को भी दी जा सकती है।

तारापुर परमाणु विद्युत संयन्त्र में यूरेनियम के भंडार की कमी होना

498. **श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि परमाणु ऊर्जा विभाग की अन्तिम रिपोर्ट में यह कहा गया है कि अमरीकी यूरेनियम का भंडार इस वर्ष के अन्त तक अथवा 1983 के पहले समाप्त हो जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो क्या फ्रांस के साथ अधिक समय तक वार्ता करते रहने से परमाणु संयंत्र के बन्द हो जाने की संभावना है ; और

(ग) 1981 और 1982 के अब तक के समय के दौरान इस संयंत्र के लिए मौजूदा विद्युत उत्पादन कितना रहा है और क्या इसके बन्द हो जाने की स्थिति में अन्य साधनों से उसे पूरा किया जा सकता है

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) ऐसा अनुमान है कि तारापुर परमाणु बिजलीघर के ईंधन का वर्तमान भण्डार सन् 1984 तक चलेगा।

(ख) तथा (ग) सन् 1963 में हुए सहकार करार तथा उस करार पर आधारित विभिन्न सुरक्षोपाय संबंधी करारों की सीमा में रहते हुए तारापुर परमाणु बिजलीघर के लिए आवश्यक ईंधन की आपूर्ति का दायित्व अमरीका के सुझाव के अनुसार फ्रांस द्वारा लिए जाने के प्रश्न पर भारत और फ्रांस के बीच बातचीत हुई है। इस विषय पर दोनों देशों की सरकारें आपस में संपर्क बनाए हुए हैं।

तारापुर परमाणु बिजलीघर में बिजली का कुल उत्पादन सन् 1981 में 1757.702 मिलियन यूनिट और सन् 1982 में (29 सितम्बर, 1982 तक) 1188.192 मिलियन यूनिट रहा है।

भारत सरकार इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखेगी कि तारापुर परमाणु बिजलीघर लगातार काम करता रहे।

औद्योगिक उत्पादन में घाटा

499. श्री ए० टी० पाटिल : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1981 और 1980 के दौरान हुए घाटे की तुलना में 1982 के दौरान उत्पादन घाटा बढ़ता रहा है ; यदि हां, तो इसकी तुलनात्मक स्थिति क्या है ;

(ख) उत्पादन घाटे को कम करने अथवा न्यूनतम करने के लिए क्या उपाय किये जा रहे हैं ; और

(ग) हड़ताल और तालाबन्दी रोकने के लिए 1982 के दौरान सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के पास औद्योगिक उत्पादन में हानि होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन के औद्योगिक उत्पादन संबंधी अनन्तिम सूचकांक के आधार पर जनवरी जून, 1982 के दौरान औद्योगिक उत्पादन संबंधी समग्रतः सूचकांक वर्ष, 1981 की इसी अवधि की तुलना में 6.2 प्रतिशत और 1980 की इसी अवधि की तुलना में 16.9 प्रतिशत अधिक रहा है।

सरकार देश में औद्योगिक सम्बन्धों की स्थिति पर लगातार निगरानी रख रही है। विद्यमान कानूनी उपबन्धों और स्वैच्छिक व्यवस्था के अन्तर्गत यथावश्यक मध्यस्थता, निवारक

समाधान, न्यायनिर्णय और पंचाट के माध्यम से कार्य में रुकावट को और मानवदिनों की हानि को कम करने के लिए केन्द्र और राज्य दोनों स्तरों पर औद्योगिक संबंधों का तंत्र प्रयास करता रहता है।

जेलों का कुप्रबन्ध

500. **श्री डी० एम० पुत्ते गौडा :**
श्री एच० एन० नन्जे गौडा :
श्री हरिकेश बहादुर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषज्ञों द्वारा किये गये अध्ययन के अनुसार अन्य सुधारात्मक सेवाओं के साथ बहुत कम अथवा न के बराबर समन्वय होने और आपराधिक न्याय प्रणाली को अन्य क्षेत्रों से अलग रखने के कारण देश में जेलों का कार्य निष्पादन अलग-अलग ढंग से चल रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई राष्ट्रव्यापी नीति तैयार की है ; और

(ग) यदि नहीं तो देश में जेलों का कुप्रबंध ठीक करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लस्कर) : (क) से (ग) 1972 में केन्द्र सरकार द्वारा गठित जेल संबंधी कार्य दल ने आपराधिक न्याय प्रणाली, अर्थात पुलिस, न्याय-पालिका तथा जेल के बीच अपेक्षित समन्वय के अभाव और सुधारात्मक प्रशासन तथा परीक्षण सेवाओं की अपर्याप्तता की ओर संकेत किया था। यह भी सुझाव दिया गया था कि जेल प्रशासन को सामाजिक सुरक्षा का अनिवार्य भाग माना जाना चाहिए।

2. चूंकि "जेल" राज्य का विषय है, इसलिए कार्य दल द्वारा दिया गया सुझाव उपर्युक्त कार्रवाई के लिए राज्य सरकारों को भेज दिया गया था।

3. भारत सरकार ने एक जेल सुधार समिति गठित की है, जो देश में जेल सुधार के लिए कोई प्रभावकारी नीति तैयार करने की दृष्टि से जेल प्रशासन के सभी पहलुओं और सम्बद्ध मामलों की विस्तृत जांच कर रही है।

असमान उत्पाद शुल्क के कारण इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों की समस्यायें

501. **श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कच्चे माल पर अधिक उत्पाद शुल्क होने तथा आयात किये जा रहे तैयार माल पर कम होने के कारण सरकारी क्षेत्र इलेक्ट्रानिक घटक उद्योगों, विशेषकर केरल के उद्योगों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है उसकी जानकारी सरकार को है ; और

(ख) यदि हां, तो समस्याओं और उन्हें सुलझाने के लिए सरकार द्वारा की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उपमंत्री (श्री एम० एस० संजीवी राव) : (क) जी, हां।

(ख) केरल के राज्य स्तरीय सार्वजनिक क्षेत्र के एक निगम मेसर्स केल्ट्रान ने इलेक्ट्रोलिटिक कैपेसिटरों (विद्युत अपघटनी संधारित्रों) में प्रयुक्त किये जाने वाले एच्ड् अल्युमिनियम फंवाइल और सेमीकंडक्टर युक्तियों के लिए विसरित (डिफ्यूस्ड) सिलिकंन चिपों पर लगने वाले आयात-शुल्क में कटौती करने के बारे में कई बार अभिवेदन किया था। केल्ट्रॉन ने अन्य 34 कच्ची सामग्रियों पर रियायती दर पर सीमा शुल्क लगाने जाने की मांग भी की थी। इनमें से 15 वस्तुओं को तो पहले से ही, रियायती दर पर सीमा-शुल्क को पात्र वस्तुओं में शामिल कर लिया गया है। ए. बी. सी. विश्लेषणों के अनुसार शेष वस्तुएं काफी कम मूल्य की हैं।

20-सूत्री कार्यक्रम की गति की समीक्षा करने के लिए एक उच्चाधिकार प्राप्त दल बनाने का प्रस्ताव

502. **श्री कमल नाथ** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करने के लिये उच्चाधिकार प्राप्त ग्रुप बनाने का है ;

(ख) इन दलों का कार्य क्या होगा ; और

(ग) क्या 20 सूत्री कार्यक्रम की प्रगति अब तक संतोषजनक है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) जी, हाँ। यह निर्णय किया गया है कि केन्द्रीय मंत्रियों के समूह 20-सूत्री कायक्रम की स्कीमों के विभिन्न पहलुओं की जाँच करेंगे।

(ग) जी, हाँ।

तिहाड़ जेल को स्थिति में सुधार

503. **श्री जगदीश टाइटलर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 अगस्त 1982 को इंडियन एक्सप्रेस में "तिहाड़ चीफ में वी आन वे आउट" शीर्षक समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या सरकार तिहाड़ जेल कर्मचारियों की पूरी तरह से कायापलट करने के बारे में विचार कर रही है ; और

(ग) तिहाड़ जेल की मौजूदा स्थिति को सुधारने के बारे में सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) न्यायालय के निर्णय के अनुसार, जिसमें श्री सी० डी० उपाध्याय, अधीक्षक तिहाड़ जेल को जारकर्म के आरोप में दोषी ठहराया गया है, जो दिल्ली प्रशासन के ध्यान में अगस्त के दूसरे सप्ताह में आयी, उन्हें वापस राजस्थान सरकार को भेज दिया गया है । इसके अतिरिक्त उप-अधीक्षक, जो हरियाणा राज्य सरकार से प्रतिनियुक्ति पर था और जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया था, की सेवायें भी हरियाणा राज्य सरकार को सौंप दी गई है । दिल्ली प्रशासन ने यह भी सूचना दी है कि तिहाड़ जेल कर्मचारियों का पूरी तरह से काया पलट करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(ग) तिहाड़ जेल के कार्यकरण सुधार करने के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा किए गए उपायों का विवरण संलग्न हैं ।

विवरण

1. पर्यवेक्षण कार्य को और अधिक कारगर बनाने के लिए भारतीय प्रशासनिक सेवा के उच्च वेतनमान में एक पूर्णकालिक उपमहानिरीक्षक (जेल) नियुक्त किया गया है ।

2. वार्डर स्टाफ की ड्यूटी प्राय: बदली जा रही है ताकि वे विशेष प्रबन्ध/ड्यूटी में कोई निहित सहार्थ पैदा न कर सकें ।

3. जेल नियमावली के उपबधों के अनुसार जेल में कठोरता से अनुशासन लागू किया जा रहा है और जब कभी कोई कर्मचारी गलती पर पाया जाता है तो कठोर कार्रवाई की जाती है ।

4. कैदियों को प्रभावकारी रूप से अलग-अलग रखने के लिये केन्द्रीय जेल तिहाड़ को तीन भागों में बांटने की एक योजना अनुमोदित की गई है और निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

5. दो और जेलों को एक शाहदरा में तथा दूसरी नरेला क्षेत्र में स्थापित करने के लिये भी निर्णय किया गया है ।

6. लगभग एक करोड़ रुपए की लागत पर 285 कैदियों के लिए अतिरिक्त आवास की व्यवस्था करके कैम्प जेल की क्षमता बढ़ाई जा रही है ।

7. जेल में कैदियों के लिए और अधिक पानी (फिल्टर्ड/अन फिल्टर्ड) उपलब्ध कराने के लिए एक योजना अनुमोदित की गई है और इसके लिए 19.96 लाख रुपये स्वीकृत किये गये हैं। कार्य प्रारम्भ हो गया है।

8. सभी वार्डों में बिजली के पंखे उपलब्ध कराये गए हैं।

9. केन्द्रीय जेल, तिहाड़, नई दिल्ली में कैदियों के लिए टेलिविजन सैट उपलब्ध कराये गये हैं।

10. केन्द्रीय जेल तिहाड़ के कैदियों के लिए एक पुस्तकालय और एक कैंटीन भी स्थापित की गई है।

11. सफाई प्रबन्धों को सुधारा गया है।

12. महिला कैदियों की जांच करने के लिए जेल में महिला चिकित्सक के नियमित रूप से रोगियों को देखने की व्यवस्थायें की गई हैं। तीन चिकित्सा विशेषज्ञों अर्थात् आंख, चमड़ी, और दंत की सेवायें उपलब्ध कराई गई हैं।

13. कैदियों को जेल अस्पताल में आये बिना ही उनके वार्डों में सामान्य बिमारियों के लिये दवाइयां उपलब्ध कराने के लिये "डोली" पद्धति प्रारम्भ की गई है।

14. जेल में शिकायत बक्से स्थापित किये गये हैं, जिनमें कैदी न्यायाधीश और मजिस्ट्रेट द्वारा विचार करने के लिये अपनी शिकायतें/याचनायें जमा करा सकते हैं।

15. मुलाकात प्रणाली को कारगर बनाया गया है, अपने रिश्तेदारों से मिलने के लिए शहर से आने वालों के लिये केन्द्रीय जेल तिहाड़ के मुख्य गेट से नजदीक एक शैड का निर्माण किया गया है जिसमें पानी, बिजली और पंखे जैसी अन्य सुविधायें हैं।

16. अशिक्षित कैदियों को शिक्षा दिलाने के लिये एक योजना तैयार की गई है और इस योजना के अन्तर्गत शिक्षा विभाग, दिल्ली प्रशासन की सहायता से शिक्षा केन्द्र प्रारम्भ किये गये हैं।

17. विक्षिप्तों के मामलों के पुनरीक्षण के लिए एक बोर्ड गठित किया गया है।

18. विधि और न्यायिक सचिव की अध्यक्षता में विचारणाधीन कैदियों के मामलों के पुनरीक्षण के लिये भी एक बोर्ड गठित किया गया है।

19. विचारणाधीन कैदियों के मामलों का पुनरीक्षण करने के लिए बोर्ड की प्रत्येक माह में बैठक होती है।

वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से संग्रहालयों का अलग किया जाना

504. **श्री अजीत कुमार साहा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद से संग्रहालयों को अलग किये जाने की निहार राय समिति की सिफारिश को रद्द करते हुये भारतीय औद्योगिक और प्रौद्योगिकी संग्रहालयों को पूर्णत: नष्ट होने से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गये हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : सरकार ने निहार रंजन रे समिति की संस्तुति स्वीकार कर ली है कि सी० एस० आई० आर० से अलग किये गये तीन संग्रहालय-पहले की तरह राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद, जो शिक्षा मंत्रालय के अधीन कार्य करती है, के अधीन कार्य करते रहेंगे।

वन कटने की समस्या

505. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान के अनुसार वन कटने की समस्या से निपटने तथा एकान्तिक गतिविधि की अपेक्षा इसे एक जनआन्दोलन बनाने की आवश्यकता है ;

(ख) क्या बढ़ती हुई आबादी और उपलब्ध भूमि की होती हुई कमी को ध्यान में रखते हुए स्थिति और भी खराब हो गई है जब कि लम्बी अवधि की आवश्यकताओं को ध्यान में रखे बिना उपलब्ध संसाधनों का दुरुपयोग किया गया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) से (ग) 1951-52 से 1979-80 की अवधि के दौरान औसतन प्रति बर्ष 1.5 लाख हैक्टर वन-भूमि की हानि हुई है। गैर-वनीय प्रयोजनों के लिए बन-भूमि के फेर-बदल पर प्रभावी नियन्त्रण करने के उद्देश्य से, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 अधिनियमित किया गया था और वह 25 अक्तूबर, 1980 से लागू किया गया था। उसके बाद वननाशन की गति प्रति वर्ष 1.5 लाख से कम होकर 3,500 हैक्टेयर हो गई है।

2. वन आच्छादन की विस्तृत मात्रा में हानि को ध्यान में रखते हुये छठी पंच वर्षीय योजना में और सामाजिक वनविद्या और कृषि-वनविद्या के अन्तर्गत भी, जिन्हें नए 20 सूत्री कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है, बड़े पैमाने पर बाग लगाने के कार्यक्रम सम्मिलित किये गये हैं।

3. सरकार ने एक राष्ट्रीय भू संसाधन संरक्षण तथा विकास आयोग स्थापित करने का निर्णय भी लिया है। आयोग, भू संसाधन के स्वास्थ्य और वैज्ञानिक प्रबन्ध से सम्बन्धित मुद्दों के लिये नीति आयोजक, समन्वयक और प्रबोधन एजेंसी के रूप में कार्य करेगा।

4. राष्ट्रीय पारि-विकास बोर्ड की स्थापना भी की गई है। बोर्ड को क्रांतिक पारि-तंत्र की पहचान करने और पर्यावरण की बिगड़ती हुई प्रकृति की रोकथाम करने और उसे प्रतिवर्तित करने के लिये योजनाएं तैयार करने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। बोर्ड ने विद्यार्थी-समुदाय, स्वयंसेवी संगठनों, तथा भूतपूर्व सैनिकों युक्त कार्य बलों को अन्तर्ग्रस्त करते हुए अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये एक बहु-मार्गी दृष्टिकोण अपनाया है। पर्यावरण विभाग, पर्यावरण के सम्बन्ध में लोक जानकारी समुन्नत करने के लिए सरकारी तथा गैर-सरकारी दोनों प्रकार की एजेंसियों का उपयोग भी कर रहा है।

औद्योगिक उत्पादन में गिरावट

506. **श्री हरीश रावत** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत कुछ महीनों के दौरान देश में औद्योगिक उत्पादन में गिरावट आई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन (सी० एस० ओ०) के औद्योगिक उत्पादन के अनन्तिम सूचकांक के आधार पर अप्रैल-जून 1982 का समग्र उत्पादन सूचकांक पिछले वर्ष की इसी अवधि की अपेक्षा 6.1 प्रतिशत अधिक रहा है।

बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा साझेदारी

507. **श्री राम स्वरूप राम** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन उपभोक्ता मदों की संख्या तथा नाम क्या हैं जिनके लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान साझेदारी की है; और

(ख) यदि हां, तो इसका औचित्य क्या है?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) चालू वित्तीय वर्ष (अप्रैल से जून, 1982) में सरकार ने 130 विदेशी सहयोग प्रस्ताव स्वीकृत किये हैं। इन विदेशी सहयोगों का उद्योगवार ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) जटिलतम और उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के निर्यातोन्मुख या आयात प्रतिस्थापन उत्पादों के लिए और उद्योगों की विद्यमान प्रौद्योगिकी को अद्यतन बनाने के लिए प्रौद्योगिकी के आयात की अनुमति दी जाती है।

विवरण

अप्रैल—जून, 1982 के दौरान सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी सहयोग के मामलों का उद्योगवार ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण :

क्र० सं०	उद्योग का नाम	अप्रैल—जून, 1982
1	2	3
1.	धातु कार्मिक उद्योग	17
2.	ईंधन	2
3.	बायलर्स और स्टीम जेनरेटिंग संयंत्र	1
4.	प्राइम मूवर्स (इले० जेनरेटर्स के अतिरिक्त)	1
5.	विद्युत उपकरण	23
6.	दूर संचार	—
7.	परिवहन	3
8.	औद्योगिक मशीनरी	25
9.	मशीन टूल्स	8
10.	कृषि मशीनरी	—
11.	मिट्टी हटाने वाली मशीनें	2
12.	विविध मैकेनिकल और इंजी० उद्योग	5
13.	वाणिज्यिक कार्यालयीय और घरेलू उपकरण	—
14.	चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण	1
15.	औद्योगिक उपकरण	7
16.	वैज्ञानिक उपकरण	1
17.	गणितीय सर्वेक्षण और ड्राइंग उपकरण	—

1	2	3
18.	उपकरण उर्वरक	1
19.	रसायन (उर्वरक के अलावा)	7
20.	फोटोग्राफिक रां फिल्म और पेपर	1
21.	रंजक पदार्थ	
22.	औषधियां और मेषजीय वस्तुएं	2
23.	वस्त्र (रंगे हुए, छपे हुए तथा अन्य प्रकार से प्रक्रियापित सहित)	—
24.	कागज उत्पादों सहित कागज और लुगदी	3
25.	चीनी	—
26.	किण्वन उद्योग	1
27.	फूड प्रोसेसिंग उद्योग	2
28.	वनस्पति तेल और वनस्पति	
29.	साबुन, शृंगार और टायलेट सामग्री	
30.	रबड़ वस्तुएं	1
31.	चमड़ा, चमड़ा वस्तुएं और पिकर्स	-
32.	ग्लू और जिलेटिन	
33.	शीशा	2
34.	चीनी मिट्टी उद्योग	4
35.	सीमेंट और जिप्सम उत्पाद	—
36.	लकड़ी उत्पाद	—
37.	डिफेंस उद्योग	
38.	सिगरेट	—
39.	कन्सलटेन्सी (परामर्श सेवा)	1
40.	विविध उद्योग	9
	कुल :	130

"इन्सैट" की विफलता के लिये विदेशी बीमा कम्पनी से मुआवजा

508. श्री ईरा अनवरासु :
श्री एन. ई. होरो : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को "इन्सैट" के निर्धारित अवधि से पूर्व विफल होने के लिए विदेशी बीमा कम्पनी से 60 करोड़ रुपये का मुआवजा मिलेगा ; और

(ख) "इन्सैट" की अनुपस्थिति में मौसम की वैज्ञानिक भविष्यवाणियां प्राप्त करने के लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्थाएं की गई हैं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभागों में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) सरकार को इन्सैट 1 ए० अन्तरिक्षयान की पूर्ण क्षति के लिए बीमाकर्ता से संपूर्ण जोखिम प्रमोचन बीमा आवरण की शर्तों के अनुसार 64.9 मिलियन अमरीकी डालर की राशि की संपूर्ण हानि के लिए तय मूल्य का पूरा भुगतान प्राप्त होने की आशा है। इन्सैट- 1 ए० के लिए बीमाकर्ता न्यू इंडिया एश्यूरेंस कम्पनी लिमिटेड ऑफ इण्डिया है। फिर भी, उन्होंने अधिकांश जोखिम का विदेशी पुनर्बीमा मार्किट में दुबारा बीमा कराया था। बीमाकर्ता को पॉलिसी के अन्तर्गत "सम्पूर्ण हानि" के लिए सूचित किया जा चुका है।

(ख) मौसम संबंधी भविष्यवाणियाँ करने के लिए इन्सैट 1 ए० में, जो कई निवेश प्रदान किए गए थे, उनमें भू स्थायी मौसमविज्ञानीय प्रतिबिम्बकियों और आंकड़ा रिले का एक निवेश भी शामिल है। हिन्द महासागर पर हमारी रुचि के भू-भाग तथा समुद्री क्षेत्र के आच्छादन के लिए अन्य कोई भू-स्थायी मौसमविज्ञानीय उपग्रह प्रतिबिम्बन की क्षमता उपलब्ध नहीं है। अतः जिस समय तक इन्सेन्ट-1 बी. को सफलतापूर्वक छोड़ा जाता है और प्रचालन में लाया जाता है, उस समय तक हमें संयुक्त राज्य अमरीका और सोवियत संघ के परिक्रमा करने वाले मौसमविज्ञानीय उपग्रहों से ही मौसमविज्ञानीय प्रतिबिम्बिकिया उपलब्ध होंगी।

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का रिक्त पद

509. श्री के०ए० राजन :
श्रीसूर्य नारायण सिंह : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयुक्त का पद दस महीनों से भी अधिक समय से रिक्त पड़ा है;

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या कारण है; और

(ग) इस रिक्त पद को भरने के क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हाँ, श्रीमान ।

(ख) और (ग) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आयुक्त के पद को भरने के प्रश्न पर तभी निर्णय लिया जाएगा जब यह फैसला हो जाएगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जनजाति के आयोग, दोनों के आयुक्तों को बने रहना है या उनमें से एक को ।

सम्पूर्ण प्रश्न सक्रीय रूप से सरकार के विचाराधीन है ।

पोजोलाना सीमेंट की घटिया किस्म

510. श्री भेरावदन के मधावी : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देशी उद्योगों द्वारा उत्पादित पोजोलाना सीमेंट बहुत घटिया किस्म का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इसके लिए कोई सुधारात्मक उपाय करने का है;

(ग) क्या सरकार पोजोलाना सीमेंट का निर्माण रोकने पर विचार कर रही है ताकि निर्धन लोगों को होने वाली क्षति को रोका जा सके; और

(घ) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि पोर्टलैण्ड सीमेंट पोजोलाना से कहीं अधिक बेहतर है, यदि हां, तो कारखानों को केवल पोर्टलैण्ड सीमेंट का उत्पादन करने के अनुदेश क्यों नहीं दिए जा रहे हैं, तथा ऐसा करने में क्या अड़चनें है;

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) कारखानों से लिए गए पोजोलाना सीमेंट के नमूना परीक्षणों से पता चला है कि यह सीमेंट आमतौर से भारतीय मानक संस्थान की विशिष्ट सं० 1489-1976 के अनुरूप होता है । आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के उपबन्धों के अधीन जारी किए गए सीमेंट नियंत्रण (उत्पादन का विनियमन) आदेश, 1981 में यह निर्धारित किया गया है कि कोई भी व्यक्ति ऐसे पोर्टलैण्ड पोजोलाना सीमेंट का उत्पादन नहीं करेगा जो इस आई०एस०आई० विशिष्टि के अनुरूप न हो ।

पोजोलाना सीमेंट का 7 दिन की संपीडक (कम्प्रेसिव) शक्ति सामान्य पोर्टलेंड सीमेंट के -राबर ही होती है । इसके अलावा, सीमेंट की अतिरिक्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जोलाना सीमेंट में 10 से 25 प्रतिशत तक पोजोलाना की और अधिक पिसाई करने की अनुमति । अतः पोजोलाना सीमेंट निर्माण पर प्रतिबन्ध लगाने का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उत्तर प्रदेश में समाज के कमजोर वर्गों के लिये कुल योजना परिव्यय

511. **श्री मोहम्मद असरार अहमद :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण के लिए कुल योजना परिव्यय में वृद्धि हुई है परन्तु खर्च करने की गति बहुत धीमी है;

(ख) यदि हाँ, तो ऐसी स्कीमों के लिए कुल कितना परिव्यय था और उतर प्रदेश में (जिलावार) उसमें से कितनी धनराशि का उपयोग किया गया ;

(ग) क्या निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों का मूल्यांकन करने और उनका पता लगाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार अथवा केन्द्रीय सरकार द्वारा कोई समिति गठित की गई थी, और यदि हाँ, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं; और यदि नहीं. तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) धनराशि का कम उपयोग किए जाने के मुख्य कारण क्या थे और निधियों का उचित और तत्काल उपयोग करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

योजना मन्त्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश के लिए छठी योजना परिव्यय, वर्ष 1980-81 और 1981-82 में सूचित किया गया व्यय और वर्ष 1982-83 के लिए अनुमोदित परिव्यय निम्नलिखित हैं :—

करोड़ रु०

उप-शीर्ष	1980-85	1980-81		1981-82		1982-83
	अनुमोदित परिव्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय	वास्तविक व्यय	अनुमोदित परिव्यय
1. अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	35.00	6.45	6.32	6.75	6.59	11.80
2. एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम	304.30 ×	43.80	28.24	52.56	48.73	65.00
3. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	291.60 ×	66.99	32.63	66.80	43.25	66 80
जोड़	530.90	117.24	67.19	126.11	98.57	143.60

× यह अनंतिम है ।

जिलेवार व्यय के आँकड़े उपलब्ध नहीं हैं ।

(क) गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले परिवारों का निर्धारण करने के लिए ऐसी कोई समिति स्थापित नहीं की गई थी।

(ख) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (जो केवल 2 अक्तूबर, 1980 से सभी खंडों में लागू किया गया था) और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के सर्वेक्षण करने और कार्यान्वयन के लिए संगठनात्मक संचरना स्थापित करने में लगने वाले समय के कारण वर्ष 1980-81 में व्यय में कमी रही। वर्ष 1981-82 में वास्तविक व्यय बढ़ गया है और पिछले वर्ष की तुलना में उपयोग में कमी काफी कम हो गई है। राज्य सरकार द्वारा उपयोग की गति को और अधिक तेज करने के लिए उपाय किए जा रहे हैं।

भारत और रूस के संयुक्त प्रयत्नों से देश में एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने का प्रस्ताव

512. **श्री मनमोहन टुडु : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या भारत और रूस के संयुक्त प्रयत्नों से देश में कुछ एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने का विचार है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों में स्थापित की जाने वाली ऐसी भारत-रूस संयुक्त एल्यूमिना संयंत्रों की संख्या कितनी है ; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में एक एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना पर अब से कुछ समय पहले सोवियत प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है। प्रस्ताव की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) सोवियत रूस द्वारा वस्तुतः रुपया लागत सहित पूंजीगत लागत की वित्त व्यवस्था हेतु एक व्यापक पैकेज की रूपरेखा तैयार कर लेना ; और

(2) उत्पादित होने वाले एल्यूमिना के समूचे या पर्याप्त अंश की सोवियत रूस द्वारा दीर्घकालीन आधार पर खरीद।

आर्थिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के अंतः सरकारी सोवियत-भारतीय आयोग के अलौह धातुकर्म संबंधी कार्यकारी दल की चौथी बैठक में तथा उक्त आयोग की सितम्बर, 1982 में मास्को में हुई सातवीं बैठक में इस परियोजना पर चर्चा हुई थी। सोवियत रूस के पूर्व प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद, भारतीय पक्ष ने सोवियत पक्ष को परियोजना के कार्यान्वयन पर नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिनमें सोवियत रूस को दीर्घकालीन आधार पर बाक्साइट और

एल्यूमिना के निर्यात, व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, बाक्साइट और एल्यूमिना के मूल्य निर्धारण तथा पूंजी निवेश के लिए वित्त व्यवस्था के प्रस्ताव शामिल हैं। इन प्रस्तावों पर सोवियत संगठनों द्वारा विचार कर लेने के बाद इस विषय में दोनों पक्षों के बीच आगे विचार-विमर्श किया जाएगा।

आंध्र एल्यूमिना परियोजना के अलावा, देश में सोवियत रूस के सहयोग से अन्य एल्यूमिना संयंत्र स्थापित करने की कोई प्रस्ताव नहीं है।

'वरसेटाइल रिसर्चशीप" शीर्षक समाचार

513. **श्री हरिनाथ मिश्र : क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 15 सितम्बर, 1982 को 'हिन्दू' में "बरसेटाइल रिसर्चशिप" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या भारत ने ल्यूवेक ट्रावेमैंड के बल्टिक सी पोर्ट में श्लिश्त्रिग शिपयार्ड द्वारा बनाये गये समुद्र विज्ञान अनुसंधान पोत, जिस पर सारा धन जर्मन संघीय गणराज्य ने लगाया है, की डिलीवरी प्राप्त कर ली है; और

(ग) यदि हां, तो इस 'अनुसंधान-पोत' की विशिष्टतायें क्या हैं और अनुसंधान के किन क्षेत्रों में यह विशेष रूप से सहायक सिद्ध होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलैक्ट्रानिकी महासागर, विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी हां।

(क) 1983 के शुरू में जलयान की डिलीवरी ली जाएगी। सरकारी ऋण पर पोत को खरीदने के लिए सरकार ने पूंजी लगाई है।

(ग) पोत सभी प्रकार के मौसम को सहने की सामर्थ्य रखता है और समुद्री भूविज्ञान, भूभौतिकी, मौसम-विज्ञान, भौतिक और यान्त्रिक समुद्र विज्ञान और समुद्रीय जीव विज्ञान के अनुसंधान को कर सकता है।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की प्रतिशतता कम करने की नीति

514. **श्री चित्त बसु : क्या योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वालों की वर्तमान 48 प्रतिशत को कम करके 30 से 32 प्रतिशत करने का है ;

(ख) यदि हाँ, तो इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या नीति बनाई गई है ; और

(ग) इस नीति का व्यौरा क्या है ;

योजना मन्त्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) जी हां । छठी योजना में गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों के प्रतिशत को वर्ष 1979-80 में 48 से कम करके वर्ष 1984-85 तक 30 प्रतिशत तक करने की परिकल्पना की गई है।

(ख) और (ग) छठी योजना में गरीबी दूर करने के अनेक कार्यक्रम शामिल हैं जिनमें मुख्य रूप से परिसंपत्तियों और कुशलताओं का अंतरण करके और वर्ष के खाली रहने के मौसमों में रोजगार उपलब्ध कराके संसाधनों और संपदा के समान वितरण के लिए उपाय शामिल हैं। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम पहली श्रेणी में आता है और राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम दूसरी श्रेणी में आता है । सरकारी क्षेत्र की ऐसी अनेक अन्य स्कीमें हैं जिनसे बेरोजगारी और अल्प-रोजगार को कम करने में सहायता मिलेगी । इसमें अनुसूचित जातियों के उत्थान के लिए विशेष संघटक योजना का विशेष उल्लेख किया जा सकता है जिसके लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में योजना में पर्याप्त धनराशि की व्यवस्था की गई है । सूखा-प्रवृत्त क्षेत्रों जनजातिय क्षेत्रों और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रमों से भी सरकारी नीतियों में पुनर्वितरणात्मक आधार को सुदृढ़ करने और क्षेत्रीय असमानताओं को ठीक करने में सहायता मिलेगी । राष्ट्रीय न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम का विस्तार किया जायेगा और इसे प्रभावी रूप में कार्यान्वित किया जाएगा ताकि समाज के सबसे गरीब वर्गों को न्यूनतम मूल सूविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें ।

राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की दूसरी इकाई का बन्द हो जाना

515. **श्री बालासाहिब बिखे पाटिल :**

श्री वृद्धि चन्द जैन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की दूसरी इकाई 8 सितम्बर, 1982 से तीन सप्ताह के लिए बन्द हो गई है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की पहली इकाई पिछली जनवरी में बन्द हो गई थी और इस वर्ष के अन्त तक उसके काम करने की आशा नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार के विचार से इन ईकाइयों में एक इकाई को बदलना व्यवहार्य है क्योंकि राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना वर्ष में कई महीने रुग्ण रहती है और इस इकाई से इसके प्रतिष्ठान के लिए किए गये पूंजी निवेश तथा इसके रख रखाव पर किये जाने वाले खर्च की तुलना में बिजली का आनुपातिक उत्पादन नहीं होता है और यदि हां, तो इस संबंध में कब निर्णय लिया जायेगा ?

विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी, इलेक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) जी, हां।

(ख) राजस्थान परमाणु बिजलीघर का पहला यूनिट पिछले मार्च से बन्द है। इस यूनिट को इस वर्ष के अन्त तक फिर से चालू करने का प्रयत्न किया जा रहा है।

(ग) सरकार का विचार है कि ऐसा करना न तो व्यवहार्य है और न ही आवश्यक। इसका कारण यह है कि बिजलीघर के प्रचालन में इस समय जो समस्याएं सामने आई हैं, उन्हें बहुत हद तक दूर करना सम्भव होगा।

असम में कागज मिल स्थापित करना

516. **श्री संतोष मोहन देव :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हिन्दुस्तान कागज निगम द्वारा असम में कितनी कागज परियोजनाएं कब से शुरू की गई ;

(ख) परियोजना के शुरू किये जाने से लेकर अब तक क्या प्रगति हुई है ;

(ग) इसके द्वारा उत्पादन शुरू करने की लक्ष्य तारीख क्या है ;

(घ) क्या हिन्दुस्तान कागज निगम के मुख्य कार्यालय को असम में स्थानान्तरित करने का कोई प्रस्याव है ;

(ङ) कार्य की निगरानी के लिए हिन्दुस्तान कागज निगम की वर्तमान व्यवस्था क्या है ; और

(च) क्या यह भी सच है कि नीति निर्णय क्रियान्वयन के लिए जिम्मेदार अधिकारी अधिकांशतः इस परियोजना में नहीं ठहरते ?

उद्द्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) हिन्दुस्तान पेपर कारपोरेशन आसाम राज्य में जिला नौगांव और जिला कछार में दो एकीकृत लुगदी और कागज मिलें स्थापित कर रहा है। इन दो परियोजनाओं का निर्माण कार्य 1977 में शुरू हुआ था।

(ख) इन दोनों परियोजनाओं की स्थापना संबन्धी प्रगति इस प्रकार है :—

1. नौगाँव कागज परियोजना

(1) परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के बड़े अंश का अधिग्रहण कर लिया गया है।

(2) 127 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के संयंत्र और मशीनरी के क्रयादेशों को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

(3) सिविल निर्माण कार्य, जिसमें प्रभाव उत्पादन भवन भी शामिल है, चल रहा है।

2. कछार कागज परियोजना

(1) परियोजना के लिए अपेक्षित भूमि के बड़े भाग का अधिग्रहण कर लिया गया है।

(2) 122 करोड़ रुपये से अधिक राशि के संयंत्र और मशीनरी के लिए क्रयादेशों को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

(3) स्थल को समतल करने और ग्रेडिंग का काम लगभग पूरा हो गया है।

(4) सिविल निर्माण कार्य हो रहा है।

(ग) नौगांव परियोजना में मार्च, 1985 में और कछार परियोजना में अक्तूबर, 1985 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू हो जाने की आशा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) इंजीनियर्स (इंडिया) लिमिटेड, जो सरकारी क्षेत्र का एक उपक्रम है, इन दोनों परियोजनाओं के निर्माण कार्य की प्रगति की देख-रेख करने के लिए निर्माण प्रबन्ध परामर्शदाता के रूप में कार्य करते आ रहे हैं।

(च) जी, नहीं।

छठी पंचवर्षीय योजना का परिव्यय

517. श्री बी०आर० नहाटा : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना का निवेश परिव्यय कितना है तथा 1981-82 और 1982-83 (सितम्बर, 1982) तक कितना निवेश किया गया ; और

(ख) प्रत्येक वर्ष देश में बचत के प्रावधान की तुलना में छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में कितनी बचत का अनुमान है तथा चालू वर्ष तक की उपलब्धि कितनी है ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना के लिए परिकल्पित निवेश परिव्यय वर्ष 1979-80 की कीमतों पर 158710 करोड़ रु० है। वर्ष 1981-82 तक निवेश की राशि 58540 करोड़ रु० है (क्रमशः वर्ष 1980-81 के लिए 31359 करोड़ रु० है और वर्ष 1981-82 के 37181 करोड़ रु० है - ये दोनों वर्तमान कीमतों पर हैं) ।

(ख) छठी पंच वर्षीय योजना के लिए प्रत्याशित देशीय बचत वर्ष 1979-80 की कीमतों पर 149647 करोड़ रु० रखी गई है । इस राशि को वर्षवार प्रावस्थाबद्ध रूप में छठी योजना में नहीं बताया गया है । वार्षिक योजनाओं में सकल देशीयबचत का क्रमशः वर्ष 1980-81 के लिए 27853 करोड़ रु० और वर्ष 1981-82 के लिए 33521 करोड़ रु० का अनुमान लगाया गया है ।

देश में दंगे

518. श्री जगपाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के विभिन्न भागों में पिछले दो महीने के दौरान कितने जातीय, साम्प्रदायिक और प्रांतीयता के आधार पर दंगे हुए ; और

(ख) क्या सरकार ने इन दंगों के लिए जिम्मेदार कारणों की जांच की है और ऐसे दंगों से स्थायी आधार पर निपटने के लिए कोई योजना तैयार की है, और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) अगस्त और सितम्बर, 1982 के महीनों से संबंधित सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) एक विवरण संलग्न है ;

विवरण

दंगों से निपटने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों के ब्यौरे

(ख) सरकार ने अक्तूबर, 1980 में सभी राज्य सरकारों/ संघ शासित क्षेत्रों को साम्प्रदायिक दंगों को रोकने और नियंत्रित करने के बारे में विस्तृत मार्गदर्शी निदेश भेजे हैं। इसी प्रकार केन्द्रीय गृह मन्त्री ने 1980 में राज्यों को अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों से कारगर रूप सें निपटने के लिए किए जाने वाले एहतियाती, निवारक, दंडात्मक, पुनर्वासात्मक तथा कार्मिक नीति उपायों संबंधी विस्तृत मार्गदर्शी निदेशों का एक पत्र भेजा था। उपर्युक्त मार्गदर्शी निदेशों में विभिन्न पहलू जैसे आसूचना व्यवस्थाएं, निवारक कार्यवाही में गैर-सरकारी भागीदारी, फुटकर नियोजन सहित प्रशासनिक उपाय, आग्नेय अस्त्रों पर नियंत्रण, कार्मिक नीति, जांच पड़ताल, मामलों का अभियोजन और विचारण तथा पुनर्वास आदि शामिल हैं। साम्प्रदायिक वैमनस्य और हिंसा रोकने और उसके कारगर रूप से निपटने के उपायों पर जुलाई 1981 में संघ तथा राज्य सरकारों के उच्च स्तरीय अधिकारी सम्मेलन में विचार विमर्श किया गया था। राष्ट्रीय एकता परिषद को पुनर्गठित किया गया था और इसकी पहली बैठक प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में 1980 में हुई थी। इसने तीन समितियाँ स्थापित की थी जिनकी 1981 और 1982 के दौरान बैठकें हुई थी और साम्प्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करने के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। सरकार के संबंधित मंत्रालयों और राज्य सरकारों द्वारा इनका अनुसरण किया जा रहा है।

"डबल कोला" के उत्पादन की अनुमति

519. **श्री रवीन्द्र वर्मा :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका के तीन गैर भारतीय प्रवासियों को "डबल कोला" साफ्ट पेय के उत्पादन की अनुमति दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) एक प्रवासी भारतीय श्री वी०सी० कुमारन से मृदु पेय सांद्रण के उत्पादन के लिए "डबल कोला" मैन्युफैक्चरिंग कंपनी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड" के नाम से एक एकक स्थापित करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की स्वीकृति हेतु एक आवेदन प्राप्त हुआ था। चूंकि प्रस्तावित निवेश की सीमा कम थी, अत: पार्टी को यह सलाह दी गई थी कि इसके लिए आशय-पत्र देने की कोई आवश्यकता नहीं है। समस्त निवेश प्रवासियों द्वारा पूंजी और लाभांश दोनों के रूप में वापिस न भेजे जाने के आधार पर पूरा किए जाने का प्रस्ताव किया गया था। चूंकि कच्चे माल और पूंजीगत माल का आयात करने का विचार था इसलिए इसमें कोई भी विदेशी तकनीकी सहयोग निहित नहीं था।

दिल्ली में लड़कियों से छेड़खानी की घटनायें

520. **श्री बालकृष्ण रामचन्द्र वासनिक :** क्या गृह मन्त्री यह वताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में लड़कियों के कालेजों के सामने तथा बस स्टापों पर लड़कियों से छेड़खानी की घटनायें बढ़ रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस समस्या पर नियंत्रण करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) और (ख) दिल्ली में लड़कियों से छेड़खानी की घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने विशेष अभियान शुरू किए हैं। 15-9-82 तक चालू वर्ष के दौरान 2440 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस कर्मचारियों को सादा कपड़ों में तथा वर्दी में बसों में तथा बस स्टापों पर तैनात किया जाता है। महिला कालेजों के प्रतिनिधियों के साथ बैठकें आयोजित की जाती हैं। दिल्ली परिवहन निगम के प्राधिकारियों से लड़कियों से छेड़खानी की घटना के मामले में बसों को थाने में ले जाने के लिए उनके कर्मचारियों को निदेश देने के लिए अनुरोध किया गया है।

विशेष संघटक योजनाओं के अधीन आवंटन

521. **श्री भाऊ साहिब थोरट :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वार्षिक योजनाओं में, राज्यों में विशेष संघटक योजनाओं के लिए धनराशि अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर दी जाती है ;

(ख) महाराष्ट्र राज्य के लिए वर्ष 1982-83 में इस योजना के अधीन कितनी धनराशि का प्रावधान किया गया है ; और

(ग) क्या यह महाराष्ट्र राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या के अनुपात से मेल खाती है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) विशेष संघटक योजनाओं की नीति यह परिकल्पना करती है कि प्रत्येक विभाग/क्षेत्र ऐसी योजनाओं जो उनके लाभ के लिए हैं से अनुसूचित जातियों को धन उपलब्ध कराए। विशेष संघटक योजनाओं का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य अनुसूचित जाति के परिवारों द्वारा गरीबी रेखा को पार करना है। अन्य उद्देश्यों में अनुसूचित जाति की बस्तियों की आवश्यक जीवन निर्वाह की आवश्यकताओं जैसे पीने का पानी, अनुसूचित जाति के परिवारों के लिए मकान स्थल और आवास की व्यवस्था

तथा शैक्षिक प्रगति के लिए सुविधाओं की व्यवस्था शामिल हैं। इन विशेष संघटक योजनाओं का बनाया जाना हाल ही में शुरू किया गया है किन्तु वर्ष-दर-वर्ष राज्य ज्यादा से ज्यादा परिव्यय उपलब्ध करा सकें हैं। यह आशा की जाती है कि आगे के सुधारों से, संबंधित राज्य की विशेष संघटक योजनाओं में राज्य योजनाओं से अधिक धनराशि के निर्धारण से ये परिव्यय राज्यों में अनुसूचित जाति जनसंख्या के अनुपात में अधिक उपयुक्त होंगे। नव-बौद्धों समेत अनुसूचित जातियां महाराष्ट्र की जनसंख्या का 12.78% है। योजना आयोग में विचार विमर्श के बाद 1982-83 के लिए महाराष्ट्र की विशेष संघटक योजना के लिए 31.01 करोड़ रुपए निर्धारित किये गए हैं, यह राज्य योजना का 2.35% है। राज्य की विशेष संघटक योजना में परिणात्मक तथा गुणात्मक सुधार की आवश्यकता के संबंध में महाराष्ट्र राज्य सरकार से निरन्तर आस्त आग्रह किया जा रहा है।

बीजा धोखाधड़ी गिरोह

522. **श्री आर०पी० यादव :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बीजा धोखाधड़ी गिरोह देश के विभिन्न स्थानों पर सक्रिय हैं तथा खाड़ी देशों में रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों को ठग रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बुरी बात को रोकने और निर्धन बेरोजगार लोगों को बचाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) यात्रा, रोजगार इत्यादि के लिए विदेशों को जाने के इच्छुक भारतीय पार-पत्र धारकों को अपने पारपत्र पर बीजा लेने के लिए संबंधित विदेश के भारत में राजनैयिक मिशन को आवेदन पत्र देना होता है। बीजा देने की प्रक्रिया तथा इस मामले में लगने वाला समय प्रत्येक मिशन में भिन्न भिन्न हो सकता है सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार दिल्ली/महाराष्ट्र में कुछ ऐसे मामले ध्यान में आए हैं जिनमें बीजा जाली पाए गए हैं। इस संबंध में शिकायतें प्राप्त होने पर दिल्ली पुलिस ने 1981 में चार मामले दर्ज किए, इसके परिणामस्वरूप 5 ऐसे व्यक्ति गिरफ्तार किए गए जिन पर इन मामलों में बीजा की जालसाजी करने के लिए उत्तरदायी होने का संदेह है। इन चार मामलों में से दो मामले न्यायालय में विचारण के लिए लम्बित पड़े हैं, एक में जाँच पड़ताल होनी है और एक मामले को लापता के रूप में फाइल कर दिया गया है क्योंकि अपराधी के सम्बन्ध में कोई सुराग नहीं मिल सका। वर्ष 1982 के दौरान दिल्ली पुलिस ने शिकायत प्राप्त होने पर बीजा की जालसाजी के सम्बन्ध में चार मामले दर्ज किए जिसमें बारह व्यक्ति गिरफ्तार किए गए।

2. इस वर्ष के दौरान महाराष्ट्र में रोजगार पाने के इच्छुक व्यक्तियों के पारपत्र में बीजा की जाली मोहर लगाने के चार मामलों की सूचना दी गई थी। 1982 में विदेशों में

रोजगार प्राप्त करने का प्रलोभन देने के 51 मामलों की सूचना दी गई है। इन मामलों में 16,48,800 रु० की कुल राशि अन्तर्ग्रस्त है। कुल 49 अभियुक्त व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। अधिकांश पीड़ित गरीब परिवारों के बताए जाते हैं।

3. पुलिस को जैसे ही बीजा जारी करने के सम्बन्ध में धोखाधड़ी की विशिष्ट शिकायतें प्राप्त होती हैं वह तुरन्त कार्रवाई करती है शिकायतें प्राप्त होने पर भारतीय दण्ड संहिता के सम्बद्ध उपबन्धों के अनुसार अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाती है ताकि उन्हें कठोर दण्ड दिया जा सके। ऐसी कार्यवाई ऐसी आपराधिक गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त भ्रष्ट व्यक्तियों को रोकने में सहायक सिद्ध होगी।

4. देश के अन्य भागों में जाली बीजाओं में संघठित धोखाधड़ी करने की कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है।

दिल्ली के यमुनापार क्षेत्रों में रसीदी टिकटों की कमी

523. **श्री निहाल सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली के यमुना-पार के क्षेत्र में रसीदी टिकटों (रेवेन्यू स्टाम्पों) की कमी के कारण दिल्ली नगर निगम के जल प्रदाय संस्थान और गृह-कर विभाग ने उपभोक्ताओं से बिलों का भुगतान स्वीकार करने से इन्कार कर दिया है जिसके परिणामस्वरूप लोगों को बिना अपने कसूर के जुर्माना देना पड़ता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस क्षेत्र में रेवेन्यू स्टाम्पों की कमी के क्या कारण हैं और क्या सरकार का विचार इस प्रकार लगाये जाने वाले जुर्माने को समाप्त करने का है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) दिल्ली नगर निगम के गृह कर विभाग के अनुसार यमुनापार क्षेत्र में रसीदी टिकटों की कुछ कमी देखी गई थी परन्तु भिन्न-भिन्न डाकघरों से ये टिकटें एकत्र करने के लिए कर्मचारी तैनात किए गए थे। इस कमी के कारण किसी करदाता से सम्पत्ति कर बिलों की अदायगी से कोई इंकार नहीं किया गया था। चूंकि इस कारण कोई जुर्माना देना आवश्यक नहीं है इसलिए जुर्माने समाप्त करने का प्रश्न नहीं उठता। जहां तक पानी के बिलों का सम्बन्ध है दिल्ली जल पूर्ति और मल व्ययन उपक्रम ने सूचित किया है कि उपभोक्ताओं को रसीदी टिकट उपलब्ध करवाने के लिए इस विभाग के कर्मचारी दूसरे डाकघरों से उन्हें एकत्र करने के लिए तैनात किए गए थे। कुछ मामलों में उपभोक्ताओं को रसीदी टिकट की प्रतीक्षा करने के लिए अथवा अपने पानी के बिल अदा करने के लिए अगले दिन आने को कहा गया था। ऐसे मामलों पर कोई अधिककर नहीं लगाया गया था। फिर भी यदि कोई विशिष्ट मामला जहां अधिककर लगाया गया हो उनके ध्यान में लाया जाता है तो उपक्रम उपयुक्त निवारक कार्यवाही करेगा।

दिल्ली में पटरियों पर दुकान चलाने वाले लोगों से नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम द्वारा अर्जित राजस्व

525. श्री निहाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय दिल्ली में पटरियों पर कितने लोग पैन, पुस्तक, केले आदि की दुकान चला रहे हैं तथा नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम को इन लोगों से प्रतिवर्ष, कितने राजस्व की प्राप्ति होती है ;

(ख) नई दिल्ली नगर पालिका और दिल्ली नगर निगम ने, पृथक-पृथक रूप से कितने स्टाल आवंटित किए हैं तथा उन्हें इससे प्रतिवर्ष कितने-कितने राजस्व की प्राप्ति होती है ;

(ग) क्या यह सच है कि पटरियों पर ऐसी दुकानों के कारण पैदल चलने वाले लोगों को चलने के लिए जगह नहीं मिलती और इसके परिणामस्वरूप जब तब दुर्घटनायें होती रहती हैं ; और

(घ) यदि हां, तो पटरियां खाली रखने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

उद्योगों की नई क्षमता बनाने पर लगी रोक हटाना

526. श्री बी० बी० देसाई : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने दस उद्योगों के सम्बन्ध में नई क्षमता बनाने पर लगी रोक हटा दी है ;

(ख) यदि हां, तो जिन उद्योगों पर से यह रोक हटाई गई है उनके नाम और पते क्या हैं ;

(ग) क्या ऐसे बहुत से अन्य उद्योगों ने जिन्होंने नई क्षमता बनाने के लिए अनुरोध भी किया था और सरकार ने उनके मामलों को अस्वीकार कर दिया है ;

(घ) यदि हां, तो ऐसे उद्योगों के नाम और पते क्या हैं जिनके मामले अस्वीकार कर दिए गए हैं और इस अस्वीकृति के क्या कारण हैं ; और

(ङ) यह सीमा केवल दस प्रौद्योगिक घरानों के लिए ही क्यों रखी गई, अधिक के लिए क्यों नहीं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) कच्चे माल सम्बन्धी कठिनाइयों के कारण अत्यधिक अधिष्ठापित क्षमता होने के कारण लघु क्षेत्र में कुछ बस्तुओं के नए उद्योगों का पंजीकरण करने अथबा विद्यमान क्षमता का विस्तार करने को प्रोत्साहित नहीं किया जाता है। परिवहन संबंधी कठिनाइयों तथा अत्यधिक पिछड़ेपन पर विचार करते हुए उत्तर पूर्वीय क्षेत्र से मिले प्रस्तावों के बारे में इस प्रकार के प्रतिबन्धों का पुनरावलोकन किया जा सकता है तथा उपयुक्त प्रकरणों में उचित ढील देने की अनुमति दे दी जाती है।

(ग) जी, नही।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र का आधुनिकीकरण और विस्तार

527. श्री बी० बी० देसाई : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार की 1200 करोड़ रुपए की योजना को आगे बढ़ाने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया और एम० इ० सी० ओ० एन०, दोनों ने, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के आधुनिकीकरण और विस्तार सम्बन्धी परियोजना रिपोर्ट इस्पात मंत्रालय को प्रस्तुत की है ;

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इसकी कितनी सिफारिशों को स्वीकार किया है ; और

(घ) आधुनिकीकरण योजना शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) 1154 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से दुर्गापुर इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण दो चरणों में करने के बारे में स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड/मेटलर्जीकल एण्ड इंजीनियरिंग कंसल्टेंटस (इंडिया) लिमिटेड ने एक एप्रोच नोट तैयार किया है। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन दुर्गापुर इस्पात कारखाने द्वारा तैयार करवाया जाएगा। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के पश्चात ही दुर्गापुर इस्पात कारखाने का आधुनिकीकरण/विकास करने की योजना पर आगे कार्यवाही की जाएगी।

दिल्ली में साइकिल रिक्शाचालकों को लाइसेंस

528. श्री जी० वाई० कृष्णन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पुरानी दिल्ली के क्षेत्रों में अनेक साइकिल-रिक्शा चल रहे हैं ;

(ख) क्या सरकार को पता है कि कभी-कभी साइकिल-रिक्शों की संख्या आदमियों की संख्या से कहीं अधिक होती है और शाम के समय अजमेरी गेट, हौजकाजी, खारी बावली, दरीबा की सड़कों तथा अन्य प्रमुख स्थानों पर चलना मुश्किल हो जाता है ;

(ग) क्या रिक्शा चालकों के लाइसेंसों को सीमित रखने के लिए और उन्हें उन स्थानों से न हटाये जाने के लिए, जिनमें वे अपने वाहन चलाते हैं ; सरकार का कोई नियन्त्रण है ; और

(घ) क्या यह बात सरकार के ध्यान में आई है कि साइकिल-रिक्शा के मालिक केवल अपने लिए लाभ प्राप्त करने हेतु यूनियन का उपयोग कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि पुरानी दिल्ली की व्यस्त सड़कों पर बड़ी संख्या में साइकिल रिक्शा चलती है और काफी जगह घेरती है जिससे यातायात और पैदल चलने वालों के सुचारू रूप से आने जाने में बाधा होती है। यातायात पुलिस सड़कों को साफ करने और साइकिल रिक्शाओं के अनधिकृत रूप से खड़ा करने से होने वाली वाधा को दूर करने के लिए नियमित कार्रवाई करती है। वह साइकिल रिक्शाओं के खड़ा करने के लिए विशेष स्थान निर्धारित करने के भी प्रयास कर रही है ताकि सड़कों पर भीड़-भाड़ कम की जा सके। दिल्ली नगर निगम ने केवल पात्र मालिक रिक्शा चालकों को नए लाइसेंस जारी करने की एक योजना तैयार की है। न्यायालयों से स्थगन आदेशों के कारण अभी तक योजना को कार्य रूप देना संभव नहीं हुआ है।

विदेशों से वापस आने वाले भारतीय वैज्ञानिकों का मनोबल टूटना और उनमें व्याप्त निराशा

529. **श्री रामलाल राही** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या प्रधान मन्त्री ने देश के उच्च स्तरीय प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में गैर निवासी भारतीय की पूंजी लगाने और इस प्रकार भारतीयों की सेवा का उपयोग करने के लिए एक निगम की स्थापना करने के बारे में अमरीका में कोई चर्चा की थी ;

(ख) क्या यह सच है कि ऐसे भारतीय वैज्ञानिकों का, जो देश की सेवा करने के लिए विदेशों से यहां आये हैं, देश में काम करने का उपयुक्त वातावरण न मिलने के कारण मनोबल टूट गया है और वे निराश हो गए हैं ;

(ग) क्या विदेशों में रह रहे भारतीयों को भारत में आमन्त्रित करने से पहले सरकार उन वैज्ञानिकों की उचित देखभाल करेगी, जिनमें से अनेक वैज्ञानिकों ने विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त किया है और उज्ज्वल भविष्य रखते हैं ; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकांश स्थानीय वैज्ञानिकों में, विशेष रूप से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और रक्षा

विज्ञान प्रयोग शालाओं के वैज्ञानिकों में पूर्णतः मनोबल ह्रास की भावना विद्यमान है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) प्रधान मंत्री की अमेरिका यात्रा के पूर्व और इसके दौरान अमेरिका में रहने वाले भारतीयों द्वारा चयनित उच्च प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के स्थानांतरण और निधियों के निवेश को सरल बनाने के लिए उपयुक्त संगठन की स्थापना की संभावना के बारे में सरकारी स्तरों पर चर्चाएं की गई थीं।

(ख) जी नहीं।

(ग) इस देश में और विदेशों में प्रशिक्षित सभी भारतीय वैज्ञानिकों और प्रौद्योगिकीविदों को सभी प्रोत्साहन और'समर्थन प्रदान किया जा रहा है और इसे प्रदान किया जाना जारी रखा जाएगा।

(घ) जी नहीं।

राजस्थान को सीमेंट की सप्लाई

530. **श्री कृष्ण कुमार गोयल** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार से अपना सीमेंट का कोटा बढ़ाने का अनुरोध किया है ;

(ख) राज्य की प्रति तिमाही सीमेंट की जरूरत कितनी है और राज्य का वर्तमान कोटा क्या है ; और

(ग) इस संबंध में केन्द्र की क्या प्रतिक्रिया है ;

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) सीमेंट पर से आँशिक रूप से नियंत्रण हटा लेने की योजना लागू करने के पूर्व राजस्थान सरकार ने सीमेंट की तिमाही आवश्यकता 3.50 लाख मी० टन बतायी थी। तथापि, राजस्थान सरकार को सीमेंट पर से आँशिक रूप से नियंत्रण हटा लेने के पूर्व 1981 की तीसरी तिमाही के दौरान 1.64 लाख मी० टन सीमेंट का आबंटन किया गया था। 1981 को दूसरी तिमाही से लैवी सीमेंट का तिमाही आबंटन 60,600 मी० टन नियत किया गया है इसके अलावा, राजस्थान की सिंचाई एवं बिजली परियोजनाओं के लिये 1982 की दूसरी तथा तीसरी तिमाहियों के लिये क्रमशः 79,400 तथा 78,900 मीट्रिक टन लैवी सीमेंट का आबंटन किया गया था। इसके अलावा, गैर लैवी सीमेंट भी जो मूल्य तथा वितरण नियंत्रण से मुक्त है खुले बाजार में उपलब्ध है। राज्य सरकार के लिए लैवी सीमेंट का और अधिक आवंटन केवल अधिक लैवी सीमेंट उपलब्ध होने पर ही संभव है जिसके लिए हर संभव प्रयास किए जा रहें है।

मधुबनी और पालामऊ जिलों में उद्योगों की स्थापना

531. श्री भोगेन्द्र झा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) बिहार के मधुबनी और पालामऊ जिलों में औद्योगिक केन्द्र की स्थापना किये जाने के सबंध में अंतिम स्थिति क्या है ;

(ख) स्वयं नियोक्ता उद्योग सहित ऐसे कितने पंजीकृत एकक हैं जो मधुबनी और दरभंगा जिलों में उत्पादन आरम्भ करने में असमर्थ हैं; और उसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या ऐसे एकक स्थापित करने के लिये कोई बैंक की शाखा ऋण देने से इंकार कर रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) नाभिकीय संयंत्र कार्यक्रम के लिए पता लगाए गए मधुबनी और पालामऊ जिलों में लगाई जाने योग्य अधिकतम सहायक उद्योग सहवर्तिता वाली सभी संभव परियोजनाओं की रिपोर्ट देने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य के अधिकारियों के एक कृतिक बल का गठन किया गया था। कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट अब प्रस्तुत कर दी है जिसकी जांच की जा रही है।

(ख) से (घ) सरकारी क्षेत्र के बैंक ऐसे लोगों के लिए जिनके लिए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं लाभप्रद स्वतः रोजगार के अवसर प्रदान करने वाले विशिष्ट सरकारी कार्यक्रमों के कार्यान्वियन में सहायता पहुंचाने में एक पूरक भूमिका निभाते हैं। उसके अलावा, सभी बैंक अपनी ऋण देने सम्बन्धी प्रक्रिया को आसान बनाकर, आवेदनों को "तुरन्त निपटा कर लाभ और जमानत, राशि की आवश्यकता में ढ़ील आदि देकर शिक्षित और अशिक्षित दोनों ही तरह के बेरोजगार लोगों के लिए स्वतः रोजगार के अवसर पैदा करने के प्रयास करते रहे हैं। ऋण देने के रोजगार उत्पन्न करने सम्बन्धी पहलू को देखते हुए सभी प्रमुख जिलों के लिए जिला ऋण योजनाएं बनायी गई है। बैंक की किसी शाखा द्वारा ऋण न दिए जाने के बारे में सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक के ध्यान में लाए गए विशिष्ट मामलों की जाँच उपयुक्त कार्रवाई के लिए की जाती है।

एकक वार विस्तृत जानकारी केवल राज्य सरकार के पास ही उपलब्ध होती है।

छठी पंचवर्षीय योजना के योजना परिव्यय में संशोधन

532. श्री अशफाक हुसैन : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना के योजना परिव्यय में संशोधन करने के लिए योजना आयोग में कोई विचार किया जा रहा है ;

(ख) क्या योजना आयोग ने योजना की प्रगति की समीक्षा की है अथवा करने का विचार है ;

(ग) क्या सरकार को विश्वास है कि छठी योजना के लक्ष्य प्राप्त हो जायेंगे ;

(घ) यदि हां, तो पिछले दो वर्षों के दौरान छठी पंचवर्षीय योजना की उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने योजना का कोई मध्यावधि मूल्यांकन किया है ; और

(च) उस मूल्यांकन के क्या परिणाम निकले हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) छठी योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया जा रहा है। इस मूल्यांकन के पूरे हो जाने के बाद ही इस योजना के लिए परिव्यय में किसी परिशोधन के बारे में विचार करना होगा।

(ख) जी, हां।

(ग) इस योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के पूरे होने के बाद ही निश्चित स्थिति मालूम होगी।

(घ) ये 1981-82 और 1982-83 की वार्षिक योजनाओं में दिए गए हैं जो सभा पटल पर प्रस्तुत की जा चुकी हैं।

(ङ) और (च) जैसा कि भाग (क) के उत्तर में कहा गया है, इस योजना का मध्यावधि मूल्यांकन किया जा रहा है और यह अभी पूरा होना है।

'एच० एम० टी०' क्वार्टज घड़ियों की परिशुद्धिता

533. **श्री अशफाक हुसैन** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 'एच०एम०टी०' क्वार्टज घड़ियों का परिशुद्धता का स्तर क्या है ;

(ख) क्या वे 'सीको' अथवा 'सिटीजन' घड़ियों से घटिया हैं ;

(ग) यदि हां, तो किस मामले में ; और

(घ) ऐसे मुख्य कारण क्या हैं जिससे नौवें एशियाई खेलों का सरकारी 'टाइम कीपर्स' का खिताब पाने में 'एच० एम० टी०' क्वार्टज घड़ियां 'टाइम कीपर्स टू द नेशन' असफल रहीं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) एच० एम०टी० क्वार्टज घड़ियों की परिशुद्धता ± 15 सेकिन्ड प्रतिमास है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) एच०एम०टी० द्वारा नवें एशियाई खेलों जैसे खेल-परिणामों के समय निर्धारण के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उपकरणों का निर्माण नहीं किया जाता है।

गोवा जेल से श्री एस० एन बाखिया के भाग जाने में सरकारी कर्मचारियों का हाथ होना

534. श्री आर० एन० राकेश : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन सरकारी कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जिन पर केन्द्रीय गुप्तचर विभाग की रिपोर्ट में कुख्यात तस्कर श्री सुकुर नारायण बाखिया के गोवा जेल से भाग जाने में उनका हाथ होने का आरोप लगाया है ;

(ख) प्रत्येक कर्मचारी के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) ऐसी घटनाओं की आवृत्ति रोकने के लिए सरकार ने क्या उपचारात्मक कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) श्री सुकुर नारायण बाखिया के गोवा जेल से भाग जाने के संबंध में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो द्वारा एक व्यापक जांच करने के आदेश दे दिए गए हैं और जांच-पड़ताल की जा रही है।

(ग) इस प्रकार के मामलों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक उपचारात्मक उपायों की केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा जांच के निष्कर्ष प्राप्त होने के पश्चात् निर्धारित किया जायेगा।

देश में झीलों और नदियों का प्रदूषण

536. श्री अमर राय प्रधान : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की झीलें तथा नदियां अत्यधिक प्रदूषित हो गई हैं और उनमें जैव अपशिष्ट पदार्थों और विषाक्त मलनि:सारण की अत्यधिक गाद एकत्र हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इसे रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

पर्यावरण विभाग में उपमंत्री (श्री दिग्विजय सिंह) : (क) तथा (ख) जी, नहीं। तथापि, झीलों और नदियों के वे क्षेत्र जो श्रेणी I तथा श्रेणी II शहरों से और औद्योगिक काम्पलेक्सों से नगरपालिका के अपशिष्ट पदार्थ प्राप्त करते हैं, अकसर प्रदूषित होते हैं।

(ग) भारत सरकार ने जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 अधिनियमित किया है और अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत जल प्रदूषण के निवारण तथा नियंत्रण के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के लिए जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण के केन्द्रीय और राज्य बोर्डों की स्थापना की है।

राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र

537. श्री मूलचन्द डागा : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र के दोनों यूनिटों पर अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है ;

(ख) राजस्थान परमाणु ऊर्जा संयंत्र की दोनों यूनिटों का 1980-81 और 1981-82 का उत्पादन लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है और इस अवधि में वास्तव में कितना उत्पादन हुआ है ; और

(ग) इन वर्षों में यूनिटें कितने दिन बन्द रहीं और कितने दिन चालू रहीं ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) मार्च 1982 तक राजस्थान परमाणु बिजलीघर के पहले यूनिट पर कुल मिलाकर 72.20 करोड़ रुपए और दूसरे यूनिट पर 96.64 करोड़ रुपए खर्च हुए थे।

(ख) उत्पादन-लक्ष्य तथा वास्तविक उत्पादन का ब्यौरा निम्नलिखित प्रकार से था :

	लक्ष्य (मिलियन यूनिट)	उत्पादन (मिलियन यूनिट)
1980-81	1431*	1034.8*
1981-82	1642	1057.2

(ग) इस अवधि में राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दोनों यूनिटों के बन्द रहने के दिनों की संख्या निम्नलिखित रही :

	पहला यूनिट	दूसरा यूनिट
1980-81	95	—*
1981-82	238	129

* राजस्थान परमाणु बिजलीघर के दूसरे यूनिट ने व्यावसायिक स्तर पर उत्पादन 1.4.81 से ही शुरू किया था।

कोटा स्थित राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की इकाईयों के टरबाइन ब्लेड

538. **श्री भीखा भाई :** क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि कोटा स्थित राजस्थान परमाणु विद्युत परियोजना की पहली और दूसरी इकाइयों के टरबाइन ब्लेड अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टियों के अनुरूप नहीं है;

(ख) क्या अनुपयुक्त निगरानी और कार्यकुशलता की कमी के कारण बार-बार काम बन्द हो जाता है ; और

(ग) इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रानिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मन्त्रालय के गैर पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी०पी०एन० सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) बिजलीघर के दोनों यूनिटों के हाई प्रेशर रोटर के तीसरे और चौथे चरण के सभी ब्लेडों की जगह बेहतर डिजायन के ब्लेड लगा दिए गए हैं तथा दूसरे चरण के ब्लेडों को उनमें समुचित सुधार करके मजबूत बना दिया गया है।

अल्पसंख्यक आयोग का दर्जा

539. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अल्प संख्यक आयोग ने यह मांग की है कि इसे प्रभावशाली बनाने के लिए उसे ब्रिटेन के वर्ण समानता आयोग के बराबर का दर्जा और शक्ति प्रदान की जाये ;

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) इस संबंध में अल्पसंख्यक आयोग की 31 दिसम्बर, 1980 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए तीसरी वार्षिक रिपोर्ट पर की गयी कार्रवाई के ज्ञापन, जिसे 3 अगस्त, 1982 को सभा पटल पर रखा गया था, के परिशिष्ट में क्रम सं० 10 में निहित सरकार की टिप्पणी की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

सेवावधि के दौरान "छुट्टी के बदले पैसा लेना" को लागू करना

540. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी कर्मचारियों तथा सरकार के हित में सेवावधि के दौरान "छुट्टी के बदले पैसा लेना" को लागू करने में अब तक कोई अन्तिम निर्णय लिया है ; और

(ग) यदि हाँ, तो तत्सबन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) इस समय केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों को उनकी सेवा-अवधि के दौरान छुट्टी के बदले पैसा देने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

अरुणाचल प्रदेश से तिब्बती तथा चकमा लोगों का हटाया जाना

541. **श्री अमर राय प्रधान :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार को अरुणाचल प्रदेश संघ राज्य क्षेत्र में रहने वाले तिब्बती तथा चकमा लोगों को हटाने और विदेशियों तथा गैर-अरुणाचल वासियों के व्यापार लाइसेंस समाप्त करने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) हाल ही में अखिल अरुणाचल प्रदेश छात्र संघ ने कुछ माँगे पेश की थी जिनमें विदेशी राष्ट्रिकों (शरणार्थियों) को हटाने तथा गैर-अरुणाचल वासियों के व्यापार लाइसेंस समाप्त करना शामिल है।

2. चमका और तिब्बती शरणार्थियों को पुनर्वास योजनाओं के अन्तर्गत अरुणाचल प्रदेश में बसाया गया था। अरुणाचल प्रदेश में उनको हटाए जाने का प्रश्न नहीं उठता।

3. व्यापार शुरू करने के लिए स्थानीय जनजाति के उद्यमियों को प्रोत्साहित करने को ध्यान में रखते हुए अरुणाचल प्रदेश सरकार व्यापार लाइसेंस देने के संबंध में सावधान नहीं है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के हत्या किए गए व्यक्तियों की संख्या

542. **श्री राम बिलास पासवान :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में जनवरी, 1980 से 15 अगस्त, 1982 तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अलग-अलग कुल कितने व्यक्तियों की हत्या की गई तथा ऐसी हत्याओं की संख्या, तारीख तथा स्थान संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : राज्य सरकारों/संघ शामिल क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार पहली जनवरी, 1980 से 15 अगस्त, 1982 के बीच अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की हत्या के मामलों की कुल संख्या क्रमश: 1262 तथा 229 थी। भारत सरकार इन मामलों की प्रत्येक बात के संबंध में ब्यौरे नहीं रखती है।

बिहार प्रेस विधेयक के विरुद्ध प्रदर्शन

543. **श्री त्रिलोक चन्द :**
श्रीमती प्रमिला दंडवते : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार प्रेस विधेयक का हर स्थान पर विरोध किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां तो उक्त विधेयक के विरुद्ध देश में अब तक कितने प्रदंशन हुए हैं ; और

(ग) इन प्रदर्शनों के दौरान कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और उनको कहां-कहां पर गिरफ्तार किया गया ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभापटल पर रख दी जाएगी।

घटिया पेंट की खरीद

544. **श्री डूमर लाल बैठा :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी विभाग निविदाओं के माध्यम में भारी मात्रा में पेंट खरीदते हैं और निम्नतम दरों पर निम्नतम निविदाओं को स्वीकार किया जाता है ;

(ख) यदि हां, तो विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा वर्ष 1981-82 में खरीदे गए पेंट की कुल मात्रा कितनी थी, और उनकी दरें क्या थी और पूरे ब्यौरे सहित उनके संभरण का स्त्रोत क्या था ;

(ग) क्या संम्भरण किए गए पेंट की किस्म बढ़िया नहीं होती थी जिससे भारी जंग लग जाता है और परिणामस्वरूप राष्ट्र को अनुमानतः 650 करोड़ रुपये की हानि उठानी पड़ी ; और

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राष्ट्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी समिति ने 1973 में देश में जंग के कारण 400 करोड़ रुपये की हानि होने का अनुमान लगाया था ; और

(ङ) यदि हां, तो बढ़िया किस्म के पेंट का संभारण और भारी जंग की रोक सुनिश्चित करने के लिए, जिससे राष्ट्रीय हानि होती है, क्या कदम उठाए गए अथवा उठाने का विचार हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ङ) विभिन्न विभागों से सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभापटल पर रख दी जायेगी ।

जेल में कैद विचाराधीन कैदियों की वार्षिक गणना

545. **श्री राजेश कुमार सिंह :**
श्री रशीद मसूद : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार सरकार को दिये गये उच्चतम न्यायालय के हाल के निदेश के बारे में पता है जिसमें आपराधिक प्रक्रिया आरम्भ किए बिना/अथवा विचार के आरम्भ होने के बाद 18 महीने से अधिक समय से जेल में रह रहे विचाराधीन कैदियों के वार्षिक गणना करने तथा उसकी एक सूची पटना के उच्च न्यायालय में प्रस्तुत करने को कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या शीघ्र न्याय के लिए सरकार का विचार सभी राज्य सरकारों को इस प्रकार की गणना करने के लिए कहने का है ;

(ग) यदि हां, तो इस दिशा में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) (क) जी हां, श्रीमान, । उच्चतम न्यायालय ने हाल में बिहार सरकार को उन विचाराधीन व्यक्तियों की वार्षिक जनगणना

करने के आदेश दिए हैं, जो गिरफ्तारी प्रक्रिया या वितरण शुरू हुए बिना 18 महीने से अधिक अवधि के लिए जेलों में हैं।

(ख) से (घ) राज्य सरकारों को समय समय पर विचाराणाधीन कैदियों के मामलों की जांच करने और जमानत/व्यक्तिगत जमानतों पर उनकी रिहाई पर विचार करने और उन्हें वकीलों की सेवाएं उपलब्ध कराने की सलाह दी गई है। तथापि उन विचाराणाधीन कैदियों की सार्वधिक जनगणना करने पर विचार करना जिनका विचारण गिरफ्तारी प्रक्रिया शुरू नहीं हुई है और शीघ्र न्याय दिलाने के लिए अन्य उपाय करना स्वयं राज्य सरकारों का कार्य है।

गैर सरकारी उद्योगों का विकास

546. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जुलाई 1982 के "इंडिया टूडे" में प्रकाशित इस समाचार की ओर दिलाया गया है कि गैर सरकारी उद्योगों के उत्पादन में अचानक तेजी आई है;

(ख) क्या सरकार अपनी नीतियों को ध्यान में रखकर धन का केन्द्रीकरण उचित समझती है;

(ग) क्या सरकार का विचार कुछ व्यापारियों के असाधारण उत्पादन पर रोक लगाने का है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) सरकार ने रिपोर्ट देख ली है।

(ख) से (घ) 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प और तत्पश्चात सरकार द्वारा 2 फरवरी, 1973 को लिए गए निर्णय में बड़े औद्योगिक गृहों सहित निजी क्षेत्र को विशिष्ट भूमिका सौंपी गई हैं। निजी क्षेत्र उसे नियत किए गए क्षेत्र में विकास करने के लिए भी स्वतन्त्र है। किन्तु, एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापारिक व्यवहार अधिनियम के अधीन एकाधिकारों आदि के विकास पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। इनके अलावा, यदि निजी क्षेत्र उसको नियत की गई भूमिका तक ही सीमित है तो निजी क्षेत्र के उद्योग के विकास पर प्रतिबन्ध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

दिल्ली में रिक्शा चालकों को वाहनों का स्वामित्व

547. **श्री आर० एन० राकेश :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "दिल्ली के रिक्शा चालक राष्ट्रीयकृत बैंकों की सहायता से वाहनों के स्वामी बनेंगे" योजना के क्रियान्वयन में इतने असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) इतने असाधारण विलम्ब के लिए उत्तरदायी सरकारी एजेंसी का ब्यौरा क्या है ;

(ग) इतने असाधारण विलम्ब के लिए उत्तरदायी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का विचार है ; और

(घ) सरकार का इस योजना के द्रुत क्रियान्वयन के लिए कौन से कदम उठाने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

स्टील ट्यूब उद्योग में संकट

548. श्री आर० एन० राकेश : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हाल ही में स्टील ट्यूब उद्योग में कच्चे माल के ऊंचे मूल्यों के कारण आए संकट की जानकारी है जिसके परिणाम स्वरूप कतिपय यूनिट बन्द हो गए हैं ;

(ख) इन स्टील ट्यूब यूनिटों के बन्द होने के अन्य कारण क्या हैं ; और

(ग) इस संकट पर काबू पाने के लिए सरकार का कौन से कदम उठाने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं । किसी भी फर्म ने बन्द होने की सूचना नहीं दी है ।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते ।

इस्पात का आयात और निर्यात

549. श्री दयाराम शाक्य : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने 1980-81 में कितने इस्पात का आयात और निर्यात किया है, पिछले दो वर्षों की तुलना में आयात और निर्यात की स्थिति क्या है ; और

(ख) क्या इस्पात की आयातित किस्म का देश में उत्पादन किया जा सकता है और यदि हां, तो उसके आयात के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायणदत्त तिवारी) : (क) वर्ष 1978-79 1979-80 और 1980-81 (अप्रैल-अगस्त, 1980 तक के आंकड़े प्रकाशित किए जा चुके हैं) के वर्षों के दौरान आयात की गई इस्पात की कुल मात्रा तथा उसका मूल्य और 1978-79, 1979-80, तथा 1980-81 दौरान निर्यात किए गए माल की मात्रा का ब्यौरा इस प्रकार है :-

आयात:

वर्ष	मात्रा (टनों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1978-79	1050374.	35401
1979-80	2346494	69859
1980-81 (अप्रैल-अगस्त, 1980)	502094	23859

निर्यात

वर्ष	मात्रा (हजार टनों में)	मूल्य (लाख रुपयों में)
1978-79	523.9	10736.45
1979-80	60.659	1410.85
1980-81	49.268	1340.59

(ख) सामान्यतः इस्पात का आयात केवल ऐसी मदों तक सीमित है जिनका या तो देश में पर्याप्त मात्रा में उत्पादन नहीं हो रहा है अथवा जिसकी क्वालिटी वांछित स्तर की नहीं है अथवा औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप समय पर उपलब्धि होनी आवश्यक है। आयात के बारे में निर्णय प्रत्याशित उत्पादन तथा अनुमानित मांग को ध्यान में रखकर लिया जाता है।

नए 20-सूत्री कार्यक्रम के लिए निर्धारित लक्ष्य

550. श्री दया राम शाक्य :

श्री जय नारायण रौत :

श्री सूरजभान : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य और प्रत्येक संघ क्षेत्र में नए 20-सूत्री कार्यक्रम के प्रत्येक सूत्र के संबंध में निर्धारित लक्ष्य की प्रगति/कमी का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं और कितनी धनराशि उपलब्ध की गई हैं ; और

(ग) प्रत्येक राज्य में प्रत्येक सूत्र पर कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) मासिक प्रगति रिपोर्ट में समाविष्ट तथ्यों के संबंध में वार्षिक लक्ष्यों की तुलना में अप्रैल-अगस्त, 1982 की अवधि के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रगति का विवरण-1 संलग्न है ; [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5466/82**] त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल के लिए आँकड़े क्रमशः जुलाई और जून, 1982 को समाप्त अवधि के लिए हैं। अप्रैल-जून, 1982 की अवधि के लिए मासिक प्रगति रिपोर्ट म समाविष्ट नहीं की गई मदों के संबंध में सूचना भी विवरण-2 में की गई हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5466/82**]।

(ख) विभिन्न सूत्रों के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए लक्ष्य ऊपर (क) में उल्लिखित विवरण-1 में दिये गए हैं। विभिन्न 20-सूत्रों के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की 1982-83 की योजनाओं में रखे गए परिव्यय विवरण-3 में दिए गए हैं। [**ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल०टी० 5466/82**]।

(ग) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में हरेक सूत्र पर खर्च न करके बच गई राशि के संबंध में सूचना वर्ष 1982-83 के समाप्त होने के बाद ही उपलब्ध होगी।

अभ्यास पुस्तिका निर्माताओं द्वारा की गई अग्रिम जमा राशियों पर ब्याज

551. **श्री निहाल सिंह** : क्या उद्योग मंत्री निम्नलिखित जानकारी दर्शाने वाला विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित मूल्य वाली अभ्यास पुस्तिका निर्माताओं को मिल के पास आवंटन आदेश के साथ 25 प्रतिशत राशि अग्रिम जमा करनी पड़ती हैं चाहें मिलों द्वारा सरकारी सप्लाई में कितनी ही देरी क्यों न की जाए और अभ्यास पुस्तिका निर्माताओं में कोई ब्याज नहीं दिया जाता जबकि मालिक माल के प्रेषण की तारीख से माल लेने वालों से ब्याज वसूल करने की हिदायतें बैंकों को दे देते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार मिल मालिकों द्वारा उचित मूल्य की अभ्यास पुस्तिका निर्माताओं से ब्याज न लेने तथा अभ्यास पुस्तिका निर्माताओं द्वारा मिलों के पास जमा राशि पर ब्याज देने के अनुदेश जारी करने का है ; और

(ग) कितने मिलों के पास अभ्यास पुस्तक निर्माताओं की कितनी राशि एक महीने से अधिक समय से जमा है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) स्थापित प्रथा के अनुसार कागज के आवंटिती या तो परिक्रामी (रिवालसिंग) उधार पत्र खोलते हैं अथवा कागज मिलों को दिये गए क्रयादेशों के मूल्य के 25 प्रतिशत का अग्रिम भुगतान करते हैं। अभ्यास पुस्तिकाओं के निर्माताओं सहित आवंटितों द्वारा मिल को दिए गए क्रयादेश से संबंधित पार्टियों के बीच एक पूर्णरूपेण वाणिज्यिक लेन-देन होता है। मिलों के पास इस प्रकार की जमा राशि अथवा मिलों द्वारा किसी प्रकार के ब्याज का भुगतान किये जाने, अथवा उन्हें भेजे गए माल की तारीख से आवंटितों से लिए जाने वाले ब्याज के बारे में सरकार के पास कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। ऐसी परिस्थितियों में आवटितों की जमा राशि पर दिए गए ब्याज के लिए मिलों को किसी प्रकार के अनुदेश जारी करने के बारे में सरकार का कोई विचार नहीं है।

पाकिस्तान द्वारा मुक्त किए गए कैदियों का गुम होना

552 डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी :

श्री फूल चन्द वर्मा :

श्री रतन सिंह राजदा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में पाकिस्तान को जेलों से मुक्त किए गए भारतीय अचानक डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल से गुम हो गए हैं, जहां उन्हें इलाज के लिए दाखिल किया गया था ;

(ख) यदि हां, तो उन भारतीयों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) उनका पता लगाने के लिए क्या प्रयास किए गए हैं और उसके क्या परिणाम रहे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) पाकिस्तान जेल से रिहा दिए जाने पर 20.7.1982 को दस कैदियों को भारत वापिस भेजा गया था। उनको स्वास्थ्य की जांच तथा पर्यवेक्षण के लिए राममनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में भर्ती कराया गया था। इनमें से आठ व्यक्ति अपने जन्मस्थानों को वापिस चले गए हैं। श्रीमती विदामी नाम की एक महिला जिसके पागल होने का संदेह था, बताया जाता है कि 28 जुलाई 1982 को अस्पताल के परिसर से बाहर चली गई। बताया जाता है कि एक अन्य व्यक्ति श्री मोहम्मद शफी भी अपनी मर्जी से 13 अगस्त, 1982 को अस्पताल से चला गया। वे हिरासत में नहीं थे ; और बिना किसी को सूचित किए अस्पताल से चले गए। उनका पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा प्रयास किए गए थे किन्तु कोई सफलता नहीं मिली।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची का पुनरीक्षण

553. श्री विजय कुमार यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मन्त्रालय ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से कहा है कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सूचियों के पुनरीक्षण के मामले में किये गये छह प्रस्तावों पर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करें ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 को ध्यान में रखते हुए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को वर्तमान सूचियों में संशोधन के लिए संसद द्वारा कानून बनाने की आवश्यकता है । इस संदर्भ में अनु॰ जातियों तथा अनु॰ जनजातियों की सूची में संशोधन के लिए सभी प्रस्तावों, अभ्यावेदनों, सिफारिशों तथा सुझावों को टिप्पणियों के लिए सम्बन्ध राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को भेजा गया है । उनमें से कुछ राज्यों से अभी टिप्पणियां प्राप्त होनी है और उनको नियमित रूप से अनुस्मारक भेजे जा रहे हैं । सभी राज्य सरकारें/संघ शासित क्षेत्र, प्रशासनों से टिप्पणियों के प्राप्त होने के बाद मामले पर आगे कारंवाई की जाएगी ।

देश में कच्चे लोहे की मांग और उसका उत्पादन

554. श्री विजय कुमार यादव : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश की कच्चे लोहे की मांग देश में उपलब्ध मात्रा से कहीं अधिक है :

(ख) यदि हाँ, तो पिछले पांच वर्षों में कच्चे लोहे का उत्पादन कितना हुआ और उसकी मांग क्या थी ;

(ग) इस कमी को किस सीमा तक आयात द्वारा पूरा किया गया ; और

(घ) कच्चे लोहे का उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) पिछले 5 वर्षों के दौरान कच्चे लोहे की अनुमानित माँग, उत्पादन और आयात के आंकड़े इस प्रकार हैं :—

(लाख टन)

वर्ष	मांग	उत्पादन	आयात	
1977-78	11,5	15.3	—	
1978-79	14.0	15.9	—	
1979-80	16.5	10 9	14.2	स्पंज लोहे के आयात के आंकड़े भी शामिल हैं।
1980-81	17.0	14 3	17.4	
1981-82	16.8	12.7	1.2	(4 सितम्बर, 81 से 31 मार्च, 82 तक केवल माध्यम अभिकरणों द्वारा किए गए आयात के आंकड़े)
1982-83	17.0	14.0 (अनुमानित)	1.7	(अप्रैल से अगस्त, 1982 तक माध्यम अभिकरणों द्वारा किए गए आयात के आंकड़े)

कच्चे लोहे की सुगम उपलब्धि बनाए रखने के लिए वर्ष 1982-83 में 5 लाख टन कच्चा लोहा आयात करने की योजना है।

(घ) "सेल" निम्नलिखित तरीकों से इस्पात कारखानों में उपलब्ध धमन भट्टियों से उत्पादिता में वृद्धि करने के लिए प्रयास कर रही है :—

(i) नवीनतम प्रौद्योगिकी अपनाना – जिसमें कोयले की धूलि और चूने के इन्जेक्शन भी शामिल हैं ; और

(ii) कोककर कोयले की क्वालिटी में सुधार करने के लिए कोयला क्षेत्र की मार्फत प्रयास करना।

मैं० गिलेटे द्वारा ब्लेडों के उत्पादन में सरकार की नीतियों का पालन करने में अनिच्छा

555. श्री तारिक अनवर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका की बहुराष्ट्रीय गिलेटे कम्पनी भारत में ब्लेडों के निर्माण में पेटेंट, व्यापार चिन्ह, किस्म की गारन्टी, नवीनतम तकनीकी का अन्तरण और कुछ अन्य मामलों के बारे में सरकार की नीतियों का पालन करने की इच्छुक नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) रायल्टी और एकमुश्त जानकारी फीस के अलावा गैर-प्रवासी इक्विटी सहभागिता के आधार पर जिलेट कंपनी यू.एस.ए. के तकनीकी और वित्तीय सहयोग से स्टेनलेस स्टील रेजर ब्लेडों का उत्पादन करने के लिए मै० हाउस आफ पोद्दार एन्टरप्राइजेज को एक आशयपत्र जारी किया गया है। करार के होने के बाद ही प्रश्न में उल्लिखित विभिन्न मुद्दों के प्रयोग की बात आएगी।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का क्रियान्वयन न किया जाना

5`6. श्री हरिहर सोरन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ सरकारी मंत्रालयों/विभागों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण नीति का क्रियान्वयन न करने की घटना सरकार के ध्यान में आई है;

(ख) यदि हाँ, तो उन सरकारी मन्त्रालयों/विभागों द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण प्रदान न किए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) उनके मन्त्रालय ने इस बारे में उन सरकारी मन्त्रालयों/विभागों को क्या क्या मार्गदर्शी सिद्धान्त भेजे हैं अथवा भेजने का विचार है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) कभी कभी आरक्षण आदेशों का व्यक्तिगत मामलों में गलत उपयोग किए जाने तथा आरक्षणों से सम्बन्धित सरकार के अनुदेशों के वास्तविक अथवा कल्पित गैर-क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न स्रोतों से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं।

(ख) मंत्रालयों/विभागों सभी के लिए आवश्यक है कि वे अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षणों की व्यवस्था करें। उनके लिए यह भी आवश्यक है कि वे इस संबंध में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन करें।

(ग) सरकार में नौकरी के मामले में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों को समय समय पर दिए गए आरक्षण तथा रियायतों के बारे में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए विभिन्न अनुदेश अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण सम्बन्धी विवरणिका में उपलब्ध हैं जिसे सभी मन्त्रालयों/विभागों को भेजा जा चुका है।

इन्सैट-1ए० की क्षति को पूरा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपग्रह संगठन से मांगी गई सहायता

557. **श्री बी. वी. देसाई :**
श्री के० मालन्ना :
श्री गुलाम रसूल कोचक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत अपने इन्सेट-1 ए०, जिसे निष्क्रिय घोषित कर दिया गया है, की क्षति को पूरा करने हेतु सहायता के लिए वाशिंगटन में अन्तर्राष्ट्रीय उपग्रह संगठन से बातचीत कर रहा है ;

(ख) क्या अन्तर्राष्ट्रीय उपग्रह संगठन ने भारत को सूचित किया है कि वर्तमान कठिनाई में सहायता करने के लिए उसके पास अतिरिक्त क्षमता है बशर्ते कि यह शीघ्र निर्णय ले ;

(ग) क्या भारत ने संगठन से सहायता लेने का कोई निर्णय लिया है ;

(घ) क्या चर्चा करने के लिए कोई प्रतिनिधिमंडल वाशिंगटन भेजा गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो चर्चा का परिणाम क्या निकला और भारत की सहायता करने के लिए अन्तिम निर्णय कब तक लिए जाने की संभावना है ?

विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) और (ख) इन्सैट-1 बी० के उपलब्ध होने के समय तक जरूरी संक्षिप्त उपग्रह आधारित दूरसंचार सेवा को पुन: स्थापित करने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दूरसंचार उपग्रह (इन्टेलसैट) से दो प्रेषानुकरों की अतिरिक्त क्षमता को पट्टे पर लेने का निर्णय किया गया है । इन्सैट-1 ए० के दूरसंचार प्रचालन प्रारम्भ होने से पहले पट्टे पर लिए गए आंशिक प्रेषानुकर का विस्तार कर दिया गया है तथा सात दूरसंचार भू-केन्द्र पहले ही प्रचालित किए जा चुके हैं । दूरदर्शन प्रसारण उपग्रह सेवा के पुन: स्थापन के लिए डाक और तार विभाग को विद्यमान स्थलीय माइक्रोवेव प्रणाली द्वारा न जुड़े हुए आठ टी०वी० ट्रांसमीटरों को तथा बीस अतिरिक्त स्थानों को, जिन्हें एशियाड-82 से आगे निम्न-शक्ति को पुन: प्रसारण टी०वी० आवरण क्षमता प्रदान की जानी है, के लिए नवम्बर 1, 1982 से एक वर्ष की अवधि के लिए इंटेलसैट से एक प्रेषानुकर के पट्टे पर लिए जाने का प्रस्ताव है। इन्टेलसेंट से अतिरिक्त प्रेषानुकरों के उपलब्ध होने की पुष्टि हो गई है ।

(ग) इन्टेलसैट से व्यावसायिकता के आधार पर अतिरिक्त क्षमता प्राप्त करने के अलावा कोई *अन्य* किस्म की सहायता लेने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(घ) जी, नहीं ।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता । इन्टेलसैट से विनिमेय अतिरिक्त क्षमता की उपलब्धता के सम्बन्ध में हमारे विशेषज्ञों द्वारा विकसित आकस्मिक योजनाओं और संचार के आधार पर पहले ही कार्यवाही की जा रही है ।

अतिरिक्त संसाधन जुटाने हेतु राज्यों को केन्द्रीय निदेश

558. **श्री बी०वी० देसाई :**
श्री पी० एम० सईद :
श्री मोहन लाल पटेल :
श्री नवीन रवाणी : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र ने, यह सुनिश्चित करने के लिए कि राज्यों की विकास योजनायें खतरे में न पड़े, राज्य सरकारों से विद्युत प्रशुल्कों, बस किरायों और सिंचाई दरों में वृद्धि करके अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए कहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग ने बताया है कि नये उपायों से आश्वासित राशि जुटाने के राज्यों के प्रयासों में केवल आधी सफलता मिली है ;

(ग) क्या राज्य सरकारें चालू वर्ष के दौरान 676 करोड़ रुपए अतिरिक्त राशि जुटाने पर सहमत हो गई थीं ; और

(घ) क्या योजना आयोग ने यह भी बताया है कि केन्द्रीय क्षेत्र में अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए प्रयास किए जायें ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) योजना आयोग ने राज्य सरकारों से समय-समय पर इस बात की आवश्यकता के लिए आग्रह किया है कि वे पर्याप्त संशाधन जुटाएं और अपने व्यय को उपलब्ध संशाधनों के भीतर सीमित रखें ।

(ख) जी, हां । 1982-83 की वार्षिक योजना के पैरा 3.34 की तरफ ध्यान आकृष्ट किया जाता है ; यह वार्षिक योजना संसद के सम्मुख प्रस्तुत की जा चुकी है । उसके बाद से कुछ राज्य सरकारों ने और भी उपाय किए हैं ।

(ग) जी, हां । उक्त वार्षिक योजना के दस्तावेज में बताए गए वर्ष 1982-83 के लिए 676 करोड़ रु० अतिरिक्त संसाधन जुटाने के सहमत लक्ष्य में पश्चिम बंगाल के लिए 47.63 करोड़ रु० का अनंतिम लक्ष्य शामिल है जिसे बाद में 1982-83 के लिए राज्य के लिए अंतिम रूप से अनुमोदित योजना के भाग के रूप में परिशोधित करके 27.7 करोड़ रु० कर दिया गया था । इसके फलस्वरूप वर्ष 1982-83 के लिए राज्यों की वार्षिक योजनाओं के लिए अतिरिक्त संसाधन जुटाने का सहमत लक्ष्य अब 656 करोड़ रु० है ।

(घ) जी, हां ।

बलात्कार की शिकार औरतों को मुआवजा

559. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल में सरकार ने एक रवैया सा बना लिया है कि पाश्विक बलात्कार तथा शील भंग की अन्य गतिविधियों की शिकारऔरतों को 500 से 1000 रुपये तक की मामूली रकम का मुआवजा दे दिया जाए ; और

(ख) क्या सरकार ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए मुआवजा देने की बजाय और अधिक कड़े उपाय करने की वाँछनीयता पर विचार करेगी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) यह निष्कर्ष निकालने के लिए सरकार के पास कोई विनिर्दिष्ट सूचना अथवा रिपोर्ट नहीं है कि सरकार ने एक रवैया सा बना लिया है कि पाश्विक बलात्कार तथा शील भंग को अन्य गतिविधियों की शिकार औरतों को 500 रुपये से 1000 रुपये की मामूली रकम का मुआवजा दे दिया जाए ।

(ख) भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता तथा साक्ष्य अधिनियम को संशोधित करने के लिए एक विधेयक अर्थात दंड विधि (संशोधन) विधेयक 1980 को लोक सभा में 12.8.1980 को पुरःस्थापित किया जा चुका है जिसमें बलात्कार के अपराध के लिए और अधिक कठोर दंड की व्यवस्था है । विधेयक इस समय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त समिति के विचाराधीन है ।

दिल्ली के पांच सितारा होटलों के काल-गर्ल गिरोह

560. प्रो० अजित कुमार मेहता : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजधानी के पांच सितारा होटलों में धंधा कर रहे एक काल-गर्ल गिरोह का हाल में भंडाफोड़ हुआ था ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ;

(ग) गत दो वर्षों के दोरान ऐसे कितने मामले प्रकाश में आए हैं ; और

(घ) पाँच सितारा होटलों को ऐसे गैर-कानूनी कार्यों में अन्तर्गत तथा इस धंधे में लोगों को प्रोत्साहित करने से रोकने के लिए सरकार द्वारा अब तक सही, सही क्या उपाय करने के बारे में विचार किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) हाल में या पिछले दो वर्षों के दौरान पांच सितारा होटलों में धंधा कर रहे किसी काल गर्ल गिरोह का पता नहीं लगा है ।

(घ) इस संबंध में पुलिस कड़ी निगरानी रख रही है।

पुलिस द्वारा गुमनाम तथा कल्पितनाम शिकायतों पर विचार किए जाने संबंधी आदेश

561. डा० ए० यू० आजमी : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गुमनाम और कल्पितनाम शिकायतों पर विचार करने संबंधी आदेश क्या हैं अ इस विषय पर जारी किए गये सरकारी आदेशों की प्रतियाँ दें ;

(ख) क्या सरकार का विचार उन्हें फिर से दोहराने का है क्योंकि लोगों को गुमना और कल्पितनाम पत्रों के आधार पर प्राधिकारियों द्वारा परेशान किया जा रहा है ; और

(ग) क्या पुलिस प्राधिकारियों को अनुदेश दिए जायेंगे कि वे छोटी मोटी शिकायतों सूचना के आधार पर लोगों को पुलिस स्टेशन में न बुलायें अपितु घटना-स्थल पर जाकर छानबी करें ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) अपराध शिकायतें और अन्य सम्बद्ध आपराधिक मामले मुख्य रूप से राज्य सरकारों, जो भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता में निर्धारित पद्धति के अनुसार विशेष शिकायतों की जांच करने के लिए सक्षम हैं, के क्षेत्राधिकार में आते हैं। जहां तक सरकारी कर्मचारियों का संबंध केन्द्रीय सरकार की नीति किसी गुमनाम तथा कल्पितनाम शिकायतों पर कोई कार्रवाई न करने की है।

(ग) भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए समय समय पर राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए हैं कि पुलिस बल सदैव मानवीय व्यवहार करे और पुलिस ज्यादतियों के कथित मामलों पर जब कभी वे घटित हों गम्भीर रूप से ध्यान दें और सख्ती से निपटाया जाए।

बर्खास्तगी/नौकरी से निकाले जाने/अनिवार्य सेवा-निवृत्ति संबंधी आदेशों का पुनरीक्षण

562. श्री ए० यू० आजमी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1964 के बाद से बनाए गए नियमों में बदलती हुई परिस्थितियों के साथ कोई सम्बद्धता है और क्या बर्खास्तगी/नौकरी से निकालने/अनिवार्य सेवा-निवृत्ति और निलंबन संबंधी आदेशों का पुनरीक्षण महसूस किया गया है और क्या प्राधिकारियों को दी गई विवेकाधीन शक्तियों को लेकर और उनके द्वारा अपनाये जाने वाले व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांतों को निर्धारित करके अब ऐसा करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) क्या निलंबित अधिकारियों को उनका निर्वाह-भत्ता नियमित रूप से समय पर दिया गया है अथवा उसके भुगतान में असाधारण विलम्ब के कुछ मामले सरकार के नोटिस में आए हैं ; और

(ग) क्या इन दिनों निर्वाह के अधिक खर्च को देखते हुए इस निर्वाह भत्ते में पुनरीक्षण करने का कोई प्रस्ताव है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) बर्खास्तगी/नौकरी से हटाए जाने/अनिवार्य सेवा निवृत्ति तथा निलम्बन के बारे में अपनाई जाने वाली क्रियाविधि से संबंधित विस्तृत अनुदेश केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम, 1965 तथा अन्य संगत नियमों में पहले हीं विद्यमान हैं। इन नियमों में दिए गए विभिन्न उपबंधों में जब कभी कोई संशोधन करना आवश्यक समझा जाता है तो इन्हें संशोधित कर दिया जाता है। विद्यमान नियम काफी व्यापक समझे जाते हैं और इसलिए इन्हें संशोधित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) ऐसी कोई केन्द्रीय एजेन्सी नहीं है जो निर्वाह भत्ते के भुगतान में हुई किसी देरी से सम्बन्धित सूचना को समेकित करती हो। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों तथा सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न नियोक्ता प्राधिकारी अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी आदि हैं जो केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम के अधीन विभिन्न वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को निलंबित करते हैं। इस प्रकार न तो इस सूचना को एकत्रित करना संभव है और न ही इसे एकत्रित करने के लिए अपेक्षित प्रयास उससे प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुरूप होंगे। फिर भी, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों के लिए आवश्यक है कि वे निर्वाह भत्ते के शीघ्र भुगतान के संबंध में अनुदेशों का ईमानदारी से पालन करें।

(ग) जी, नहीं।

राज्यों को आवंटित लेवी सीमेंट की मात्रा

563. श्री कृष्ण कुमार गोयल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नियंत्रण हटाने के बाद केन्द्र द्वारा राज्यों को कितना लेवी सीमेंट आवंटित किया गया है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्र ने कोटा घटा दिया है और अब कम सीमेंट सप्लाई कर रहा है जिसके परिणामस्वरूप लोक निर्माण कार्यों और कृषि कार्यों में बाधा पड़ रही है ;

(ग) क्या राज्यों की बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए केन्द्र अधिक लेवी सीमेंट देगा ; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 1982 की अंतिम तीन तिमाहियों में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों को किये गये लेवी सीमेंट के आवंटन दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) सीमेंट के आंशिक विनियंत्रण की योजना के अन्तर्गत लेवी सीमेंट का इकट्ठा आवंटन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को नई नीति के अन्तर्गत केवल पात्र श्रेणियों को ही दिया जाता है। अतः ये आवंटन राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को आंशिक विनियन्त्रण की योजना शुरू की जाने से पूर्व किए जाने वाले आवंटनों से कम होते हैं। किन्तु राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सिंचाई और बिजली के प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए अलग से लेवी सीमेंट के अतिरिक्त आवंटन इन्हें सीधे ही किए जाते हैं इसके साथ ही सीमेंट विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में खुले बाजार में भी उपलब्ध हैं। राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों से आशा की जाती है कि वे अपने नियंत्रणाधीन लेवी सीमेंट के कुल आवंटन में से लोक निर्माण कार्य और कृषि कार्यों के लिए सीमेंट का पर्याप्त आवंटन करें।

(ग) तथा (घ) राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को लेवी सीमेंट के आवंटन में वृद्धि सीमेंट की बढ़ती हुई उपलब्धता पर निर्भर करती है जिसके लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

विवरण

1982 की अंतिम तीन तिमाहियों में राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के प्रशासनों को किए गए लेवी सीमेंट के आवंटन दिखाने वाला विवरण

(हजार मी० टनों में)

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित प्रदेश	लेवी सीमेंट का आवंटन		
		82 की दूसरी तिमाही	82 की तीसरी तिमाही	82 की चौथी तिमाही
1	2	3	4	5
1.	चण्डीगढ़	12.5	17.5	17.5
2.	दिल्ली	51.5	51.5	51.5
3.	हरियाणा	49.7	49.7	49.7
4.	हिमाचल प्रदेश	19.8	19.8	19.8
5.	जम्मू तथा काश्मीर	27.6	27.6	27.6
6.	राजस्थान	60.6	60.6	60.6
7.	उत्तर प्रदेश	242.9	242.9	242.9

1	2	3	4	5
8.	पंजाब	72.4	72.4	72.4
9.	असम	28.8	28.8	28.8
10.	अरुणाचल प्रदेश	13.1	13.1	13.1
11.	बिहार	129.1	129.1	129.1
12.	मेघालय	17.6	17.6	17.6
13.	मिजोरम	6.4	6.4	6.4
14.	मणिपुर	9.2	11.7	11.7
15.	नागालैंड	14.0	14.0	14.0
16.	उड़ीसा	77.8	87.8	57.8
17.	सिक्किम	11.5	11.5	11.5
18.	त्रिपुरा	10.7	10.7	10.7
19.	पश्चिम बंगाल	146.4	146.4	146.4
20.	दादरा नगर हवेली	1.5	1.5	1.5
21.	गोवा, दमन और द्वीव	13.9	13.9	13,9
22.	गुजरात	122.4	122.4	122.4
23.	मध्य प्रदेश	106.3	106.3	106.3
24.	महाराष्ट्र	167.5	167.5	167.5
25.	आंध्र प्रदेश	119.9	119.9	119.9
26.	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	2.4	4.9	4.9
27.	कर्नाटक	78.8	101.7	96.7
28.	केरल	63.4	63.4	63.4
29.	लकादिव	1.1	1.1	1.1
30.	पांडिचेरी	5.8	5.8	5.8
31.	तमिलनाडु	142.3	142.3	142.3

इस्पात के बिना बिके बड़े भंडार

564. श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि जब कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात उद्योग लगभग 450 करोड़ रुपये के इस्पात के भारी भंडार के न बिकने की समस्या का सामना कर रहे हैं, फिर भी इस्पात का जोर शोर से आयात किया जा रहा है ; और

(ख) यदि हाँ, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) 1.9.1982 को "सेल" के कारखानों और स्टाकयार्डों में विक्रेय इस्पात का स्टाक 10.62 लाख टन था। इस स्टाक को बहुत अधिक स्टाक नहीं कहा जा सकता है क्योंकि यह स्टाक मात्र लगभग 2 महीने की बिक्री के बराबर है। विशिष्ट मदों की सुगम उपलब्धि बनाए रखने के लिए उनकी माँग और उपलब्धि के अन्तर को पूरा करने के लिए आयात किया जाता है। इस्पात के उत्पादन, मांग और उपलब्धि की स्थिति पर सतत् नजर रखी जाती है।

देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति

565. श्री चिन्तामणि जेना : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में, विशेषकर पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली में, कानून और व्यवस्था की स्थिति दिन प्रति दिन बिगड़ती जा रही है ; और

(ख) यदि हां, तो समस्याओं को सुलझाने और देश में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुधारने के लिए कौन से विशिष्ट कदम उठाए जा रहे हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) देश में विधि व व्यवस्था की स्थिति सामान्यत: नियंत्रणाधीन है। अलग अलग राज्य सरकारें अपने अपने क्षेत्रों में विधि व व्यवस्था बनाये रखने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। परन्तु केन्द्र सरकार भी स्थिति का मुकाबला करने के लिए, जब आवश्यक होता है, अतिरिक्त बलों की व्यवस्था करके राज्यों की सहायता कर रही है।

मारुति लिमिटेड में पूंजी निवेश

566. श्री चिंतामणि जेना : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मारुति लिमिटेड में कुल कितनी पूंजी का निवेश किया जाएगा ; और

(ख) इस परियोजना का ब्यौरा क्या है, और उसका काम कब तक आरम्भ होने की सम्भावना है और उसमें उत्पादन कब तक आरंभ हो जायेगा।

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) मारुति उद्योग लिमिटेड में कुल निवेश लगभग 269 करोड़ रु० का होगा। कम्पनी का विचार दिसम्बर, 1983 में गाड़ियों का उत्पादन प्रारम्भ करने का है। 1984-85 में 20,000 गाड़ियों का उत्पादन होगा जिसे बढ़ाकर 20,000 गाड़ी प्रतिवर्ष किया जायेगा जिससे 1988-89 में एक वर्ष में 100,000 गाड़ियों का उत्पादन किया जा सके। जिन गाड़ियों का उत्पादन किया जायेगा उनमें यात्री कार, माइक्रो बस और वैन शामिल होगी। मैसर्स सुजुकी के साथ 2 अक्तूबर, 1982 को एक संयुक्त उद्यम करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं और परियोजना पर काम प्रारम्भ हो गया है।

राज्यों में विचाराधीन बन्दियों की मृत्यु

567 डा० वसंत कुमार पंडित : क्या गृह मन्त्री राज्यों में विचाराधीन बंदियों को मृत्यु के बारे में 21 जुलाई, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 188 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों ने वर्ष 1980, 1981 और 1982 (सितम्बर, 1982 तक) विभिन्न जेलों में मरने वाले विचाराधीन बंदियों की सूची केन्द्र को भेज दी है ;

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के कारण क्या हैं और इस पर राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या कुछ जेलों में आखें फोड़ने, गर्म लोहे से दागने, पागल करने, क्रूरता, आत्म हत्या करने की कुछ घटनायें केन्द्र सरकार के ध्यान में लाई गई है ;

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों से रिपोर्ट मांगी है ; और

(ङ) जेल प्रशासन, बन्दियों, विचाराधीन बंदियों और नजरबन्द व्यक्तियों के रखे जाने और उनसे व्यवहार सम्बन्धी नियमों में एकरूपता लाने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) वर्ष 1981 तथा 1982 (मई के महीने तक) के लिए सूचना सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रशासनों से 21 जुलाई, 1982 के तारांकित प्रश्न संख्या 188 के संदर्भ मे एकत्र की जानी थी। वर्ष 1981 से संबंधित सूचना सभी राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों से प्राप्त हो चुकी है। वर्ष 1982 के लिए सूचना जून/जुलाई 1982 तक 17 राज्यों तथा सभी संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त

हो चुकी है। लेकिन इस किस्म की आवधिक सूचना केन्द्रीय सरकार द्वारा नियमित आधार पर एकत्र नहीं की जाती है।

जेल राज्य का विषय है और राज्य सरकारों के विरुद्ध कोई कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी हाँ, श्रीमान।

(घ) अंधे करने के मामलों के बारे में बिहार सरकार से रिपोर्ट मांगी गई थी और विशिष्ट शिकायतों पर भी रिपोर्ट मांगी जाती है।

(ङ) 1959 में अखिल भारतीय जेल नियमावली समिति द्वारा तैयार की गई आदर्श जेल नियमावली का उद्देश्य अन्य बातों में किशोर तथा व्यस्क अपराधियों की देखभाल, कल्याण, अनुशासन, प्रशिक्षण तथा व्यवहार से संबंधित मामलों में सामान्य तथा स्पष्ट एकरूपता लाना है। भारत सरकार द्वारा गठित जेल सुधार समिति देश में जेल सुधारों के लिए कारगर नीति तैयार करने के बिचार से जेल प्रशासन तथा संबंद्ध मामलों के विभिन्न पहलुओं को व्यापक रूप से भी जांच कर रही है।

राज्य जेल नियमावलियों की पुनरीक्षा

568. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कैदियों को रखने के सम्बन्ध में देश में राज्य सरकारों और सघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को अपनी जेल नियमावलियाँ और नियम तथा विनियम हैं ;

(ख) क्या सरकार इस बात से सहमत है कि उनको अधिकाँश राज्य जेल नियमावलियाँ पुरानी हो चुकी हैं और वे ब्रिटिश शासकों द्वारा तैयार की गई पुरानी जेल नियमावलियों पर आधारित हैं ;

(ग) यदि हां, क्या सरकार ने सभी राज्यों के लिए एक आदेश जेल नियमावली बना कर सभी जेल नियमावलियों और जेल नियमों और विनियमों में सुधार करने के लिए कार्यवाही आरम्भ की है ; और

(ख) कैदियों अथवा नजर बन्द व्यक्तियों को रखने और प्रशासन और जेल से सम्बद्ध मामलों के सम्बन्ध में सभी राज्यों में एकरूपता लाने के बारे में सरकार की नीति क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) सिक्किम के अतिरिक्त सभी राज्यों की अपनी जेल नियमावलियां हैं। सिक्किम इस समय 1957 में भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई अखिल भारतीय जेल नियमावली समिति द्वारा तैयार की गई आदर्श जेल नियमावली के उपबन्धों का अनुसारण कर रहा है। संघ शासित क्षेत्रों में केवल

अंडेमान तथा निकोबार और पांडिचेरी के अपने जेल नियम हैं जो अधिकांश आदर्श जेल नियमावली के उपबन्धों की रूपरेखा पर हैं, चंडीगढ़ और दिल्ली पंजाब जेल नियमावली का अनुसरण करते हैं, दादर तथा नगर हवेली ने महाराष्ट्र की उप-जेल नियमावली को स्वीकार कर लिया है और मिजोरम असम जेल नियमावली का अनुसरण करता है अरुणाचल प्रदेश जिसमें कोई जेल नहीं है और लक्षद्वीप जिसमें तीन छोटी उप-जेलें हैं जिनमें वर्ष के अधिकांश भाग में कोई कैद नहीं होता, की कोई जल नियमावली नहीं है।

2. इस दृष्टि से कि राज्य अपनी जेल नियमावलियां संशोधित कर सकें, भारत सरकार ने 1957 में अखिल भारतीय जेल नियमावली समिति नियुक्त की थी जिसने एक आदर्श जेल नियमावली तैयार की थी। आदर्श जेंल नियमावली में अन्य बातों के अतिरिक्त देख-भाल कल्याण अनुशासन तथा प्रशिक्षण से संबंधित मामलों में सामान्य तथा विस्तृत एकरूपता लाभ, बाल और व्यस्क अपराधियों के सुधार तथा कानून प्रर्वतन एजेंसियों और सुधारात्मक सेवाओं के बीच अपेक्षित अंश तक समन्वय को लक्षित किया गया है। आदर्श जेल नियमावली को सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को अपनी जेल नियमावलियों को संशोधित करने के प्रयोजन के लिए मार्गदर्शी सिद्धांतों के रूप में अपनाने के लिए भेजा गया है इस समय, भारत सरकार द्वारा नियुक्त की गई जेल सुधार समिति जेल प्रशासन और संबंधित मामलों के सभी पहलुओं को विस्तार पूर्वक जांच कर रही है।

अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की अवर सचिव के रूप में पदोन्नति

569. श्री एन० ई० होरो : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1980-81 और 1981-82 के दौरान केन्द्रीय सरकार के विभागों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के कितने अधिकारियों को अवर-सचिवों के रूप में पदोन्नत किया गया है ; और

(ख) ऐसे कितने अवर-सचिवों की अब तक नियुक्ति नहीं हुई है तथा उनकी नियुक्ति में हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) कृपया संलग्न विवरण देखें। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के ऐसे अधिकारियों की अवर सचिव के पद पर दीर्घावधि की नियुक्तियां किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिन्हें केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ग्रेड-1 की प्रवर सूची में आने के बाद सम्बन्धित मंत्रालयों/विभागों द्वारा अभी तक ऐसे पदों पर खपाया नहीं गया है।

विवरण

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों में अवर सचिव पद पर पदोन्नति के लिए केन्द्रीय सचिवालय सेवा की ग्रेड-1 की प्रवर सूची में सम्मिलित किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों की संख्या को दर्शाने वाला विवरण :

वर्ष के लिए प्रवर सूची	प्रवर सूची जारी करने की तारीख	प्रवर सूची में सम्मिलित किए गए अधिकारी		अवर सचिव के पद पर दीर्घावधि की तैनाती के लिए अनुमोदित अधिकारियों की संख्या		ऐसे अधिकारियों की संख्या जिन्हें अभी तक अवर सचिव के पदों पर दीर्घावधि की नियुक्ति के लिए अनुमोदित किया जाना है	
		अन. जा.	अनु. ज. जा.	अनु. जा.	अनु. ज. जा.	अनु. जा.	अनु. ज. जा.
1979	I) 27.6.1980	12	—	12	—	--	—
	II) 7.9.1982	14	8	—	—	14	8
1980	I) 22.12.1980	22	—	21	—	1	—
	II) 7.9.1982	@ 11	—	—	—	11	—
1981	12.1.1982	19	2	6	—	11	2

अभ्युक्ति

1. @ इसमें एक ऐसे अधिकारी का नाम भी सम्मिलित किया गया है, जिसका नाम दिनांक 12. 1. 1982 को जारी की गई वर्ष 1981 की प्रवर सूची में दिखाया गया है।

2. वर्ष 1981 की प्रवर सूची में सम्मिलित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 21 अधिकारियों में से अनुसूचित जाति के दो अधिकारी पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए धन-राशियों की आवश्यकता

570. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए 1982-83 तक कितनी राशियों की आवश्यकता है; और

(ख) उपरोक्त परियोजना पर छठी योजना के दौरान व्यय के अनुमान क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) 31-3-1982 तक विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना पर 217.02 करोड़ रुपये खर्च हो चुके थे। वर्ष 1982-83 के बजट अनुमानों में इस परियोना के लिए 250 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। कार्य की वास्तविक प्रगति को ध्यान में रखते हुए वर्ष 1982-83 के लिए संशोधित अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।

(ख) छठी पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना के लिए 1050 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। धन की वास्तविक आवश्यकता कार्य की प्रगति पर निर्भर करेगी।

विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए येलेरू जल प्रदाय योजना

571. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशाखापत्तनम इस्पात संयंत्र के लिए येलेरू जल प्रदाय योजना की लागत क्या है;

(ख) सरकार द्वारा इस कार्य के लिए चालू वर्ष में कितनी धनराशि की व्यवस्था की गई है; और

(ग) इसको कब तक पूर्ण किए जाने की सम्भावना है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) येलेरू जल आपूर्ति योजना आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। इस परियोजना की कुल लागत 147.02 करोड़ रुपये आंकी गई है जिसमें से 107.36 करोड़ रुपये विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने की परिचालन सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रतिदिन 73 मिलियन गैलन जल की आपूर्ति करने के लिए सुविधाएं लगाने पर खर्च आने का अनुमान है।

(ख) वर्ष 1982-83 के लिए 13 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ग) इस योजना का उद्देश्य विशाखापत्तनम इस्पात कारखाने की आवश्यकताओं की पूर्ति करना है। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार यह योजना अक्तूबर, 1984 तक पूरी हो जाएगी।

मन्डल आयोग की रिपोर्ट

572. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी :

श्री ए० नीलालोहिथादसन नाडार : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मंडल आयोग की रिपोर्ट पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो वे प्रमुख सिफाशिें कौन सी हैं जिन पर सरकार ने विचार किया है और इन सिफारिशों को कब तक क्रियान्वित किया जाएगा ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) स्व०बी०पी० मंडल की अध्यक्षता में द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट और रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई का ज्ञापन, जिसमें अन्य बातों के साथ यह कहा गया है कि केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों के विचार प्राप्त करने के लिए रिपोर्ट उनको भेजी है, 30-4-82 को संसद के दोनों सदनों पर रख दिए गए थे। उनके विचार मिलने के बाद केन्द्र सरकार पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में निहित विभिन्न सिफारिशों पर अपने विचारों का प्रतिपादन करने की दृष्टि से उन पर आगे विचार करेगी।

आसूचना ब्यूरो के कर्मचारियों को परेशान किया जाना

573. श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसूचना ब्यूरों के कर्मचारी संगठन के सदस्यों को निरन्तर परेशान किया जा रहा है जैसा कि इंडियन एक्सप्रेस में दिनांक 2 सितम्बर, 1982 में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार कार्मिक समस्याओं को हल करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र आदि सहित सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए प्रत्येक विभाग/मंत्रालय में तत्काल एक प्रकासकीय ट्रिब्यूनल का गठन करने का है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) यह कहना सही नहीं है कि तथाकथित आसूचना ब्यूरो कर्मचारी संगठन (मान्यता प्राप्त नहीं) से सम्बन्धित आसूचना ब्यूरों के कर्मचारियों को लगातार परेशान किया जा रहा है।

(ग) सरकार रक्षा तथा अर्धसैनिक बलों के सदस्यों के अतिरिक्त सभी केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के सेवा सम्बन्धी मामलों को निपटाने के लिए केन्द्र में एक प्रशासनिक ट्रिब्यूनल स्थापित करने के लिए एक प्रस्ताव पर विचार कर रही है। प्रस्ताव के ब्योरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। प्रत्येक विभाग/मंत्रालय के लिए अलग अलग प्रशासनिक ट्रिब्यूनल स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

सरकारी विभागों में जांच के मामलों में तेजी से न्याय देने के विचार से ट्रिब्यूनलों का गठन किया जाना

574. श्री हरीश कुमार गंगवार : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने निलम्बन/विभागीय जांच/केन्द्रीय सतर्कता आयोग के विभिन्न लम्बित मामलों में तेजी से न्याय देने की दृष्टि से सभी वर्गों के कर्मचारियों के लिए प्रशासकीय ट्रिब्यूनलों का गठन करने की घोषणा की थी ;

(ख) यदि हां, तो ट्रिब्यूनलों की स्थापना में विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) अधीनस्थ कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र, आदि सहित सरकार के विभिन्न विभागों में 31 दिसम्बर, 1981 के दिन (उपरोक्त भाग "क" के अन्तर्गत आने वाले) विभिन्न मामलों की संख्या कितनी थी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी• वेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) प्रशासनिक ट्रिब्यूनलों के गठन किए जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर सरकार अभी सक्रिय रूप से विचार कर रही है। प्रस्तावित ट्रिब्यूनलों के ब्यौरों को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है।

(ग) यह विभाग न तो ऐसी सूचना मानीटर करता है और न ही अपेक्षित सूचना को केन्द्रीय रूप से एकत्रित करता है। अतः यह सूचना देना इस विभाग के लिए सम्भव नहीं है।

बम्बई में पुलिस आन्दोलन में अन्तर्ग्रस्त विदेशी एजेन्सियां

575. श्री कृष्ण चन्द्र पांडे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई में पिछले अगस्त 1982 में हुए पुलिस आन्दोलन में किसी विदेशी एजेंसी का हाथ था ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा पुलिस आन्दोलन के पीछे उन विदेशी एजेंसियों और लोगों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सरकार के पास इस आशय की कोई विशिष्ट सूचना या रिपोर्ट नहीं है कि अगस्त, 1982 में बम्बई में हुए पुलिस आन्दोलन के पीछे किसी विदेशी एजेंसी का हाथ है और इस प्रकार इस संबंध में किसी विदेशी एजेंसी के विरुद्ध कार्रवाई करने का प्रश्न नहीं उठता है। अगस्त, 1982 के दौरान महाराष्ट्र में हुए पुलिस आन्दोलन के सम्बन्ध में, 154 पुलिस कार्मिकों को बरखास्त किया गया और 66 पुलिस कार्मिकों को सेवा मुक्त किया गया।

उत्तर प्रदेश में उद्योगों की स्थापना करना

576. **श्री कृष्ण चंद्र पांडेय** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र द्वारा 1982-83 में उत्तर प्रदेश में कौन-कौन से उद्योग स्थापित किए जायेंगे और उन उद्योगों की स्थापना किन जिलों में की जानी है ; और

(ख) क्या इस बारे में पूर्ण ब्यौरे सभा पटल पर रखे जायेंगे ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) 1983-84 के लिए वार्षिक योजना अभी तैयार की जानी है और इस प्रकार उत्तर प्रदेश राज्य सहित देश में औद्योगिक विकास कार्यक्रम को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है। तथापि छठी पंचवर्षीय योजना (1980-85) के कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश राज्य में केन्द्रीय क्षेत्र में निम्नलिखित उद्योगों की स्थापना करने/विस्तार करने की व्यवस्था है :—

1. भारत एम्प्स एण्ड कम्प्रेसर्स लिमिटेड, इलाहाबाद।
2. स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, लखनऊ।
3. त्रिवेणी स्ट्रक्चरल्स लिमिटेड, इलाहाबाद।
4. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, हरिद्वार।
5. ट्रांसफार्मर फैक्टरी, बी० एच० ई० एस०, झांसी।
6. मथुरा रिफाइनरी।
7. सैन्ट्रल इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड, गाजियाबाद।
8. इंडियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज।
9. एरोमैटिक रिकवरी प्लांट, जिला अलीगढ़।
10. फर्टलाइजर्स प्लांटस।

11. पायराइट फास्फेट्स एण्ड केमिकल्स लिमिटेड, मसूरी ।

12. इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड, ऋषिकेष ।

13. प्रोजेक्ट फार एक्सट्रेक्शन आफ अलकलायड, गाजीपुर ।

14. भारत लैदर कारपोरेशन ।

लौह अयस्क पर स्वामित्व को बढ़ाने के लिए राज्यों द्वारा अभ्यावेदन

577. **श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या लौह अयस्क का उत्पादन करने वाले कुछ राज्यों ने उनके मंत्रालय को अभ्यावेदन दिए हैं। कि लौह अयस्क पर स्वामित्व में वृद्धि की जाए ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं ;

(ग) क्या स्वामित्व में वृद्धि के उनके अनुरोध पर विचार कर लिया गया है ;

(घ) यदि हां, तो बढ़ी हुई दर किस तारीख से प्रवृत्त हुई है ; और

(ङ) तत्संबंधी ब्यौरे क्या हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ङ) लौह अयस्क पर रायल्टी दरें गत वार 12-6-1978 को संशोधित की गई थी। खान और खनिज (विनियमन और विकास) अधिनियम, 1957 की धारा 9 (3) के अनुसार किसी भी खनिज पर रायल्टी दरों को 4 वर्ष में एक बार से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। रायल्टी दरों में सामाजिक संशोधन पर विचार करने हेतु सभी लौह अयस्क उत्पादक राज्यों से जनवरी, 1982 में टीकाएं मंगाई गई थी। लौह अयस्क पर रायल्टी दरों के संशोधन के प्रश्न पर उड़ीसा, बिहार, महाराष्ट्र, गोवा तथा आन्ध्रप्रदेश राज्य सरकारों, इस्पात विभाग, वाणिज्य मंत्रालय तथा भारतीय खनिज उद्योग संघ (फीमी) से प्राप्त टीकाओं के आलोक में कार्रवाई की जा रही है ।

महाराष्ट्र में पुलिस आन्दोलन में सेना/सीमा सुरक्षा बल जवानों का प्रभावित होना

578. **श्री रतन सिंह राजदा : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या हाल ही में महाराष्ट्र में पुलिस आंन्दोलन में सेना अथवा सीमा सुरक्षा बल का कोई जवान हिंसा का शिकार हुआ था ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

लघु उद्योगों के लिए कच्चे माल की कमी

579. **श्री मोहन लाल पटेल :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लघु उद्योगों को कच्चे माल की पर्याप्त आपूर्ति नहीं हो रही है और इसके फलस्वरूप उन्हें परेशानी हो रही है और अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है जैसा कि अगस्त के महीने में दिल्ली में हुई अखिल भारतीय लघु उद्योग बोर्ड की दो दिवसीय बैठक में उल्लेख किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) लघु उद्योग बोर्ड की बैठक में कुछ कमी वाली वस्तुओं विशेष रूप से कच्चे लोहे तथा कोयले की वितरण व्यवस्था का उल्लेख किया गया था । यद्यपि इन वस्तुओं की समग्रतः संभरण स्थिति प्रायः संतोष जनक है, तो भी सदस्यों ने यह महसूस किया कि वितरण व्यवस्था में सुधार किए जाने की आवश्यकता है । यह महसूस किया गया था कि राज्य उद्योग निगमों के वित्तीय आधार को सुदृढ़ बनाए जाने की आवश्यकता है ताकि वे कच्चे माल के पर्याप्त भंडार रख सकें । एक सुझाव इस बारे में भी दिया गया था कि औद्योगिक एककों को राज्य निगमों से या भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के स्टाकयार्ड से खरीदने का विकल्प दिया जाना चाहिए । यह भी सुझाव दिया गया था कि चूंकि आयातित कच्चे लौहे के लिए कुल मिलाकर काफी इकट्ठी राशि की आवश्यकता होती है अतः इसका आबंटन बड़े एककों को कर देना चाहिए तथा स्वदेशी उत्पादन को लघु एककों के लिए सुरक्षित कर देना चाहिए । एस० ए० आई० एल० के प्राधिकारियों ने बैठक में लघु एककों के लिए लाभ के लिए स्टाक यार्ड की सुविधाएं प्रदान किए जाने की व्यवस्था के बारे में बताया ।

(ख) सामान्यतः कच्चे माल की उपलब्धता पर निगाह रखी जाती है । भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड द्वारा स्टाकयार्ड सुविधाएं प्रदान किए जाने के तथा राज्य के निगमों को खेप के आधार पर स्टाक उपलब्ध करवाने के अभ्युपाय किए जा रहे हैं । निगम इस प्रयोजना के लिए पर्याप्त सुविधाएं जुटाने में समर्थ हो सकते हैं ।

हरिजनों पर अत्याचारों के बारे में राज्यों में पुलिस स्टेशनों पर दर्ज मामले

580. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में विभिन्न राज्यों के विभिन्न पुलिस स्टेशनों पर हरिजनों पर अत्याचारों के संबंध में दर्ज कराए गये मामलों के राज्य-वार ब्यौरे क्या हैं ;

(ख) इस बारे में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ; और

(ग) कितने व्यक्तियों का अभी भी न्यायालयों में चालान किया जाना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) 1980 और 1981 के दौरान भारतीय दंड संहिता के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों के प्रति अत्याचारों की कुल संख्या जैसा कि राज्य सरकारों संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों द्वारा सूचित की गई है, विवरण में राज्यवार दी गई है। अतिरिक्त विवरण उपलब्ध नहीं है।

विवरण

क्रम सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	1980	1981
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	152	206
2.	असम	शून्य	शून्य
3.	बिहार	1890	1983
4.	गुजरात	498	654
5.	हिमाचल प्रदेश	68	69
6.	हरियाणा	78	74
7.	जम्मू और काश्मीर	120	124
8.	कर्नाटक	377	397
9.	केरल	478	260
10.	मध्य प्रदेश	3877	4033
11.	महाराष्ट्र	518	695
12.	उड़ीसा	80	80
13.	पंजाब	79	51

1	2	3	4
14.	राजस्थान	1180	1562
15.	तमिलनाडु	140	199
16.	त्रिपुरा	—	16
17.	उत्तर प्रदेश	4279	3865
18.	पश्चिम बंगाल	33	23
19.	दिल्ली	3	6
20.	गोवा, दमन व दीव	शून्य	1
21.	पांडिचेरी	16	8
22.	दादरा और नगर हवेली	शून्य	शून्य
	जोड़ :	13866	14308

राज्यों में अनुसूचित जातीय/अनुसूचित जनजातीय कान्सटेबलों/सब इंस्पैक्टरों की भर्ती

581. **श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र में पिछले तीन वर्षों में अनुसूचित जनजातियों के कितने व्यक्तियों को कान्सटेबलों, हैड कान्सटेबलों तथा सब-इन्सपेक्टरों के रूप में तथा भारतीय पुलिस सेवा में ऊंचे पदों पर नियुक्त किया गया ; और

(ख) क्या अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी पद सभी राज्यों में भर लिए गए हैं और यदि नहीं, तो ये कब तक भरे जायेंगे ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

(ख) राज्य पुलिस बलों समेत राज्य सेवाओं के लिए भर्ती राज्य सरकारों द्वारा की जाती है । राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करेंगी कि अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित नियुक्तियां भरी जाएं ।

सीमेंट की क्षमता संस्थापित, उत्पादन और आयात

582. **श्री अमल दत्ता :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977.78 से आज तक, वर्ष-वार, सीमेंट की संस्थापित क्षमता, उत्पादन और आयात कितना है ;

(ख) सीमैंट का देश में उत्पादन बढ़ाने और आयात समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और इनसे कितनी सफलता मिली हैं ; और

(ग) सीमेंट के निर्यात में घाटे से बचने, विश्व बाजार की विद्यमान दर पर अदायगी करने के लिए क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क)

वर्ष	अधिष्ठापित क्षमता	उत्पादन (दस लाख टन)	आयात
1977-78	22.00	19.41	0.312
1978-79	22.77	19.42	1.655
1979-80	24.29	17.62	1.547
1980-81	26.99	18.56	1.974
1981-82	29.25	21.06	1.598

(ख) देश में पिछले तीन वर्षों के दौरान सीमेंट के उत्पादन में वृद्धि की प्रवृत्ति दर्शायी है। फिर भी विद्यमान क्षमता के बेहतर उपयोग और अतिरिक्त क्षमता स्वीकृत करके देश में सीमेंट के उत्पादन में आगे और वृद्धि करने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है। 28.2.82 से सीमेट के आंशिक विनियंत्रण की योजना के चालू होने के पश्चात् सरकार द्वारा सीमेंट के आयात को समाप्त कर दिया गया है।

(ग) आयात और निर्यात नीति, 1982-83 के अनुसार राज्य व्यापार निगम और प्रत्येक राज्य सरकार/संघ प्रशासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा निर्दिष्ट किसी एक सरकारी क्षेत्र के प्राधिकरण द्वारा सीमेंट के आयात का प्रबन्ध किया जाता है। वास्तविक उपभोक्ताओं द्वारा सीमेंट का सीधे ही आयात करने की अनुमति नहीं दी जाती है। प्राधिकरणों के निर्दिष्ट किए जाने से सीमेंट के आयात में कदाचार से संरक्षण प्रत्याशित है।

इन्सैट-1 बी० के लिए तैयारी

583. प्रो० रूप चन्द पाल :

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि क्या वर्ष 1983 में "इंसैट-1 बी०" को छोड़ने के लिए कोई तैयारी की जा रही है ?

विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : द्वितीय इन्सैट-1 उपग्रह, इन्सेट-1 बी० इस समय निर्माण के अग्रिम चरण में है। इन्सैट-1 ए० की विफलता की समीक्षा शीघ्र से शीघ्र पूरी करने के लिए कार्यवाही की जा रही है, ताकि इन्सैट-1 ए० की विसंगतियों/असफलताओं/कार्य-निष्पादन के प्रकाश में इन्सैट-1 बी० में किए जाने वाले जरूरी परिवर्तन और/अथवा सुधारों का निर्धारण किया जा सके। जैसे ही इन्सैट-1 ए० विफलता की समीक्षा, जिसके अक्तूबर, 1982 के अन्त तक पूरा होने की संभावना है, पूरी होगी, इन्सैट-1 बी. की उपलब्धता और प्रमोचन की समय-अनुसूची का पुनः निर्धारण किया जाएगा। इन्सैट-1 ए० अंतरिक्षयान में नोट की गई विसंगतियों को दूर करने के लिए आवश्यक परिवर्तनों/सुधारों के लिए उपयुक्त कार्यवाही के अनुरूप इन्सैट प्रणाली की प्रचालन क्षमता की पुनः स्थापना के लिए इन्सैट-1 बी० को यथासम्भव शीघ्र छोड़ने के लिए कार्यवाही की जाएगी।

गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की गणना का मानदण्ड

584. डा० कृपा सिंधु भोई :

श्री सुधीर कुमार गिरि : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की गणना के लिए योजना आयोग द्वारा क्या नया मानदंड अपनाया गया है ;

(ख) ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो गत तीन वर्षों के दौरान वर्ष-वार गरीबी की रेखा के नीचे रहते आए हैं ;

(ग) छठी योजना के दौरान गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की संख्या कम करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए ; और

(घ) गरीबी के क्षेत्रीय अन्तर और पिछड़ेपन को पूरा करने तथा आम लोगों का जीवन-यापन का स्तर बढ़ाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) योजना आयोग द्वारा अपनाए गए मापदंड वे ही हैं जो छठी योजना में दिए गए हैं। इनमें उन व्यक्तियों को गरीब के रूप में परिमाणित किया गया है जिनका प्रति व्यक्ति उपयोग व्यय मासिक प्रति व्यक्ति व्यय के मध्य बिन्दु के नीचे

है जो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी ग्रहण और शहरी क्षेत्रों में प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन 2100 कैलोरी ग्रहण के समान है। इस प्रकार इस प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय को गरीबी का स्तर माना जाता है।

(ख) वर्ष 1977-78 वह अद्यतन वर्ष है जिसके संबंध में सूचना उपलब्ध है, उसमें गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या ग्रामीण क्षेत्रों में 2516.60 लाख और शहरी क्षेत्रों में 511 लाख होने का अनुमान है।

(ग) छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करने और अन्य संबद्ध कार्यक्रमों के जरिए गरीबी के स्तर से नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कम करके 2161.60 लाख कर देने का प्रयत्न किया गया है।

(घ) छठी पंचवर्षीय योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य विकास की गति में क्षेत्रीय असमानताओं को उत्तरोत्तर कम करना तथा शिल्पवैज्ञानिक लाभों को वितरित करना है। यह कई तरह से किया जाना है जिसमें से अधिक महत्वपूर्ण ये हैं :

1. पिछड़ेपन को संसाधन अंतरण में एक उपदान के रूप में माना गया है। वर्ष 1979 में लागू किए गए आय समायोजित कुल जनसंख्या फार्मूला में और राज्य योजनाओं के लिए केन्द्रीय सहायता के आवंटन के लिए गाडगिल फार्मूले में पिछड़े राज्यों के भाग को दुगना करने से हाल के वर्षों में पिछड़े राज्यों के पक्ष में संसाधनों के वितरण में आशोधन करने के लिए किए गए प्रयत्न का पता लगता है।

2. पिछड़े क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। इस प्रकार क्षेत्रीय असमानताओं की समस्याओं के लिए एकीकृत नीति उपलब्ध कराने के लिए क्षेत्रीय योजना की व्यवस्था अपनाई गई है और उस योजना नीति को बढ़ावा दिया गया है। विशेष जनजातीय संघटक योजना, पहाड़ी क्षेत्र स्कीमें और उत्तर-पूर्वी परिषद् द्वारा किए गए विशिष्ट कार्यक्रम—ये सभी इन्हीं दृष्टिकोणों से तैयार किए गए हैं। छठी पंचवर्षीय योजना में इन सभी पर अधिक बल दिया गया है।

3. केन्द्रीय नीतियाँ भी रियायती वित्त की स्कीम, बीच/उपाँत राशि स्कीम, केन्द्रीय निवेश राज्य सहायता स्कीमों, कर राहत, विशिष्ट व्याज राज सहायता, आदि के जरिए निजी उद्यमियों को प्रोत्साहन देने के लिए केन्द्रीय नीतियाँ तैयार की गई हैं।

महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकना

586. डा० कृपा सिंधु भोई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महिलाओं के प्रति अपराधों को रोकने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या प्रयास किए गए हैं ;

(ख) इस मामले पर विज्ञापनों, वृत चित्रों तथा चर्चाओं का क्या प्रभाव पड़ा है और जनमत को बदलने में ये कहां तक सहायक सिद्ध हुए हैं ; और

(ग) कानूनों को और कड़ा बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है और क्या इन अपराधों को पूर्णतः समाप्त कर देने के लिए कोई व्यापक योजना तैयार की गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

1. आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, जो इस समय संसद के दोनों सदनों के सदस्यों की संयुक्त समिति के विचाराधीन है, में ऐसे उपायों की परिकल्पना है जिसमें बलात्कार का अपराध करने के विरुद्ध कठोर दण्ड और इसके शिकार व्यक्तियों के संरक्षण की व्यवस्था होगी ।

2. सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों (जम्मू व कश्मीर और सिक्किम को छोड़कर) 13.8.82 को विस्तृत अनुदेश जारी किए गए हैं कि युवा महिलाओं के विवाह के पहले दस वर्षों के दौरान उनके हत्या के प्रयास अथवा संदेहास्पद परिस्थितियों में मौतों के सभी मामलों को गहराई से जांच पड़ताल की जानी चाहिए । चूंकि दहेज निषेध अधिनियम के वर्तमान उपबन्ध कारगर सिद्ध नहीं हुए हैं, इसलिए वर्तमान दहेज निषेध अधिनियम में संशोधन संसद की एक संयुक्त समिति के विचाराधीन है ।

3. महिलाओं के प्रति अत्याचार की घटनाओं में पुलिस के अन्तर्ग्रस्त होने के भी आरोप लगाये गये हैं । पुलिस के विरुद्ध सरकार के ध्यान में लाई गई गम्भीर शिकायतों की तुरन्त जांच की जाती है । चूंकि लोक व्यवस्था और पुलिस राज्यों का संवैधानिक उत्तरदायित्व है, इसलिए राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि पुलिस द्वारा महिलाओं के प्रति तथाकथित अत्याचारों की शिकायतों की तुरन्त जांच की जाये और दोषी व्यक्तियों को कम से कम सम्भव समय में दण्ड दिया जाये ताकि विश्वास की भावना पैदा की जा सके ।

4. केन्द्रीय सरकार आचरण नियमों में यह व्यवस्था करने के किए संशोधन किया गया है कि कोई सरकारी कर्मचारी न तो दहेज देगा और न लेगा और न दहेज देने अथवा लेने के लिए उकसायेगा और न कोई ऐसे दहेज की मांग करेगा। कई राज्य सरकारों ने भी अपनी राज्य सरकारों के कर्मचारियों से सम्बन्धित आचरण नियमों में इसी प्रकार के संशोधन किये हैं।

5. दहेज स्वीकार न करने के लिए सामाजिक चेतना उत्पन्न करने में स्वयंसेवी संगठनों को महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने के लिए शामिल किया जा रहा है।

6. राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों, केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड और राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्डों से अनुरोध किया गया है कि इस बुराई के प्रति जनता के मन में मनोवृत्ति परिवर्तन लाने के लिए दहेज-विरोधी अभियान चलाये।

7. सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी/दूरदर्शन के माध्यम से दहेज के विरुद्ध संदेश देता रहा है और सतत अभियान चलाता रहा है। श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय को भी इसमें शामिल किया जा रहा है।

इलेक्ट्रानिक एककों की उत्पादक क्षमता

587. **श्री भोगेण्द्र झा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :**

(क) देश में हमारे सरकारी और गैर-सरकारी इलेक्ट्रानिक एककों की वर्तमान उपलब्ध की जा सकने वाली वार्षिक क्षमता क्या है और इसका किस सीमा तक पूरा उपयोग किया जा रहा है ;

(ख) क्या टेलीविजन, रेडियो और अन्य वस्तुओं, जो देश में उत्पादित की जा सकती हैं, के आयात की अनुमति दी जा रही है जिससे हमारे स्वयं के एककों को क्रयादेश नहीं मिल रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और तत्संबंधी ब्योरा क्या है और इस बारे में आत्मनिर्भरता के मामले में जटिलतायें क्या हैं ?

इलेक्ट्रॉनिकी विभाग में उपमन्त्री (श्री एम. एस. संजीव राव) : (क) प्रयोजन मूलक दृष्टि से इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग के अंतर्गत प्रणालियों से लेकर उपस्कर, संघटक-पुर्जे तथा सामग्रियां समाविष्ट हैं और अन्य-उपयोग की दृष्टि से इसके अंतर्गत उपभोक्ता, औद्योगिक, संचार, कंप्यूटर जैसे त्यधिक विविध प्रकार के उत्पाद आते हैं। इसके अतिरिक्त उपस्करों के उत्पादन की प्रक्रिया में लत: संयोजन, संघटन और परीक्षण कार्य अंतर्निहित होता है तथा जिसमें काफी अधिक श्रम

लगाना होता है जबकि संघक-पुर्जों के उत्पादन में पूंजीगत उपस्करों पर प्रक्रियाओं का प्रचालन-कार्य अन्तर्निहित होता है और इसमें श्रम अपेक्षाकृत कम लगाना होता है। इसके अतिरिक्त, इलेक्ट्रानिक प्रणाली के स्तर पर प्रणाली-इन्जीनियरी की मात्रा और यन्त्रेतर-सामग्री (सॉफवेयर) के उत्पादन की मात्रा उत्तरोत्तर अधिक होती है। इन अनेक कारणों से इलेक्ट्रॉनिक उद्योग में 'उत्पादन क्षमता' परिभाषित कर पाना काफी कठिन कार्य है।

(ख) जी, नहीं। दूरदर्शन सेटों, रेडियो और अन्य उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के आयात के लिए कोई आम प्रावधान नहीं है। तथापि इनमें से कुछ वस्तुओं का आयात असबाब-नियमावली तथा उपहार-याजना के अंतर्गत किया जा सकता है।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

अनुसूचित जातियों के प्रति अपराधों के प्रवण क्षेत्र

588. **श्री के० राममूर्ति : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) सम्बद्ध राज्यों द्वारा ऐसे कौन कौन से जिले तथा क्षेत्रों का पता लगाया है जो अनुसूचित जातियों के लोगों के प्रति अत्याचारों के अधिक प्रवण है ताकि उनके द्वारा अपने पत्रों दिनांक 10 मार्च, 1980 तथा 6 सितम्बर 1980 में दिए गए दिशा निर्देशों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा सके ; और

(ख) राज्यों द्वारा इन जिलों एवं क्षेत्रों में आसूचना एकत्र करने वाले तन्त्र को सुधारने हेतु क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) केन्द्रीय गृह मंत्री के तारीख 10 मार्च, 1980 के अर्ध शासकीय पत्र में राज्यों से उन क्षेत्रों का पता लगाने के लिए कहा गया था जो अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों के लिए अधिक प्रवण हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री के तारीख 6 सितम्बर, 1980 के अर्धशासकीय पत्र में राज्य सरकारों को यह सुझाव दिया गया था कि प्रत्येक संवेदनशील जिलों में निम्नलिखित पदों में से कम से कम एक पद पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का अधिकारी होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए जिला मजिस्ट्रेट पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक उप मंडलीय मजिस्ट्रेट और उप मंडलीय पुलिस अधिकारी के पद चुने गए हैं। राज्य सरकारों से प्राप्त उत्तरों से पता चलता है कि इस दिशा में आवश्यक कार्य कर रहे हैं।

आदिवासी क्षेत्रों को उप योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये समन्वय समितियां

589. **श्री के० राममूर्ति : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या उप-योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन करने के उद्देश्य से चेयरमैन के रूप में मुख्य मन्त्रियों और सदस्यों के रूप में राज्यों और केन्द्र सरकार के सम्बद्ध अधिकारियों को शामिल करके उन सभी राज्यों में समन्वय समितियों का गठन किया गया है जहां पर आदिवासी जनसंख्या बहुत अधिक है ;

(ख) क्या उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों ने माननीय प्रधान मंत्री की इच्छानुसार आदिवासी विकास की आवधिक समीक्षा की है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) उड़ीसा और बिहार राज्यों ने समन्वय समितियां स्थापित की हैं लेकिन बिहार में गठित समिति की अध्यक्षता विकास आयुक्त द्वारा की जाती है ।

(ख) जनजाति विकास कार्य का समयकालिक पुनरीक्षण विभिन्न स्तरों पर किया जाता है । अधिक जनजाति वाले राज्यों के मुख्य मंत्रियों द्वारा भी ऐसे पुनरीक्षण किये गये हैं ।

(ग) भिन्न भिन्न राज्यों में स्थिति भिन्न भिन्न है । राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्य मंत्रियों ने हाल में पुनरीक्षण किये हैं किन्तु कुछ अन्य ने पहले किये थे ।

मंडल आयोग के प्रतिवेदन पर मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

590. श्री जयपाल सिंह कश्यप : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार मंडल आयोग की सिफारिशों पर मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन कब बुलायेगी ; और

(ख) मुख्य मंत्रियों के विचार कब तक सुनिश्चित कर लिये जायेंगे ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सरकार मंडल आयोग के प्रतिवेदन के संबंध में मुख्य मंत्रियों का एक सम्मेलन यथा शीघ्र बुलाने का विचार कर रही है । मामले पर संक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है ।

सात बड़ी इस्पात परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब

591. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि छठी योजना की सात बड़ी इस्पात परियोजनाओं के क्रियान्वयन में विलम्ब के परिणामस्वरूप लागत में 1500 करोड़ रुपये से अधिक की वृद्धि हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है और क्रियान्वयन में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) मुख्य इस्पात परियोजनाओं की लागत में वृद्धि और उनके कार्यान्वयन में हुए विलम्ब की अवधि के बारे में ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

इन परियोजनाओं की अनुमानित लागत में वृद्धि इसलिए हुई है क्योंकि इनमें से अधिकांश परियोजनाओं के मूल लागत अनुमानों में मूल्यवृद्धि के लिए व्यवस्था नहीं की गई थी। यह इस बात से सिद्ध हो जाता है कि यद्यपि सेलम इस्पात कारखाना निर्धारित समय पर तैयार हो गया था तथापि इसकी लागत का अनुमान 126.81 करोड़ रुपए से बढ़कर 181.19 करोड़ रुपए हो गया है।

लागत अनुमान इसलिए भी बढ़ गए हैं क्योंकि परियोजना के क्षेत्र में परिवर्तन हो गया है तथा इसके परिणामस्वरूप कार्य की मात्रा भी बढ़ गई है।

विलम्ब मुख्यत: निर्माण अभिकरणों तथा उपस्करों के सम्भारकों द्वारा समय–सूची के अनुसार सामग्री सप्लाई न करने के कारण हुआ है। "सेल" तथा सरकार दोनों कार्यान्वयन अभिकरणों के काम की प्रगति पर सतत निगरानी रखने का काम करती हैं। इन अभिकरणों से कहा गया है कि अपने संसाधनों में वृद्धि करें ताकि काम तीव्र गति से पूरा हो सके।

विवरण

योजना	चालू करने की तारीख		अनुमानित लागत (करोड़ रुपए)	
	मूल	सम्भावी	स्वीकृत	संशोधित
बोकारो इस्पात कारखाना				
(i) 40 लाख टन तक विस्तार (ठंडी पुनर्वेलन मिलों को छोड़कर)	जून, 1979	नवम्बर, 1983	947.24 (1974 के मध्य में)	*1637.55 (अप्रैल, 1982)
40 लाख टन तक विस्तार (ठंडी पुनर्वेलन मिलों सहित)	दिसम्बर, 82	दिसम्बर, 84	उपर्युक्त शामिल है	

(ii) मेघाटबुरू लौह अयस्क परियोजना	मार्च, 1981	सितम्बर 83	51.39 (1977 की पहली तिमाही)	*116.46 (अप्रैल, 1982)
भिलाई इस्पात कारखाना				
40 लाख टन तक विस्तार चरण-I	सितम्बर, 81	मार्च, 1984	937.70 (1974 की प्रथम तिमाही)	1600.54 (1981 की चौथी तिमाही)
40 लाख टन तक विस्तार घरण-II	जून, 1981	दिसम्बर, 84	उपर्युक्त भी शामिल हैं।	
राउरकेला इस्पात कारखाना				
सिलिकॉन इस्पात परियोजना	जनवरी, 81	मार्च, 1983	109.73 (1976 की प्रथम तिमाही).	*154.81 (अप्रैल, 1981)
सेलम इस्पात कारखाना				
	सितम्बर, 81	13. 9. 81 (वास्तविक)	126.81	*181.19

*अनुमान अभी तक अनुमोदित नहीं किए गए हैं।

छठी योजना के मध्यावधि मूल्यांकन

592. श्री इन्द्रजीत गुप्त : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के मध्यावधि मूल्यांकनों से उद्योग, विद्युत परिवहन जैसे प्रमुख क्षेत्रों और संबद्ध क्षेत्रों में लक्ष्यों की प्राप्ति में चारों ओर पीछे रहने का पता चला है ; और

(ख) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी व्यौरा क्या है और कठिनाइयाँ दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है।

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण): (क) और (ख) छठी योजना का मध्यावधि मूलांकन किया जा रहा है और इस मूल्यांकन के पूरा होने के बाद ही निश्चित स्थिति मालूम होगी। इस मध्यावधि मूल्यांकन में विभिन्न क्षेत्रकों में यदि कोई कठिनाईय होंगी तो उनको भी बताया जाएगा तथा इन कठिनाईयों को दूर करने के लिए प्रस्तावित सुधारात्मक उपाय बताए जाएंगे।

उड़ीसा में उद्योगों की स्थापना के लिए प्रस्ताव

593. श्री रास बिहारी बहेरा : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार से प्राप्त कतिपय उद्योगों की स्थापना संबंधी कोई प्रस्ताव लाइसेंस जारी करने हेतु केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन है ;

(ख) यदि हां, तो कौन-कौन से एककों की स्थापना की जायेगी तथा संबंधित प्रस्ताव कब से विचाराधीन है ; और

(ग) प्रत्येक मामले में विलम्ब के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य सरकार के विभिन्न उपक्रमों से धातुकर्मी उद्योगों, विद्युत उपस्करों, दूर संचार, चीनी मिट्टी का सामान (सेरेमिक्स), कांच, रसायनों आदि से सम्बन्धित वस्तुओं के उत्पादन के लिए आशय पत्रों की स्वीकृति हेतु प्राप्त 15 आवेदन इस समय विचाराधीन हैं। इनमें से एक आवेदन नवम्बर, 1981 में प्राप्त हुआ था तथा शेष 14 आवेदन 1 मार्च, 1982 के पश्चात मिले थे। ये आवेदन कारंवाई की विभिन्न अवस्थाओं में हैं और इन्हें यथाशीघ्र ही निपटाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

उड़ीसा में देतारी इस्पात मिल के बित्तपोषण के लिए पेशकश

594. श्री रास विहारी बहेरा : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय को उड़ीसा में देतारी इस्पात मिल के वित्तपोषण के लिए अनेक पेशकश प्राप्त हुई हैं ;

(ग) क्या कुछ प्रतिष्ठित विदेशी कम्पनियों ने उपरोक्त प्रस्तावित मिल के लिए प्रौद्योगिकी सहायता की पेशकश भी की है ;

(ग) यदि हां, तो उन कम्पनियों के नाम क्या हैं जो उस इस्पात मिल के लिए प्रौद्योगिकी तथा वित्तीय सहायता की पेशकश कर रही है ; और

(घ) उपरोक्त प्रस्ताव को शीघ्र क्रियान्वित करने के लिए सरकार का अगली बार क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) कुछ विदेशी कम्पनियों ने इस परियोजना के लिए संयंत्र तथा उपस्करों की सप्लाई करने तथा प्रौद्योगिकी प्रदान करने के बारे में अभिरुचि दिखाई है । इस परियोजना के लिए शक्यता प्रतिवेदन को अक्तूबर, 1982 तक अन्तिम रूप दे दिया जायेगा । उसके बाद ही शक्यता प्रतिवेदन पर सरकार के निर्णय को ध्यान में रखकर इन पेशकशों पर विचार किया जायेगा ।

महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा-विवाद

595. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा-विवादों को निपटाने के बारे में महाजन आयोग के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के लिये इस बीच कोई निर्णय किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो किए गये निर्णय का स्वरूप क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो महाजन आयोग के प्रतिवेदन को क्रियान्वित करने के लिये बिलम्ब के क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) महाराष्ट्र कर्नाटक सीमा विवाद पर महाजन आयोग की सिफारिशों के बारे में महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकार के बीच मतभेद बने हुए हैं । भारत सरकार का विचार है कि यह विवाद केवल संबद्ध राज्य सरकारों के स्वैच्छि सहयोग से ही हल किया जा सकता है और इस उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सरकार को राज्य सरकारों को सभी प्रकार की सहायता देने में प्रसन्नता होगी ।

20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा

596. **श्री एस० एम० कृष्ण** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन के संबंध में हाल ही में समीक्षा की गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस समीक्षा के क्या परिणाम निकले ;

(ग) उन राज्यों और क्षेत्रों के नाम क्या हैं जिनमें वह कार्यक्रम पिछड़ गया है ; और

(घ) राज्यों द्वारा 20 सूत्री कार्यक्रम को प्रभावकारी ढंग से लागू न करने के क्या कारण हैं ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) जी, हाँ। 20-सूत्री कार्यक्रम से संबंधित मंत्रिमंडल समिति द्वारा हाल ही में 20-सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा की गई थी।

(ख) इस समिति ने यह विचार प्रकट किया था कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वियन में काफी गति आई है। जो राज्य पीछे रहे गए थे उनके निष्पादन में भी सुधार दिखाई दिया है। समस्या प्रधान गाँवों में पीने के पानी की पूर्ति और वृक्षारोपण जैसे कुछ कार्यक्रमों में पर्याप्त उपलब्धियां हुई हैं। तथापि लक्ष्यों को समय पर पूरा करने को सुनिश्चित करने की दृष्टि से राज्यों में निकट प्रबोधन की सतत आवश्यकता थी।

(ग) और (घ) राज्यों को कमी रहने वाले राज्यों और कमी न रहने वाले राज्यों के रूप में वर्गीकृत करना कठिन है क्योंकि 20-सूत्री कार्यक्रम की विभिन्न स्कीमों की प्रगति सभी राज्यों में एक समान नहीं है। सभी राज्य इस कार्यक्रम को कार्यान्वित कर रहे हैं।

सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की उत्पादन क्षमता और इसका वितरण

597. **श्री जय नारायण रौत** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी क्षेत्र के इस्पात संयंत्रों की गत दो वर्षों में उत्पादन क्षमता कितनी थी और इसका वितरण कितना था ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : 1980-81 तथा 1981-82 के गत दो वर्षों में सरकारी क्षेत्र के इस्पात कारखानों की वार्षिक निर्धारित क्षमता तथा उत्पादन का ब्योरा इस प्रकार है :—

(हजार टन)

कारखाना	इस्पात पिण्ड		
	निर्धारित क्षमता	वर्ष 1980-81 में उत्पादन	वर्ष 1981-82 में उत्पादन
भिलाई इस्पात कारखाना	2500	2041	2115
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	1600	741	930
राउरकेला इस्पात कारखाना	1800	1165	1203
बोकारो इस्पात कारखाना	2500	923	1792
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	1000	609	600
कुल :	9400	5479	6640

(हजार टन)

कारखाना	निर्धारित क्षमता	विक्रेय इस्पात वर्ष 1980-81 में उत्पादन	वर्ष 1981-82 में उत्पादन
भिलाई इस्पात कारखाना	1965	1817	1819**
दुर्गापुर इस्पात कारखाना	1239	598	782
राउरकेला इस्पात कारखाना	1225	985	1091
बोकारो इस्पात कारखाना	1971	844	1472
इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी	800	523	488
कुल ।	7200	4767*	5652

* इसमें गर्म बेलित क्वायलों/सिल्लियों का अन्त:-संयंत्र अन्तरण भी शामिल है ।

** इसमें बिक्री के लिए रेल की पटरियों के टुकड़े भी शामिल हैं ।

स्वाधीनता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन की मंजूरी

598. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने स्वाधीनता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो यह निर्णय किस तारीख से किया जाएगा ; और

(ग) पेंशन की मंजूरी की प्रक्रिया क्या होगी, क्या यह स्वाधीनता सेनानी की मृत्यु पर विधवा के नाम मंजूर की जाएगी या उसे स्वाधीनता सेनानी की मृत्यु पर आवेदन करना पड़ेगा और उस पर मंजूरी की प्रक्रिया में राज्य सरकारों, से स्वीकृति आदि भी लेनी पड़ेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमान ।

(ख) स्व० स्वतन्त्रता सेनानियों की विधवाओं को पेंशन देने की व्यवस्था पेंशन योजना शुरू करने की तारीख अर्थात् 15.8.72 से ही की गई थी। किन्तु 1.8.80 से पूर्व विधवाओं के लिए पेंशन की राशि परिवार के आकार और उसमें पात्र आश्रितों की संख्या पर निर्भर करते हुये 100/-रु० से 200/-रु० प्रतिमास थी। 1.8.80 से पेंशन की राशि 100/-रु० से बढ़ा कर 200/-रु० कर दी गई है और प्रत्येक अविवाहित पुत्री अथवा अन्य पात्र आश्रितों को 50.00 रु० प्रतिमास अतिरिक्त पेंशन की व्यवस्था है किन्तु कुल मिलाकर पेंशन 300/-रुपए प्रतिमास से अधिक नहीं होगी।

(ग) स्वतन्त्रता सेनानी पेंशन प्राप्तकर्ता की मृत्यु की दशा में परिवार पेंशन के लिए विधवा को आवेदन करना पड़ता है। सामान्य रूप में पेंशन राज्य सरकार से बिना किसी स्वीकृति के विधवा को हस्तांतरित हो जाती है, जब तक कि उसकी पहचान अथवा उसके स्व० पति की यातना की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में कोई संदेह न हो।

वर्ष 1981-82 के दौरान आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को आवंटित सीमेंट

599. **श्री नारायण चौबे** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 के दौरान आंध्र प्रदेश और कर्नाटक को सीमेंट की कितनी-कितनी मात्रा आवंटित की गई है तथा उनको कितनी-कितनी मात्रा प्राप्त हुई ;

(ख) क्या इन राज्यों ने सामान्य आवंटित कोटे के अतिरिक्त किन्हीं विशिष्ट प्रयोजनों से विशेष कोटा प्रदान करने का अनुरोध किया था ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) वर्ष 1981-82 के दौरान आंध्र प्रदेश और कर्नाटक राज्यों को आवंटित की गई और भेजी गई सीमेंट की मात्रा निम्नलिखित थी :—

राज्य	आवंटन	प्रेषण
	(मी० टनों में)	(मी० टनों में)
आंध्र प्रदेश	14,55,000	14,21,000
कर्नाटक	10,45,000	8,91,000

(ख) तथा (घ) आंध्र प्रदेश और कर्नाटक की राज्य सरकारों के अनुरोध पर इन राज्यों को 1981-82 में सीमेंट की निम्नलिखित अतिरिक्त मात्रा आवंटित की गई थी :—

राज्य	तिमाही	अतिरिक्त तदर्थ आवंटन मी० टन)
आंध्र प्रदेश	अप्रैल-जून 1981	55,000
	जुलाई-सित. 1981	14,000
	अक्तू.-दिस. 1981	5,000
	योग :	74,000
कर्नाटक	अप्रैल-जून 1981	65,000
	जुलाई-सित. 1981	75,000
	योग :	1,40,000

20-सूत्री कार्यक्रम के अंतर्गत आम आदमी को लाभ

600. श्री रामावतार शास्त्री : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच यह है कि सरकार ने आम आदमी के लाभ के लिए 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए केन्द्र द्वारा राज्यों को आर्थिक सहायता दी जाती है ;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1981-82 और 1982-83 के लिए विभिन्न राज्यों को आवंटित धनराशि के आंकड़े क्या हैं ; और

(घ) इस कार्यक्रम से विभिन्न राज्यों को क्या लाभ हुआ है ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए राज्यों को कोई अलग केन्द्रीय सहायता नहीं दी जाती है । इस कार्यक्रम में शामिल स्कीमें 1982-83 की वार्षिक

योजनाओं का भाग हैं जिनके लिए केन्द्रीय सहायता सामान्य ऋणों और अनुदानों के रूप में दी जाती है।

(घ) इस कार्यक्रम से राज्यों को प्राप्त हुए लाभों के संबंध में सूचना वर्ष 1982-83 के समाप्त होने और इस कार्यक्रम की प्रगति का समग्र मूल्यांकन किए जाने के बाद ही उपलब्ध होगी।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग के लिए भारत,रूस समझौता

601. **श्री रामवतार शास्त्री :**
श्री के० मालन्ना : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि विज्ञान, प्रौद्योगिकी और अन्य वैज्ञानिक क्षेत्रों में परस्पर सहयोग के किसी करार पर भारत सरकार और सोवियत संघ के बीच हस्ताक्षर हुए हैं ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) इससे भारत को क्या लाभ होने की संभावना है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी इलेक्ट्रानिकी, पर्यावरण तथा महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सी. पी. एन. सिंह) : (क) और (ख) भारत व सोवियत संघ के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में किसी नए करार पर हस्ताक्षर नहीं किये गए हैं। फिर भी आर्थिक वैज्ञानिक व तकनीकी सहयोग संबंधी अंत सरकारी भारत-सोवियत आयोग की सातवीं बैठक में, जो कि इसी वर्ष सितम्बर में मास्को में हुई थी, यह तय पाया था कि निम्नलिखित क्षेत्रों में 1972 में हस्ताक्षर किये गए मौजूदा करार के अधीन सहयोग को विस्तार देने में काफी गुजाइश है। ये क्षेत्र इस प्रकार हैं :—

— लेसर

— आनुवंशिक इंजीनियरी

— प्रणाली विश्लेषण

— उच्च तापमानों और दबावों पर उपलब्ध सामग्रियों सहित सामग्री अनुसंधान

— तन्तु प्रकाशिकी, आदि।

(ग) ऊपरलिखित क्षेत्र हमारे देश के आर्थिक व वैज्ञानिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। उपर्युक्त क्षेत्रों में इस सहयोग से दोनों देशों के वैज्ञानिकों की अन्योन्यक्रिया, विचारों और जानकारी का आदान प्रदान व ज्ञान की साझेदारी सुनिश्चित की जा सकेगी। इनसे आपसी हितों के नए उन्नत ज्ञान प्राप्त किये जा सकेंगे।

स्वतन्त्रता सेनानिश्रों को पेंशन

602. **श्री रामावतार शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कुछ स्वतन्त्रता सेनानियों को स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान के रूप में 500/-रुपये प्रति मासिक पेंशन देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो इस कार्य के लिए क्या मान दण्ड निर्धारित किया गया है ; और

(ग) अब तक कितने स्वतन्त्रता सेनानियों को 500/-रुपये प्रति मास की पेंशन दी गई है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) स्वतन्त्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना जो पहले स्वतन्त्रता सैनिक पेंशन योजना के नाम से ज्ञात थी में 1. 8. 80 से 300/-रुपए प्रतिमास की दर से पेंशन की व्यवस्था है । बढ़ी हुई पेशन देने के लिए कोई सामान्य निर्णय नहीं किया गया है । किन्तु सामान्य राशि से अधिक पेंशन अन्य बातों के साथ-साथ आवेदक की यातनाओं, वृद्ध अवस्था परिवार के दायित्वों और वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए सरकार के स्वनिर्णय से बहुत कम और किसी मामले में स्वीकृत की जाती है। मासिक पेंशन की राशि प्रत्येक ग्रवस्था में उसके गुणदोष के आधार निश्चित की जाती है और अब तक स्वीकृत की गई उच्चतम राशि 500/-रु० प्रतिमास है । स्वतन्त्रता सैनिक पेंशन योजना के शुरू होने के गत 10 वर्षों के दौरान बढ़ी हुई पेंशन अब तक योजना के अन्तर्गत 123861 लाभ प्राप्तकर्त्ताओं में से 38 व्यक्तियों से अधिक को स्वीकृत नहीं की गई है ।

राष्ट्रीय सुरक्षा ग्रधिनियम से ग्रातंकवादियों ग्रौर सामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक

603. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

क्या राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम लागू किए जाने के बाद आतंकवादियों और असामाजिक तत्वों की गतिविधियों पर रोक लगी है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अधिनियमित होने से राज्य सरकार को आतंकवादी और असामाजिक तत्वों के विरुद्ध कारगर कार्रवाई करने में मदद मिलेगी ।

लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाना

604. **श्री मूलचन्द डागा :** क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने 1.15 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का निर्णय लिया है, यदि हाँ तो यह निर्णय कब लिया गया और निर्णय के बाद राजस्थान के किन-किन

जिलों में खासतौर से पाली जिले में कितने व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाया गया है, उन्हें क्या रोजगार सुलभ कराया गया है और उन पर कितनी धनराशि खर्च हुई है ; और

(ख) उन मिट्टी के बर्तन बनाने वाले कुम्हारों को रोजगार प्रदान करने के लिए सरकार द्वारा क्या प्रयास किए हैं, जिनका पेशा लगभग समाप्त हो गया है और पाली जिले में जिनकी संख्या 10,000 है तथा क्या उन्हें रोजगार देने हेतु कोई योजना बनाई गई है ?

योजना मन्त्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) छठी पंचवर्षीय योजना में 10,17 करोड़ लोगों को गरीबी के स्तर से ऊपर उठाने का प्रयत्न किया गया है । इसका वार्षिक औसत लगभग 2,03 करोड़ होता है, 1.15 करोड़ नहीं । राज्यवार और जिलेवार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है ।

(ख) जिलेवार सूचना उपलब्ध नहीं है ।

नारियल जटा उद्योग, केरल की समस्यायें

605. **श्री ए. नीलालोहिथा दसन नाडार :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल के नारियल—जटा उद्योग की समस्याओं की जानकारी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या हैं, और सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ;

(ग) क्या केरल सरकार ने इस संबंध में केन्द्र सरकार से कुछ स्थायी उपाय करने को कहा है ; और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) से (घ) ऐसी रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं कि निर्यात में कमी होने के कारण कयर उद्योग को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है और परिणाम स्वरूप स्टॉक इकट्ठा हो गया है जिससे कि केरल में कयर कामगारों में बेरोजगारी/न्यून रोजगार की स्थिति उत्पन्न हो गई है ।

कयर उद्योग में विद्यमान स्थिति से सरकार पूर्णतया अवगत है तथा देश के भीतर और बाहर कयर तथा कयर उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए निरंतर यथोचित अभ्युपाय किए जा रहे हैं। इस दिशा में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार हैं : —

(1) सभी राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से साज - सज्जा के लिए कयर वस्तुओं का अधिकाधिक उपयोग करने का अनुरोध किया गया है ।

(2) राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों से कयर और कयर उत्पादों को कम-से-कम दो वर्षों के लिए बिक्री कर से मुक्त रखने पर विचार करने का अनुरोध किया गया है जिससे कि इनकी बिक्री बढ़े ।

(3) देश में कयर तथा कयर उत्पादों को लोकप्रिय बनाने के लिए कयर बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय भाषाओं में रेडियो, समाचारपत्रों और पत्रिकाओं में विज्ञापन दिए जा रहे हैं, कयर उत्पादों के उपयोग के संबंध में जानकारी देने वाले फोल्डर्स बांटे जा रहे हैं और चल केन्द्रों द्वारा प्रचार/विक्री की जा रही है ।

(4) कयर उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए कयर बोर्ड देश के विभिन्न भागों में 15 शो रूम/बिक्री केन्द्र चला रहा है तथा शीघ्र ही और अधिक अधिकृत डीलर नियुक्त करने के अलावा दो और शो रूम खोलने पर भी विचार कर रहा है ।

(5) कयर और कयर उत्पादों की निर्यात सम्बन्धी समस्याओं को सुलझाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय में एक निर्यात संवर्धन प्रकोष्ठ (सेल) की स्थापना की गई है जिसमें वाणिज्य, उद्योग मंत्रालय व्यापार विकास प्राधिकरण के अधिकारियों, कयर बोर्ड के अध्यक्ष तथा कयर और कयर उत्पादों के विनिर्मिताओं एवं निर्यातकों के प्रतिनिधियों को सम्मिलित किया गया है ।

(6) आस्ट्रेलिया और न्यूजीलेंड को कयर वस्तुओं के निर्यात की संभावनाओं का पता लगाने के लिए एक व्यापारिक मंडल ने उन देशों का दौरा किया है ।

(7) कयर बोर्ड देश में और देश के बाहर विभिन्न में से/प्रदर्शनियों में भाग ले रहा है ।

(8) विदेशों से विशेषतः उन देशों से जिनके साथ हमारे द्विपक्षीय व्यापार करार हैं, अपना व्यापार बढ़ाने के प्रयास किये जा रहे हैं ।

(9) जून, 1982 में इंडिया ट्रेड सेंटर ब्रसेल्स द्वारा एक "कयर कार्यशाला" का आयोजन किया गया था जिससे निर्यातकों और आयातकों को कयर और कयर उत्पादों के निर्यात से सम्बन्धित विषयों को अच्छी तरह समझने में सहायता मिली ।

कामगारों को बेहतर मजदूरी और पूर्ण रोजगार दिलवाने और इस उद्योग को सुचारू रूप से चलाने/सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से कयर उद्योग का सहकारीकरण करने के लिए केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक योजना अगस्त, 1982 से प्रारंभ की गई है ।

निर्यात बढ़ाने के लिए केरल सरकार ने निर्यात पर भाड़ा राज सहायता देने का सुझाव दिया है । इस प्रस्ताव की जांच की गई है और कयर बोर्ड द्वारा नकद प्रतिपूर्ति के लिए एक वैकल्पिक प्रस्ताव तैयार किया गया था जो सरकार के विचाराधीन है ।

केरल सरकार द्वारा आंतरिक बाजार की माँग में आई मन्दी से निपटने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए गए हैं, अर्थात :—

(1) केरल स्टेट कोंपरेटिव कयर मार्किट फेडेरेशन की शेयर अंश पूंजी में केन्द्र सरकार का अंशदान,

(2) सहकारी संथानों के कयर और कयर उत्पादों की देश के भीतर होने वाली बिक्री पर छूट (रिबेट),

(3) केरल स्टेट कोपरेटिव कयर मार्किटिंग फेडरेशन को इसकी मूल्य अस्थिरता निधि में राज्य सरकार द्वारा दी गई राशि के 50 प्रतिशत राशि की प्रतिपूति।

(4) केन्द्र द्वारा स्वीकृत राज्य सरकार की योजनाओं पर केरल सरकार द्वारा वर्ष 1978-79 से व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति।

इन सुझावों पर राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ विस्तार से विचार-विमर्श किया गया है। उनसे अनुरोध किया गया है कि वे रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया) अब एन. ए. बी. ए. आर. डी.) तथा कयर बोर्ड से परामर्श करें और इस सम्बन्ध में हुई बातचीत के अनुसार प्रस्तावों को नया रूप दें।

केरल के जंगलों में रहने वाले आदिवासियों का कल्याण

606. श्री ए० नीलालोहियादसन नाडार : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल सरकार ने जंगलों में रहने वाले आदिवासियों के कल्याण के लिए कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के कारण आने वाली कठिनाइयों की ओर केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्योरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) राज्य सरकार ने बन भूमि के 222 हैक्टेयर में वन कटाई के लिये दो प्रस्ताव प्रस्तुत किये थे लेकिन उचित विचार करने के बाद उन्हें अस्वीकृत कर दिया गया।

गंधराल (रोसिन) एककों का कार्यकरण

607. श्री जगदीश टाईटलर : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी गंधराल (रोसिन) एककों द्वारा की जा रही अनियमित आपूर्ति के परिणामस्वरूप मूल्य अत्यधिक बढ़ गए हैं जिससे इसका औद्योगिक प्रयोग अलाभप्रद हो गया है ;

(ख) क्या पेंट उद्योग जो स्वयं संकट में चल रहा है, गंधराल एककों के कारण रुक सा गया है ; और

(ग) क्या सरकार ने गंधराल एककों के कार्यकरण और इस उत्पादन के मूल्य के सम्बन्ध में की जा रही हेराफेरी की जांच करने को कहा है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, नहीं । किन्तु, उत्पादन में समग्रत: गिरावट आ जाने तथा थोड़े से निर्यात के कारण उपलब्धता कम हो जाने की वजह से रोसिन (गंधराल) का मूल्य अगस्त, 1982 में 7.40 रुपए प्रति कि० ग्रा० से बढ़कर 8.80 रुपये प्रति कि० ग्रा० हो गया ।

(ख) रंगरोगन उत्पादक एककों से हाल में सरकार को कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

तारापुर संयंत्र (टी०ए०पी०पी०) के लिए फ्रांस/अमेरिका द्वारा परमाणु ईंधन की सप्लाई

608. **श्री मोहम्मद असरार अहमद** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि अमेरिका द्वारा तारापुर परमाणु संयंत्र के लिए पहले सप्लाई किया गया परमाणु ईंधन तेजी से समाप्त होता जा रहा है ;

(ख) क्या अमेरिका/फ्रांस से और परमाणु ईंधन प्राप्त होने की आशा है ; और

(ग) यदि नहीं, तो तारापुर संयंत्र को भविष्य में चलाने के लिए क्या योजना है ?

प्रधान मन्त्री (श्रीमती इंदिरा गाँधी) : (क) जी, हां ।

(ख) संयुक्त राज्य अमरीका से समृद्ध यूरेनियम की कोई और खेप मिलने की आशा नहीं है ।

भारत और अमरीका के बीच हाल ही में हुई सहमति के अनुसार, तारापुर परमाणु बिजलीघर की ईंधन सम्बन्धी आवश्यकता को पूरा करने का दायित्व सन् 1963 में भारत और अमरीका के बीच हुए सहकार करार और उस करार पर आधारित रक्षोपायों सम्बन्धी विभिन्न करारों की सीमा में रहते हुए अमरीका के स्थान पर फ्रांस द्वारा

ले लिया जायेगा। भारत और फ्रांस के बीच बातचीत हुई है और इस विषय पर दोनों सरकारें एक-दूसरे से सम्पर्क बनाए हुए हैं।

(ग) अभी इस बारे में विवरण देना समयोचित नहीं रहेगा कि तारापुर परमाणु बिजलीघर को चलाने के लिए भविष्य की योजनाएं क्या होंगी। तथापि, भारत सरकार इस बात का पूरा-पूरा ध्यान रखेगी कि तारापुर परमाणु बिजलीघर लगातार चालू रहे।

असम वार्ता

609. श्री टी० एस० नेगी :
श्रीमती गीता मुखर्जी :
श्री जी० नरसिम्हा रेड्डी :
श्री सनत कुमार मंडल :
श्री सन्तोष मोहन देव :
श्री बाल कृष्ण राम चन्द्र वासनिक :
श्री रामजी भाई मावणि : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि असम वार्ता एक बार फिर असफल हो गई है ;

(ख) यदि हां, तो अभी कौन से मतभेदों को सुलझाना शेष है ; और

(ग) क्या मामले की गम्भीरता और महत्व को देखते हुए सरकार का लम्बे समय से लम्बित पड़ी इस समस्या का न्यायसंगत हल ढूंढने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) सरकार के प्रतिनिधियों, संसद में विपक्ष के नेताओं तथा अखिल असम छात्र संघ/अखिल असम गण संग्राम परिषद की संयुक्त बैठक में अब तक विचार-विमर्श अधूरा रहा है। मुख्य मतभेद 1961-71 की अवधि के दौरान भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से आए व्यक्तियों के साथ किए जाने वाले व्यवहार के सम्बन्ध में है। कोई सन्तोषजनक हल ढूढने के लिए प्रयास जारी हैं तथा आगे विचार-विमर्श शीघ्र ही शुरू किए जाने की सम्भावना है।

विशाखापत्तनम् इस्पात संयंत्र के लिए उपकरणों का आयात

610. श्री चित्त बसु : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिशाखापत्तनम में लगाए जा रहे 34 लाख रुपये के इस्पात संयंत्र के पहले के चरण के लिए 80 प्रतिशत उपकरणों का आयात किया जा रहा है जबकि यह प्रमाणित हो चुका है कि भारतीय उद्यमी इस कार्य को करने में सक्षम हैं ;

(ख) यदि हाँ, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत में इसका विज्ञापन दिया गया है और सारे विश्व से इसके लिए टेंडर मंगाए गये हैं और मुख्य आयात और निर्यात नियोजक की अनुमति ली गई है ; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत तिवारी) : (क) जी, नहीं। विशाखापत्तनम इस्पात परियोजना द्वारा उपस्करों की प्राप्ति के लिए अन्तिम रूप से तैयार किए गए कार्यक्रम के अनुसार केवल 31.5 प्रतिशत उपस्करों के आयात की सम्भावना है, शेष 68.5 प्रतिशत उपस्कर देश से ही प्राप्त किए जाएंगे।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

भारत में प्राप्त विदेशी धन

611. श्री अशफाक हुसैन : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेश अंशदान (विनियम) अधिनियम, 1976 के अन्तर्गत भारत में वर्ष-वार कितना विदेशी धन देश-वार प्राप्त होता है ;

(ख) उक्त अधिनियम, लागू होने के पश्चात् यह धन किन व्यक्तियों और संस्थानों को प्राप्त हुआ ;

(ग) यह धन किस विशिष्ट कार्य के लिए प्राप्त हुआ ;

(घ) क्या इस धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में शिकायतें मिली हैं ; और

(ङ) यदि हां, तो इन शिकायतों का स्वरूप क्या है तथा उन व्यक्तियों और संस्थानों के नाम क्या हैं जिनके विरुद्ध ये शिकायतें मिली हैं और सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) विभिन्न संगठनों से प्राप्त विदेशी अंशदान की विवरणियों के अनुसार वर्ष 1976 और 1977 के दौरान 182.35 करोड़ रुपए की राशि प्राप्ति की गई थी। दानदाता देशों के नामों की सूची और वर्ष 1976-77 के दौरान उनके द्वारा दान दी गई राशि विवरण में दी गई है। 1978 के दौरान प्राप्त विदेशी

अंशदान के संगणकीकृत आंकड़े शीघ्र ही उपलब्ध हो जायेंगे। 1979 से संबंधित विवरणियों के संगणीकरण का कार्य हाथ में है। 1980 और 1981 से संबंधित संगणीकरण का कार्य बाद में आरंभ किया जाएगा।

(ख) प्रति वर्ष लगभग 5000 संघों/संगठनों से विदेशी अंशदान प्राप्त करने के बारे में सूचना प्राप्त होती है। उनके नामों की सूची भी बहुत बड़ी होगी। इसलिए ऐसे संघों/संगठनों की सूची प्रस्तुत करना व्यवहार्य नहीं होगा।

(ग) मुख्य प्रयोजन जिनके लिए विदेशी अंशदान प्राप्त किया गया था सांस्कृतिक आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यक्रम हैं।

(घ) तथा (ङ) जी हां श्रीमान। विदेशी अंशदान के दुरुपयोग की कुछ शिकायतें हैं। इनकी जांच की जा रही है। फिर भी, इस अवस्था में उन व्यक्तियों और संस्थानों के नाम बताना लोकहित में नहीं होगा जिनके विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

विवरण

क्र० सं०	देश	दान दी गई राशि
1.	छोटे दानदाता	474747979
2.	अल्जीरिया	9741
3.	अदन	179114
4.	अफगानिस्तान	6960
5.	अल्बानिया	1738
6.	अर्जेनटाईना	36323
7.	आस्ट्रेलिया	25586610
8.	आस्ट्रिया	12635642
9.	बहराइन	200338
10.	बंगलादेश	64844
11.	बार्बाडोस	45349
12.	बेल्जियम	27738738

13.	ब्राजील	155980
14.	बोलिविया	16064
15.	बुलगारिया	40801
16.	कम्बोडिया	12058
17.	कनाडा	58271223
18.	मध्य अफ्रीका	23150
19.	चिल्ली	21848
20.	चीन	13275
21.	क्यूबा	62174
22.	चैकोस्लोवाकिया	88979
23.	दाकार	67190
24.	डेंनमार्क	4721591
25.	दुबई	92137
26.	पूर्वी जर्मनी	2205
27.	इथोपिया	154820
28.	फिनलैंड	321110
29.	फ्रांस	17706784
30.	फिजी	26718
31	यूनान	3336
32.	गुयाना	32308
33.	गिनिया	2500
34.	हालैंड	56996530
35.	होंगकांग	574291
36.	हंगरी	1309
37.	इंडोनेशिया	161531

38.	इरान	511589
39.	आयरलेंड	4518496
40.	इटली	150494957
41	जैमैका	528047
42.	जापान	915282
43.	कुवैत	1605917
44.	केन्या	168099
45.	कोरिया	26197
46.	लेबनान	591229
47.	लक्ष्मबर्ग	88047
48.	मैडागास्कर	30960
49.	मारीशश	98992
50.	मलेशिया	204628
51.	मंगोलिया	8757
52.	मसकैट	25117
53.	मैक्सिको	751004
54.	नेपाल	89124
55.	न्यूजीलेंड	7700356
56.	नाइजीरिया	28713
57.	उत्तरी वियतनाम	66352
58.	नार्वे	11152435
59.	पनामा	21777
60.	पाकिस्तान	77636
61.	फिलीपार्न्ईस	1241167
62.	पोलेंड	1700

63.	पुर्तगाल	3523
64.	रूआंडा ऊरेंडी	48568
65.	सऊदी अरब	5043187
66.	सिंगापुर	628513
67.	सोमालिया	57028
68.	दक्षिणी अफ्रीका	598384
69.	स्पेन	24206527
70.	स्वीडन	25390159
71.	स्वीटजरलेंड	60973839
72.	श्रीलंका	7035
73.	सीरिया	48339
74.	थाईलेंड	376050
75.	तुर्की	104031
76.	तंजानिया	15704
77.	उगांडा	180583
78.	यूनाइटेड किंगडम	103824182
79.	यू० एस० एस० आर०	4535
80.	अमेरिका	285193677
81.	वेनजुएला	71070
82.	वैस्टइंडीज	338064
83.	पश्चिमी जर्मनी	448657858
84.	संयुक्त अरब अमीरात	877222
	अन्य देश	3784399
	कुल राशि	1823502305

जिला रांची (बिहार) से लोगों का अन्य राज्यों को जाना

612. श्री एन० ई० होरो : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 से बिहार के रांची जिले के कितने व्यक्ति (पुरुष और महिलाएं) अन्य राज्यों को चले गये हैं ;

(ख) उनके जाने के मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ग) क्या यह सच है कि जनवरी से जुलाई, 1982 की अवधि में रांची जिले के 2500 व्यक्ति पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे दूरस्थ राज्यों को चले गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) उपरोक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) सरकार को कोई सूचना नहीं है ।

असम में विदेशियों का पता लगाने के लिए प्राधिकरण का चुनाव

613. श्री सुभाष चन्द्र बोस अल्लूरी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार असम में विदेशियों का पता लगाने के लिए प्राधिकरण गठित करने और मार्च, 1983 से पहले चुनाव कराने का है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) मार्च, 1983 तक चुनावों को सरलता से कराने के लिए एक सुझाव जिस पर संयुक्त बैठक में विचार विमर्श किया गया था, नागरिकता की पात्रता को निर्धारित करने के लिए असम में प्रत्येक विधान सभा चुनाव क्षेत्र में एक प्राधिकरण/न्यायाधिकरण स्थापित करने के लिये था । किन्तु ऐसे प्राधिकरण/न्यायाधिकरण के विचारणीय विषयों के संबंध में कोई समझौता नहीं हुआ था ।

दिल्ली नगर निगम में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों के कोटे में कमी

615. श्री त्रिलोक चंद : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली नगर निगम में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों और कर्मचारियों का कोटा अभी तक पूरा नहीं हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो इस कमी के क्या कारण हैं और विभिन्न विभागों में किन पदों में यह कमी बनी हुई है ; और

(ग) इस कमी को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम द्वारा इस मंत्रालय को उपलब्ध की गई सूचना के अनुसार जहां तक उनके सामान्य विभाग का संबंध है, "क" "ख" "ग" तथा "घ" श्रेणी में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सभी रिक्तियां पूरी तरह से नहीं भरी गई हैं। 1981-82 के अन्त में स्थिति इस प्रकार है :—

पद की श्रेणी	रोस्टर के अनुसार कमी अनुसूचित जातियां	अनुसूचित जनजातियां
क	78	52
ख	25	36
ग	355	914
घ	157	202
	615	1204

ग्रुप "ग" और "घ" में अधिकांश रूप से अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित पदों में कमी है जिनके लिए उम्मीदवार उपलब्ध नहीं है। इन श्रेणियों में अनुसूचित जातियों के उम्मीदवारों के बारे में कमी पदों के लिए भर्ती नियमों के अनुसार अर्हता प्राप्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण है। कुछ श्रेणियों की भर्ती संघ लोक सेवा आयोग तथा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा की जाती है। पदोन्नति के पदों में कोटा तथा बकाया रिक्तियों को भरने का हर प्रयास किया जाता है। दिल्ली नगर निगम को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कोटे को भरने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाने पर विचार करने की सलाह दी गई है।

राष्ट्रीय ध्वज और संप्रतीक का अनादर करने के बारे में कानून

616. डा० वसन्त कुमार पंडित : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय ध्वज और संप्रतीक का अनादर करने के मामलों की संख्या में हो रही वृद्धि की जानकारी है, जो कभी-कभी अज्ञान के कारण हो जाता है, और बहुधा ध्वज संहिता की ओर उपेक्षा करके किया जाता है ;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अधिकारियों को भी संहिता और संप्रतीक और नाम का (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम के उपबन्धों की जानकारी नहीं है ;

(ग) क्या सरकार का विचार इस प्रयोजना के लिए एक विस्तृत कानून बनाने का है ; और

(घ) यदि नहीं, तो जनता की जानकारी के लिए सार्वजनिक संचार माध्यम, समाचार पत्र अथवा योजनाबद्ध प्रचार के माध्यम से इस बारे में लोगों तथा अधिकारियों को शिक्षित करने के लिए क्या अन्य योजनाएं बनाई गई हैं ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (घ) राष्ट्रीय ध्वज के अनादर की सूचनाएं जैसे ही विभिन्न क्षेत्रों से प्राप्त होती हैं तो उनकी जांच पड़ताल की जाती हैं और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारक अधिनियम 1971 के उपबन्धों के अधीन कार्यवाही की जाती है । इसी प्रकार केन्द्रीय सरकार की पूर्वअनुमति के बिना किसी व्यापार, कार्य, पेशा अथवा व्यवसाय अथवा किसी पेटेंट का नाम में अथवा किसी व्यापारिक चिन्ह अथवा डिजाइन के प्रयोजन के लिए राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग करना अथवा उसकी अथवा राष्ट्रीय संप्रतीक की कोई आभासीय नकल करना संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम 1950 के अधीन अपराध है ।

इसके अतिरिक्त सरकार ने राष्ट्रीय ध्वज के सूचित प्रयोग और उसे फहराने तथा राष्ट्रीय संप्रतीक के उचित प्रयोग के लिए भी अनुदेश जारी किए हैं । इन अनुदेशों का व्यापक प्रचार किया गया है ।

एच० एम० टी० द्वारा प्रायोजित घड़ियो के पुर्जे जोड़ने वाले एककों की स्थापना

617. **डा० बसन्त कुमार पंडित** : क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिनांक 30 जून, 1982 को एच० एम० टी० से सहायता प्राप्त घड़ियों के पुर्जे जोड़ने वाले एककों की राज्यवार, संख्या क्या थी और ये कहां-कहां स्थित हैं ;

(ख) क्या एच० एम० टी० ने देश के पिछड़े क्षेत्रों में तकनीशियनों को प्रशिक्षित करने हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खोलने तथा घड़ी के पुर्जों का निर्माण करने वाले एककों की स्थापना करने और उन्हें सहायता देने की योजना चलाई है तथा उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि हां, तो वर्ष 1982, 1983 और 1984 में मध्य प्रदेश राज्य के पिछड़े क्षेत्रों में ऐसे कितने एककों की स्थापना की जाएगी और किन-किन स्थानों पर की जाएगी ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) एच० एम० टी० से सहायता प्राप्त घड़ियों के पुर्जे जोड़ने वाले एकक विभिन्न राज्यों में स्थित हैं जैसा कि नीचे दिया गया है :—

क्रमांक	राज्य	स्थापना स्थल
1.	गोवा	मापुटा
2.	केरल	कसरगौड
3.	मध्य प्रदेश	बैतूल
4.	महाराष्ट्र	कोल्हापुर
5.	मेघालय	शिलांग
6.	उड़ीसा	खुर्द
7.	पंजाब	मोहाली
8.	राजस्थान	अजमेर
9.	सिक्किम	गंगटोक
10.	तमिलनाडु	ऊटी
11.	उत्तर प्रदेश	भवाली
12.	प० बंगाल	दार्जिलिंग

(ख) जी, नहीं ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

दिल्ली में सड़कों, पुलों और सार्वजनिक स्थानों को खराब करना

618. श्री जगन्नाथ पाटिल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(ख) क्या यह सच है कि दिल्ली में वैवाहिक एजेन्सियां, शिक्षण संस्थाएं सैक्स अस्पताल आदि चलाने वाले व्यक्ति सड़कों पुलों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर अपने विज्ञापन लगा कर लगातार उन्हें गन्दा करते रहते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके द्वारा किया जा रहा यह काम ग़ैर-कानूनी है ; और

(ग) यदि हाँ, तो उन्हें जेल भेजने सहित कठोर दंड देने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ग) दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगरपालिका ने सूचित किया है कि वैवाहिक एजेंसियों को चलाने वाले व्यक्तियों, काम वासना अस्पतालों, प्रशिक्षण कक्षाओं आदि द्वारा सड़क और पुलों सहित सार्वजनिक स्थानों को विरूपित करने के खतरे से अवगत है। ये कार्य दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 के उपबन्धों और पंजाब नगर पालिका अधिनियम 1911 जैसा कि दिल्ली नगर निगम पर लागू है, के अन्तर्गत अपराध है। दिल्ली नगर निगम/नई दिल्ली नगर पालिका इन इश्तहारों को हटाने और इन विज्ञापनों को विस्तृत करने के लिए अपने कर्मचारियों को तैनात करता है। अपराधियों पर मुकद्मा भी चलाया जाता है। दिल्ली नगर निगम ने वर्ष 1981-82 के दौरान 334 मुकदमे चलाए और चालू वर्ष के दौरान अर्थात 1.4.82 से 31.7.82 तक 480 मुकदमे चलाए हैं। इस समय ऐसे अपराधियों को बंदी बनाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

पंचकुइयाँ रोड, नई दिल्ली में आग लगना

619. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :
डा० ए० यू० आजमी :
श्री दौलत राम सारण :
श्री रशीद मसूद : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 19 सितम्बर, 1982 को पंचकुइयां रोड़, नई दिल्ली में फर्नीचर की दुकानों में भीषण आग लगी थी ;

(ख) यदि हां, तो इससे संपत्ति की अनुमानतया कितनी क्षति हुई।

(ग) क्या आग लगने के कारण के बारे में कोई जांच-पड़ताल की गई है ; यदि हां, तो इसका क्या परिणाम रहा ;

(घ) भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटनाओं को उत्पन्न होने से रोकने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये गए हैं अथवा करने का विचार है ; और

(ङ) अग्निशमन और जल सेवायें कहाँ तक कम पाई गई थी ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) जी हां, श्रीमन।

(ख) से (ङ) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली के प्रशासक ने जाँच का आदेश दिया है। जांच मेजर जनरल हरि सिंघल (सेवा निवृत्त) भूतपूर्व महानिदेशक, सिविल डिफेंस, भारत सरकार द्वारा की जाएगी जिसके विचारणीय विषय निम्मलिखित है :—

(1) आग लगने के कारणों का पता लगाना।

(2) क्षति की सीमा।

(३) स्थिति से निपटने के लिए प्रबंधों की पर्याप्तता, और

(4) इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के उद्देश्य से निवारक उपाय सुझाना।

जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है और दिल्ली प्रशासन इसकी जांच कर रहा है।

सोवियत रूस द्वारा कोल स्लरी पाईपलाइन प्रोद्योगिकी की पेशकश

620. **श्री एच० एन० नन्जे गौडा** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सोवियत रूस ने भारत को कोल स्लरी पाईपलाईन प्रौद्योगिकी देने की पेशकश की है।

(ख) यदि हां, तो प्रौद्योगिकी का पूर्ण व्यौरा क्या है ;

(ग) क्या इस प्रौद्योगिकी की व्यवहार्यंता का अध्ययन कर लिया गया है ; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या प्रतिक्रिया रही ?

योजन मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न उपस्थित नहीं होते।

आधुनिकीकरण आरक्षित निधि

621. **श्री रवींद्र वर्मा** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार एक सांविधिक "आधुनिकीकरण आरक्षित निधि" स्थापित करने का विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसमें कितनी धनराशि की व्यवस्था की जाएगी और ये निधि किन उद्योगों को आधुनिकीकरण के लिए धनराशि उपलब्ध कराएगी; और

(ग) इसका संचालन कब तक हो जाने की संभावना है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

विशाखापत्तनम एल्यूमिना संयंत्र

622. **श्री रवीन्द्र वर्मा : क्या इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रस्तावित विशाखापत्तनम एल्यूमिना संयंत्र की नवीनतम स्थिति क्या है जो कई वर्षों से बिना निर्णय के पड़ा हुआ है ।

(ख) क्या यह सच है कि सोवियत संघ इस परियोजना के लिए वित्त प्रदान करने को तैयार नहीं है ; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस कठिनाई को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिंहा) : (क) से (ग) आंध्र प्रदेश में एक एल्यूमिना संयंत्र की स्थापना पर अब से कुछ समय पहले सोवियत प्राधिकारियों के साथ विचार-विमर्श किया गया है । प्रस्ताव की मुख्य बातें इस प्रकार हैं :—

(1) सोवियत रूस द्वारा वस्तुतः रुपया लागत सहित समूची पूंजीगत लागत की वित्त व्यवस्था हेतु एक व्यापक पेकेज की रूपरेखा तैयार कर लेना ; और

(2) उत्पादित होने वाले एल्यूमिना के समूचे या पर्याप्त अंश की सोवियत रूस द्वारा दीर्घकालीन आधार पर खरीद ।

आर्थिक वैज्ञानिक तथा तकनीकी सहयोग के अंतर्गत सरकारी सोवियत भारतीय आयोग के आलोह धातु-कर्म संबंधी कार्यकारी दल की चौथी बैठक में तथा उक्त आयोग की सितम्बर, 1982 में मास्को में हुई सातवीं बैठक में इस परियोजना पर चर्चा हुई थी । सोवियत रूस के पूर्व प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद, भारतीय पक्ष ने सोवियत पक्ष को परियोजना के कार्यान्वयन पर नए प्रस्ताव प्रस्तुत किए जिनमें सोवियत रूस को दीर्घकालीन आधार पर बाक्साइट और एल्यूमिना के निर्यात, व्यापक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने, बाक्साइट और एल्यूमिना के मूल्य निर्धारण तथा पूंजी निवेश के लिए वित्त व्यवस्था के प्रस्ताव शामिल हैं । इन प्रस्तावों पर सोवियत संगठनों द्वारा विचार कर लेने के बाद इस विषय में दोनों पक्षों के बीच आगे विचार-विमर्श किया जाएगा ।

राज्य योजनाओं का पुनरीक्षण

623. **श्री दौलत राम सारण : क्या योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या योजना आयोग ने विभिन्न राज्य-योजनाओं के पुनरीक्षण का काम शुरू किया था; और

(ख) यदि हां, तो उनके क्या निष्कर्ष रहे ?

योजना मन्त्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) और (ख) योजना आयोग प्रत्येक वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श के समय सामान्य रूप से राज्यों की योजनाओं के निष्पादन की समीक्षा करता है। राज्यों द्वारा वर्ष 1983-84 की वार्षिक योजना तैयार करने का काम शुरू कर दिया गया है। 1983-84 की वार्षिक योजना पर विचार-विमर्श अक्तूबर, 1982 के महीने से शुरू होगा।

पी०डब्ल्यू० आर० योजना संख्या 219 के अन्तर्गत आवासीय-इकाइयों की लागत

624. श्री भाऊ साहिब थोरट : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पी०डब्ल्यू०आर० योजना संख्या 219 के अन्तर्गत पिछड़ा वर्ग आवास-समिति की प्रत्येक आवासीय-इकाई की अधिकतम अनुमानित लागत की अधिकतम सीमा में परिवर्तन करने का है; और

(ख) कितनी "नई अधिकतम सीमा" रखने का विचार किया गया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) गृह मंत्रालय में कोई ऐसी योजना अथवा इसके लिए कोई प्रस्ताव नहीं है।

साम्प्रदायिक दंगे

625. श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी :
श्री भोगेन्द्र झा :
श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति :
श्री मोहम्मद असरार अहमद :
श्री राम सिंह यादव : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनमें पिछले एक वर्ष में साम्प्रदायिक दंगे हुए और कर्फ्यू लगाया गया था;

(ख) इन दंगों में हुई जान तथा माल की हानि का ब्योरा क्या है; और

(ग) दंगों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) 1.10.1981 से 31.7.1982 की अवधि के दौरान हुए साम्प्रदायिक दंगों के राज्यवार ब्योरे और इनमें मारे गए व्यक्तियों का एक विवरण संलग्न है; शेष दो महीनों अर्थात् अगस्त और सितम्बर 1982

के लिए यह सूचना उपलब्ध नहीं है और कर्फ्यू लगाने और सम्पत्ति की क्षति की सूचना के साथ साथ यह सभापटल पर रख दी जाएगी।

(ग) आसूचना तंत्र को सशक्त बनाने, साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के लिए प्रशासकीय कारवाई और साम्प्रदायिक सौहार्दता बनाए रखने के विषय में राज्य सरकारों को विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए गए हैं और समय-समय पर इन्हें दोहराया जाता है। राज्य सरकारों को जब कभी भी आवश्यकता होती है केन्द्र सरकार केन्द्रीय पुलिस बलों की सहायता भी उपलब्ध कराती है।

विवरण

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1.10.1981 से 31.7.1982 तक हुई साम्प्रदायिक दंगों की सं०	मारे गए व्यक्तियों की संख्या
1	2	3
आन्ध्र प्रदेश	24	7
असम	15	6
बिहार	53	37
दिल्ली	4	2
गुजरात	50	17
हरियाणा	1	—
जम्मू और काश्मीर	2	—
कर्नाटक	32	6
केरल	9	1
मध्य प्रदेश	22	6
महाराष्ट्र	45	2
उड़ीसा	3	...

1	2	3
राजस्थान	18	...
तामिलनाडु	15	11
उत्तर प्रदेश	28	17
पश्चिम बंगाल	25	6

टिप्पणी:— शेष राज्यों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के सम्बन्ध में सूचना शून्य है ।

अनुसूचित जातियों के विकास के लिए 20-सूत्रीय कार्यक्रम के अधीन आवंटन

626. **श्री भाऊसाहिब थोरट** । क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1982-83 की वार्षिक योजना के दौरान अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए 20 सूत्रीय कार्यक्रम के एक त्वरित कार्यक्रम हेतु कुल कितनी धनराशि उपलब्ध है ;

(ख) उपर्युक्त धनराशि में से प्रमुख उत्पादक निर्माण-कार्यों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है ;

(ग) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए परिवार-प्रधान तथा परियोजना-प्रधान दोनों प्रकार की, कौन-सी (बड़ी) योजनाएं हैं जिन के लिए उपयुक्त धनराशियों का उपयोग किया जाना है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) से (ग) नये 20 सूत्री कार्यक्रम के सूत्र 7 अर्थात् अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के त्वरित विकास के लिए परिव्यय जनजातीय उप-योजनाओं और अनुसूचित जातियों के लिए विशेष कम्पोनेंट योजनाओं के साथ-साथ तय किए जाते हैं जनजातीय उप-योजनाओं की विशेष केन्द्रीय सहायता और विशेष कम्पोनेंट योजना इन वर्गों के कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय योग है ; अनुसूचित जातियों के लिए जनजातीय उपयोजनाएं, विशेष कम्पोनेंट योजनाएं जो उनकी सम्बन्धित राज्य योजना से लाभों और परिव्ययों को निर्धारित करके राज्य सरकारों द्वारा बनाई जाती है में सभी योजना क्षेत्रों विभागों की योजनाएं शामिल हैं जो अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों से सम्बद्ध है अतः प्रत्येक राज्य संघ शासित क्षेत्र की जनजातीय उप-योजना तथा विशेष कम्पोनेंट योजना में बड़ी संख्या में योजनाएं (सैकड़ों में) सम्मिलित हैं जिनमें से कुछ परिवारोन्मुख हैं

और कुछ नहीं है। योजनाओं के ब्यौरे प्रत्येक राज्य की जनजातीय उपयोजना और विशेष कम्पोनेंट योजना दस्तावेजों में उपलब्ध है। 1982-83 के लिए राज्यों संघ शासित क्षेत्रों के जनजाति उप योजनाओं और विशेष कम्पोनेंट योजनाओं के लिए क्रमश: कुल 660 करोड़ रुपये और 692 करोड़ रुपये की व्यवस्था है। इसके अतिरिक्त राज्यों की जनजाति उप योजनाओं और विशेष कम्पोनेंट योजनाओं के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता क्रमश: 95 करोड़ रुपये और 120 करोड़ रुपये बनती है। इसके अतिरिक्त विभिन्न केन्द्रों द्वारा प्रायोजित योजनाओं के अन्तर्गत गृह मंत्रालय द्वारा चलायी जा रही 1982-83 के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में लिए 50 करोड़ रुपये का परिव्यय है।

त्रिपुरा के उग्रवादियों द्वारा "गवर्नमेंट आफ पीपल" का गठन

627. **श्री दौलत राम सारण :**
श्री रसीद मसूद :
श्री त्रिलोक चन्द्र : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को, त्रिपुरा के उग्रवादियों द्वारा एम०एन०एफ० की तरह "गवर्नमेंट आफ पीपल" का गठन किए जाने की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) सरकार को इस आशय के सामाचारों की जानकारी है। इनकी राज्य सरकार से जाँच की जा रही है।

निवासी कल्याण एसोसिएशन की प्रबन्ध समिति का चुनाव

628. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन निवासी कल्याण ऐसोसियेशनों को गृह मंत्रालय से अनुदान मिलता है उनकी प्रबन्ध समिति के पदाधिकारियों और सदस्यों का चुनाव सितम्बर के अन्त तक हो जाना चाहिए था जिसके बाद वर्तमान कार्यरत निकाय निष्प्रभावी हो जायेंगें ; और

(ख) यदि हां, तो उन ऐसोसियेशनों का ब्यौरा क्या है जिनका चुनाव नहीं हो पाया और क्या वे निष्प्रभावी हो गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) तथा (ख) जी, हाँ। चूंकि चुनाव कराने की अन्तिम तारीख 30 सितम्बर, 1982 को गुजरे केवल थोड़े से दिन ही हुए हैं और चुनाव कराये जाने से संबंधित सूचना अगले कुछ सप्ताहों में प्राप्त होने की आशा है, इसलिए जिन एशोसिएशनों ने उक्त तारीख से पहले चुनाव नहीं कराये हैं, उनके ब्यौरे तैयार करना अतिशीघ्रता करना होगा।

राज्यों द्वारा जेलों में मारे गए लोगों की पोस्ट मार्टम रिपोर्ट की सप्लाई

629. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) पुलिस द्वारा मामूली आरोपों पर पकड़े गये निर्दोष व्यक्तियों की यातना और पिटाई द्वारा जेल और पुलिस की हिरासत में होने वाली हत्याओं को रोकने के लिए सरकार ने क्या कारगर कदम उठाए हैं क्योंकि राज्यों में इस प्रकार की घटनायें अबाध रूप से और उत्तरोतर बढ़ती जा रही हैं ; और

(ख) क्या इस प्रकार से मरे व्यक्तियों के संबंधियों द्वारा बिना मांगें ही बिना किसी अपवाद के नियमानुसार उनकी पोस्ट मार्टम रिपोर्ट उन्हें देने के बारे में राज्य सरकारों को अनुदेश जारी किए जायेंगे ताकि वे इस मामले में और आगे कार्यवाही कर सकें और उनके परिवारों को पर्याप्त क्षतिपूर्ति का भुगतान हो सके ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री निहार रंजन लास्कर) : (क) और (ख) 1980-1981 और 1982 (जुलाई तक) पुलिस और जेल हिरासत में विचारणाधीन कैदियों की मृत्यु के विषय में उपलब्ध सूचना में यातना और पिटाई के कारण होने वाली मौतों के मामलों में वृद्धि दिखाई नहीं देती है । दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और जेल मैनुअलों में हिरासत में हुई मौतों की जांच करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया निर्धारित है । जहाँ व्यवहारिक हो, मजिस्ट्रेट द्वारा की जाने वाली जांच के दौरान मृतक के रिश्तेदार को उपस्थित रहने की अनुमति भी दी जाती है । मजिस्ट्रेट को इस जाँच करने में वे सभी शक्तियां प्राप्त होती हैं जो उसे किसी अपराध की जांच करने में प्राप्त होती हैं । पात्र मामलों में सरकार मृतक के परिवार को सहानुभूति के आधार पर राहत देने पर भी विचार करती है । भारत सरकार ने राज्य सरकारों को समय समय पर यह सुनिश्चित करने के लिए मार्गदर्शी निदेश जारी किए हैं कि पुलिस बल मानवीय ढंग से व्यवहार कर ताकि विधि व्यवस्था बनाई रखी जा सके और यह कि पुलिस ज्यादतियों के तथाकथित मामलों को गम्भीरता से लिया जाए और इनसे सख्ती से निपटा जाय । पुलिस के विरुद्ध विशिष्ट शिकायतों की तत्परता से जाँच की जाती है और जहाँ जांच करने पर पुलिस/जेल कर्मचारियों को हिरासत में मृत्यु के लिए जिम्मेवार पाया जाता है, ऐसे प्रत्येक मामले में कानून के अन्तर्गत उपयुक्त कार्रवाई की जाती है ।

निलम्बित कर्मचारियों को निर्वाह भत्ते का भुगतान न करना

630. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या निर्वाह भत्ते की समय पर अदायगी के संबंध में गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या 110/12/10/76 —संख्या (ए) दिनांक 6 अक्तूबर 1976 के अन्तर्गत गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए अनुदेशों का भारत सरकार के अधीन मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों द्वारा पालन

नहीं किया जा रहा है और निलम्बित कर्मचारियों को आर्थिक कठिनाई और अथकनीय मुसीबतों का सामना करना पड़ता है ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसका ब्यौरा क्या है और भुगतान करने में असाधारण देरी के क्या कारण हैं तथा जारी किये गये अनुदेशों के कार्यान्वियन की पड़ताल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० बेंकटसुब्बय्या) : (क) तथा (ख) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इन अनुदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाता है । भुगतान करने में असाधारण देरी अथवा इस सम्बन्ध में जारी किए अनुदेशों का कार्यान्वियन न किए जाने से सम्बन्धित सूचना केन्द्रीय रूप में कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के पास उपलब्ध नहीं है क्योंकि मंत्रालयों/विभागों से ऐसी सूचना एकत्रित नहीं की जाती ।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा छुट्टी रियायत यात्रा और केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना सुविधाओं का दुरुपयोग तथा अर्जित की गई अचल सम्पत्ति का छिपाया जाना

631. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी कर्मचारियों द्वारा छुट्टी रियायत यात्रा और माता-पिता के लिए केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना की सुविधाओं का गलत ढंग से उपयोग किया जाना और अर्जित की गई अचल सम्पत्ति का छिपाना दंडनीय अपराध है ;

(ख) क्या जब विभाग द्वारा उक्त आरोपों की जाँच की जा रही हो तब केन्द्रीय सिविल सेवा (सी. सी. ए.) नियम की 1965 के नियम 10 के अधीन कर्मचारी को निलम्बित करना अनिवार्य है ;

(ग) यदि हां, तो इस विषय पर क्या आदेश हैं और क्या उनकी प्रतियां सभा पटल पर रखी जायेंगी ; और

(घ) क्या मंत्रालय/विभाग/अधिकारी उनका नियमानुसार पालन कर रहे हैं ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) सरकारी कर्मचारियों द्वारा किए गए कृताकृत सम्बन्धी ऐसे कार्यों पर सामान्यतया केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के उपबन्ध लागू होते हैं और सम्बन्धित कर्मचारियों पर केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम 1965 के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है । किन्तु, कपट, छल तथा दुर्विनियोग से सम्बन्धित मामले भारतीय दंड संहिता/दंड प्रक्रिया संहिता के संगत उपबंधों के क्षेत्राधिकार के अधीन भी आयेंगे ।

(ख) यह ऐसे मामलों के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर निर्भर करेगा कि किसी व्यक्ति को केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 10 के अधीन निलम्बनाधीन रखा जाना है।

(ग) इस विषय के आदेश केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 तथा केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नवीनतम संस्करण में दिए गए हैं जो समूल्य प्रकाशन हैं और इन्हें आवश्यकता पड़ने पर सदा संदर्भ के लिए देखा जा सकता है।

(घ) भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों से यह आशा की जाती है कि वे संगत नियमों का और कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय समय पर जारी किए गए स्थायी आदेशों/अनुदेशों का अनुपालन करें।

छात्राओं से छेड़खानी के बारे में लेडी श्रीराम कालेज के प्राधिकारियों द्वारा शिकायत

632. **श्री आर० पी० यादव :** क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लेडी श्रीराम कालेज के प्राधिकारियों और छात्राओं ने दिल्ली परिवहन निगम की बसों तथा कालेज के गेट पर छात्रों के एक समूह द्वारा छात्राओं से छेड़खानी किए जाने के बारे में शिकायत की है ; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में पुलिस तथा दिल्ली परिवहन निगम के प्राधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

गृह मंत्रालय में राज्यमन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) प्रिंसिपल, लेडी श्रीराम कालेज ने लेडी श्रीराम कालेज के सामने दिल्ली परिवहन निगम बस अड्डे पर 16.9.82 को महिलाओं से छेड़छाड़ करने की एक घटना के बारे में एक शिकायत भेजी है।

(ख) 22.9.82 को थाना लाजपत नगर में भारतीय दंड संहिता की धारा 354 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है और जाँच-पड़ताल की जा रही है।

कालेज के सामने बर्दी में और सादे कपड़ों में पुलिस कर्मचारी तैनात कर दिये गये हैं। कालेज से चलने वाली दिल्ली परिवहन निगम की महिला स्पेशल बसों का संरक्षण पुलिस कर्मचारियों द्वारा किया जाता है।

विभिन्न वाहनों का मूल्य

633. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी :** क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान ट्रकों (टाटा और लीलेन्ड), ट्रैक्टरों (फर्गसन, फोर्ड) कारों (अम्बेसेडर, फिएट) स्कूटरों (वजाज, बिजय, वैस्पा) आदि के वर्ष-वार मूल्य क्या थे ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान ट्रकों, ट्रैक्टरों, कारों और स्कूटरों के टायरों के वर्ष-वार मूल्य क्या थे ;

(ग) कीमतों को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ; और

(ग) कृषि प्रयोजनों के लिये काम में लाये जाने वाले कृषि उपकरणों जैसे तेल इंजन, बिजली की मोटरें आदि की तुलना में इनकी कीमतों में कहां तक वृद्धि हुई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) तथा (ख) एक विवरण संलग्न है ।

(ग) सरकार ने निर्माताओं को मूल्य नियन्त्रण रखने की आवश्यकता पर जोर दिया है ।

(घ) असमान वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि की तुलना करना उचित नहीं होगा ।

विवरण

(क) वाणिज्यिक गाड़ियों, कारों, ट्रैक्टरों तथा स्कूटरों का मूल्य बताने वाला विवरण :

दिल्ली में खुदरा मूल्य (रुपए में)

वस्तु	मेक	1-1-80 को	1-1-81 को	1-1-82 को
1. ट्रक चेसिस	—टाटा	1,42,910	1,60,727	1,86,669
	लैलैंड	1,53,563	1,74,053	1,87,301
2. ट्रैक्टर				
फोर्ड-3600/46 अ०श०		79,049	79,049	86,398
i) एम० एफ०-1035/अ०श०*		57,802	69,857	63,324
ii) एम० एफ०-1035/डीलक्स*		64,824	76,639	69,485
iii) एम० एफ०-245/45 अ०श०*		—	91,351	87,125
3. कारें				
i) अम्बेसेडर		51,116	57,864	73.525
ii) प्रीमियर पद्मिनी		50,980	63,492	69,427

4. स्कूटर			
i) बजाज सुपर*	4,385	4,550	5,100
ii) विजय*	4,920	5,408	5,575

* दिया गया मूल्य कारखाने से निकलते समय का खुदरा बिक्री मूल्य है ।

(ख) ट्रक ट्रैक्टर, कार तथा स्कूटरों के टायरों का पिछले वर्षों में वर्षवार मूल्य बताने वाला विवरण :

	1-1-80	1-1-81	1-1-82
1. कार टायर			
6.70.15 6 प्लाई	400.00	515.00	625.00
2. ट्रक टायर			
8-25-20-12 पी० आर० एम० डब्ल्यू०	1440.00	1690.00	2040.00
3. स्कूटर टायर			
3-50-10 4 प्लाई	96.00	103.00	125.00
4. ट्रैक्टर टायर			
11-28 4 प्लाई	1145.00	1300.00	1560 00

पंजाब में परमाणु बिजलीघर की स्थापना

634. श्री रघुनन्दन लाल भाटिया : क्या प्रधान मंत्री पंजाब में परमाणु बिजलीघर की स्थापना के बारे में 21 जुलाई, 1982 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1994 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या सरकार को देश में नए परमाणु विजली घरों की स्थापना के लिये उपयुक्त स्थलों का चयन करने हेतु नियुक्त स्थल चयन समिति की सिफारिशें अब प्राप्त हो चुकी हैं ;

(ख) यदि हां, तो पंजाब में परमाणु बिजली घर की स्थापना के बारे में उनकी क्या सिफारिशें हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने में अभी कितना समय लगेगा और क्या इस मामले में छठी योजना के दौरान कार्यवाही करना संभव होगा ?

विज्ञान तथा प्रोद्योगिकी, इलैक्ट्रॉनिकी, महासागर विकास विभागों में तथा ऊर्जा मंत्रालय के गैर-पारम्परिक ऊर्जा स्रोत विभाग में राज्य मंत्री (श्री सी० पी० एन० सिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) यह प्रश्न उठता ही नहीं ।

(ग) आशा है कि स्थल-चयन-समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही दे देगी । उस रिपोर्ट के आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी ।

चानल्ला और चनूर में दो सीमेंट संयंत्रों की स्थापना

636. श्री वी० एन० गाडगिल : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की सिमोम (एस० आई० सी० ओ० एम०) ने यवलमेल और चन्द्रपुर जिले के क्रमश: चानल्ला और चनूर स्थानों में दो सीमेंट संयंत्र संस्थापित करने का प्रस्ताव दिया है ;

(ख) क्या योजना आयोग ने इन परियोजनाओं के लिए स्वीकृति दे दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो इन परियोजनाओं को स्वीकृति न देने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) जी, हाँ ।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता ।

बडराली, महाराष्ट्र में स्पंज लोहे के निर्माण के लिए परियोजना लगाना

637. श्री बी० एन० गाडगिल : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र की 'सिकाग' (स्टील एन्ड आयरन कम्पनी) ने बडराली, महाराष्ट्र में अवकारक (रिड्यूसिंग) एजेंट के रूप में पैट्रोलियम गैस के प्रयोग पर आधारित स्पंज लोहे का निर्माण करने के लिए एक परियोजना प्रस्तुत की है ;

(ख) ऐसी परियोजनाओं की स्वीकृति देते समय योजना आयोग किन बातों को ध्यान में रखता है ; और

(ग) क्या योजना आयोग ने इस तथ्य को ध्यान में रखा है कि बम्बई-हाई से गैस आसानी से उपलब्ध होगी और प्रस्तावित स्थान, थाल उर्वरक परियोजना स्थल से मात्र 17 किलोमीटर और ऊरल थाल गैस पाइप लाइन से केवल 14 किलोमीटर है ?

योजना मन्त्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) जी, हां। इस्पात और खान मन्त्रालय ने गैस पर आधारित स्पंज लोहे की परियोजना स्थापित करने के लिए परियोजना की अवस्थिति के लिए वैकल्पिक स्थलों में तकनीकी-आर्थिक मूल्यांकन पर आधारित दो प्रस्ताव (एक गुजरात औद्योगिक विकास निगम, गुजरात से और दूसरा राज्य औद्योगिक तथा निवेश निगम, महाराष्ट्र से) योजना आयोग को सलाह के लिए भेजे हैं।

(ख) योजना आयोग किसी परियोजना की जांच करते समय उसकी विकास क्षमता निर्धारित करने के लिए व्यापक तकनीकी-आर्थिक विश्लेषण करता है। इसके लिए इन उपादानों जैसे -प्रस्तावित परियोजनाओं की पारस्परिक प्राथमिकता, उद्योग का उत्पादन की पूर्ति-मांग की स्थिति, आवश्यक निवेशों की उपलब्धता, अन्य उपलब्ध विकल्पों अवस्थिति का चयन, वित्तीय लाभकारिता और आर्थिक विकास क्षमता को ध्यान में रखा जाता है।

(ग) इस क्षेत्र के आस-पास गैस की उपलब्धता संगत उपादानों में से एक है।

सरकारी कर्मचारियों का मुअत्तिल किया जाना

640. डा० ए० यू० आजमी : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितने सरकारी कर्मचारियों को मुअत्तिल किया गया है और उन्हें कब से मुअत्तिल किया गया है, मंत्रालयवार और श्रेणी-वार अलग अलग ब्यौरा क्या है ;

(ख) उनमें से कितने कर्मचारी 3, 6 और 12 महीनों तथा इससे भी अधिक समय से मुअत्तिल हैं, उनका मंत्रालय-वार और श्रेणी-वार ब्यौरा क्या है ;

(ग) उनके विरुद्ध क्या आरोप हैं, प्रत्येक मामले का अलग-अलग ब्यौरा क्या है ;

(घ) क्या निर्धारित प्रक्रिया अपनाई गई है ; और

(ङ) कितने मामलों में तीन महीने के अन्तर्गत दोषी अधिकारियों के संबंध में आरोप न्यायालय में दर्ज किये गये थे और निर्धारित अवधि के भीतर आरोपों को न लगाने के यदि कोई कारण हैं, तो वे क्या हैं, प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) से (ङ) ऐसी कोई केन्द्रीय एजेन्सी नहीं है जो इस सूचना को समेकित करती हो। भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों/ कार्यालयों तथा सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में विभिन्न नियोक्ता

प्राधिकारी अथवा अनुशासनिक प्राधिकारी आदि हैं जो केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1965 के नियम 10 के अधीन विभिन्न वर्गों के सरकारी कर्मचारियों को निलंबित करते हैं। इस प्रकार न तो इस सूचना को एकत्रित करना संभव है और न ही इसे एकत्रित करने के लिए अपेक्षित प्रयत्न उससे प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुरूप होंगे। फिर भी, भारत सरकार के सभी मन्त्रालयों/विभागों/कार्यालयों के लिए आवश्यक है कि वे इन नियमों का ईमानदारी से पालन करें।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित उद्यमियों को इलेक्ट्रोनिक्स मदों हेतु औद्योगिक भू-खण्डों का आवंटन

641. **श्री भीखा भाई :** क्या उद्योग मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली का उद्योग निदेशालय उद्योगों की स्थापना हेतु अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति से सम्बन्धित उद्यमियों को इलेक्ट्रोनिक्स मदों के लिए औद्योगिक भू-खण्डों का आवंटन करने वाला है ;

(ख) यदि हाँ, तो क्या इस तथ्य को ध्यान में रखा गया है कि आवंटी को उद्योग और इसके प्रबन्ध का पर्याप्त अनुभव है तथा क्या वे फैक्ट्री चलाने में समर्थ होंगे, क्योंकि कुछ डिप्लोमा डिग्रीधारी बिल्कुल नए-नए होते हैं तथा उन्हें प्रबन्ध अथवा उद्योग का कोई अनुभव नहीं होता है ;

(ग) यदि हां, तो ऐसे अनुभवी व्यक्तियों को प्राथमिकता क्यों नहीं दी जा रही है, जो उद्योग चलाने के क्षेत्र में अत्यधिक दक्ष हों ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) जी, हाँ।

(ख) आवेदन जांच की अवस्था में हैं। किन्तु विशिष्ट श्रेणियों में इलैक्ट्रोनिक उद्योग और इसके प्रबन्ध का अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को यथोचित अधिमान दिया जाएगा।

(ग) तथा (घ) उपर्युक्त (ख) के संदर्भ में प्रश्न ही नहीं उठते।

दिल्ली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति को औद्योगिक शैडों का आवंटन

642. **श्री भीखा भाई :** क्या उद्योग मन्त्री दिल्ली में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को औद्योगिक शैडों के आवंटन के बारे में 14-7-82, के अतारांकित प्रश्न संख्या 1015 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उद्योग निदेशालय, दिल्ली द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों के लिए 15 प्रतिशत प्लाट आरक्षित किये जाने के क्या कारण हैं, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों को 22.5 प्रतिशत प्लाट/फ्लैट आवंटित करने, जैसा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण ने किया है, का साँविधिक उपबन्ध है ; और

उद्योग निदेशालय, दिल्ली द्वारा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का 22.5 प्रतिशत प्लाट आवंटित करने के लिए नियमों और विनियमों में संशोधन किये जाने के क्या कारण हैं ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्री (श्री नारायण दत्त तिवारी) : (क) और (ख) संवैधानिक उपबंधों का सम्बन्ध सरकार के अधीन पदों के आरक्षण से हैं न कि किसी औद्योगिक बस्ती में शैडों का आवंटन करने से। कम सुविधा प्राप्त वर्ग के लोगों की सहायता करने की संवैधानिक उपबंधों की भावना के अनुकूल दिल्ली प्रशासन द्वारा शेडों का आवंटन करने में भी अनुसूचित जाति तथा आदिम जातियों को कुछ महत्व देने के लिए मार्गदर्शी सिद्धान्त अपनाए गये हैं। इस प्रकार के आवंटन आवेदकों की क्षमता तथा अन्य अर्हताओं पर उचित ध्यान देने के उपरान्त किये जायेंगे।

समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यकरण पर विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट

643. **श्री के० राम मूर्ति** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के कार्यकरण की समीक्षा के लिए गठित विशेषज्ञ दल ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) ऋण दिए जाने पर निगरानी रखने तथा ऋण की समय पर और पर्याप्त व्यवस्था के लिए प्रबन्ध में सुधार करने हेतु सुझाव देने के लिए गठित स्थायी समिति की कितनी बार बैठकें हुई और इस बारे में सुझाव दिए गए ; और

(घ) उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मंत्री (श्री एस०बी० चव्हाण) : (क) जी, हां। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम सहित गरीबी दूर करने के लिए कार्यक्रमों से सम्बन्धित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट योजना आयोग को फरवरी, 1982 में प्रस्तुत की गई थी।

(ख) इस रिपोर्ट की प्रतियाँ राज्य सरकारों तथा केन्द्र में ग्रामीण विकास मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों को भी (उनकी टिप्पणियों के लिए) भेजी गई हैं। ग्रामीण विकास

मंत्रालय इस रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई करने के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभारी राज्य सचिवों को 19 जुलाई, 1982 को एक पत्र भेज चुका है ।

(ग) एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण सहायता की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित की गई उच्च स्तरीय समिति की 7 सितम्बर, 1981 और 5 मई, 1982 को दो बार बैठक हुई हैं। इस समिति की दूसरी बैठक में किए गए कुछ महत्वपूर्ण निर्णय ये हैं :—

(1) यद्यपि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण में सहकारी समितियों के भाग को इसके लगभग एक तिहाई वर्तमान स्तर से बढ़ाना आवश्यक है, फिर भी सहकारी और वाणिज्यिक बैंक क्षेत्रकों के लिए इस सम्बन्ध में कोई लक्ष्य निर्धारित करना वांछनीय नहीं होगा । तथापि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए अपने ऋण में वृद्धि करने के लिए बैंकों से कहा जाए ताकि 600 करोड़ रु० का प्रति वर्ष का लक्ष्य प्राप्त हो जाए ।

(2) राज्य भूमि विकास बैंकों से अपने अधिनियम संशोधित करने का आग्रह किया जाए ताकि नाबार्ड के स्थापित होने पर एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत वे द्वितीयक तथा तृतीयक क्षेत्रक के कार्यकलापों के लिए ऋण दे सकें ।

(3) ग्रामीण क्षेत्रों में ब्याज की विभेदीय दर की स्कीम के अन्तर्गत ऋण देने में बैंकों को खंड विकास अधिकारियों से परामर्श करना चाहिये ताकि एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत गरीबों में निर्धारित सबसे अधिक गरीब व्यक्तियों को प्राथमिकता दी जा सके ।

(4) शाखा प्रबंधकों के लिए इस बात को अनिवार्य बनाने के लिए अनुदेश जारी किए जाएं कि वे अग्रणी बैंक अधिकारी को एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम के लिए ऋण प्राप्ति के बारे में सूचना भेजें । इस बात की भी जांच की जाए कि क्या अग्रणी बैंक अधिकारियों और क्षेत्रीय प्रबंधकों के बीच बकाया आवेदनों आदि के बारे में सूचना भेजने के लिए कोई प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया जा सकता है ।

(5) शाखाओं के विस्तार और शाखाओं की अवस्थिति के बारे में राज्य सरकारों के विचारों को उचित महत्व दिया जाना चाहिए ।

(6) जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों से कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम के साथ उनकी संबद्धता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए क्योंकि इससे परियोजनाएं तैयार करने में अच्छा अनुशासन प्राप्त होगा ।

(घ) समिति के उपर्युक्त सुझावों पर भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा कार्यवाई की जा रही है ।

ग्रामीण विकास योजनाओं के निर्धारित लक्ष्य

644. श्री एन० के० शेजबलकर : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1981-82 और 1982-83 में ग्रामीण विकास के लिए पेयजल, बिजली, पहुंच मार्ग और ग्रामीण रोजगार के लक्ष्य क्या हैं ; और

(ख) इन में से कितने लक्ष्य पूरे हो चुके हैं ; और किस सीमा तक ?

योजना मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख) सभापटल पर एक विवरण प्रस्तुत है ।

विवरण

कार्यक्रम	इकाई	1981-82		1982-83
		लक्ष्य	प्रत्याशित उपलब्धि	लक्ष्य
ग्रामीण जलपूर्ति	समाविष्ट गांव	36000	29533	35292
ग्रामीण विद्युतीकरण	बिजली पहुंचाए गए गांव	25796	22196	25512
ग्रामीण सड़कें				
1500 और अधिक जनसंख्वा वाले गांव	जोड़े गए गांवों की संख्या	2331	2239	2574 ×
1000-1500 जनसंख्या वाले गाँव	जोड़े गए गांवों की संख्या	1206	1171	703 ×
ग्रामीण रोजगार				
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	दिए गए रोजगार श्रम-दिवस (लाख)	3000-4000	3451	3311

X असम, गुजरात और तमिलनाडु के संबंध में वर्ष 1982-83 के लिए लक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं । उनके अभाव में वर्ष 1982-83 के लिए लक्ष्य बताते समय वर्ष 1981-82 की उपलब्धियों को ध्यान में रखा गया है ।

उड़ीसा सुकिन्दा क्षेत्र में निकिल संयंत्र

645. **श्री हरिहर सोरन : क्या इस्पात और खान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :**

(क) क्या सरकार का विचार उड़ीसा के सुकिन्दा क्षेत्र में एक निकिल संयंत्र स्थापित करने का है ;

(ख) यदि हां तो उक्त प्रस्ताव को कब कार्यान्वित किया जाएगा ; और

(ग) इस संबंध में अब तक क्या प्रगति की गई है ?

उद्योग तथा इस्पात और खान मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती रामदुलारी सिन्हा) : (क) से (ग) उड़ीसा राज्य में सुकिन्दा क्षेत्र से प्राप्त होने वाले अयस्क से निकिल-कोवाल्ट निर्माण के संयंत्र के लिए 1974 में स्वीकृति दी गई थी। यह स्वीकृति प्रारंभिक साध्यता रिपोर्ट पर आधारित थी जिसमें देशी प्रौद्योगिकी को चुना गया था। जब चुनी गई प्रौद्योगिकी का पाइलट प्लांट स्तर पर परीक्षण किया गया तो वह कारगर प्रमाणित नहीं हुई और इसलिए परियोजना प्रगति नहीं कर सकी।

देशी प्रौद्योगिकी के असफल होने से विदेशी प्रौद्योगिकी चयन सावधानी से करना जरूरी था। चूंकि निकिल के उत्पादन में कनाडा अग्रणी देश है इस बारे में उपलब्ध आंकड़ों का साध्यता पूर्व मूल्यांकन कनाडाई विशेषज्ञों से कराने का फैसला किया गया। इस मामले पर कनाडाई अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी को लिखा गया। इस एजेंसी द्वारा नियुक्त विशेषज्ञ ने उपलब्ध आंकड़ों के प्रारंभिक मूल्यांकन पर अब रिपोर्ट दे दी है। इस रिपोर्ट के आधार पर यह फैसला किया गया है कि सुकिन्दा निकिल क्षेत्र में और अधिक अन्वेषण तथा सक्षम विदेशी सलाहकारों से धात्विक परीक्षण कराना जरूरी होगा। व्यापक अन्वेषण की स्कीम तैयार है। इस बारे में धात्विक परीक्षण हेतु सक्षम विदेशी सलाहकारों से प्रस्ताव भी आमंत्रित किए जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : श्री नारायण दत्त तिवारी।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मेरी बात सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय : आपने तो रोज आदत डाल ली है, अच्छा नहीं लगता है, इस तरह से।

श्री रामावतार शास्त्री : अध्यक्ष जी, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थिति बड़ी गम्भीर है···।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे आ कर बता दीजिए। मेरे अन्डर कंशीडरेशन है। आपने बताया बारी बारी से सब कुछ आयेगा। यह मेरे विचाराधीन है।

श्री रामावतार शास्त्री : अगर देर कर देंगे तो और स्थिति खराबहो जाएगी। 2 तारीख को लाठी चली, उसके बाद से स्थिति और खराब हो गयी है, कोई रास्ता निकालिए।

अध्यक्ष महोदय : यह कुछ भी नहीं, यह बिलकुल अनुचित है।

मेरे अन्डर कंसीडरेशन है, आप मुझसे आ कर मिलिए।

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव (मधेपुरा) : अध्यक्ष जी, दिल्ली में डेंगू बुखार ऐपीडेमिक फौर्स में हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास है। एक एक करके सब आयेगा। क्या एक दिन में सारे काल अटेंशन आ सकते हैं ?

श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : तो वही मैं कह रहा हूं कि मेरे पास है। बहुत हैं। वे मेरे विचाराधीन हैं।

डा० सुब्रह्मण्यम स्वामी (बम्बई उत्तर-पूर्व) : हम आपकी इस बात से सहमत हैं कि एशियाड के कारण अधिवेशन जल्दी होना चाहिए। मार्च में तटस्थ देशों क्या सम्मेलन हो रहा है। जो एक बड़ा सम्मेलन होगा। इसका अर्थ है कि बजट अधिवेशन भी···।

अध्यक्ष महोदय : आप बैठिए, फैसला किया जाएगा। मैं कैसे कुछ कह सकता हूं, इसे कहना तो आप पर निर्भर करता है।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : अध्यक्ष जी, केवल दिल्ली विश्यविद्यालय का ही मामला नहीं है। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय में भी हैं। आशा है आप अलाऊ करेंगे।

अध्यक्ष महोदय : आप लिखकर दीजिए, देखेंगे।

श्री नीरेन घोष (दमदम) : मैंने एक स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया है।

एक माननीय सदस्य : क्या उसे अस्वीकार कर दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : समस्या क्या है ?

श्री नीरेन घोष : मैंने नोटिस दिया था। मैं कालेधन की बुराई को जड़ से उखाड़ने के लिए विमुद्रीकरण चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : देखेंगे ।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : अध्यक्ष जी, दिल्ली में बहुत समय से चुनाव नहीं हो रहे हैं। यह जन प्रतिनिधित्व देने का सवाल है ।

सरकार डेमोक्रेसी को मार रही है ।

अध्यक्ष महोदय : छोड़िए इसको । हो गया, आप बैठिए। यह तो इलेक्शन कमीशन जाने ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : आप मंत्री जी से कहें ।

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं कहूंगा । (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : इसका इससे कोई सम्बन्ध नहीं है ।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनायें

उद्योग तथा इस्पात और खान मंत्री (श्री नारायण दत्त तिवरी) ; मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18क की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 521 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 22 जुलाई, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी, और जो मैसर्स प्रिय लक्ष्मी मिल्स, बड़ौदा, गुजरात, के प्रबन्ध-ग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में हैं। [ग्रन्थालय में रखी गयी । देखिए संख्या एल० टी० 5426/82] ।

(2) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18चक की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 554 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 4 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और जो मेसर्स ऐंजल इंडिया मशीन एण्ड टूल्स लिमिटेड, कलकत्ता के प्रबन्धग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में है । [ग्रंथालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 5427/82] ।

(3) उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, 1951 की धारा 18कक की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का० आ० 566 (अ) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंजीग्रे संस्करण), जो 11 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी और मैसर्स इन्दौर टैक्सटाइल्स लिमिटेड, उज्जैन, के प्रबन्धग्रहण की अवधि को 5 वर्षों से आगे बढ़ाने के बारे में हैं। [ग्रन्थालय में रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 5428/82]।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : दिल्ली में चुनाव।

अध्यक्ष महोदय : बगैर लिख कर दिए बात नहीं चलती है।

इस बात का मुझे कोई अधिकार नहीं है।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती (कलकत्ता-दक्षिण) : सरकार ने कुछ क्षेत्रों को अशान्त क्षेत्र गोषित किया है। त्रिपुरा सरकार ने इसका विरोध किया है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे प्रस्ताव दें या कुछ और दें। फिर मैं विचार करूंगा।

अखिल भारतीय सेवाओं के अंतर्गत अधिसूचनाएं

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) भारतीय वन सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) पांचवां संशोधन विनियम, 1982, जो 20 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 530 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय वन सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1982, जो 20 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 531 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु तथा सेवानिवृत्ति प्रसुविधायें) संशोधन नियम, 1982 जो 28 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 705 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (काडर सदस्य संख्या का नियतन) चौथा संशोधन विनियम 1982, जो 28 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 706 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) चौथा संशोधन नियम, 1982, जो 28 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 707 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) सा० का० नि० 776, जो 18 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिनमें 24 जुलाई, 1982 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 618 का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(सात) सा० का० नि० 777, जो 18 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था और जिसमें 24 जुलाई, 1982 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 619 का शुद्धि-पत्र दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2429/82]।

सीमाशुल्क अधिनियम आयकर अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचनायें तथा बाजार ऋणों के परिणामों के बारे में एक विवरण

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) सा० का० नि० 537 (ङ) और 538 (ङ) जो 25 अगस्त, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो लेप्रोस्कोप और उसकी अनूषंगी वस्तुओं को उन पर उदग्रहणीय मूल, उपसंगी तथा अतिरिक्त शुल्क से पूर्ण छूट देने के बारे में हैं।

(दो) सा० का० नि० 665 (ङ) जो 10 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसमें 26 जुलाई, 1982 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 509 (अ) का शुद्धि-पत्र दिया गया है।

(तीन) सा० का० नि० 666 (ङ), जो 10 सितम्बर, 1982 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जिसमें 5 अप्रैल, 1982 की अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 308 (अ) का शुद्धि-पत्र दिया गया है। [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 5430/82]।

(2) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 296 के अंतर्गत आयकर (आठवां संशोधन) नियम, 1982 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो 31 जुलाई, 1982

के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० आ० 546 (अ) में प्रकाशित हुए थे। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5431/82]।

(3) उपर्युक्त (6) में उल्लिखित अधिसूचना को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5432/82]।

(4) जुलाई, 1982 में जारी किए गए बाजार ऋण के परिणामों और अक्तूबर, 1982 में जारी किए जाने वाले बाजार ऋणों के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 5433/82]।

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

49वां प्रतिवेदन

श्री आर. एन. यादव (परमणी) : मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति का 49वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : आप क्या क्या कर सकते हैं, आपने कहा दिल्ली के चुनाव के बारे में इलेक्शन कमीशन चुनाव करायेगा। आप दबाव क्यों नहीं देते हैं। यह प्रजातन्त्र का हनन हो रहा है, डेमोक्रेसी को मार रहे हैं। आप इनसे कहें जल्दी चुनाव करवायें।

श्री जगपाल सिंह (हरिद्वार) : अध्यक्ष जी, पार्लियामेंट आने के लिए जब हम लोग साढ़े 9 और 10 के करीब नहाने धोने के लिए जाते हैं तो पानी नहीं होता है। आप इसका कुछ हल निकलवाइए ?

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती प्रमिला दंडवते—व्यक्तिगत स्पष्टीकरण। (व्यवधान)।

अध्यक्ष महोदय : हम एक प्रभावशाली तथा रचनात्मक वार्ता कर सकते हैं और इससे समय बर्बाद होने से बच जाएगा।

श्री सत्यसाधन चक्रवर्ती : मेरा संघर्ष सहयोग से बनता है।

अध्यक्ष महोदय : आप क्यों नहीं मुझसे आकर बात कर लिया करते हैं जिससे कोई मतलब की बात बने । इस प्रकार हम इफेक्टिव डायलोग कर सकते हैं ।

श्री हरीश कुमार गंगवार : अध्यक्ष जी, आप ही का सहारा है दिल्ली में चुनाव कराने के लिए, दूसरे का नहीं । आप बहुत कुछ कर सकते हैं, दूसरा नहीं ।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप बैठिए ।

सदस्य द्वारा वैयक्तिक स्पष्टीकरण

श्रीमती प्रमिला दंडवते (बम्बई उत्तर मध्य) : अध्यक्ष महोदय मैं सभा के प्राक्रीय तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 357 के अन्तर्गत एक वैयक्तिक स्पष्टीकरण देना चाहती हूं । 5 अक्तूबर, 1982 के हिन्दुस्तान टाईम्ज, में एक समाचार छपा है कि "कांग्रेस-आई के एक वरिष्ठ सदस्य श्री के०के० तिवारी की आज (4.10.1982) लोक सभा अध्यक्ष श्री बलराम जाखड़ से, जनता पार्टी की नेता प्रमिला दंडवते के विरुद्ध, भारत में महिला कल्याण कार्यों के लिए विदेशी धन प्राप्त करने सम्बन्धी विशेषाधिकार प्रस्ताव पर विचार करने से इनकार करने के लिए झड़प हुई" ।

समाजवादी महिला सभा (महाराष्ट्र), जिसकी मैं केवल एक सलाहकार हूं, भारत सरकार की अनुमति से विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम 1976 के अन्तर्गत जर्मनी की आर्बेटर वेहलामार्ट नामक एक श्रमिक कल्याण संस्था से महाराष्ट्र के थाना जिले में आदिवासी बच्चों को शिक्षा देने सम्बन्धी प्रयोग के लिए वित्तीय अनुदान प्राप्त करती रही है ।

यह बात नोट की जायें कि इस प्रकार का शैक्षणिक अनुदान केन्द्रीय सरकार की अनुमति से, सरकार की इसके उचित उपयोग के बारे में संतुष्टि के बाद प्राप्त की जाती है ।

अतः यह स्पष्ट है कि मैं किसी विदेशी अंशदान प्राप्त करने के लिए व्यक्तिगत रूप से सम्बद्ध नहीं हूं और इस मामले का उपयोग वित्तीय मामलों के बारे में मेरी निष्ठा पर आक्षेप करने के लिए नहीं किया जाना चाहिये ।

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : यह एक महिला सदस्य के विरुद्ध गम्भीर प्रकार के आरोप लगा रहे हैं । यदि हम इनके चरित्र की व्याख्या करें तो ये इसे "चरित्र हत्या" कहेंगे ।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

दिल्ली में विद्युत चालित रिंग रेल सेवा को बन्द करने का कथित प्रस्ताव

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर रेल मन्त्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

"दिल्ली में विद्युत चालित रिंग रेल सेवा को बन्द करने का कथित प्रस्ताव।"

रेल मन्त्रालय में तथा संसदीय कार्य विभाग में उप मन्त्री (श्री मल्लिकार्जुन) : रिंग रेलवे की मौलिक प्रणाली का विकास दिल्ली के दैनिक यात्रियों को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए किया गया है। यह सेवा 15-8-1982 को शुरू की गयी थी। यह दुर्भाग्य की बात है कि जिस परियोजना के माध्यम से यात्रियों को बेहतर सेवा तथा सुरक्षित पारवहन सुविधाएं देने की कल्पना की गयी थी, अब वह निराधार अफवाहों का शिकार हो गयी है।

इस सेवा को बन्द करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, बल्कि रेलें इसे और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही हैं। वास्तव में, इस सेवा की, जो अभी शुरू की गयी है, लोकप्रियता का पता लगाना संभव नहीं है।

रिंग रेलवे की किराया-संरचना योजना आयोग द्वारा योजना की स्वीकृति के समय लगायी गयी इस शर्त के अनुसार बनायी गयी है कि यह लागत पर आधारित होनी चाहिए तथा इसे वित्त मंत्रालय के परामर्श से तैयार किया जाये।

यात्रियों द्वारा इस सेवा का उपयोग आशा के अनुरूप न होने का मूल कारण यह प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण रिंग रेलवे पर पटेल नगर जैसे कुछ स्टेशन बस सेवा तथा किराये के वाहनों की सेवा से समुचित रूप से जुड़े हुए नहीं हैं। हम इन स्टेशनों के निकट की रुकावटों को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं ताकि वहां तक फीडर रोड सेवाएं उपलब्ध हो सकें। इस सम्बन्ध में रेलों को विभिन्न सम्बन्धित विभागों के सक्रिय सहयोग की आवश्यकता है। मैंने स्वयं रिंग रेलवे में यात्रा की है और पाया कि कुल मिलाकर रेलों ने अपने निर्माण कार्य के भाग को पूरा कर लिया है। मैंने सम्बद्ध एजेंसियों के साथ बैठकें भी की हैं।

रेलवे, दिल्ली प्रशासन, दिल्ली परिवहन निगम तथा एशियाड खेलों की विशेष आयोजन समिति के बीच हुई हाल की बैठक में किराया-संरचना के युक्तिकरण के प्रस्तावों पर विचार किया गया था। हमने यह मामला वित्त मंत्रालय को पहले ही भेजा हुआ है।

इस बात पर भी विचार किया जा रहा है कि क्या यात्रियों को दिल्ली परिवहन निगम तथा रिंग रेलवे पर इकहरे टिकट की सुविधा दी जा सकती है गाड़ियों के फेरे भी मांग के अनुसार बढ़ाये जायेंगे।

एशियाई खेलों के दौरान रिंग रेलवे की सेवा निःसन्देह अधिक सहायक होगी।

इस आरम्भिक चरण में, केवल यह कहा जा सकता है कि रेलें इन सेवाओं को अधिक से अधिक लोकप्रिय बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है।

श्री बी० डी० सिंह : अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के लाखों निवासियों को बहुत दिनों से विद्युत-चालित रेलवे की सेवा की प्रतीक्षा थी। यह खुशी की बात है कि पिछले 15 अगस्त को इसका उद्घाटन हुआ। परन्तु कुछ कारणों से लोगों के दिमाग में इस बारे में कई भ्राँतियां उत्पन्न हो गई हैं। उनमें से एक मुख्य बात किराए के सम्बन्ध में है, क्योंकि यह महसूस किया जाता है कि जो किराया चार्ज किया जाएगा, उसकी दर बहुत ऊंची है। जब 40 करोड़ रुपया इसके एलेक्ट्रिफिकेशन पर खर्च हुआ तो प्लानिंग कमीशन ने यह बात कही थी बल्कि इस पर बहुत जोर दिया था कि यह सेवा नो प्राफिट नो लास बेसिस पर चलनी चाहिए। रेट ट्राफिक इंक्वायरी कमेटी ने भी इस बात पर जोर दिया था कि इस सेवा में किसी प्रकार की कोई सब्सीडी नहीं दी जाएगी, इसको हर हालत में नो प्राफिट नो लास बेसिस पर चलना होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए रेल अधिकारियों द्वारा जो किराया तय किया गया है उसमें सेकेन्ड क्लास का किराया तो एक रुपया है, चाहे कोई पूरी यात्रा करे या एक स्टेशन से चढ़कर दूसरे स्टेशन पर उतर जाए यानी मिन्टो ब्रिज स्टेशन से कोई नयी दिल्ली भी आए तो भी उसे एक रुपयेा देना पड़ेगा। इसके अलावा जो मन्थली किराया है वह 24 रुपए है। रेल ट्रैफिक इंक्वायरी कमेटी का कहना है कि मंथली किराया एक सिंगल जर्नी के किराए से कम से कम 25 गुना होना चाहिए। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि वाम्बे और कलकत्ता के सबर्बन एंरियाज में जो इस तरह की रेल सेवा उपलब्ध है वहां सिंगल जर्नी और मंथली किराए का अनुपात 1 और 10 है जबकि यहाँ पर 1 और 25 है तो यहां पर ऐसा क्यों रखा गया है— इस बात को मन्त्री जी स्पष्ट करने की कृपा करें। जहां तक फर्स्ट क्लास के किराए का सम्बन्ध है, वह इसका चार गुना है।

इसमें एक दूसरी विशेष ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर यात्री पहले बस द्वारा अपने स्थान से स्टेशन तक पहुंचते हैं और फिर ट्रेन से उतरने के बाद पुनः बस द्वारा ही अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचते हैं। इस प्रकार अपने घर से स्टेशन तक आने के लिए वे बस का किराया देते हैं, फिर रेल का किराया देने के बाद रेलवे स्टेशन से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए फिर बस का किराया देते हैं। इस सम्बन्ध में यह सुझाव है कि बस और रेलवे के किराए को सम्मिलित कर दिया जाए।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

यानी एक टिकट के अन्तर्गत ही बस और रेल, दोनों में यात्रा की जा सके। ऐसा न होने के कारण अभी यह रेल सेवा पापुलर नहीं हो पा रही है। अभी तक जो रिपोर्ट है उसके अनुसार मार्निंग आवर्स में 40 परसेन्ट यात्री यात्रा कर रहे हैं और सांयकाल 25-30 प्रतिशत

यात्री ही यात्रा कर रहे हैं। इसलिए जब तक इसके किराए की ओर ध्यान नहीं दिया जायेगा तब तक यह सेवा पापुलर नहीं हो सकेगी।

दूसरी बात मैं यह जानना चाहता हूं कि मंथली रेट और पर-जर्नी किराए को कम करने के लिए मन्त्री जी कोई आश्वासन देंगे ? तीसरी बात इसकी फ्रीक्वैन्सी से सम्बन्धित है। विद्युतीकरण होने से पहले यहां पर जितनी गाड़ियां चल रही थीं करीब-करीब उतनी ही गाड़ियां आज भी चल रही हैं, केवल डेढ़ गाड़ियाँ बढ़ाई गई हैं। एक तो निजामुद्दीन से गाड़ियाँ चलती हैं और पूरा चक्कर लगाकर निजामुद्दीन ही पहुंचती हैं और दूसरी गाड़ियां पटेलनगर स्टेशन पर टर्मिनेट हो जाती है। इस प्रकार से 40 करोड़ रुपया जो खर्च किया गया है उसके बाद केवल डेढ़ ट्रेन्स बढ़ाई गई है। तो इसकी फ्रीक्वैन्सी और गाड़ियां बढ़ाई जानी चाहिए।

इसके साथ साथ इस बात की भी मांग है कि कुछ ऐसे अधिक महत्वपूर्ण स्थान हैं, जैसे ओखला है, गाजियाबाद है, जिनको इसमें सम्मिलित नहीं किया गया है अतः जब तक इन क्षेत्रों को भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा तब तक यह रेल सेवा अधिक पापुलर नहीं हो पाएगी। इन क्षेत्रों को भी रिंग रेलवे की परिधि में लाया जाना चाहिए और इसके लिए कोई अधिक खर्चा भी नहीं करना पड़ेगा। इस सम्बन्ध में भी मन्त्री जी को विचार करना चाहिये। ऐसा विचार व्यक्त किया गया है कि दिल्ली से सोनीपत और दिल्ली से गाजियाबाद और मेरठ तक इसको जोड़ा जाए। आप महसूस न करें, लेकिन कुछ दिनों के बाद ट्रैफिक इतना अधिक बढ़ जाएगा कि इसकी आवश्यकता पड़ सकती है। यह आप जानते हैं कि आज भी मथुरा रोड और जी०टी० रोड पर अधिक ट्रैफिक होता है। अधिक ट्रेफिक होने की वजह से आये दिन एक्सीडेंड हो जाते हैं। इसलिए भविष्य को ध्यान में रखकर इसकी व्यवस्था करनी चाहिए।

यह सही है कि इसके लिए आपको सहारनपुर लाइन का विद्युतीकरण करना पड़ेगा और दिल्ली तथा अम्बाला का विद्युतीकरण करना पड़ेगा, लेकिन इससे जनता को काफी सुविधा हो जाएगी। एक विचार यह भी व्यक्त किया जा रहा है कि स्टेशन्स पर कनैक्टेड बसेज की सुविधा होनी चाहिए। यात्रियों को जहां जाना होता है, उसके लिए कनैक्टेड बसेज की सुविधा नहीं है। डी०टी०सी० से बात करके इस समस्या का समाधान करना पड़ेगा। यदि महत्वपूर्ण स्थानों से बसों को जोड़ा जाएगा तभी यह ट्रेन पोपुलर होगी। कठिनाई यह है कि स्टेशन से अपने गन्तव्य स्थान पर जाने के लिए सुविधा नहीं है। मुझे उम्मीद है आप इस दिशा में भी कारगार कदम उठायेंगे।

अंत में, मैं क्वालिटी आफ सर्विस के बारे में कहना चाहता हूं। ट्रेन्स आपकी समय पर नहीं चलती है। इसमें अधिकतर लोग दफ्तरों में जाने वाले होते हैं, जिनको समय पर दफ्तर पहुंचना होता है। यदि यह ट्रेन समय पर नहीं पहुचायेंगी, तो समस्या का समाधान नहीं होगा। अभी पिछले दिनों बहुत सी गाड़ियां एक घंटा और डेढ़ घंटा लेट थी। सत्तर मिनट में पहुंचना होता है, और 90 मिनट गाड़ी लेट होती है, इससे तो जनता को कठिनाई होगी।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि जुलाई में रेलवे बोर्ड की मीटिंग हुई थी। वहां किसी उच्च अधिकारी ने कहा था कि यदि ये ट्रेन ना-प्राफिट, ना-लास पर चलेंगी तो इसको विदड्रा कर लेंगे। मंत्री जी इस बात का आश्वासन दें कि क्या ऐसी कोई बात हुई थी या नहीं हुई थी ? यदि इस ट्रेन को सब्सिडाइज्ड रेट पर चलायेंगे, तो मेरे विचार में अच्छा होगा।

श्री मल्लिकार्जुन : उपाध्यक्ष महोदय, यह जो नूतन विद्युतीकरण दिल्ली में रिंग-रेलवे का किया गया है, इसको समाप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता है। यह जो विद्युतीकरण किया गया है, यह अभी शिशु-अवस्था में है, इसके पूरी तरह से वृद्धि होने की आशा है इसमें समाज का सहयोग चाहिए। जहां तक सवाल फेयर-स्ट्रक्चर का है, सेन्ट्रल रेलवे वेस्टर्न रेलवे सबर्बन में ज्यादा फर्क है। इस तरीके से नहीं है। यह जो रिंग-रेलवे है, 35 किलोमीटर की है और जो सेंट्रल-रेलवे, वेस्टर्न-रेलवे का फेयर-स्ट्रक्चर है, वहां मिनिमम 70 पैसा है, 9 किलोमीटर तक और 13 किलोमीटर पर 90 पैसा है और चौदह से बीस किलोमीटर तक 1 रुपया दस पैसा किराया है, लेकिन यहां दिल्ली में एक रुपया किराया रखा गया है, जिसमें 35 किलोमीटर का रिंग-रेलवे है और यात्री एक रुपए का टिकट लेकर क्लाक-वाइज, एंटी क्लाक-वाइज ट्रेवल कर सकते हैं।

सुविधा को और सुचारू बनाने के लिए डी टी सी के अधिकारियों से भी संपर्क किया गया है, ताकि आपस में सहयोग करके यात्रियों को ज्यादा सुविधाएं दी जा सकें। फेयर स्ट्रक्चर पर हाल ही में वित्त मंत्री जी से भी विचार-विमर्श किया गया है।

इस प्रकार रिंग-रेलवे का सेंट्रल-रेलवे या वेस्टर्न रेलवे के फेयर स्ट्रक्चर से कोई तारतम्य नहीं है।

श्री बी० डी० सिंह : बसेस के टिकिट की जो बात है, उसके बारे में क्या कार्यवाही की जाने वाली है ?

श्री मल्लिकार्जुन : बसेस का टिकट लेकर बस में यात्रा करें और रेल में भी यात्रा करें, इस विषय पर जांच करने के लिए भी विचार-विमर्श किया जाएगा।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी (निजामाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय रिंग रेलवे को शीघ्र पूरा करने के लिए रेलवे प्रशासन बधाई का पात्र है; जिस रफ्तार से उन्होंने काम किया, उसकी सबको सराहना करनी चाहिये। इस पर बहुत लागत आई है। अब मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वे इसे लागत पर आधारित न बनाये। यदि वे पैसा चाहते हैं, तो कहीं और मद से ले लें। यह सुविधा दिल्ली के गरीब लोगों के लिये है यदि 10 रुपये प्रति दिन पाने वाला कोई व्यक्ति 2 से 3 रुपये परिवहन पर व्यय करे, तो वह इसे कैसे सह सकता है। रेलवे को यह बात ध्यान में रखनी चाहिये।

अनेक मामलों में रेलवे समय के अनुसार बस के कनेक्शन होने चाहिये। यदि कोई ऐसा प्रबन्ध किया जायेगा तो यातायात में स्वभावतः वृद्धि होगी। मंत्री का तर्क यह है कि जब यातायात में वृद्धि होगी तो वे रेलवे सेवाओं में भी वृद्धि करेंगे। लेकिन मैं अनुरोध करता हूं कि मंत्री दूसरा उपाय अपनाये। यदि वह रेलवे सेवायें बढ़ायें तो अधिक लोग आयेंगे। बम्बई तथा अन्य स्थानों पर तीन अथवा चार मिनटों के बाद गाड़ी चलती है। सरकार को यहां भी गाड़ी की 'फ्रिक्वेन्सी' बढ़ाने पर विचार करना चाहिये। 'फ्रिक्वेन्सी' 10 से 15 मिनट होने दें। उस दशा में काफी यात्री आयेंगे और सेवा किफायती बन जायेगी।

रेलवे स्टेशन को जाने वाली सड़कों के बारे में दिल्ली प्रशासन के साथ परामर्शकों का उचित प्रबन्ध किया जाना चाहिये। रेलवे स्टेशनों के रास्ते में कई रुकावटें हैं; उन्हें साफ किया जाना चाहिये और उचित सड़कें बनानी चाहिए।

यदि ये सब बातें की जायें, तो यह एक आदर्श रेलवे प्रणाली बनेगी।

अब मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि इसमें सभी संसद सदस्यों की यात्रा का प्रबन्ध करें।

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने रेलवे पास के साथ यात्रा कर सकते हैं।

श्री एम० रामगोपाल रेड्डी : यदि हम उपाध्यक्ष महोदय तथा सभी अन्य सदस्यों के साथ यात्रा करें तो हम इसका अधिक आनन्द ले सकते हैं।

रेल मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : उपाध्यक्ष महोदय, दिल्ली प्रशासन तथा दिल्ली परिवहन निगम से कई प्रस्ताव आये हैं। एक प्रस्ताव किराये ढांचे को युक्तिसंगत बनाने से सम्बन्धित था। रेल मंत्रालय का इस के पास इस मामले का कोई अधिकार नहीं है। योजना आयोग द्वारा बनाये गये विशेष आधार पर ही किराया ढांचा निश्चित किया गया है।

अब हमने समूचे सतर्क प्रस्तात, जिन पर हमने दिल्ली प्रशासन, दिल्ली परिवहन निगम तथा रेलवे से चर्चा की है वित्त मंत्रालय को किराए ढांचे का युक्तिकरण करने सम्बन्धी राय लेने के लिए भेज दिये हैं।

परिक्रमा रेलवे की लोकप्रियता के बारे में कम यात्रियों का होना मूल कारण है। मैंने स्वयं गाड़ियों में यात्रा की है और मैंने देखा है कि कई स्टेशनों से बसें नहीं आयीं। जब तक रेलों और बसों के बीच सम्बन्ध नहीं होगा तब तक यात्रियों को रेल सेवा का उपयोग करना कठिन हो जायेगा। अतः हम इस बात का ध्यान रखने की कोशिश कर रहे हैं कि लगभग सभी स्टेशनों पर बसें आयें तथा बसें रेलवे स्टेशनों तक जा सकें ताकि बसों के यात्री रेल तथा रेल के यात्री बसों की सेवा का उपयोग कर सकें 'फ्रिक्वेन्सी' की कोई समस्या नहीं है। इस समय कम 'फ्रिक्वेन्सी' का कारण यह है कि हमारी गाड़ियां खाली चल रही हैं। इसीलिये हम निरुत्साहित हुये हैं।

जैसी भी आवश्यकता हो, हम 'फ्रिक्वेन्सी' बढ़ा लेंगे हमने दिल्ली प्रशासन, दिल्ली परिवहन निगम तथा वित्त मंत्रालय से बात की है। वे सब 'फ्रिक्वेन्सी बढ़ाने के लिए सहमत हैं। यह कोई समस्या नहीं है।

जहां तक सदस्यों को एक साथ यात्रा करवाने का सम्बन्ध है, वे ऐसा किसी भी दिन कर सकते हैं। मैं उस बारे में संसदीय कार्य मंत्री से अनुरोध करूंगा, ताकि आप एक साथ यात्रा कर सकें। मुझे कोई आपत्ति नहीं है। यह हमारे लिये एक खुशी का अवसर होगा।

श्री एन० जी० रंगा (गुंटूर) : आनन्द यात्रा क्यों ? यह यात्रा निरीक्षण के लिए होनी चाहिए।

श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी : निरीक्षण के लिये भी। आप जो भी सुझाव देना चाहते हैं हम उन्हें सुनेंगे और कार्यान्वित करेंगे।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री (सैदपुर) : उपाध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं रेल मंत्री जी को अपनी ओर से बधाई दे रहा हूं कि इन्होंने निश्चित समय पर कम से कम एक तो अपना वायदा पूरा कर दिया और दिल्ली में रिंग रेलवे चला दी। जब यह विद्युत रेल परियोजना चलाई गई थी और जब इसकी प्लानिंग बन रही थी तो सरकार का विचार था कि लगभग 22 करोड़ 65 लाख रु० की यह योजना होगी और 1975-76 में इतने ही रुपये का बजट में प्रावधान भी किया गया था। माननीय कमलापति त्रिपाठी जी यहाँ बैठे हुए हैं, देखने से ऐसा पता चला था कि इतने ही रु० में यह योजना पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन हुआ क्या कि इस परियोजना की कुल लागत 40, 45 करोड़ रु० के बीच हो गई। यानी दुगुनी बढ़ गई। आज एक पेपर कटिंग देख रहा था उसमें था पंडित जी ने जब इसकी योजना रखी थी, तो इसमें कहा गया यह था कि शकूरबस्ती तुगलकाबाद, कनाट प्लेस, इन्द्रप्रस्थ ऐस्टेट, सदर बाजार, किशनगंज, पटेलनगर, कीर्तिनगर, मोती बाग, सरोजनी नगर, लाजपत नगर, निजामुद्दीन इसके मुख्य स्टेशन्स होंगे और यहाँ यह गाड़ी लगभग 2 मिनट खड़ी होगी और पूरी दिल्ली की परिक्रमा 60 मिनट में पूरी कर ली जायेगी। सुबह और शाम जिस उद्देश्य को लेकर यह रेलगाड़ी चलाई गई थी तो इस खास बात की ओर ध्यान था कि दिल्ली में परिवहन समस्या बढ़ती जा रही है. यहां जनसंख्या का दबाव बढ़ रहा है, विकास निरंतर होता जा रहा है।······· आफिसों में लोग-बाग बसों की प्रतीक्षा के कारण समय पर नहीं पहुंच पाते हैं, इसलिये इस रिंग रेलवे योजना को चलाकर एक बहुत बड़ी कमी को पूरा किया जायेगा।

सुबह-शाम के लिये व्यवस्था की गई थी, जिस समय आफिस के कर्मचारियों की भीड़ रहती है, उस समय 10, 10 मिनट के अन्तराल पर 6 रेलगाड़ियाँ चलेंगी और फिर उसके बाद 12 मिनट के अन्तराल पर 5 रेलगाड़ियां चलेंगी। हमें इस बात की खुशी है कि रेल मंत्रालय ने इस बात का विशेष अध्ययन किया और उन्होंने फिर अपनी योजना को बदलकर 10,10 मिनट के अन्तराल पर 18,20 गाड़ियों के चलाने की बात कही और इसके बाद इस गाड़ी में

9 डिब्बे जो लगाये जाने थे, उसमें 3 डिब्बे और बढ़ाकर कुल 12 डिब्बे लगाने की योजना बनाई ।

ऐसी सुखद योजना का आपने मंगलवार 15 जून, 1982 को उद्घाटन भी किया, निज़ामुद्दीन स्टेशन से यह गाड़ी चली ।

हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि इसका उद्घाटन मंगलवार 15 जून को नहीं होने वाला था बल्कि इसका उद्घाटन सोमवार, 14 जून को होने वाला था । हमको सूचना मिली है कि निश्चित समय पर यह गाड़ी चलाई भी गई, लेकिन 2,4,10 कदम पर यह गाड़ी रुक गई । कहा गया कि बिझली का अभाव है, कल से गाड़ी चलाई जायेगी । इस गाड़ी के चलने के पहले ही दिन सिर मुंडाते ही ओले पड़ गये और इस गाडी का दूसरे दिन उद्घाटन हुआ ।

यह गाड़ी जो चलाई जा रही है, यह विशेष तौर पर गवर्नमेंट के कर्मचारियों, पर्यटकों, अन्य व्यवसायियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए चलाई जायेगी । यदि इस गाड़ी की, जैसे कि उद्घाटन के दिन बिजली फैल हुई, ऐसे ही निरन्तर बिजली फैल होती रहेगी तो मैं समझता हूं कि यह गाड़ी सुख देने के स्थान पर सब को कष्ट ही प्रदान करेगी ।

मैं इस सम्बन्ध में मंत्री जी की प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि इस गाड़ी को यथावत बिजली मिलती रहेगी या नहीं ? यदि यह गाड़ी निरन्तर अपनी परिक्रमा पूरी करती रही तो यह रेल मंत्रालय की दिल्ली जैसे शहर के लिये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ।

मान्यवर, जैसा मंत्री जी ने अभी बताया है कि इस रेलगाड़ी का किराया 1 रुपया है । अन्य शहरों में 90 पैसे और 70 पैसे इसका किराया है और उसकी सीमा निश्चित है । इस गाड़ी की दिल्ली में कुल 35 किलोमीटर की सीमा है । एक व्यति जो डेली पैसेन्जर होगा वह एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाये, ऐसे बहुत कम ही होगा । बहुत से लोगों को 4, 5, या 10 किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ती है । बस में 40 पैसा किराया लगता है और इस रेल में एक रुपया लग जायेगा जो कि दो घंटे तक वैलिड रहेगा । 4 रुपये प्रथम श्रेणी का और 28 रुपये मासिक पास का किराया रखा गया है ।

बसों के मुकाबले में यह रेलगाड़ी मंहगी पड़ती है । आपने आश्वासन दिया था कि वित्त मंत्रालय से परामर्श कर रहे हैं । यह बड़ी अच्छी बात होगी यदि इसे नो-लास और नो-प्राफिट बेसिस पर चलाया जाये । हमारे यहां एशियाड खेल 19 नवम्बर से शुरू हो रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि क्या उसके पहले ही किराये के बारे में फैसला कर लिया जायेगा और बस से भी सस्ती यह विद्युत रेलगाड़ियां पड़ेंगी या नहीं ?

आज-कल रेल-गाड़ियों में बड़े जबर्दस्त अपराध हो रहे हैं । एक कालिंग एटेन्शन नोटिस के सम्बन्ध में मंत्री महोदय से चखचख भी हुई । मैं जानना चाहता हूं कि क्या रेल मंत्रालय ने इस रेल-गाड़ी में सुरक्षा की कोई व्यवस्था की है । देखा जाता है कि दिल्ली में एक

घंटे में एक भयंकर अपराध हो रहा है। अभी अभी दिल्ली के लाल किले में एक जर्मन युवती को लूटा गया और उसके साथ बलात्कार किया गया।

जहां तक स्टेशन से लिंक्ड बसें चलाने का सम्बन्ध है, हमें प्रसन्नता है कि मंत्री महोदय इस बारे में सोच रहे हैं। लेकिन प्रायः देखा जाता है कि हमारे यहाँ तीन, चार, पांच वरस तक सोचने का क्रम जारी रहता है और निश्चित समय पर कोई कार्य करने या निष्कर्ष निकालने जैसी कोई चीज नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि कब तक बसों द्वारा स्टेशन के साथ लिंक बना दिया जाएगा।

क्या इसी एक रुपए के टिकट से बसों में भी यात्रा की जा सकेगी और रेल-गाड़ियों में भी यात्रा की जा सकेगी, या बसों और रेल-गाड़ियों के लिए अलग अलग टिकट खरीदना होगा?

इस रेल-गाड़ी में केवल 9 डिब्बे होंगे और उसमें 1,000 आदमियों के बैठकर यात्रा करने की सुविधा होगी। इसके साथ ही 3,000 आदमी खड़े होकर यात्रा करेंगे। मैं जानना चाहता हूं कि पहले ही यह कैसे तय किया जा रहा है कि 3,000 आदमी खड़े हो कर यात्रा करेंगे। क्यों नहीं डिब्बों को बढ़ा कर ऐसी व्यवस्था की जाती कि खड़े हो कर यात्रा करने की नौबत ही न आए और लोग आराम के साथ बैठकर यात्रा करें? यदि लोगों को खड़े होना ही है, तो फिर ऐसी व्यवस्था की जाए कि गाड़ी की गति और स्टेशनों पर हाल्ट के समय पर कोई नियंत्रण हो।

श्री मल्लिकार्जुन : मान्यवर, जहाँ तक माननीय सदस्य के इस प्रश्न का सम्बन्ध है कि यह विद्युत-चालित रेल 14 जून को चलाई गई, मगर वह नहीं चल सकी, यह कल्पना ठीक नहीं है, यह गलत है। इस ट्रेन को सिर्फ 15 अगस्त को आरम्भ किया गया।

मैं सदन को पहले ही बता चुका हूं कि किराये के मामले में सोच-विचार हो रहा है। किन्तु जो किराया एक रुपया ले रहे हैं, यह दूसरीं सवर्बन ट्रेन्ज······।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : इस अखबार में लिखा हुआ है कि सरकार इस गाड़ी को 15 तारीख को चलाना चाहती थी, मगर उस दिन वह दस कदम चल कर रुक गई।

श्री मल्लिकार्जुन : जब कोई योजना आरम्भ की जाती है, तो उसकी एक टारगेट डेट होती है। लेकिन अगर सब सम्बन्धित काम पूरा नहीं होता है, तो उसमें परिवर्तन कर दिया जाता है। अगर कोई आरिजिनल डेट को लेकर बात करता है, तो मन्त्रालय उसकी जिम्मेदारी नहीं लेता है।

श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : यह बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है। यह कोई लड़ाई नहीं है। अगर कोई अखबार गलत बात लिखता है, तो उसके बारे में आवश्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। इसने लिखा है :

"उल्लेखनीय है कि परिक्रमा-सेवा का उद्घाटन कल सोमवार को होने वाला था, किंतु बिजली के अभाव में गाड़ी अपनी जगह से हिल ही नहीं सकी। गाड़ी को खींचने वाला इंजिन भी कुछ दूरी पर जा कर रुक गया।"

यह स्पष्ट इसमें लिखा है अतः डेट: के गड़बड़ होने का कोई प्रश्न नहीं है। मान लीजिए उद्घाटन 15 तारीख को करना हो तो हो सकता है किसी परिस्थिति में 25 या 30 तारीख को करना पड़ जाए। इसलिए डेट स्थगित होने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन उद्घाटन के दिन गाड़ी दस कदम चलकर ही रुक गई। ऐसी दशा में मान लीजिए किसी व्यक्ति को दस बजे अपने दफ्तर पहुंचना है, वह पौने दस बजे ट्रेन में बैठता है और सोचता है कि पांच मिनट में वह अपने आफिस पहुंच जायेगा लेकिन वह पहुंचता ही नहीं है जिसके कारण उसको मोअत्तली और सस्पेंशन का सामना करना पड़ता है। तो इस स्थिति की ओर मैं मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता था।

श्री मल्लिकार्जुन : माननीय सदस्य द्वारा अपकुशन करने से काम रुक नहीं सकता है। अतः अपशकुन करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन मान लीजिए विजली का प्रबन्ध नहीं किया जाता है तो उसके निर्माण की योजना तुरन्त कहां बन सकती है। परन्तु जहां तक किराए का सम्बन्ध है या रोड और रेल ट्रांसपोर्ट के सम्बन्ध का प्रश्न है, इस मामले पर सरकार बड़ी गम्भीरता के साथ विचार कर रही है। माननीय सदस्य को इस सम्बन्ध में ऐसी कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है कि यह सेवा फेल हो जायेगी। वैसे तो मैं स्वयं जब यहां पार्लमेंट के लिए आ रहा होऊं तो रास्ते में ही कुछ हो सकता है परन्तु ऐसी कल्पना करके हम आगे चल नहीं सकते हैं।

जहां तक सुरक्षा का सम्बन्ध है, वह चाहे रिंग रेलवे हों या अन्य रेलवेज, हम इसको बहुत ही आवश्यक मानते हैं। सुरक्षा का पूरा प्रबन्ध रहेगा अतः माननीय सदस्य के लिए घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री दौलत राम सारण (चुरू) : माननीय उपाध्यक्ष जी, रिंग रेलवे के सम्बन्ध में यहां पर काफी कहा गया है। मुझे ऐसा लगता है कि इस योजना को बनाते समय बहुत से प्रश्नों पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसी वजह से इनकी लागत भी बढ़कर दूनी हो गई तथा जितनी इसकी परिवहन क्षमता आंकी गई थी उसके अनुरूप यात्री भी नहीं मिल रहे हैं। इस योजना को बनाते समय लिंक रोड्स बनाने की परिकल्पना भी नहीं की गई थी। अब उसकी परिकल्पना करके उनको जोड़ने की चेष्टा की जा रही है। इन्हीं कारणों से इस योजना को आज हानि हो रही है। मन्त्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि परियोजना के माध्यम से यात्रियों को बेहतर सेवा तथा सुरक्षित परिवहन सुविधायें देने की कल्पना की गई थी, अब वह निराधार अफवाहों का शिकार हो गई है। मैं जानना चाहूंगा कि वह निराधार अफवाहें क्या हैं जिनका शिकार यह परियोजना हो रही है?

आपने यह भी कहा है कि इसे और अधिक लोकप्रिय बनाने के लिए हर सम्भव प्रयास कर रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि वह "हर सम्भव प्रयास" की तकलीफ क्या है ? आपने लिंक रोड्स को जोड़ने की बात कही है। आपने किराए की बात भी कही है। सुरक्षा के सम्बन्ध में जो बात उठाई गई उसके सम्बन्ध में भी आपने कहा है। इनके अलावा आपकी और क्या विशेष योजनायें हैं जिनके द्वारा आप इस सेवा को और अधिक सफलतापूर्वक चला सकेंगे ?

आपने यह भी कहा है कि यात्रियों द्वारा इस सेवा का उपयोग आशा के अनुरूप न होने का मूल कारण यह प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण रिंग रेलवे पर पटेल नगर जैसे कुछ स्टेशन बस सेवा तथा किराए के वाहनों की सेवा से समुचित रूप से जुड़े हुए नहीं हैं। मैं जानना चाहता हूं कि पहली योजना की परिकल्पना में ही यह जुड़ें हुए नहीं थे या जोड़ने की कल्पना थी परन्तु किसी कारणवश कार्यवाही नहीं हो सकी—इन दोनों में कौन सी बात सही है ? इसके अतिरिक्त आप जो फीडर सर्विस उपलब्ध कराने की बात सोच रहे हैं वह कब तक उपलब्ध करा देंगे ताकि आपकी कल्पना के अनुसार यह रेल सेवा चलनी शुरू हो जाए ? आपकी योजना के मुलाविक आप कितने परिवहन की रोज आशा करते हैं— यह मैं जानना चाहता हूं। एक तरफ आप कहते हैं कि इसके सम्बन्ध में सब विभागों से विचार-विमर्श किया है और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि वित्त मन्त्रालय को पहले प्रस्ताव भेज दिया गया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि विमर्श करने से पहले या विमर्श करके फाइनल प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। उस प्रस्ताव की रूप-रेखा क्या है—इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें तो अच्छा रहेगा।

आप कह रहे हैं कि गलत फहमियां फैल रही हैं, यदि आप इन सब बातों का जवाब दें तो लोगों में गलत फहमियां दूर होंगी वे आश्वस्त होंगे और उनको यात्रा करने का मौका मिल सकेगा। टिकटों के बारे में फैसला और दूसरे परिवहन सेवाओं का तारतंम्य का फैसला आप कर सकते हैं और क्या इस बारे में आप कोई अवधि बता सकते हैं।

इसको लोकप्रिय बनाने के लिए यदि आप अधिक प्रयत्न करेंगे तो लोगों को लाभ मिल सकेगा। क्या यह सही है कि रिंग-रेलवे का प्रचारित करने के लिए अधिक कंजूसी की गई है। जितना प्रचार इसका होना चाहिए था, उतना प्रचार नहीं किया गया है। बल्कि इसके विरोध में अधिक प्रचार हो रहा है। इसी की वजह से लोगों के अन्दर आशंका है, अविश्वास है। इन सब बातों की ओर कृपा करके आप प्रकाश डालें, ताकि जनता को राहत मिल सके।

श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी : महोदय, मेरे माननीय साथी, उप मंत्री महोदय सब कुछ बता चुके हैं और मेरे विचार से मेरे लिए कोई नयी बात कहने के लिए नहीं है। मैं माननीय सदस्यों को एक मात्र यह बताना चाहता हूं कि मुद्रिका रेल सेवा कोई अभिनव सेवा नही है यह तो दिल्ली परिक्रमा सेवा का प्रतिस्थापन मात्र है। इतनी सी बात है। ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई विशेष कार्य किया है, केवल उसका विद्युतीकरण मात्र किया गया है।

मुद्रिका रेलवे का कुल मार्ग लगभग 35 किलोमीटर है। परियोजना की कुल लागत 34 करोड़ रुपये की थी और अब तक कुल 29.9 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। कुछ कठिनाईयां हैं, जिनका मैंने और मेरे साथी ने भी उल्लेख किया है और हम थोड़ा-थोड़ा करके उन पर काबू पाने का प्रयास कर रहे हैं : यह सब एक दिन में नहीं हो सकता है। बहुत-से भवन हैं, अड़चने हैं और रास्ता उनमें से नहीं लिया जा सकता है। हम रास्ता लेने के लिए प्रयत्नशील हैं; कहीं-कहीं भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। सभी प्रक्रियाओं का अनुसरण करना पड़ेगा और हम आवश्यक कार्यवाही कर रहे हैं। मैं सदन को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हमने बहुत प्रगति की है और मेरे विचार में अधिक समय में यह सेवा अत्यन्त लोक प्रिय हो जायेगी।

जहां तक इस बात का प्रश्न है कि मूल्य-ढ़ाँचे को हम युक्तिसंगत कब तक बना सकेंगे, उस बारे में मैं कोई बचन नहीं दे सकता हूं। सम्भवतः हमें इस पर बार-बार सलाह लेनी होगी और विचार करना होगा। परन्तु व्यक्तिगत रूप से मैं यह अनुभव करता हूं –यह गलत भी हो सकता है और मेरी ओर से यह कोई आश्वासन नहीं है –कि जो कुछ भी दिल्ली प्रशासन कह रहा है, जो कुछ भी दिल्ली परिवहन निगम कह रहा है, उसमें पर्याप्त तर्क है और इसी कारण से हमने प्रस्ताव को विचार हेतु वित्त विभाग के पास भेजा है।

समितियों के लिए निर्वाचन

(एक) राजभाषा समिति

गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : मैं श्री प्रकाश चन्द्र सेठी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, श्री जैल सिंह द्वारा लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिए जाने के कारण रिक्त हुए स्थान पर, राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में, लोक सभा के सदस्य एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार, श्री जैल सिंह द्वारा लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दिए जाने के कारण

रिक्त हुए स्थान पर, राजभाषा समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(दो) प्राक्कलन समिति

श्री बन्सी लाल (भिवानी) : महोदय, मै प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, प्राक्कलन समिति के शेष कार्यकाल के लिए, श्री रामचन्द्र रथ के स्थान पर, जो राज्य मंत्री नियुक्त किए जाने के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, उस समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन नियमों के नियम 311 के उप-नियम (1) के साथ पठित नियम 254 के उप-नियम (3) द्वारा अपेक्षित रीति से, प्राक्कलन समिति के शेष कार्यकाल के लिए, श्री रामचन्द्र रथ के स्थान पर, जो राज्य मंत्री नियुक्त किए जाने के कारण समिति के सदस्य नहीं रहे हैं, उस समिति के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) बम्बई से कपड़ा मिलों का प्रस्तावित स्थानान्तरण

श्रीमती उषा प्रकाश चौधरी (अमरावती) : करों में रियायत, अन्य प्रकार के प्रोत्साहन और जमीन, बिजली, पानी की दरों में छूट आदि से आकृष्ट होकर बंबई में स्थित सूती कपड़ा मिलें देश के अन्य पिछड़े क्षेत्रों में जाने के लिए कोशिश कर रही हैं। उत्पादन की बढ़ती हुई लागत भी इसके लिए उत्तरदायी दिखाई देती है। लगभग एक दर्जन कपड़ा मिलें इस बात की समीक्षा कर रही हैं कि बंबई के बाहर जाने में क्या हानि-लाभ हो सकते हैं। सदन को मालूम है कि बंबई में वर्तमान में कपड़ा मिलों में जो श्रमिक स्थिति विद्यमान है उसने भी कपड़ा मिलों

को अन्य स्थान पर जाने के लिए सोचने पर विवश कर दिया है। इन क्षेत्रों में यह विचारधारा भी बढ़ रही है कि कपड़ा मिलों को बंबई के बाहर ले जाने पर जो लंबी-चौड़ी जगह और विस्तृत भूखण्ड इन्हें उपलब्ध हो जाएंगे उनसे जो आमदनी होगी वह कल्पना से परे है। बंबई और बंबई के बाहर जो मिलें कपड़ा उत्पादन करती हैं, उनमें प्रति मीटर 63 पैसे का अंतर रहता है। इस प्रश्न से पानी, ईंधन, तेल और मजदूरी के प्रश्न जुड़ें हुए हैं। मिलों को बंबई से बाहर ले जाने के लिए राज्य और केन्द्र सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है। कपड़े के उत्पादन के साथ ही उसकी खपत का प्रश्न भी जुड़ा हुआ है। इस महत्वपूर्ण प्रश्न को लेकर महाराष्ट्र की जनता में काफी उद्विगनता, अधीरता और जिज्ञासा व्याप्त है। मैं केन्द्र सरकार से इस विषय में अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करने का अनुरोध करती हूं।

(दो) गंडक नदी पर छितौनी पुल के पुनः निर्माण कार्य को पूरा करने की आवश्यकता

श्री ए० के० राय (धनबाद) : महोदय, मेरे 377 के मामले में से कुछ अंश काट दिया गया है। मैं उसमें यह जोड़कर पढ़ना चाहूंगा।

उपाध्यक्ष महोदय : उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री ए० के० राय : बिहार पश्चिमोत्तर रेलवे के सेवाकाल में गंडक नदी पर छितौनी नाम का पुल था जो कि बाघा (बिहार) को छितौनी उत्तर प्रदेश से जोड़ता था। कुछेक दशक पूर्व पुल का कुछ भाग बाढ़ में बह गया था और पुल तभी से ऐसे ही बेकार पड़ा है। 1971 के संसदीय चुनावों की पूर्व सन्ध्या पर तत्कालीन प्रधान मन्त्री ने इस मार्ग से बिहार और उत्तर-प्रदेश के पुर्ननिमाण के चिन्ह स्वरूप इसकी आधारशिला रखी थी।

बाघा पश्चिमी चम्पारन का एक अविकसित क्षेत्र है और इसी प्रकार छितौनी देवरिया (पूर्वी उत्तर-प्रदेश) का है। यदि पुल बना दिया जाता है और रेल मार्ग पुनः चालू कर दिया जाता है तो यात्रियों की सुविधाओं के अतिरिक्त, इस अविकासित क्षेत्र के विकास के लिए भी अच्छा अवसर है। जब तत्कालीन रेल मन्त्री पदासीन थे तो, इस पुल के पुर्ननिमाण की अनुमति दी गई थी। निमार्ण सामग्री एकत्र की जा रही थी और बाघा से छितौनी की ओर को कुछ मील तक रेल की पटरी बिछाई भी गई थी। एक रेलवे स्टेशन यथा, रामपुर हाट मदनपुर शुरू भी किया गया था। दो वर्ष पहले संसद को बताया गया था कि चूंकि रेलवे-बोर्ड के हिस्से के अतिरिक्त बिहार और उत्तर-प्रदेश सरकारें भी अपने-अपने हिस्से देने को तैयार हो गई हैं तो पुल शीघ्र बनकर तैयार हो जायेगा। अतः, केन्द्रीय सरकार को मामले में हस्तक्षेप करना चाहिये और देखना चाहिये कि इस पुल का शीघ्र निर्माण हो जाए जैसा कि रेलवे पहले ही इसका अनुमोदन और स्वीकृत कर चुकी है।

उपाध्यक्ष महोदय : जो कुछ भी स्वीकृत किया गया है, उसे कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित किया जायेगा।

(तीन) जनगणना विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों को स्थायी रोजगार देने की आवश्यकता

श्री हरिकेश बहादुर (गोरखपुर) : जनगणना के कार्य में हमारे देश के विभिन्न भागों में अनेक कर्मचारी अस्थायी रूप से लगाये गये थे। उनमें से अधिकांश लोगों की सेवा मार्च, 1982 में समाप्त कर दी गयी हैं। सरकार की ओर से ऐसे लोगों को स्थायी रोजगार देने की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं हो पायी है। यद्यपि सरकार द्वारा इन कर्मचारियों को अन्य विभागों में सेवा करने का अवसर प्रदान करने हेतु उपाय किये जाने के संकेत मिले थे किन्तु उस दिशा में ठोस प्रयास नहीं हो रहे हैं ये कर्मचारी बेरोजगार होने के कारण दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनके समक्ष रोजी रोटी का गम्भीर संकट व्याप्त है। अतः सरकार से हमारी माँग है कि ऐसे कर्मचारियों को स्थायी रोजगार प्रदान करने हेतु तत्काल ठोस उपाय किये जायें ताकि उनकी बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सके।

(चार) भिक्षावृत्ति को समाप्त करने की आवश्यता

श्री बी० डी० सिंह (फूलपुर) : मान्यवर, हमारे देश में आज भी भिक्षावृत्ति प्रथा व्यापक रूप से प्रचलित है। यह समस्या सामाजिक एवं आर्थिक परिस्थितियों में इतनी उलझी हुई है कि कोई भी कानूनी उपाय इससे मुक्ति दिलाने में सफल नहीं हुआ है। यह प्रथा देश एवं समाज पर कलंक का टीका बन कर रह गयी है। रेलवे स्टेशनों, बस अड्डों, मेलों, मंन्दिरों एवं यहां वहाँ सर्वत्र कुछ पाने की लालच में किसी न किसी भिखारी का हाथ पसर जाता है। इनमें बड़े, बूढ़े, बच्चे, महिलायें आदि विभिन्न प्रकार के लोग हो सकते हैं। लाखों अनाथ एवं असहाय भिक्षुओं के अतिरिक्त लाखों पेशेवर भिक्षुक भी होते हैं। पेशेवर प्रौढ़ भिखारी बच्चों का अपहरण कर उनका अंग भंग करके अथवा उन्हें भयाक्रांत कर के भिक्षावृत्ति में लगा देते हैं। छोटे छोटे बच्चों को हाथ फैलाकर दूसरों के समक्ष गिडगिड़ाते देख कर किसका हृदय करुणा से द्रवित न हो जायेगा। जब तक सामाजिक आर्थिक विकास के लाभ का समान वितरण न हो, भिक्षावृत्ति जैसी सामाजिक बुराइयों के निदान के लिये सरकारी हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक है। इसे रोकने के लिये सरकारी एवं ऐच्छिक प्रयासों के साथ कानून उपायों को मिलाकर एक सम्यक कार्यवाही की जानी चाहिए। दीनहीन एवं निराश्रित भिक्षुकों के पुनर्वास आदि की व्यवस्था करनी होगी। पेशेवर भिक्षुकों को रचनात्मक कार्यों में लगाया जा सकता है। जो लोग बालकों को भिक्षाटन के लिये बाध्य करते है. उनके लिये कठोर दंड की व्यवस्था होनी चाहिए। सरकारी साधनों एवं एच्छिक संगठनों द्वारा प्रदत्त सेवाओं में प्रभावशाली समन्वय होना चाहिये।

केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारों द्वारा इस कलंक को मिटाने के लिए जो भी अधिनियम पारित किये गये हैं उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा है। यदि तत्काल प्रभावकारी उपाय नहीं किये गये, तो एशियाई खेलों के समय राजधानी में भिक्षुकों का बड़ा जमाव हो सकता है।

मैं माननीय शिक्षा मंत्री से साग्रह निवेदन करूंगा कि देश से भिक्षावृत्ति के उन्मूलन के लिए तत्काल प्रभावकारी कदम उठाये जायें। विभिन्न प्रान्तों के समाज कल्याण मंत्रियों का

यथाशीघ्र सम्मेलन बुला कर तमाम संबंधित समस्याओं पर विचार कर के एक समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए और इस कुप्रथा का मूलोच्छेदन किया जाना चाहिये।

(पाँच) आन्ध्र प्रदेश में येलेरू जलाशय परियोजना के लिए कुल आवंटित घनराशि को उलब्ध कराने की आवश्यकता

श्री कुसुम कृष्ण मूर्ति (अमालापुरम) : आन्ध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में येलेस्वरम के निकट येलेरू नदी पर प्रस्तावित येलेरू जलाशय परियोजना एक प्रमुख सिंचाई परियोजना है।

यद्यपि बाढ़ नियन्त्रण के लिए इस योजना पर 1951 में विचार किया गया था, परन्तु इसे अन्तिम रूप सिंचाई के लिए 1971 में दिया गया था। इस परियोजना से पूर्वी गोदावरी जिले के प्रथीपड्, पीठापुरम और तुनी और विशाखापटनम जिले के नरसीपत्तनम, अंकापल्ली और चोडावरम की लगभग एक लाख एकड़ भूमि पर सिंचाई हो सकेगी। बाद में, योजना को फिर से बनाया गया जिससे विशाखापटनम इस्पात संयन्त्र को जल आपूर्ति प्रदान की जा सके। विशाखापटनम इस्पात संयन्त्र की परिचालन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 73 एमजीडी जल की अपूर्ति की निर्धारित तिथि अक्तूबर, 1984 है। परियोजना की नवीनतम लागत 147.02 करोड़ है जिसमें से 104.26 करोड़ रुपये सिंचाई के लिए हैं और 42.76 करोड़ रुपये जल आपूर्ति के लिए रखे गये हैं। तथापि, आन्तरिक चरण में अक्तूबर 1984 तक वित्तीय वचनबद्धता केवल 107.35 करोड़ रुपये की है। यद्यपि परियोजना पर कार्य 1979 में आरंभ हो चुका है, मार्च, 1981 तक इस परियोजना पर कुल 575.63 लाख रुपये व्यय हुए हैं। अत:, इसको पूरा करने में असामान्य विलम्ब हुआ है। छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के लिए योजना आयोग ने 55 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की है। अर्थात 1980-85 तक जब कि वर्ष 1982-83 के लिए केवल 13 करोड़ रुपये का आवंटन दर्शाया गया है। जब तक 110 करोड़ रुपये का कुल आवंटन तुरंत नहीं जाएगा और उपलब्ध नहीं कराया जायेगा तब तक कार्य अवधि के अनुरूप येलेरू परियोजना के प्रथम चरण का तात्कालिक आवश्यक कार्य भी पूरा करना नितान्त कठिन हो जाएगा और विशाखापटनम इस्पात संयन्त्र की कार्य प्रगति पर बुरा प्रभाव पडेगा। अत: मैं योजना आयोग के साथ ही साथ केन्द्रीय जल आयोग से इस योजना को तुरंत स्वीकृति प्रदान करने का अनुरोध करता हूं।

(छ:) दिल्ली में तथा देश के अन्य भागो में नए बूचड़खानों के निर्माण की अनुमति न देने की आवश्यकता

श्री सत्य नारायण जटिया (उज्जैन) उपाध्यक्ष महोदय, 27 जुलाई 1982 के दैनिक नवभारत टाइम्स में प्रकाशित इस समाचार से कि दिल्ली में केन्द्रीय सरकार की मदद से 28 करोड़ की लागत से एक आधुनिक पशु वधशाला का निर्माण किया जा रहा है, "अहिंसा" तथा "प्राणियों पर दया" के सिद्धान्त में आस्था रखने वाले करोड़ों लोगों की भावनाओं को आघात पहुंचा है। देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा भाग भगवान महावीर और महात्मा गांधी

की "अहिंसा" के आचरण में विश्वास करता है तथा देश में बढ़ती हुई "हिंसा" की प्रवृति पर चिन्तित है। नई पशु-वधशालाओं का निर्माण तथा अंडा एवं मांसाहार का प्रचार खेदजनक है।

दिल्ली में बनाई जा रही आधुनिक पशु-वधशाला का देश की अनेक संस्थाओं ने विरोध किया है। दिल्ली की सर्वप्रिय जन-कल्याण समिति ने देश की प्रधान मंत्री, कृषि मंत्री तथा दिल्ली के उपराज्यपाल से अपने निवेदन में इस नई पशु-वधशाला के निर्माण का विरोध कर आग्रह किया है कि सरकार मांसाहार को प्रोत्साहन न दे।

अतएव मेरा सरकार से आग्रह है कि सरकार जन-भावना का आदर करते हुए दिल्ली में तथा देश में नई पशु-वधशालाओं के निर्माण की स्वीकृति नहीं दे।

(सात) कावेरी नदी से तमिलनाडु को जल की सप्लाई

श्री एन० सेलवाराजू (तिरुचिरापल्ली) : मानसून न आने के कारण तमिलनाडु राज्य को सूखे का सामना करना पड़ रहा है। कावेरी-मेट्टूर जलाशय से पानी की अपर्याप्त सप्लाई के कारण कावेरी डेल्टा में खाद्यान्न उत्पादन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। 7 लाख एकड़ भूमि में खड़ी फसलें सूख रही हैं। केवल दो लाख एकड़ पर ही फसल की कटाई की जा सकती है और शेष 5 लाख एकड़ सूखी पड़ी रहेगी।

यह कहना कोई बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना नहीं है कि केन्द्र और तमिलनाडु सरकार दोनों ही क्रमशः अन्तर्राज्यीय नदी समस्या का हल निकालने और कावेरी जल विवाद के प्रति उदासीन पूर्ण रवैया अपनाये हुए है। यद्यपि 1924 का पहला समझौता 1974 में समाप्त हो चुका है, पिछले 8 वर्षों से केन्द्रीय सरकार ने कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पांडिचेरी राज्यों को समझाने और एक साथ एक मान्य हल को लेकर गोल-मेज पर लाने के प्रयास नहीं किए हैं। यह सबसे दुखद बात है कि समस्या के हल में राजनीतिक इच्छा कार्य नहीं कर रही है। अब मेट्टूर जलाशय 16 फुट के निम्नतम स्तर तक पहुंचा हुआ है जब कि कृष्णाराजू सागर और कबीनी में जल स्तर पूरा है। 1924 का समझौता अब लागू नहीं है। कर्नाटक सरकार को 1924 के समझौते को लागू करने की सलाह देने का काम केन्द्रीय सरकार का है या फिर चारों राज्यों की सन्तुष्टि हेतु कोई नया सूत्र बनाया चाए। यह देखना केन्द्र सरकार का काम है कि तमिलनाडु को मिलने वाला पानी कर्नाटक के कृष्णाराजू सागर से मेट्टूर जलाशय में छोड़ा जाए जिससे कि तिरुचि और तंजौर डेल्टा, जो कि तमिलनाडु का अन्न भन्डार है, की सूखती हुई फसलों को बचाया जा सके। तमिलनाडु के किसानों की ओर से मैं केन्द्र से तुरंत कार्यवाही की मांग करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 5 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित होती है।

इसके पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2 बजकर 5 मिनट म० प० तक के लिए स्थगित हुई।

इसके पश्चात लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात 2 बजकर 10 मिनट पर पुनःसमवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

सिक्किम स्टेट बैंक (शेयरों का अर्जन) तथा प्रकीर्ण उपबन्ध विधेयक

वित्त मन्त्रालय में उपमन्त्री (श्री जर्नादन पुजारी) : मैं श्री प्रणव मुखर्जी की ओर से प्रस्ताव करता हूं :

> "कि लोक हित में, सिक्किम राज्य में बैंककारी सुविधाओं के बेहतर समेकन और विस्तार के प्रयोजन के लिए सिक्किम स्टेट बैंक के कतिपय शेयरों के अर्जन के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

जैसा कि माननीय सदस्यों को पता है, सिक्किम 29 अप्रैल, 1975 को भारतीय संघ का बाईसवां राज्य बन गया है। तत्पश्चात भारत सरकार ने, देश की तीव्र आर्थिक प्रगति के लिए अपनी नीति के एक भाग स्वरूप ग्रामीण तथा कृषि विकास को ध्यान में रखते हुए राज्य में बैंकिंग के आधारभूत-ढांचे को सशक्त बनानें के लिए सम्भावित संस्थागत प्रबन्धों पर विचार करने तथा अन्य सम्बद्ध मामलों पर विचार करने हेतु अगस्त, 1975 में एक अध्ययन दल नियुक्त किया था। यह वह था जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का संस्थान स्थापित करने की संभावनाएं भी विचाराधीन थीं। इसलिए अध्ययन दल को अन्य बातों के अलावा विशेष रूप से यह कहा गया था कि वह सिक्किम में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करे अथवा किसी प्रकार के अन्य वैकल्पिक प्रबन्धों के बारे में सुझाव दे जिसके कि राज्य की बैंककारी विभिन्न आवश्यकताओं तथा उसकी ग्रामीण अर्थ व्यवस्था को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने की ओर व्यापक रूप से ध्यान दिया जा सके।

इससे पूर्व दी स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को राज्य में सिक्किम के भूतपूर्व चोग्याल की उदघोषणा के द्वारा सितम्बर 1968 में स्थापित किया गया था। उस समय बैंक का कार्य बहुत ही सीमित था। सरकार द्वारा नियुक्त अध्ययन दल ने राज्य में उपलब्ध बैंककारी सुविधाओं तथा अन्य सम्बन्धित पहलुओं पर विचार करके फरवरी, 1976 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। इस प्रतिवेदन में प्रमुख सिफारिश यह की गई थी कि सिक्किम राज्य की बैंक सम्बन्धी

आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए केवल एक ही शीर्ष संस्था (उच्च स्तरों से प्राप्त) स्थापित करना ही अधिक उपयुक्त रहेगा, जो कृषि तथा गैर-कृषि सम्बन्धी बैंकिंग आवश्यकताओं तथा सरकारी लेन देन के कार्य को भी कर सकती है। इस सम्बन्ध में अध्ययन दल द्वारा यह सिफारिश की गई थी कि इस प्रकार की संस्था द्वारा सबसे पहले विद्यमान स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम की परिसम्पत्तियों तथा देनदारियों का अधिग्रहण किया जाना चाहिए। इस अध्ययन दल की सिफारिशों पर सरकार द्वारा सिक्किम की राज्य सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से विचार किया गया। इन सिफारिशों को कानूनी स्वरूप प्रदान करने के लिए ही इस विधेयक को लाया गया है।

सिक्किम राज्य सरकार ने पहले ही सिक्किम कोआपरेटिव सोसायटीज एक्ट, 1978 के अन्तर्गत सिक्किम स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड की स्थापना के लिए व्यवस्था की गई हैं। वर्तमान विधेयक द्वारा अन्य बातों के अलावा स्टेट बैंक आफ सिक्किम के सभी शेयरों को तथा उस बैंक के अधीन उपक्रमों को सबसे पहले केन्द्रीय सरकार के अधीन लाना है। इसमें सिक्किम की राज्य सरकार के शेयर सम्मिलित नहीं है। इसके अतिरिक्त यह केन्द्रीय सरकार को यह भी अधिकार प्रदान करता है कि इसके निहित शेयरों तथा स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के जो भी उपक्रम हैं उनको सिक्किम राज्य सरकार को अन्तरित किया जाये। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि सिक्किम राज्य सरकार स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम के उपक्रमों को सिक्किम स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में हस्तान्तरित करेगा।

बैंक में यह भी प्रावधान है कि स्टेट बैंक आफ सिक्किम के सभी कर्मचारियों की सेवाओं को सिक्किम स्टेट कोआपरेटिव बैंक लिमिटेड में हस्तांतरित किया जाए तथा उन शेयरहोल्डरों को जिनके शेयरों को अर्जित करने का प्रस्ताव है भुगतान किया जाएगा तथा कुछ अन्य प्रासंगिक तथा परिणामी मामलों की ओर ध्यान दिया जाएगा।

यह जो व्यवस्थायें की जा रही हैं उनमें ये सब शामिल हैं स्टेट कोआपरेटिव बैंक (जो मौसमी कृषि करने तथा उपज के विपणन के लिए अल्प अवधि तथा मध्य अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराती है), दी सेन्ट्रल को-आपरेटिव लेण्ड डवलपमेंट बैंक (जो कृषि के लिए पूंजी विनियोग की वित्त व्यवस्था दीर्घ काल ऋण के रूप में उपलब्ध कराती हैं), दी कामर्शियल बैंक (जो व्यापार, वाणिज्य तथा उद्योग के लिए कार्यगत पूंजी तथा सामयिक वित्त की व्यवस्था करती है) तथा स्टेट बैंक (ऐसे केन्द्रों पर सरकार के लेन-देन व्यापार को करना, जहां भारतीय रिजर्व बैंक का कोई कार्यालय नहीं है) आयकर सहायता निम्न स्तर पर तरल परिसम्पत्तियों को कायम रखने, कर्मचारियों के वेतन का न्यून स्वरूप, पुर्वित सुविधाओं आदि की सुविधा, जिसको ग्रामीण तथा कृषि ऋणों के कार्यकलापों के क्षेत्र में कार्य करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा। इसका नियन्त्रण राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा और यह मुख्यतः एक ऐसा बैंक होगा जिसमें स्थानीयता की परिकल्पना होगी। जो देश के बैंकिंग कानूनों के अनुसार होगा तथा भारतीय रिजर्व बैंक के नियन्त्रण में होगा।

सरकार यह आशा करती है कि इस विधेयक के अधिनियमित होने से यह सिक्किम राज्य के बैंकिग सम्बन्धी स्वरूप के विकास में एक और प्रयास होगा जो कि इसकी भविष्य की आर्थिक आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगी तथा इससे सभी स्तरों पर यहाँ के लोगों का भला होगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया है :

"कि लोक हित में, सिक्किम राज्य में बैंककारी सुविधाओं के बेहतर समेकन और विस्तार के प्रयोजन के लिए सिक्किम स्टेट बैंक के कतिपय शेयरों के अर्जन के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री आनन्द पाठक (दार्जिलिंग) : महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक के कुछ मुद्दों के सम्बन्ध में मेरे मन में कुछ आशंकायें हैं। और मैं चाहता हूं कि मंत्री जी उनको स्पष्ट करें।

सबसे पहले मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक के द्वारा सिक्किम के ग्रामीण क्षेत्रों में सामन्तवादियों, साहूकारों तथा शोषण करने वालों ने जो आर्थिक जाल फैला रखा है उसको समाप्त करने के लिए मार्ग प्रशस्त किया जाएगा। दूसरी बात यह है कि क्या छोटे तथा सीमान्त किसानों तथा बरगदारों को कम ब्याज पर दीर्घ-अवधि के लिए ऋण उपलब्ध कराया जायेगा जो कि अपने जीवनयापन की बिना किसी गारन्टी के बहुत से वर्षों से भूस्वामियों की भूमि जोत रहे हैं। यह बात नोट करने योग्य है कि सिक्किम में 70 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण जनता गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवनयापन करती हैं। तीसरी बात यह है कि क्या ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाले निर्धन कारीगरों को बेहतर प्रोत्साहन, वित्तीय सहायता तथा अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराया जाएगा ? चौथी बात यह है कि क्या ग्रामीण क्षेत्र की शोषित जनसंख्या को सामन्तवादी स्वामियों तथा महाजनों के चंगुलों से मुक्त कराया जाएगा ? मैं मंत्री महोदय से इन मुद्दों के बारे में एक स्पष्टीकरण तथा एक आश्वासन चाहता हूं क्योंकि सिक्किम में सामन्तवादिता को अभी समाप्त नहीं किया गया है और वहां पर किसी भी प्रकार दूरगामी परिणामों वाले भूमि सुधारों को भी क्रियान्वित नहीं किया गया है।

सरकारी माध्यमों से यह दावा किया गया है कि सिक्किम को प्रति व्यक्ति केन्द्रीय सहायता सबसे अधिक दी जाती है। लेकिन प्रश्न यह है कि क्या सबसे अधिक प्रति व्यक्ति दी जाने वाली सहायता का लाभ जनता के गरीब वर्ग के लोगों को मिला है ? इसका उत्तर यह है कि यह लाभ उनको नहीं मिला है। इसके विपरीत इसका लाभ भूस्वामियों, धनी व्यक्तियों चाटुकारों, फरार तथा सत्ता लोलुप लोगों को हुआ है जो सिक्किम की सरकार पर नियन्त्रण किए हुए हैं।

वहां पर सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार व्याप्त है, जो कि उच्च स्तरों से प्रारम्भ होता है। सरकारी अधिकारी तथा मंत्रीगण भी सिक्किम की गरीब जनता के बल पर बड़े पैमाने के भ्रष्टाचार में लिप्त होकर सम्पत्ति अर्जित कर रहे हैं। पिछले वर्ष सिक्किम विधान सभा के विपक्षी नेताओं द्वारा भारत के राष्ट्रपति को एक आवेदन दिया गया था, जिसमें हस्तक्षेप की माँग की गई थी, तथा कुछ मन्त्रियों की भ्रष्ट कार्यप्रणालियों पर निगरानी रखने को कहा गया था जिनके बारे में राष्ट्रीय समाचारपत्रों में भी व्यापक रूप से खबर छापी गई थी। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रस्तावित विधेयक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सरकारी धन का किसी के द्वारा दुर्पयोग नहीं होने दिया जाएगा चाहे वह किसी भी उच्च पद पर क्यों न हो ?

महोदय ग्रामीण तथा शहरी निर्धनों शिक्षित बेरोजगार युवकों तथा अन्य व्यक्तियों की स्थिति दिन-प्रति-दिन बिगड़ती जा रही है। औद्योगीकरण के अभाव में बेरोजगारों की संख्या में वृद्धि हो रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या प्रस्तावित सिक्किम स्टेट को-आपरेटिव बेंक के द्वारा इन युवकों तथा उद्यमियों को सिक्किम में लघु क्षेत्र तथा मध्यम क्षेत्र के उद्योगों को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इस बेंक के द्वारा उपभोक्ता-सहकारिताओं को बढ़ावा देने के लिए कोई सहायता की जाएगी ताकि सभी आवश्यक वस्तुओं के बेहतर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुनिश्चित किया जा सके।

हमें उन दिनों की याद आती है, जबकि बेंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था बड़े-बड़े वायदे किए गए थे, जिनका कि लोगों द्वारा स्वागत किया गया था। लेकिन राष्ट्रीयकरण के पश्चात निर्धन कृषकों, निर्धन कारीगरों शहरी निर्धनों तथा छोटे उद्योगपतियों की सभी आशायें विफल हो गई, क्योंकि आवश्यकता के समय राष्ट्रीयकृत बेंकों द्वारा उनकी कोई मदद नहीं की गई। इसके विपरीत वे बेंक पूंजीपतियों, सामान्तवादी एकाधिकारियों तथा लोगों के धनी वर्गों की सहायता कर रहे थे।

यह बात ध्यान में आई है कि ये बेंक निर्धन कृषकों से बहुत अधिक ब्याज की दर वसूल कर रहे हैं और इस प्रकार लोगों का शोषण कर रहे हैं मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या राष्ट्रीयकृत सिक्किम स्टेट को-आपरेटिव बेंक भी सिक्किम में इसी तरह से कार्य करेगा और उसी कार्य को दोहरायेगा।

मैं एक अन्तिम तथा महत्वपूर्ण बात विशेष रूप से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस विधेयक के अधिनियम बनने पर सिक्किम बेंक से प्रस्तावित सिक्किम स्टेट को-आपरेटिव बेंक में हस्तान्तरित किए जाने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को जारी रखने तथा उनकी बेहतर सेवा शर्तों को सुनिश्चित किया जाएगा। महोदय, सेवा को जारी रखने तथा बेहतर सेवा शर्तों के सम्बन्ध में इस विधेयक में मुझको कोई विशिष्ट उपबन्ध दिखाई नहीं पड़ता है।

मैं अपने भाषण को समाप्त करने से पूर्व यह कहना चाहता हूं कि मैंने जो मुद्दे उठाए हैं उनके सम्बन्ध में मन्त्री महोदय स्पष्ट आश्वासन दें। धन्यवाद।

श्री पी० एम० सुब्बा (सिक्किम) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

आज जिस सिक्किम विधेयक को सदन में लाया गया है, इसके पीछे लम्बा इतिहास है। इससे पूर्व सिक्किम में ट्रेडर्स बैंक था, जिसको जेठ-मल बोजराज के नाम से जाना जाता था जिसने सेवा करने वालों से लेकर जनता तक सभी को लूटा। मान लीजिए मैं ही उस समय सेवारत था। मैं सामान्यतः अपना वेतन महीने के अन्तिम सप्ताह में लेता था। क्योंकि यदि महीने के बीच में मैं रुपया लेता हूं तो वह उस पर व्याज लेंगे। इसी कारण वहाँ पर बैंकिंग प्रणाली के बारे में शोर गुल था। अब सरकार "सिक्किम बैंक" के नाम से एक अन्य बैंक को लायी है। लेकिन सिक्किम बैंक शाही परिवारों जैसे सदस्यों के शेयरहोल्डरों के माध्यम से स्थापित हुआ है। इसके शेयरहोल्डर मुख्यतः शाही परिवारों के ही लोग थे। इसके पश्चात सरकार द्वारा इसको एक सहकारी बैंक में परिवर्तित करने का प्रस्ताव किया गया और आज हम इस बैंक विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं।

लेकिन हमें यह देखना है कि जिस सिक्किम बैंक को स्थापित किया जा रहा है उससे बैंकिंग प्रणाली का सूत्रपात होता है तथा स्थानीय लोगों की सभी दिक्कतों को दूर किया जाता है। इसी कारण से हम यह देखना चाहते हैं कि वे स्थानीय लोगों को बेहतर सेवा प्रदान करें। उन्होंने सिक्किम सरकार के नियमों के अनुसार धन जमा करना प्रारम्भ कर दिया है, तथा ऋण आदि भी दिए हैं। लेकिन सिक्किम में कठिनाई यह है कि यह हिमालय में स्थित हैं। वहां की आबादी भी कम है। वहां पर घर दूर-दूर स्थित हैं।—हेमलट का अर्थ 'हेल्मट' से नहीं हैं, जिसको कि स्कूटर चलाने वाले पहनते हैं—बल्कि इनका तात्पर्य पुरवों से है जहां से गांव बहुत दूर हैं और इनके साथ हिमालय पर्वत हैं। यहां पर मूसलाधार वर्षा होती है तथा यहां पर एक भी ऐसी सड़क नहीं हैं, जो सीधी हो। फुटबाल का मैदान बनाने के लिए भी हमें मिट्टी हटानी पड़ती है। इसलिए हमें यह सोचना चाहिए कि दिल्ली और अन्य स्थानों के मुकाबले सिक्किम एक बहुत ही मनोरम भूमि है।

अभी-अभी माननीय मंत्री ने हमें बताया है कि इस सहकारी बैंक कोआपरेटिव सोसायटीज या इसी प्रकार के अधिनियम के अधीन रजिस्ट्रीकृत है। मैं नहीं जानता कि शायद माननीय मंत्री यह जानते हैं कि वहां सहकारी बैंक पहले से ही मौजूद हैं। वहां पर सिक्किम स्टेट बैंक और जेठ मल-वोज राज बैंक थे। वहां तीन बैंक थे। मैं माननीय मंत्री से स्पष्ट उत्तर चाहता हूं कि ये किस नियम के अधीन कोआपरेटिव सोसायटी बैंक रजिस्टर किया गया है। अगर कोआपरेटिव सोसायटी बैंक को वर्तमान बैंक के साथ मिलाया गया है तो क्या स्टेट बैंक और कोआपरेटिव सोसायटी बैंक में कार्यरत कर्मचारियों को लिया जायेगा? मैं मन्त्री महोदय

से स्पष्ट जानकारी चाहता हूं कि सिक्किम के कोआपरेटिव सोसायटी बेंक में पहले से कार्यरत कर्मचारियों का क्या किया जायेगा ?

हमारे माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1975 में पेश कर दी थी। विधेयक को 1982 में लाया गया है। सदन यह जानना चाहता है कि सिक्किम के लिए एक विधेयक के तैयार करने में इतना विलम्ब क्यों हुआ है। इस विधेयक को 1975 की आयोग की रिपोर्ट के आधार पर बनाया गया है। पहले ही बंगाल की खाड़ी में काफी पानी जा चुका है।

जब आयोग सिक्किम में कार्यरत था तो उस समय सिक्किम स्टेट बेंक की हालत अच्छी थी। लेकिन अब कई वर्षों के पश्चात्, स्टेट बेंक ऑफ सिक्किम की हालत उतनी अच्छी नहीं है, जितना कि विधेयक में बताया गया है। कारण स्पष्ट हैं। एक कारण तो समय है। दूसरा कारण यह है कि सत्ताधारी दल बहुमत वाला दल है। दल के लोग मन्त्री महोदय के पास जाते हैं और उन्हें अपने दल के लोगों को ऋण मंजूर करवाने के लिए आग्रह करते हैं। प्रबन्ध निदेशक असहाय हो जाते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को ऋण दिया जाता है वास्तव में वह उसके लिए हकदार नहीं होता है। उसके अलावा उसकी कोई जमीन सम्पत्ति या धन आदि नहीं होते हैं। उसे सिर्फ मंत्री के दबाव में आकर ही ऋण दिया गया होता है। लेकिन बाद में दिया गया ऋण वसूल नहीं किया जा सकता। वह पैसा बैंक को वापस नहीं मिलता। क्यों ? कारण स्पष्ट हैं — हमारे आयोग ने स्पष्ट कहा है कि प्रबन्ध निदेशक, सिक्किम बेंक का नहीं होना चाहिए। मैं स्पष्ट जानना चाहता हूं कि बनाये गए बैंक का प्रबन्ध निदेशक कौन होगा ?

प्रबन्ध निदेशक एक बेरोजगार व्यक्ति की तरह कार्य करता है क्योंकि वह जानता है कि विलय के बाद वह प्रबन्ध निदेशक नहीं रहेगा। असल में प्रबन्ध निदेशक एक मुख्य व्यक्ति हैं। वह जानता है कि क्या ठीक है और क्या गलत। हम उसके काम की उपेक्षा करते हैं। मन्त्री महोदय के दबाव में आकर ऐसे व्यक्ति को यह जानते हुए भी ऋण दिया जा रहा है, कि वह कंगाल थे, इसमें कोई शक नहीं निदेशक मण्डल है। लेकिन वह निदेशकों को इस प्रकार से यकीन दिलायेगा कि उस व्यक्ति को ऋण मिल जाएगा। लेकिन वे नहीं जानते कि ऋण की वापसी कैसे होगी।

विधेयक में, प्रबन्ध निदेशक के पद के बारे में स्पष्ट निदेश हैं। लेकिन हमारे माननीय मंत्री ने अभी-अभी हमें इस सम्मानीत सदन में बताया है कि सभी कर्मचारियों का तबादला इस बैंक में कर दिया जायेगा। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस 'शब्द' में प्रबन्ध निदेशक भी आ जाते हैं या उन्हें इससे अलग रखा गया है। मैं मन्त्री महोदय से इस बारे में स्पष्ट उत्तर चाहता हूं। 1975 में स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम अच्छी हालत में था। अब यह दीवालिया हो गया है। अगर आप इसे कोआपरेटिव बेंक में बदलने जा रहे हैं तो, आप सिर्फ कर्मचारियों,

लोगों और खाताधारियों को ही इसमें शामिल करें। क्योंकि निदेशकों और प्रबन्ध निदेशक ने इस बैंक में इतनी रुचि नहीं ली है।

जब 1975 में आयोग वहाँ था तो स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम गंगटोक में स्थित था। लेकिन बाद में जब सिक्किम के लोगों को इस परिवर्तन का पता चला तो सभी लोगों ने स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम से अपना पैसा निकलवा लिया। वे जानते थे कि बहुत जल्दी ही यह परिवर्तन होने वाला है। इस तरह भारतीय स्टेट बैंक को अपनी शाखाएं बढ़ाने का अवसर मिल गया और सिक्किम के सभी प्रमुख बाजारों, स्थानों पर उसने अपनी करीब 10 शाखाओं के जरिए सारा 'व्यापार अपने हाथ में ले लिया है। इस तरह आप जान सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम को कोआपरेटिव बैंक में परिवर्तित किए जाने से पहले इसका हाल क्या होगा। असल में लोगों का स्टेट बैंक ऑफ सिक्किम से विश्वास उठ गया है और उन्होंने अपने खाते भारतीय स्टेट बैंक में खोल दिये हैं। अब 1975 से भारतीय स्टेट बैंक की वहाँ एकाधिकार है। ज्यादातर लोग भारतीय स्टेट के पक्ष में हैं। वे जानते हैं कि यह एक केन्द्रीय सरकार बैंकिंग प्रणाली है, जो कि एक मात्र अच्छा बैंक है। इसलिए हर कोई भारतीय स्टेट बैंक को अपना रहा है।

हमारे माननीय मंत्री ने अभी कहा कि नये बैंक की प्रमुखतः स्थानीय छवि होगी। मैं जानना चाहता हूं कि उनका इससे क्या अभिप्राय है। सभी शेयरहोल्डरों को, जो कि स्थानीय लोग हैं। उनकी राशि वापिस कर दी गई है। स्थानीय लोगों को बैंक से अलग कर दिया गया है। आप कैसे कह सकते हैं कि इसमें स्थानीय छवि होगी ? इसके अलावा भुगतान के केवल 5½ प्रतिशत की सबसे कम दर पर किया जा रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि इसे बढ़ाया जाये, क्योंकि स्थायी जमा प्रणाली के अनुसार यह दर 10, 9 या 8 प्रतिशत होनी चाहिए। इसलिए जरूरी है कि जिन लोगों ने यह बैंक शुरू किया था, उन्हें कम से कम 8 प्रतिशत की दर से ब्याज दिया जाये। उसके बाद हम परिवर्तन के बारे में फैसला करें। हमें उनके अथक परिश्रम को भी ध्यान में रखना चाहिए। उन्होंने अपने जोखिम पर अपनी राशि वहाँ लगाई। इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर आप उन्हें 8 प्रतिशत की दर का लाभ दें तो मैं समझता हूं यह अधिक नहीं है। तभी हम उनके साथ न्याय कर सकते हैं।

इस बैंक के कर्मचारियों और अधिकारियों के ओहदों आदि के बारे में स्पष्ट उपबंध नहीं हैं। यह सिक्किम में सबसे बड़ा बैंकिंग संस्थान होगा। इसलिए मैं चाहूंगा कि अधिकारियों को पिल्ले आयोग की रिपोर्ट के अनुसार और अन्य कर्मचारियों को द्विपक्षीय समझौते के आधार पर वेतन आदि मिलना चाहिए, तभी हम कर्मचारियों को इस परिवर्तन का लाभ पहुंचा सकेंगे।

इसके आलावा कुछ लोग ऐसे भी हैं, जिन्होंने इस बैंक में अपनी राशियों स्थायी या स्थायी रूप से जमा करा रखी है। इस बारे में विधेयक में कोई उपबंध नहीं है। इसलिए, मैं नना चाहता हूं कि इस बैंक के सहकारी बन जाने पर उनका क्या होगा ? इस बैंक का परिवर्तन

भी एक पूरे चक्र में हुआ है, यानि शेयर होल्डरों से इसे केन्द्रीय सरकार ने लिया, केन्द्रीय सरकार ने इसें राज्य सरकार को सौंपा, राज्य सरकार ने इसे फिर कोआपरेटिव बैंक को सौंपा/ मैं जानना चाहता हूं कि इस तरह के चक्र चलाये जाने की क्या आवश्यकता थी।

फिर, जब कभी कोई कानून बनाता है तो शक्तियाँ केन्द्रीय सरकार ले लेती हैं। सिक्किम में एक राज्य विधान सभा है। स्थानीय लोग अपनी समस्याएं जानते हैं। उनको सारी जानकारी है। अच्छा हो, अगर इस बारे में कोई कानून बनाना हो तो वहां की विधान सभा द्वारा बनाया जाये।

आखिर में, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। शुरू में ही यह कहा गया था कि यह जनहित में है। इसलिए सिक्किम से निर्वाचित एक मात्र सदस्य के नाते मैं आशा करता हूं कि केन्द्र सरकार इस विधेयक के साथ न्याय करेगी।

श्री नगनगोम मोहेन्द्रा (आन्तरिक मणिपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों को पढ़ते हुए पाया कि इस नये संगठन का लक्ष्य है स्थानीय ज्ञान, ग्रामीण झुकाव, ग्रामीण वासियों के प्रति सेवा और समर्पण की भावना न कि ग्रामीण कृषि समाज, जोकि कोआपरेटिव बैंक के लक्षण हैं। इनके स्रोत भी ज्यादा होने चाहिए, प्रबन्धक अनुभवी और वाणिज्यिक बैंकों के कार्य का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। इस विधेयक के उद्देश्यों और कारणों के कथन को पढ़ने के पश्चात् मैं ऐसा महसूस करता हूं।

जैसा कि आप जानते हैं कि सिक्किम आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। सभी इस पर सहमत होंगे। इस पिछड़े हुए क्षेत्र में बड़े व्यापारी अपनी ब्रान्च फैक्ट्रियाँ लगाते हैं जैसे माचिस और सिगरेट कारखाने, जिससे कि वह अन्य जगहों पर लगने वाले करों को बचा सकें। उस क्षेत्र में उस सारे उत्पाद की खपत नहीं हो सकती है। स्वाभाविक तौर पर इस उत्पाद को सिक्किम के बाहर काफी लाभ पर बेचा जाता है।

इसलिए अगर इस अच्छे उद्देश्य जिसे कि उद्देश्यों और कारणों के कथन में बताया गया है, इन कारणों से खत्म हो जाता है तो फिर इस अधिनियम यानि विधेयक का उद्देश्य आर्थिक पिछड़े क्षेत्र का उत्थान करना ही खत्म हो जाएगा। मैं दूसरी तरफ बैठे हुए अपने माननीय मित्र के इन विचारों से सहमत हूं कि इस क्षेत्र के शोषण वर्ग द्वारा कैसे वहां शोषण किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय : दोनों एक ही राज्य से हैं।

श्री नगनगोम मोहेन्द्रा : इसलिए, मैं समझता हूं कि इस विधेयक या अधिनियम का मुख्य उद्देश्य गांवों में ऋण के बोझ से दबे लोगों को मुक्त करने और खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक धन लगाना होना चाहिए।

अब मैं अपने राज्य मणिपुर का एक मिलता-जुलता उदाहरण देना चाहता हूं। जब यह राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन था तो मई, 1981 में एक ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई, इस आशा के साथ कि इससे स्थिति में वास्तव में सुधार होगा। इसको बड़े और अच्छे नेक उद्देश्य, कि ग्रामीण लोगों की सहायता की जाय से बनाया गया था। लेकिन अब सिक्किम की तरह, मणिपुर में भी कानून और व्यवस्था की समस्या है। इसलिए कानून और व्यवस्था की बिगड़ती हुई स्थिति के कारण वहां केवल एक ही शाखा खोली गई है। राज्य सरकार इस वजह से इसमें बाधा डाल रही है कि वे बैंक की नई शाखाओं की सुरक्षा की जिम्मेवारी नहीं ले सकती है। फिर भी मेरा विचार है कि इस उपक्रम को लेने और स्टेट बैंक आफ सिक्किम को सिक्किम स्टेट कोआपरेटिव बैंक लि० या अन्य नाम आदि जो भी हो, देने से, कम से कम इस क्षेत्र में बड़े उद्योगपतियों को ही लाभ पहुंचेगा। जब तक कि सही सुरक्षा उपाय न किए जायं, इसका उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। उद्योगों को प्रोत्साहित करने के नाम पर सरकार को बड़ी बड़ी कम्पनियों को अपनी शाखाएं वहां खोलने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। साथ ही मैं माननीय मन्त्री से अनुरोध करना चाहता हूं कि वे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के नाम पर बड़े कारखानों को प्रोत्साहित न करें, जिससे कि वे वहाँ कई प्रकार के उद्योगों की शाखाएं खोलकर काफी लाभ न कमा सकें।

लेकिन अभी इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हालाँकि अधिनियम का उद्देश्य स्पष्ट है, फिर भी उद्देश्यों और कारणों के कथन को पढ़ने के बाद, हमें आने वाले समय में इसके परिणामों के प्रति अधिक चिंतित हैं।

इसलिए, मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री हमारे असली और वास्तविक सुझावों पर ध्यान देंगे। यह एक सीमावर्ती प्रदेश है, जो आर्थिक दृष्टि से पिछडा है। लोगों को यदि आप पिछड़े लोगों को वास्तव में ऊपर उठाना चाहते हैं तो इससे वहाँ के किसानों को भी मदद मिलेगी, नहीं तो यह हमारे देश और विश्व के संदर्भ में गरीब किसान जिस असन्तोष में पल रहे हैं वह और भी भड़केगा।

इसलिए मैं माननीय मंत्री से कहूंगा कि वह सदन को विश्वास दिलायें कि इन सभी बातों को ध्यान में रखा जायेगा और इस विधेयक को अपनाया जाएगा।

फिर भी इस विधेयक के भविष्य के प्रति मैं अपनी राय नहीं देना चाहता सिवाय इसके कि हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हर समय अच्छे कार्य असफल हो जाते हैं कुछ और कार्यों द्वारा, जिससे कि अच्छी मंशा का परिणाम भी गलत निकल जाता है। धन्यवाद।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : उपाध्यक्ष महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य बहुत अच्छा है और यह आवश्यक है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

सिक्किम विधान सभा ने सिक्किम सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1978 पारित किया है और सिक्किम राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड उस अधिनियम के अधीन पहले ही रजिस्ट्रीकृत हो चुका है। इस विधेयक के द्वारा एक शीर्षस्थ बैंक संस्था की स्थापना संभव हो सकेगी। आप जानते ही हैं कि देश के ग्रामीण अंचल और कृषि विकास, दोनों, के लिए बैंकिंग सेवाओं का होना अति आवश्यक है। भारत में भी सिक्किम से बचा हुआ भाग है, उसमें सभी स्थानों पर जिला सहकारी बैंक या प्रदेशीय सहकारी बैंक, राज्य सहकारी बैंक —इनकी स्थापना हो चुकी है। सिक्किम में भी एक सिक्किम स्टेट सहकारी बैंक की स्थापना का प्रस्ताव है, जो पूरे सिक्किम में अपनी शाखायें खोलकर विशेष रूप से ग्रामीण के अंचल निवासियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। इसलिए इसमें दो राय नहीं है कि यह विधेयक जनहित में है और इससे सिक्किम के ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में सुविधा होगी।

इस अवसर पर मैं एक बात कहना चाहता हूं। देश में बेंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। यह हमने इस दृष्टि से बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था कि जनसाधारण का अधिक विकास हो सके, देहातों में विशेष विकास हो सके। हमारे बेंकों की शाखायें घर-घर पहुंच सकें। छोटे स्थानों पर बैंकों की शाखायें पहुंचेंगी तो वहां के रहने वाले गरीब लोगों को विकास के लिए आर्थिक रूप से पैसा लेने में सुविधा होगी। उन्हें दूर-दूर दौड़ कर नहीं जाना पड़ेगा या अपना पैसा जमा करने के लिए या उद्योग धन्धों के सम्बन्ध में ऋण लेने के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ, उससे उस उद्देश्य में सफलता नहीं मिली। आज भी हमारे ग्रामीण अंचल का कृषक, जो रुपया उसे ऋण के रूप में चाहिए, या सहायता के रूप में चाहिए, वह बैंकों से सुविधापूर्वक नहीं ले पाता है। इतनी कठिनाई लगा दी हैं कि ग्रामीण क्षेत्र का वासी बैंक तक आते-आते और बैंक से जाते जाते परेशान हो जाता है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण तो हुआ लेकिन उससे बड़े-बड़े पूंजीपतियों और इजारेदारों को फायदा पहुंचा। आम कृषक द्वारा जब तक चौथाई रुपया कर्मचारियों की हथेली पर नहीं रख दिया जाता है, तब तक उनको पैसा नहीं मिलता है। मैं समझता कि बहुत बोलने की इस विधेयक पर गुंजाइश नहीं है, लेकिन क्या जो राष्ट्रीयकृत बैंक है या जो हमारे सहकारी बैंक हैं···।

उन ग्रामीण क्षेत्रों और ग्रामीण अंचलों में आम आदमी को, कृषक को वे सुविधाएं पहुंचाई हैं, जिनको कि आप देना चाहते हैं या जिन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आपने बैंक खोले थे। मैं समझता हूं कि उस उद्देश्य की पूर्ति में हम बहुत असफल रहे हैं। मैंने पहले भी कहा था कि कुछ बैंकें तो ऐसी हैं कि जो व्यक्ति विशेष को ही ऋण दिया करती हैं। आम आदमी के ऋण आवेदन-पत्र पेंडिंग में डाले रखते हैं। पंजाब एण्ड सिंध बैंक का उदाहरण मैंने दिया था। आप सिक्किम में सहकारी बैंक की स्थापना के उद्देश्य से इस बिल को लाए हैं। मैं समझता हूं कि यह एक अच्छा कार्य है। मैं इसका स्वागत करता हूं। परन्तु आपसे अनुरोध करता हूं कि आप फिर से सर्वे कराइए इस बात का कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकों से जो सुविधाएं

आम आदमी को मिलनी चाहिएं, वे क्यों नहीं मिली हैं। उनके क्या कारण हैं और उनको दूर करने के लिए तुरन्त उपाय कीजिए, अन्यथा आप अपने उद्देश्य में असफल होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : अब मंत्री महोदय उत्तर देगें।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मुझे मौका नहीं मिलेंगे ?

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपनी सीट पर नहीं थे मैंने मंत्री जी को बोलने के लिए कहा है। मैंने सोचा आप चले गए हैं। आपको अपनी सीट पर रहना चाहिए था। मैं अगली बार आपको अवसर दूंगा हमारे पास दो विधेयक और हैं। मैं आपको और श्री व्यास को अवसर दूंगा। अब मंत्री।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय माननीय सदस्यों ने जो मूल्यवान सुझाव दिए हैं उनके लिए मैं उनका आभारी हूं। वस्तुतः बाद-बिवाद में रूचि लेने के लिए उनका आभारी हूं।

यह इस देश में अद्वितीय किस्म का सहकारी बैंक है। यह राष्ट्रीय कृत बैंकों के सारे कार्य करता है; यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के कार्य भी करता है। यह राष्ट्रीय कृत बैंक के कार्य करता है तथा भारतीय स्टेट बैंक के कार्य भी करता है कुछ हद तक यह भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य भी करता है क्योंकि यह सरकार की ओर से प्राप्तियों और भुगतानों को स्वीकार करने का प्रावधान भी करता है। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कृषि तथा गैरकृषि दोनों क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। इन परिस्थितियों में मैं कहता हूं कि सारे देश में यह अपने प्रकार का एक ही सरकारी बैंक है। माननीय सदस्यों ने इस क्षेत्र के ग्रामीण लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बारे में प्रश्न पूछे हैं निश्चित रूप से यह पिछड़ा हुआ तथा पहाड़ी क्षेत्र है। यहां पर अब तक सिक्किम स्टेट बैंक की नौ शाखायें भारतीय स्टेट बैंक की पांच शाखायें, सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया की एक शाखा तथा युनाईटेड कामर्शियल बैंक की एक शाखा थी कुल मिला कर इस क्षेत्र में 16 बैंक शाखाय कार्य कर रही थी। उनके अतिरिक्त 35% बहुउद्देशीय सहकारी समितियाँ कार्य कर रही थी। वस्तुतः कुछ हद तक मैं भी स्वीकार करता हूं तथा माननीय सदस्यों के साथ इस बात पर सहमत होता हूं कि अब तक स्टेट बैंक आफ सिक्किम के लाभों का कुछ ही क्षेत्र या कुछ ही वर्ग फायदा उठा रहे थे। कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में, इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा शीघ्र ही पारित किए जाने के बाद यह सरकारी बैंक अस्तित्व में आ जायेगा। महोदय मुझे पूछा गया है कि यह सरकारी बैंक किस अधिनियम के अन्तर्गत बनाया जा रहा है यह सरकारी बैंक सिक्किम राज्य सरकारी समिति अधिनियम, 1978 के अन्तर्गत पंजीकृत है।

महोदय कर्मचारियों की सेवाओं को जारी रखने उनकी पेंशन तथा अन्य सुविधाओं के बारे में मुद्दे उठाये गये हैं। खण्ड 11 के अन्तर्गत 1 से 6 उप खण्डों में उनकी सेवा की निरंतरता,

पेंशन, ग्रेचुएटी आदि को पूरा संरक्षण दिया गया है। इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है कि उनके साथ कोई अत्याचार न हो।

महोदय यह सरकार के ध्यान में लाया गया है संसद में भी और संसद से बाहर भी— कि बैंकिंग क्षेत्र में सेवा का स्तर गिर गया है और कमजोर वर्गों को वे लाभ नहीं मिल रहे हैं जिनके वे पास हैं राष्ट्रीय करण से पहले सभी बैंक गैर-सरकारी क्षेत्र में थे। कुछ सामाजिक दायित्वों को पूरा करने के लिए सन् 1969 में वैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। राष्ट्रीय-करण से पहले बेंकों का कार्य केवल उधार लेना-देना ही था। राष्ट्रीय करण के बाद वे देश की अर्थव्यवस्था के विकास में परिवर्तन के कारक बन गये। अत: मेरा निवेदन यह है कि यद्यपि 1969 में बैंकों का राष्ट्रीकरण कर दिया गया था परन्तु उनके व्यवहार का राष्ट्रीकरण नहीं हुआ था। मैं इस सम्बन्ध में माननीय सदस्यों के विचारों से सहमत हूं परन्तु साथ ही साथ हम यह नहीं कह सकते कि सभी लोग एक जैसे हैं। बेंकिग क्षेत्र से न केवल ग्रामीण क्षेत्र के कमजोर वर्गों को, बल्कि शहरी क्षेत्रों में भी सहायता दी गई है। मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि बेंकिग क्षेत्र से कमजोर वर्गों को, न केवल सिक्किम में बल्कि देश के अन्य भागों में भी सहायता दी जायेगी।

(श्री सोमनाथ चटर्जी पीठासीन हुए)

जैसा कि माननीय सदस्यों को मालूम होगा, माननीय वित्त मंत्री ने बेंकों के मुख्य कार्य-कारियों की कई बैठकें बुलाई हैं और भारत सरकार व भारतीय रिजर्व बेंक ने भी बेंकों को अनुदेश जारी किये हैं कि कमजोर वर्ग के लोगों को वित्तीय सहायता दी जाये। कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता क्षेत्र, 20 सुत्रीय कार्यक्रम व समेकित ग्रामीण विकास कार्य-क्रम के अन्तिर्गत पूर्ण रूप से पूरा किया जायेगा छटी पंचवर्षीय योजना के पहले वर्ष में हम तो इस कार्यक्रम (स० ग्रा० वि० का०) के लिए 148 करोड़ रुपये दे पाये हैं, दूसरे वर्ष में 207 करोड़ रुपये तथा तीसरे वर्ष में 480 करोड़ रुपये। सरकार इस तथ्य के प्रति जागरुक है कि इस मामले में और अधिक किये जाने की आवश्यकता है परन्तु मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करूंगा। मैं इस सम्मलित सदन को आश्वासन देता हूं कि कमजोर वर्ग की आवश्यकताएं पूर्ण रूप से पूरी की जायेगी। सरकार कमजोर वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बहुत ही विवेकपूर्ण नीति का अनुकरण कर रही है। सिक्किम में इन बेंकों के भावी कार्यकरण के सम्बन्ध में कुछ सन्देह प्रकट किये गये थे। मैं यह कहना चाहूंगा कि यह बेंक मुख्य रूप से राज्य सरकारों के नियन्त्रण में रहेगा। इस बेंक की स्थानीय विशिष्टता होगी तथा इस पर भारतीय रिजर्व बेंक का भी नियन्त्रण होगा। इन परिस्थितियों में मैं ऐसा महसूस नहीं करता कि इस बेंक के कार्यकरण में कोई अकुशलता होगी। मैं समझता हूं—कि जहां तक बेंकिंग क्षेत्र के भावी बचनबद्धता का सम्बन्ध है इनमें से कुछ मुद्दों पर मैं आश्वासन दे चुका हूं। मैं सभा से विधेयक पर विचार करने की सिफारिश करता हूं। धन्यवाद।

श्री सोमनाथ चटर्जी : प्रश्न यह है :

"कि लोक हित में, सिक्किम राज्य में बैंककारी सुविधाओं के बेहतर समेकन और विस्तार के प्रयोजन के लिए सिक्किम स्टेट बैंक के कतिपय शेयरों के अर्जन के लिए और उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार आरम्भ करेंगे। खण्ड 2 से 7 तक कोई संशोधन नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 7 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 8

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 4, पंक्ति 25 और 26,—

"आठ लाख पांच हजार एक सौ पैंतालीस रुपए" के स्थान पर

"आठ लाख बाहर हजार दो सौ पचानवे रुपये" प्रतिस्थापित किया जायें। (1)

(श्री जनार्दन पुजारी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 8, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खण्ड 8, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।"

सभापति महोदय : खण्ड 9 से 19 तक कोई संशोधन नहीं है। मैं उन्हें सभा में मतदान के लिए रखूंगा।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 9 से 19 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 9 से 19 तक विधेयक में जोड़ दिये गये।

खण्ड 20

संशोधन किया गया।

पृष्ठ 8, पंक्ति 38,—

"निरसित हो जाएगी।" के स्थान पर

"निरसित हो जाएगी; और साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के उपबन्ध ऐसे निरसन को उसी प्रकार लागू होंगे मानो उक्त उद्घोषणा केन्द्रीय अधिनियम था।"

प्रतिस्थापित किया जाये। (2)

(श्री जनार्दन पुजारी)

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 20, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 20, संशोधित रूप में, विधेयक में जोड़ दिया गया।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।

खण्ड 1, अधिनियमन मूल, प्रस्तावना तथा विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये।

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जनर्दिन पुजारी) मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाये।"

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में पारित किया जाये।"

श्री डागा।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : सभापति महोदय, सिक्किम स्टेट बैंक सम्बन्धी इस बिल की मैं सराहना करता हूं। लेकिन मैं एक बात देख रहा हूं कि आपको रिजर्व बैंक से 3 परसैंट पर लोन मिलता है, लेकिन उसके बाद ग्रामीणों औरवीकर सेक्शन्ज को कर्जा 15 परसैंट पर दिया जाता है। देश में जो कोआपरेटिव बैंक हैं, उनकी काम करने की क्षमता और तरीके के कारण गरीब लोगों को बहुत निराशा होती है। हमारे नए वित्त उपमंत्री ने कुछ काम किया है और बैंकों की हालत में कुछ सुधार हुआ है। आज बैंकों में बहुत ओवरटाइम एलाउन्स दिया जाता है और मैनेजमैंट पर बहुत खर्चा होता है। कोआपरेटिव बैंकों में जो डायरेक्टर बन जाते हैं, वे पैसे का दुरुपयोग करते हैं। इसकी रोक-थाम की जानी चाहिए।

हिन्दुस्तान में 58 करोड़ लोग गरीबी की रेखा के नीचे रहते हैं। उनके लिए 3 करोड़ रुपए का कर्जा रखा गया है। मैं जानना चाहता हूं कि उद्योग वालों और गांव वालों को दिए जाने वाले कर्जे की क्या रेशो होगी। शेयरहोल्डर्ज के लिए साढ़े पांच परसेंट ब्याज रखा गया है। मैं समझता हूं कि उन्हें वही ब्याज देना चाहिए, जो कि आप चार्ज करते हैं।

बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो गया है और उनकी शाखाएं खुल रही है, लेकिन उनसे जिस लाभ की हम अपेक्षा करते थे, वह अभी तक नहीं मिला है। बैंक कर्मचारी ईमानदारी और निष्ठा के साथ गांवों के लोगों की सेवा नहीं करते हैं। यह देखी हुई बात है। राजस्थान में मारवाड़ ग्रामीण बैंक हैं। आज हालत यह है कि जब तक कोई भी ग्रामीण बैंक का मैनेजर रिश्वत या नजराना नहीं ले लेता है, तब तक गरीब आदमी को लोन नहीं मिलता है। उसे पांच सात बार चक्कर लगाने पड़ते हैं और कई फार्मेलेटीज पूरी करनी पड़ती हैं। इन फार्मेलेटीज को कम करना चाहिए, ताकि गरीब आदमियों को बिना किसी तकलीफ के लोन मिल सके।

जैसा कि मैंने कहा है, कोआपरेटिव बैंकों के डायरेक्टर मैनेजमैंट पर बहुत ज्यादा खर्चा करते हैं, बैठकों में उनकी आपस में लड़ाई होती है। मैंने कई कोआपरेटिव बैंक देखे हैं; उनकी

हालत खराब है। मुझे आशा है कि सरकार इन बैंकों के काम में सुधार करेगी, ताकि गरीबों को आसानी से लोन मिल सके। तभी बैंकों के राष्ट्रीयकरण का उद्देश्य पूरा हो सकता है।

श्री जनार्दन पुजारी : महोदय जहां तक कमजोर वर्गों के कष्टों का सम्बन्ध है मैं माननीय सदस्य द्वारा प्रकट किए गए विचारों से पूर्णत: सहमत हूं। जहां तक ब्याज की दर का सम्बन्ध है मैं अपने मित्र से सहमत नहीं हूं। जनता के मन में जो सन्देह है उनको इस सभा के माध्यम से दूर करना अच्छा है। लोगों के द्वारा जमा किए गए प्रत्येक 100 रु० में से 7 रुपए नकद जमा अनुपात के रूप में रखा जाएगा और 35 रुपए सांविधिक तरलता अनुपात के प्रावधानों के लिए रखे जायेंगे। कुल मिलाकर इन खातों में —42 रुपए जायेंगे और शेष 58 रुपयों में से 40% रु० प्राथमिकता क्षेत्रों में जायेंगे। मैं पुनः दोहराता हूं कि इन 58 रु० में से 40% प्राथमिक क्षेत्रों को जायेंगे और इस 40% का 40% कृषि क्षेत्र को जायेंगे। यह कुल अग्रिमों का 16% होगा और इस 16% का 50% कमजोर वर्गों को प्रत्यक्ष अग्रिमों के रूप में दिया जायेगा। जैसा कि आपको मालूम है कि कुल अग्रिमों का 1% कमजोर वर्गों को आसान ब्याज दर योजना के अन्तर्गत 4% की दर पर दिया जाएगा। प्राथमिक क्षेत्र और रियायती दर 10-25% से 12% के बीच में परिवर्ती होंगी। अत: यह कहना ठीक नहीं होगा कि हम भारतीय रिजर्व बैंक से 3% की दर पर धन ले रहे हैं और उसी को कमजोर वर्गों को 13% या 15% की दर पर उधार दे रहे हैं।

इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूं कि देश के विभिन्न भागों से ये शिकायतें मिली हैं कि बैंकों में काम करने वाले कर्मचारी लोगों को परेशान करते हैं। जहां तक बैंकिंग क्षेत्र में अनुशासन का सम्बन्ध है सरकार बहुत अधिक सख्त हो गयी है। हम बैंकिंग प्रशासन को सुधारने के लिए पूर्णतया कटिबद्ध हैं 1982 तक पिछले छह: महीनों में हम—मैं यह नहीं कहता कि यह बचत है—देश में 1981 की तुलना में लगभग 4 करोड़ रुपए समयोपरि भत्ते के रूप में बचा सके हैं।

जहां तक कमजोर वर्गों को सहायता देने का सम्बन्ध है मैं पहले ही कह चुका हूं कि कमजोर वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा किया जाएगा।

मैं सोचता हूं कि मैंने बाकी मुद्दों को बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक, संशोधित रूप में, पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

राष्ट्रीय जलमार्ग (गंगा भागीरथी हुगली नदी का इलाहाबाद हल्दिया भाग) विधेयक

सभापति महोदय : सदन अब अगला विषय अर्थात राष्ट्रीय जलमार्ग (गंगा भागीरथी हुगली नदी का इलाहाबाद हल्दिया भाग) विधेयक पर चर्चा करेगा।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : सभापति महोदय, भारतीय नौवहन एवं नौचालन के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए संसद में एक विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है। इस दिशा में फिलहाल इलाहाबाद से हल्दिया तक गंगा नदी के भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर पहल की जा रही है।

2. ऊर्जा की बचत करने और भूमि पर विभिन्न प्रकार के यातायात के साधनों की कमी को पूरा करने की आवश्यकता के सन्दर्भ में सरकार यह आवश्यक समझती है कि जिन स्थानों में अन्तर्देशीय जल-परिवहन का विकास करने की संभावना है वहाँ परिवहन के इस प्रकार के साधन का तेजी से विकास किया जाए। यह विकास कार्य एक अन्य दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, हम परिवहन के अन्य साधनों की अपेक्षा अन्देंशीय जल-परिवहन का विकास करने में जितनी पूंजी लगाते हैं उससे लोगों को परिवहन के अन्य साधनों की उपेक्षा कहीं अधिक रोजगार मिलता है और इससे प्राय: वे लोग लाभान्वित होते हैं जो हमारे समाज के कमजोर वर्ग के होते हैं। सरकार यह कोशिश करेगी कि आधारभूत और अन्य सुविधाओं की व्यवस्था कर जल मार्ग को विनियमित और विकसित किया जाए जिससे नौवहन और नौचालन के कार्य में इसका अभीष्ट उपयोग किया जा सके। यह भी विचार है कि जल मार्गों से सम्बन्धित व्यक्तियों व संस्थाओं आदि के प्रतिनिधियों को शामिल कर एक सलाहकार समिति का गठन किया जाए जो सरकार को इस अधिनियम के प्रशासन से सम्बन्धित विषयों पर सलाह दिया करेगी।

3. सरकार ने गंगा नदी के अलावा 9 और जल मार्गों की सूची बनाई है जिनको राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करने के बारे में बिचार किया जा रहा है। जब इस सम्बन्ध में अध्ययन पूरा हो जाएगा तब इन जल मार्गों को भी राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करने के बारे में कार्रवाई की जाएगी।

4. सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि इस विधेयक पर, जैसा कि राज्य सभा से दिनांक 27.7.1982 को पारित किया जा चुका है, विचार किया जाए और इसे पारित किया जाए।

मैं प्रस्ताव करता हूं कि गंगा-भागीरथी-हुगली नदी के इलाहाबाद-हल्दिया भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए उपबन्ध करने के लिए और उक्त जलमार्ग पर पोत-परिवहन और नौ-परिवहन के प्रयोजनों के लिए उस नदी का विनियमन और विकास करने के लिए और उनसे सम्बद्ध या उनसे आनुषगिक विषयों के लिए भी उपबन्ध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।

सभापति महोदय : प्रस्ताव किया गया है :

"कि गंगा-भागीरथी-हुगली नदी के इलाहाबाद-हल्दिया भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए उपबंध करने के लिए और उक्त जलमार्ग पर पोत-परिवहन और नौ-परिवहन के प्रयोजनों के लिए उस नदी का विनियमन और विकास करने के लिए और उनसे संबद्ध या उनसे आनुषंगिक विषयों के लिए भी उपबन्ध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

* **श्री सत्य गोपाल मिश्र** (तामलुक) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का सिद्धान्त और नीति की दृष्टि से समर्थन करता हूं और इस विधेयक के उद्देश्य का स्वागत करता हूं। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि न केवल हमारे देश में, बल्कि विश्व के अन्य भागों में भी प्राचीन सभ्यता नदियों के किनारे ही फली-फूली/प्रकृति की देन के रूप में जलमार्ग बने तथा हमारे देश की कई नदियां हैं हमारे जैसे बड़े देश में जहाज उद्योग ने काफी अर्से तक विश्वव्यापि ख्याति प्राप्त की, और यहां तक कि आज भी वे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। 19वीं शताब्दी के आरम्भ से ही हमारे देश में विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में जल मार्ग का विकास आरंभ हो गया था। 1823 में कुलपी से कलकत्ता के जलमार्ग में शुरू हो गया था। 1842 में कलकत्ता आगरा के बीच जलमार्ग आरम्भ हुआ था। तथा 1863 में कलकत्ता और असम के बीच एक जलमार्ग आरम्भ हुआ था। तब से, जलमार्ग के विकास में ठहराव आ गया है। महोदय, हमारी सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने 1970 से आरम्भ होने वाले दशक में समय समय पर स्वर्गीय श्री ज्योतिमय बसु की अध्यक्षता में जलमार्ग के विकास संबंधी रिपोर्टें पेश की हैं। उन्होंने देश में जलमार्ग का विकास करने पर बहुत बल दिया है।

महोदय, मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस समिति की 351वीं रिपोर्ट के पृष्ठ 1 की ओर दिलाना चाहता हूं। इसमें जल परिवहन प्रणाली के बारे में स्पष्ट रूप से कहा गया है। मैं इसे उद्धृत करता हूं—

---

* बंगला में दिये गये मूल भाषण के अंग्रेजी अनुबाद का हिन्दी रूपान्तर।

"समिति नोट करती है कि अन्तर्देशीय जल परिवहन, जो कि परिवहन का एक प्राचीन, विश्वसनीय तथा सस्ता तरीका है, समूचे विश्व में परिवहन प्रणाली, तथा आर्थिक विकास में आज भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इसका कारण यह है कि परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में इसके कई अन्तर्निहित लाभ हैं। विश्व में यह बात सभी पूरी तरह मानते हैं कि अन्तर्देशीय जल परिवहन यातायात का सबसे सस्ता साधन है जबकि 1 किलोमीटर रेलपथ के निर्माण पर लगभग 10 लाख रुपए तथा सड़क पर 4.5 लाख रुपए, अन्तर्देशीय जल परिवहन पर केवल 2 लाख रुपए का खर्चा आता है और वह भी उन जल मार्गों पर जिनमें कमी वाले समय में जल की मात्रा कम हो जाती है। इस तरह एक किलोमीटर रेल पथ के रख-रखाव पर प्रतिदिन 9600 रुपए, सड़क पर 4500 रुपए, किन्तु इस पर केवल 1000 रुपए व्यय होते हैं। इसके अतिरिक्त जहां तक ऊर्जा की आवश्यकता का सम्बन्ध है, चाहे यह ईंधन, तेल, कोयला या बिजली, हो, परिवहन के अन्य साधनों की तुलना में जल परिवहन कम ऊर्जा व्यय करके अधिक माल ढो सकता है। एक हार्स पावर से सड़क परिवहन साधनों द्वारा 150 किलोग्राम, रेल द्वारा 500 किलोग्राम तथा जल परिवहन द्वारा 4000 किलोग्राम माल ढोया जाता है। इस प्रकार परिवहन प्रणाली में अन्तर्देशीय जल परिवहन सबसे कम ऊर्जा की खपत करता है।"

बहुत समय पूर्व उन्होंने जल परिवहन के सम्बन्ध में यह बात कही थी। बहुत से स्थानों पर हमारी नदी प्रणाली पर 'पोर्ट' (पत्तन) किस्म के स्थानों की उत्पत्ति हुई है। जल मार्ग के विकास पर बहुत कम खर्च आता है। उनके रख-रखाव पर भी कम खर्च आता है और उन पर ईंधन की खपत भी बहुत कम होती है। हमारे देश में सड़क और रेल परिवहन पर पहले ही बहुत बोझ है। अतः जल मार्गों के विकास को अधिक महत्व देने की आवश्यकता है। हमारे देश में जलमार्ग आर्थिक क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हमें अपनी ईंधन की आवश्यकताएं पूरी करने के लिए विदेशी राष्ट्रों को निवेदन करना पड़ा इसके परिणामस्वरूप व्यापार में कमी हुई और हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा है। व्यापार की इस कमी को पूरा करने के लिए हमें अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से ऊंची दर ब्याज लेना पड़ा और इससे हमारे देश की प्रतिष्ठा, गरिमा और प्रभुसत्ता में कमी आई है। यदि हम अपने अन्तर्देशीय जलमार्ग का विकास करके व्यापार में हो रहे घाटे को कम कर सकते हैं तो इससे काफी हद तक अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसके अतिरिक्त, नए जलमार्गों का विकास करने से लोगों को रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। इससे देश में नए उद्योगों का भी विकास होगा। हमारे जैसे बड़े देश में अन्य साधनों से माल ढुलाई बहुत महंगी पड़ती है और इससे वस्तुओं की कीमत बढ़ जाती है। निरंतर मूल्य बढ़ने का एक कारण यह भी है कि ढुलाई की लागत में निरन्तर वृद्धि हो रही है। नदी मार्गों से वस्तुओं की ढुलाई करने से हम काफी हद तक ढुलाई की कीमत कम कर पायेंगे और इससे बाजार में इन वस्तुओं का मूल्य कम ही कर सकेंगे। जल मार्गों के

माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की ढुलाई करके उनके मूल्य को काफी हद तक कम किया जा सकता है ।

अब मैं यह पूछना चाहूंगा कि हमारे देश में इतनी नदियां और जल परिवहन की बहुत अधिक सुविधाएं होने के बावजूद भी इस विधेयक को समक्ष इतनी देर से क्यों प्रस्तुत किया गया है । इस प्रश्न पर गंभीरता पूर्वक विचार और चर्चा की जानी चाहिए । यहां तक कि माननीय राष्ट्रपति जी ने इस वर्ष के बजट सत्र के आरंभ में अपने अभिभाषण में इस विधेयक का उल्लेख किया था । सामान्यत: राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में किसी विधेयक का उल्लेख नहीं किया जाता । लेकिन इस वर्ष ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण था । बजट सत्र समाप्त हो गया, एक अन्य सत्र भी समाप्त हो चुका है और अब इस सत्र में यह विधेयक अन्तिम रूप से सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है । सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति ने इस प्रस्ताव को कार्यान्वित करने के लिए कई बार दबाव डाला है लेकिन अब इतने अर्से के बाद भी इस पर पूरी तरह से विचार नहीं किया जा रहा । सभापति महोदय, यदि आप ध्यान दें तो आप देखेंगे कि इस समय जब कि सदन में इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा की जा रही है संभवत: यहां गणपूर्ति भी नहीं है और सत्तारूढ़ दल के मुश्किल से केवल 15 या 20 सदस्य ही सदन में उपस्थित हैं । ऐसा क्यों है ? महोदय, सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की 337वीं रिपोर्ट के पृष्ठ 13 और 14 पर स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि सड़क परिवहन लॉबी और हमारे देश के वाहन निर्माता सरकार पर अपना दबाव और प्रभाव डाल रहे हैं । इस सम्बन्ध में समिति के निष्कर्ष स्पस्ट रूप से दिए गये हैं जो कि इस विधेयक को इतनी देर से प्रस्तुत करने के जिम्मेदार हैं । महोदय मैं ऊपर बताई गई 337वीं रिपोर्ट के पृष्ठ 13 और 14 को उद्धृत करता हूं —

> "यह बात समिति के नोटिस में लायी गई कि एक प्रभावशाली सड़क परिवहन लाबी है । इस लाबी में सड़क परिवहन चलाने वाले तथा गाड़ियां बनाने वाले हैं जो पूर्वी तथा उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के सड़क परिवहन को पूर्णत: नियंत्रित करती है और अंतर्देशीय जल परिवहन के विस्तार और प्रभावशाली कार्यकरण का विरोध करती है । कहा जाता है कि यह योजना आयोग, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय सहित उच्चतम स्तर पर भी काम कर रही है । यह लाबी केन्द्रीय सड़क परिवहन निगम को बन्द करने की जिम्मेवार है और केन्द्रीय अंतर्देशीय जल परिवहन निगम को भी यह विकसित नहीं होने दे रही है । इस बात को साक्ष्य के दौरान निगम के अनेक वरिष्ठ अधिकारियों ने स्वीकार किया है । गैर सरकारी बड़े परिवहन संचालक इस लाबी के पीछे हैं । एक अधिकारी ने कहा भी है "वे हर स्तर पर लोगों को खुश रखते हैं —वे लाखों रुपये दे रहे हैं ।"

सड़क परिवहन लॉबी काफी अर्से से सरकार पर दबाव डाल रही है । वे योजना आयोग, नौवहन तथा परिवहन मंत्रालय तथा सत्तारूढ़ दल पर भी अपना दबाव डालने का प्रयास कर

रहे हैं । यह दोषारोपण मैं स्वयं नहीं कर रहा हूं वरन् सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति की रिपोर्ट में ऐसा ही कहा गया है । वह रिपोर्ट इस महान सभा के समक्ष भी प्रस्तुत की गई है । इस सम्बन्ध में बनाई गई विभिन्न योजनाओं में हमने देखा कि न केवल पर्याप्त धन का नियतन ही नहीं किया जा रहा बल्कि जो थोड़ा बहुत आवंटन किया गया है उस का उचित तरीके से उपयोग भी नहीं किया जा रहा ।

तथापि यह विधेयक अन्ततः हमारे समक्ष आया है और मैं पूरे दिल से इसका स्वागत करता हूं । यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है और हमें आशा है कि इसे इस सदन द्वारा भी सर्वसम्मति से पारित किया जाऐगा । इसके बाद जब इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होगी, तो इस जलमार्ग की सम्पूर्ण जिम्मेदारी केन्द्रीय सरकार के हाथ में चली जाएगी । अतः, मैं मन्त्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक से सम्बन्धित सभी बातों पर पूरा ध्यान दें ।

महोदय, किसी भी जल मार्ग केवल तब ही अच्छी तरह से कार्य कर सकता है जब नदियों में पर्याप्त मात्रा में जल रहे । आज गंगा तथा भागीरथी के पानी की मात्रा एक समस्या बन गई है । सब जानते हैं कि कलकत्ता और हल्दियां बंदरगाहों को बनाए रखने के लिए 40,000 क्यूसेक पानी की आवश्यकता है, जिसकी कोई गारन्टी नहीं है । इस समस्या पर चर्चा करने के लिए पश्चिम बंगाल विधान सभा का एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल यहां आएगा । मुझे आशा है कि जल मार्गों के विकास के साथ-साथ केन्द्रीय सरकार इस ओर भी पर्याप्त ध्यान देगी कि नदियों में पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध कराया जाए । भागीरथी नदी के ऊपरी क्षेत्र में बहुत मात्रा में जल की खपत होती है और उसके परिणाम स्वरूप इस नदी के निचले मुहाने पर बहुत प्रभाव पड़ता है । इस ओर भी पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिए ।

गंगा नदी से भूमि के कटाव के कारण मुर्शिदाबाद जिले का बहुत सा क्षेत्र प्रभावित हुआ है और इस भूमि कटाव के कारण कई गांव नष्ट हो रहे हैं । इस समस्या पर भी महत्वपूर्ण ढंग से विचार किया जाना चाहिए ।

केन्द्रीय सरकार हल्दिया और इलाहाबाद के बीज जलमार्ग की जिम्मेदारी ले रही है । लेकिन हल्दिया और नदी के मुहाने के बीच का हिस्सा जहां नदी समुद्र में गिरती है, इसके क्षेत्र से बाहर है । इस क्षेत्र और इस हिस्से तथा दूर तक फैले सुन्दरबन द्वीप के बीच संचार-व्यवस्था का भी रख-रखाव किया जाना चाहिए और उस पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए । मेरा सुझाव है कि हल्दिया और इलाहाबाद के बीच जलमार्ग का विकास करने की बजाय इसका विकास बंगाल की खाड़ी से इलाहाबाद तक किया जाना चाहिए । कलकत्ता शहर निकटवर्ती क्षेत्र में जो छोटी-छोटी नहरें हैं और यदि उन्हें भी इस विधेयक अधिकार क्षेत्र में लिया जाए तो उससे स्थानीय परिवहन का भी काफी हद तक सुधार किया जा सकता है । अतः मेरा सुझाव है

कि इस जल मार्ग को बंगाल की खाड़ी तक विकसित किया जाए और कलकत्ता शहर की छोटी-छोटी नदियों को भी नौवहन के लिए विकसित किया जाए।

बहुत से उद्योगपति और अन्य लोग गंगा नदी के जल को प्रदूषित कर रहे हैं, इसे भी रोका जाना चाहिए।

इस नदी से हजारों मछली पकड़ने वाले अपनी आजीविका कमाते हैं। इस विधेयक के माध्यम से उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। मैं एक और सुझाव भी दूंगा कि फरक्का पर माल की ढुलाई का एक टर्मिनल बनाया जाए। यहां पर माल को बुकिंग करना सम्भव होगा और छोटी नावें माल को बाकी हिस्सों से कलकत्ता बन्दरगाह तक लाएंगी। इस तरह देश आन्तरिक भागों से वस्तुओं का आसानी से और कम कीमत पर निर्यात किया जा सकता है।

महोदय, अब मैं विधेयक के खंड पर आता हूं, इसके खंड 6 (3) में मध्यस्थ निर्णय के किसी मामले में समय-सीमा निर्धारित नहीं की गयी है। यदि समय-सीमा का उल्लेख नहीं किया गया तो सरकार को भूमि अधिग्रहित करने में बहुत समय लग जाएगा और इस विधेयक के प्रयोजन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। अतः इन मामलों में समय-सीमा का उपबन्ध जोड़े जाने की आवश्यकता है।

महोदय साथ ही इस विधेयक के खंड 5 (2) (ग) में पुनः नहरों को स्वच्छ, विस्तृत, गहरा और उनका रुख बदलने का उपबन्ध रखा गया है। ऐसा करने के लिए सम्बन्धित राज्य सरकार की सहमति लेना आवश्यक होगा।

महोदय, पुनः खंड 8 (1) में सलाहकार समितियां बनाने का उल्लेख किया गया है। सरकार को यह देखने के लिए कदम उठाने चाहिए कि इन सलाहकार समितियों में सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को नियुक्त किया जाए।

इस विधेयक का समर्थन करते हुए, मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि हमारे देश की सभी नदियों को जल मार्गों में शामिल किया जाए तथा ऐसे जलमार्गों का विकास किया जाए तो इससे लोगों को बहुत लाभ होगा। इस सम्बन्ध में उपक्रम योजना के लिए अधिक धन उपलब्ध कराया जाना चाहिए और सरकार को सड़क परिवहन लॉबी, जो कि बहुत शक्तिशाली है, के दबाव और प्रभाव में नहीं आना चाहिए। यदि सरकार की ऐसा करने में दिलचस्पी है तो अपने अन्तर्देशीय जलमार्गों के विकास की असीमित संभावनाएं है और साथ ही निर्धन लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमत भी कम की जा सकती है।

मैं एक बार फिर इसे अपना समर्थन देता हूं और इस विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री वी० डी० सिंह (फूलपुर) : सभापति महोदय, इलाहाबाद से हल्दिया तक राष्ट्रीय जल मार्ग बनाने के सम्बन्ध में जो बिल आया है, इसका मैं स्वागत करता हूं। श्री केसरी जी इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि वह इस बिल को यहां लाये हैं।

बहुत दिनों से यह महसूस किया जा रहा था कि इस जल-मार्ग को बनाया जाये। गत वर्ष मैंने एक प्रश्न इस सम्बन्ध में यहां पूछा था तो उस समय श्री केसरी जी परिवहन मंत्री थे। उस समय इसका नकारात्मक जबाब दिया गया था कि ऐसी कोई योजना नहीं है। इस से मैं समझता हूं कि केसरी जी के ही प्रयास हैं जिसके कारण यह संभव हो पा रहा है।

1970 में जो भगवती कमैटी बनी थी, देश में कई राष्ट्रीय जल मार्ग बनाये जाने के सम्बन्ध में उनकी रिकमैंडशन थीं। यद्यपि सभी जलमार्गों के सम्बन्ध में इसमें नहीं कहा गया है, लेकिन कम से कम उसका प्रारम्भ तो किया गया है। इससे मैं समझता हूं और कई लाभों के साथ इसमें 2 तरह के मुख्य रूप से लाभ हो सकते हैं।

एक तो यह कि जब गंगा नदी में बड़े बड़े जलयान चलाए जाएगें तो उसके लिए डि-सिल्टिंग करमा जरूरी होगा क्योंकि उसके बगैर उसमें बड़े जलयान चल नहीं सकते हैं। डि-सिल्टिंग करने से एक तो जो बाढ़ की समस्या हो जाया करती है, वह कम हो जायेगी क्योंकि नदियों की तलहैटी में काफी रेत आ जाने से भी उसमें बाढ़ आ जाती हैं। डी-सिल्टिंग होने से बाढें रोकने में भी सहायता मिलेगी। यह कलकत्ता और इलाहाबाद के वीच वाला जो मार्ग है, वह चाहे रेल मार्ग हो या जी टी रोड हो उस पर यातायात का बहुत अधिक दबाब रहता है। इस दवाब को कम करने में भी इस योजना से सहायता मिल सकेगी। इसलिए यह एक स्वागतयोग्य बिल है। लेकिन मैं समझता हूं यह एक बहुत खर्चीली योजना होगी। डी-सिल्टिंग करने पर भी बहुत व्यय होगा। अतः मैं जानना चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी ने इस योजना के सारे पहलुओं पर विचार कर लिया है या नहीं तथा इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए भी कोई समय-वद्ध कार्यक्रम बनाया है अथवा नहीं - इस सम्बन्ध में वे अपने उत्तर में प्रकाश डालने की कृपा करेंगे।

इसके अतिरिक्त इसमें केवल माल ही ढ़ोने की बात कही गई है, यात्रियों को लाने-लेजाने की बात नहीं कही गई है - इसका क्या कारण है, इस पर भी मन्त्री जी प्रकाश डालने की कृपा करेंगे। एक स्थान पर यह बात भी कही गई है कि सरकार की ओर से जलयान चलाये जायेंगे। मैं समझता हूं इसमें प्राईवेट लोगों को जलयान चलाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। हमारा अनुभव है कि जिस रूट पर सरकारी और प्राईवेट बसेज चलती हैं वहां पर सरकारी बसें घाटे में ही चलती हैं। यहां भी यदि प्राईवेट लोगों को जलयान चलाने की इजाजत दी गई तो सरकार को घाटा ही उठाना पड़ेगा। अत: प्राईवेट लोगों को इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। यदि प्राईवेट लोगो को देने का विचार ही हो तो इस जल मार्ग में जो बहुत से मल्लाह और मछुआरे बेरोजगार हो जायेगें, उनके द्वारा सहकारिता के आधार पर यदि कोई लाभकारी योजना बनाई जा सकती है तो उस पर विचार होना चाहिए परन्तु पूंजीपतियों को किसी भी दशा में इजाजत नहीं मिलनी चाहिए।

इसके अलावा जल प्रदूषण की जो समस्या होगी उस पर भी सरकार को विचार करना होगा। गंगा के किनारे के जितने भी गाँव हैं वहां के निवासी पीने का पानी गंगा से ही लेते हैं। अत: उन गांवों के लिए पीने के पानी की व्यवस्था भी सरकार को करनी होगी। इसके अतिरिक्त इस योजना के लिए जो भूमि की आवश्यकता होगी उसके मुआवजे की समुचित व्यवस्था भी सरकार को करनी होगी। इस सम्बन्ध में आर्बेट्रेशन में जो अनावश्यक विलम्ब होता है उसको दूर करने के लिए भी समुचित प्रयास करना होगा ताकि मुआवजा मिलने में विलम्ब न हो।

इसके अलावा मैं मन्त्री जी से यह भी आग्रह करूंगा कि इस योजना के कारण जो नाविक और मल्लाह पर्याप्त संख्या में बेरोजगार हो जायेगें उनको यदि कुछ ट्रेनिंग देकर किन्ही कामों के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है तो उसकी व्यवस्था अवश्य की जानी चाहिए। जो मोटे किस्म के काम हैं, जिनको वे आसानी से कर सकते हैं, उन कामों पर उनको वरीयता के आधार पर लगाया जाना चाहिए।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और मेरा सुझाव है कि आप जो सलाहकार समिति बनायेंगे उसमें स्थानीय संस्थाओं तथा कारपोरेशंस के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किया जाए।

इसमें यू. पी., बिहार और वैस्ट बंगाल की सरकारों के प्रतिनिधि होंगे। इन सब लोगों की सलाहकार समिति के द्वारा इस कानून को कार्यान्वित करने से सफलता मिलेगी।

श्री रीतलाल प्रसाद वर्मा (कोडरमा) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। देश को इस योजना की बहुत अपेक्षा थी; अभी तक स्थल मार्ग और समुद्र से परिवहन की व्यवस्था होती रही है। हमारे देश में नदियों का एक जाल सा बिछा हुआ है, जिनमें कई बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। जहाँ तक परिवहन का सम्बन्ध है, उनसे सस्ता और सुविधाजनक कोई दूसरा रास्ता नहीं है। सरकारी उपक्रम समिति और राष्ट्रीय परिवहन समिति ने जो सुझाव दिए हैं, अभी तक उनका क्रियान्वयन नहीं हो रहा था। मंत्री महोदय ने इस विधेयक को रख कर एक बड़ा श्लाघनीय कार्य किया है। इसलिए मैं इस बिल का हार्दिक स्वागत करता हूं।

राष्ट्रीय जलमार्ग की इस योजना को ट्रायल बेसिस पर लिया जा रहा है। लेकिन देश भर में बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं, जैसे साउथ में कृष्णा और गोदावरी। विभिन्न प्रदेशों में उन्हें राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में निर्धारित किया जा सकता है। जहां तक गंगा, भागीरथी और हुगली राष्ट्रीय जलमार्ग का सम्बन्ध है, वह उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल में से गुजरता है। इसके द्वारा कम भाड़े पर माल भी ढोया जा सकता है और यात्री भी लाभान्वित हो सकते

हैं। बहुत सी नदियों के किनारे पर छोटी मंडियां और बाजार हैं, जो अभी तक उपेक्षित रह जाते थे। अब उनके लिए विकास का नया आयाम पैदा होगा और वे व्यापार के अच्छे केन्द्र बनेंगे।

लेकिन इस बिल में बहुत सी खामियां रह गई हैं, जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है। लेकिन फिर भी जब एक कार्यक्रम प्रारंभ हो जाता है, तो धीरे-धीरे अनुभव के आधार पर उसमें सुधार और संशोधन किया जा सकेगा। इस दृष्टि से यह बिल बहुत उपादेय सिद्ध होगा।

परिवहन की व्यवस्था करने के साथ साथ नदियों के कटाव को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। मैंने रुमानिया और अन्य देशों में देखा है कि नदियों के कटाव को रोकने के लिए भूमि-संरक्षण और वृक्षारोपण किया जाता है। वोल्गा और टेम्ज नदियों के किनारे किनारे इतने वृक्ष हैं कि वे जंगल का पहाड़ मालूम होते हैं। ये उपाय करने से भू-क्षरण भी रुकेगा और सिल्टिंग की भी रोक थाम होगी। इस बिल में इस बारे में कोई प्रावधान नहीं है। मंत्री महोदय को इसमें यह प्राविजन करना चाहिए था कि राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के साथ साथ नदियों का कटाव रोकने के लिए वृक्षारोपण भी किया जाएगा। इससे राष्ट्र को वृक्ष भी मिलेंगे और जल-वायु पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा नदियों का कटाव बदलता रहता है। इस दृष्टिकोण से देखकर इसको करना चाहिए। साथ-ही-साथ माल रखने के लिए गोदामों की व्यवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा नदियों के किनारे वाले जितने भी शहर हैं, बाजार है, उन सबका डवेलपमेंट हो सकता है। इसके साथ साथ यह भी देखना चाहिए कि नदियों के किनारे रहने वाले बहुत से लोग अनुभवी होते हैं, जो कि पानी की गतिविधियों से परिचित होते है। ऐसे परिचित लोगों को प्राथमिकता के आधार पर नियोजन करने के लिए सरकार को प्रोवीजन रखना चाहिए। होता यह है कि कोई सैन्ट्रल कानून बनता है और उसमें सभी जगह के लोग भर जाते हैं, लेकिन वहां के स्थानीय लोग उससे वंचित रह जाते हैं। जिनको अनुभव नहीं होता है, उनकी वहाली हो जाती है और जिनको अनुभव होता है, वे वंचित रह जाते हैं। इस बात पर भी आपको प्राथमिकता देने की जरूरत है।

इसके अतिरिक्त आपने सलाहकार समिति का जिक्र किया है ये एक से अधिक हो सकती है, लेकिन लगता है अनिश्चितता है, कोई निश्चितता नहीं है। यदि सरकार चाहे तो दूरी के आधार पर, जैसे 200 मील या 50 मील, सलाहकार समिति बनाई जाए। जो वहाँ की समस्याओं को ध्यान देते हुए, कैसे वहां माल रखना है, कैसे माल की चोरी होती है, कैसे तस्करी होती है और किस प्रकार नियन्त्रण किया जा सकता है—इस बारे में वह अपने सुझाव दे सकती है। उन सलाहकार समिति में वहाँ के स्थानीय जनप्रतिनिधियों को लिया जाना चाहिए। तीनों प्रदेशों की तीन अलग-अलग सलाहकार समितियां बनायें या दूरी के आधार पर बनायें—इसका इसमें जिक्र होना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि यदि मंत्री महोदय के दिमाग में कोई और बातें हैं, तो उनसे हमको भी अवगत कराया जाए। मैं इसका समर्थन करते हुए आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया।

*श्री ईरा मोहन (कोयम्बटूर) : माननीय सभापति महोदय, मैं अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की ओर से नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री सीताराम केसरी द्वारा पेश किए गए राष्ट्रीय जलमार्ग (गंगा-भागीरथी-हुगली नदी का इलाहाबाद-हल्दिया भाग) विधेयक, 1982 के बारे में कुछ शब्द कहने के लिए खड़ा हुआ हूं।

चूंकि इस विधेयक में एक प्रशंसनीय राष्ट्रीय उद्देश्य की प्राप्ति का प्रस्ताव किया गया है, इसलिए मैं तह-दिल से इस विधेयक का स्वागत करता हूं। गंगा-भागीरथी हुगली नदी के इलाहाबाद-हल्दिया भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जा रहा है तथा इस विधेयक के उपबन्धों के द्वारा इस नदी में नौवहन को विनियमित और विकसित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल ने इस विधेयक को पुर:स्थापित करने हेतु अपनी सहमति प्रदान कर दी है। राष्ट्रीय एकता के अन्य लक्ष्यों की प्राप्ति का यह एक शुभ लक्षण है। अन्तर्देशीय जल परिवहन सड़क और रेल परिवहन से बहुत सस्ता है। इसका उद्देश्य सड़कों पर भीड़भाड़ को कम करना है। मुझे विश्वास है कि इन तीन राज्यों में माल की ढुलाई जल्दी और सस्ती होगी। परिवहन सुविधाओं में सुधार होने के अतिरिक्त, जैसाकि मैंने अभी कहा है, राष्ट्रीय एकता के विशिष्ट आदर्श को प्राप्त करना भी संभव हो जाएगा।

मैं यहाँ कुछ संबद्ध मामलों का उल्लेख करना चाहूंगा। यदि नर्मदा और गोदावरी नदियों को राष्ट्रीय नदियां घोषित कर दिया जाए, जैसा कि गंगा-भागीरथी-हुगली के मामले में किया गया है, तो गुजरात, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आन्ध्र प्रदेश राज्यों में माल की ढुलाई आसान और सस्ती हो जाएगी। यह केवल राज्यों के बीच अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास ही नहीं है। बल्कि इससे साथ-साथ कृषि बिकास का उद्देश्य भी पूरा होता है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भारत की सभ्यता वस्तुत: नदी सभ्यता है। नदियों के दोनों किनारों के साथ लगने वाली भूमि उपजाऊ तथा कृषि योग्य हो जाती है। मानव जाति के अस्तित्व को बनाए रखने का कृषि पहला आधार है। दूसरे शब्दों में अन्तर्देशीय जल परिवहन और कृषि परस्पर इतने सम्बद्ध हैं जितने कि देश के विभिन्न राज्यों को नदियां जोड़ती हैं। अन्तर्देशीय जल परिवहन के विकास हेतु उठाए जा रहे कदमों के साथ-साथ इस बात को भी ध्यान में रखना होगा।

*तमिल में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

तमिलनाडु लम्बे समय से एक मांग करता आ रहा है जिसकी पूर्ति केन्द्र ने अभी तक नहीं की है। बकिंघम नहर को, जो तमिलनाडु और आन्ध्र प्रदेश को जोड़ती है, राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित किया जाना चाहिए ताकि केन्द्र द्वारा इसका विकास सुनिश्चित किया जा सके। अब तक इस नहर की उपेक्षा की गई है। यदि इसका विकास किया जाता है तो इन दो राज्यों में माल का आवागमन शीघ्र और सस्ता हो जाएगा। मैं माननीय मंत्री महोदय से इस ओर ध्यान देने तथा बकिंघम नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने का अनुरोध करता हूं।

जहां तक तमिलनाडु का संबंध है, मुझे राज्य के जीवन और मृत्यु के एक और प्रश्न को उठाने की अनुमति देने की कृपा करें। हजारों वर्षों से तमिलनाडु कावेरी नदी का जल प्राप्त करता आ रहा है। परन्तु अब तमिलनाडु को कावेरी नदी के पानी के अपने जायज शेयर को प्राप्त करने से वंचित किया जा रहा है। कावेरी नदी के जल के बिना तमिलनाडु से शीघ्र ही कृषि समाप्त हो जाएगी। थंजावूर और तिरुचिरापल्ली जिले, जिन्हें तमिलनाडु के अन्न भण्डार कहा जाता है, शीघ्र ही सम्पूर्ण राज्य के कब्रिस्तान में बदल जाएंगे। यहाँ की भूमि राजस्थान के थार मरुस्थल जैसी लगने लगी है। 1924 का करार 1974 में समाप्त हो गया है और तमिलनाडु के बार-बार अनुरोध के बावजूद भी इस समस्या को सुलझाने के लिए केन्द्र ने अभी तक कोई प्रभावशाली कदम नहीं उठाए हैं। यदि कावेरी नदी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है तो यह समस्या तत्काल सुलझ जाएगी। कावेरी के जल से न केवल सिंचाई का उद्देश्य पूरा होगा अपितु अन्तर्देशीय जल परिवहन की सुविधा भी प्राप्त होगी।

यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के बिना कर्नाटक सरकार ने कावेरी नदी की सहायक नदियों पर हेमावती, हैरींगी तथा काबीनी बांध बनाए हैं। इन सिंचाई परियोजनाओं पर कर्नाटक सरकार ने 250 करोड़ रुपए की राशि खर्च की है। ये जलाशय तमिलनाडु के मेट्टूरे जलाशय के अस्तित्व के लिए खतरा बन गए हैं। आज मेट्टूर जलाशय में केवल 15 फुट पानी है जबकि पिछले वर्ष इसी दिन इसमें 120 फुट पानी था। आप अनुमान लगा सकते हैं कि तमिलनाडु के किसानों को किस हद कष्ट पहुंचाया गया है। मुझे आश्चर्य होता है कि क्या केन्द्र सरकार तमिलनाडु के 4.5 करोड़ लोगों के कब्रिस्तान पर विशाल ढांचे तथा गगन चुम्बी इमारतें खड़ी करने के लिए कर्नाटक सरकार के साथ सहापराधी है।

1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के दिन से ही हम अपनी नदियों के राष्ट्रीयकरण के बारे में बातें करते आ रहे हैं। केन्द्र को उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ने वाले गंगा भागीरथी-हुगली नदी के इलाहाबाद भाग के राष्ट्रीयकरण के लिए इस विधेयक को लाने में 35 वर्ष लगे हैं। मैं इस बात की सराहना करता हूं कि अन्ततः भारत सरकार आदर्शों और कल्पनाओं को वास्तविकता में बदल रही है। भारत में ऐसी नदियां हैं जिनका प्राचीन इतिहास है और इन पर गौरवमयी सभ्यता और संस्कृति की छाप है। यदि आज इन्हें राष्ट्रीय सम्पदा

घोषित किया जाता है तो न केवल अन्तर्देशीय जल परिवहन का विकास ही होगा अपितु इससे कृषि में भी अत्यन्त सुधार होगा ।

लगभग 7-8 वर्ष पहले हमारी माननीय प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने मद्रास में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए आश्वासन दिया था कि वे आन्ध्र प्रदेश की कृष्णा नदी के जल को मद्रास तक लाकर मद्रास महानगर की पीने के पानी की समस्या को हल कर देंगी । आज तक इसका कार्यान्वियन नहीं हुआ है और अब मद्रास शहर पीने के पानी के अभाव का सामना कर रहा है । श्रीमती इन्दिरा गांधी के दल के कर्नाटक के मुख्य मंत्री श्री गुण्डुराव ने और उन्हीं के दल के आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने तमिलनाडु और मद्रास को क्रमशः कावेरी और कृष्णा का जल नहीं दिया है । उन्हें अपनी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के तमिलनाडु और मद्रास के लोगों को दिए गए आश्वासनों को पूरा करने का निदेश दिया जाए । मुझे अचम्भा होता है कि उन्होंने हमारी प्रधान मंत्री के आश्वासन की उपेक्षा करने का साहस कैसे किया है ।

राज्यों के परस्पर जल-विवाद सहित ऐसी सभी समस्याओं को संविधान (संशोधन) विधेयक द्वारा नदियों को राष्ट्रीय सम्पत्ति घोषित करके हल किया जा सकता है । इससे भारत विदेशों को खाद्यान्न सप्लाई करने के मामले में सम्पर्क विश्व का अन्नभण्डार बन जाएगा । माननीय नौवहन और परिवहन मंत्री को अपने आप को इस विधेयक तक ही सीमित नहीं रखना चाहिए । उन्हें अपने मित्रों के साथ इस पर विचार करना चाहिए ताकि वे अन्तर्देशीय जल मार्गों का जाल बिछा सकें जिससे कृषि को भी फायदा होगा । इससे राष्ट्रीय एकता को भी प्रोत्साहन मिलेगा जिसकी अत्यधिक आवश्यकता है । सरकार इस बात से इन्कार नहीं कर सकती कि हमारी नदियों के जल का एक बड़ा भाग समुन्द्र में व्यर्थ चला जाता है । इसके साथ-साथ लाखों एकड़ उपजाऊ भूमि तेजी से सूखी भूमि में परिवर्तित होती जा रही हैं । जहाँ कुछ उत्तरी क्षेत्रों में खेत बाढ़ के पानी से भरे हुए हैं वहीं दक्षिणी भाग में खेत शीघ्रता से शुष्क क्षेत्रों में परिवर्तित होते जा रहे हैं । हम नहीं चाहते कि और अधिक ऐसा हो ।

इससे पूर्व कि मैं समाप्त करूं मैं केवल इतना कहूंगा कि किसानों ने इस आशा के साथ कि उन्हें अच्छी फसल मिलेगी अपनी सारी दौलत खेतों में लगा दी है । उनकी सारी सम्पत्ति खेतों में लगी हुई है । यदि उनकी भूमि में फसल नहीं होती तो इससे उनका अत्यधिक नुकसान होगा । यह कोई सामान्य मामला नहीं है जिसमें और विलम्ब किया जा सके । जब लोग जीवन और मृत्यु के प्रश्न से जूझ रहे हों तब वास्तव में वे एक जुट होकर खड़े होंगे और तब न केन्द्र और न ही राज्य सरकार के लिए उनके हिंसक विद्रोह को रोकना सम्भव होगा । हमें इस महाविपत्ति से बचना चाहिए । तमिलनाडु राज्य सरकार की इस गम्भीर समस्या को हल करने में रुचि नहीं है । मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वे मंत्रिमंडल में अपने साथियों के साथ अपने पद का प्रयोग करें और यह सुनिश्चित करें कि भारत सरकार कर्नाटक राज्य सरकार को तमिलनाडु सरकार को कावेरी का पर्याप्त मात्रा में पानी सप्लाई करने के

लिए निदेश दे जिससे उसे अपरिहार्य हानि से बचाया जा सके। कृपया कावेरी को राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं चर्चाधीन इस विधेयक का पूर्ण समर्थन करता हूं।

श्री भीम सिंह (झुन्झुनू) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने जो नेशनल वाटरवेज का बिल रखा है, मैं उसका स्वागत करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि यह बिल राष्ट्र के लिए बहुत उपयोगी साबित होगा। इसकी बहुत पहले ही आवश्यकता थी।

इसके साथ-साथ मैं कुछ सुझाव और शंकाएं भी रखना चाहूंगा। इस बिल के क्लाज 2 और 3 में जहां कि एरियाज को लेने का जिक्र है, इसमें क्लाज 3 में लिखा है:—

> "यह घोषित किया जाता है कि लोकहित में यह सभी चीज है कि केन्द्रीय सरकार राष्ट्रीय जल मार्ग पर पोत परिवहन और नौ-परिवहन के प्रयोजन के लिए गंगा-भागीरथी हुगली का विनियमन और विकास इसमें उपबंधित विस्तार तक अपने नियंत्रण में ले लें"।

इसका मतलब यह हो जाता है कि जितना-जितना एरिया उन्होंने अपने शिड्यूल में रखा है, वह सब सरकार के नियंत्रण में आ जाता है। इस शिड्युल में जो एरिया मेंशन है, खासतौर से जो इलाहाबाद का एरिया है, उसके बारे में इन्होंने अपने शिड्यूल के शुरू में लिखा है—

> "त्रिवेणी पर गंगा और यमुना नदी के संगम की अपनी धारा से लगभग दो किलो मीटर गंगा नदी के पार इलाहाबाद में सड़क पुल से···"।

जिस एरिया का इसमें जिक्र किया गया है, वह गंगा का एरिया है। सिवाय मानसून के बाकी सीजन में वहाँ बहुत कम पानी रहता है। झूसी की तरफ जो आश्रम है, वहां गंगा में बहुत नैरो एक फर्लांग में पानी चलता हैं। वहां गहराई बहुत कम है। यह जरूरी हो जाता है कि जब आप टेक-ओवर करेंगे तो ट्रांस्पोर्ट के काम के लिये इसकी गहराई करेंगे। इसका अभिप्राय: यह होगा कि अभी जहां कुम्भ का मेला लगता है, जहां संगम ग्राउन्डज हैं यह सब एरिया खुदाई में आयेगा। आज भी संगम में स्नान के लिये कुम्भ आता हैं, मौनी अमावस्या और दूसरे पर्व आते हैं, उस समय वहाँ कमर और घुटने जितना पानी रहता है, लोग-बाग आराम से वहां स्नान करते हैं। इसकी गहराई के बाद मुझे आशंका होती है कि इस पर जन-मानस का एतराज भी आयेगा।

इसके लिए मैं आपको दूसरा सुझाव देना चाहूंगा। वहां पर जमना का पानी पूरे सीजन के अन्दर चाहे बरसात हो या गर्मी सर्दी हो, सारे साल एक मील चौड़ा जमना में पानी रहत

है। जमना की गहराई भी गंगा से ज्यादा है। आपको स्मरण कराना चाहूंगा कि अंग्रेजों के जमाने में जो सीप-लेन लेंड करती थी, उदयपुर, झांसी और इलाहाबाद लेंड करती थी, वह जमना में ही आकर लेंड करती थी और पूरे आराम से सीपलेन लेंड करती थी। वहाँ चौड़ाई भी एक मील की है।

(श्री चिन्तामणि पाणिग्रही पीठासीन हुए।)

इतना ही नहीं, जो अशोक फोर्ट है, लाल किला संगम पर बना हुआ है, उससे एक किलो मीटर ऊपर जब जमना की तरफ आयेंगे तो मुगल बादशाहों के टाइम का बन्दरगाह भी बना है। वहां मुगलों के समय में जल-परिवहन का काम होता था।

मैंने जो ऊपर निवेदन किया है, मैं सुझाव के रूप में निवेदन करना चाहूंगा कि इसके बजाय बाउंड्री में अगर यह मेंशन करें—

"इलाहाबाद में जमुना के पार सड़क व रेल पुल से ......"।

जो जमुना पर मेन ब्रिज है, जो कलकत्ता की तरफ जाता है, नीचे रोड है, ऊपर ट्रेन जाती है—

"संगम त्रिवेणी के क्षेत्र को छोड़कर गंगा और यमुना नदी के संगम की ऊपरी धारा से लगभग 2 किलोमिटर गंगा नदी के पार इलाहाबाद में सड़क व रेल पुल से"।

उससे आपका परपज सर्व होगा। वहां गहराई भी है, चौड़ाई भी है और पूरे साल पानी रहता है; मंत्री महोदय उसका सरवे कराएं। गंगा में सिर्फ मानसून में पानी रहता है। गंगा डेढ़ मील चौड़ी है, जबकि जमना एक मील चौड़ी है, लेकिन उसमें सर्दियों में पानी रहता है। मैं वहां पर चार साल रहा हूं और इसलिए मुझे इस बारे में जानकारी है।

सरकार ने यह वाटरवेज का श्रीगणेश किया है। दुनिया भर में गुड्ज को पहुंचाने का सब से सस्ता ट्रांसपोर्ट पानी का है। अगर इसमें कामयाबी होती है, तो दूसरी नदियों में भी यह काम किया जा सकता है। आज नेशनल हाईवेज पर ट्रकों का इतना ज्यादा रश है कि वहां पर आये-दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। सड़कों पर ट्रांसपोर्ट का जो बहुत ज्यादा बोझ है, वाटरवेज से वह कम हो जाएगा और ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा।

वाटरवेज में माडर्नाइजेशन करना होगा। अब हवा, मस्तूल और हाथ से चलने वाली बोट्स से काम नहीं चलेगा। अब उनका मैकेनाइजेशन करना होगा।

इस बिल को लाने के लिये मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं। अन्त में मैं फिर कहना चाहता हूं कि प्रयाग और त्रिवेणी हिन्दुओं के सब से बड़े तीर्थ-स्थान हैं और कुम्भ उनका बहुत

पर्व है। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस बात का ध्यान रखेंगे कि वाटरवेज को कंट्रोल करने के बाद उस तीर्थ और पर्व की सैंक्टिटी में बाधा नहीं पड़ेगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : महोदय यह बहुत ही अजीब तथा साथ ही अच्छा संयोग है कि सभा में आज जब इस विधेयक पर विचार किया जा रहा है हमारी प्रधान मंत्री बंगला देश के राष्ट्राध्यक्ष के साथ फरक्का जल तथा उससे संबंधित मामलों पर विचार कर रही है।

इस विधेयक की सफलता यदि भगवान ने चाहा तो, इस वार्ता के परिणाम पर निर्भर करती है। जब तक कम पानी वाले मौसम में फरक्का बाँध से 40,000 क्यूसेक पानी भागीरथी में नहीं आता तब तक इस परियोजना की सफलता की रंचमात्र भी आशा नहीं है।

जब तक ब्रह्मपुत्र के पानी का बंगलादेश और भारत दोनों द्वारा उपयोग के प्रश्न को हल नहीं किया जाता तब तक इससे भी कोई लाभ नहीं होगा। यदि इस प्रश्न को हल नहीं किया जाता तथा पानी को व्यर्थ जाने दिया जाता है और इसे चैनल में नहीं लाया जा सकता तब तक इस चैनल को नौवहन योग्य बनाने की बात केवल कागजों पर रहेगी।

अतः प्रारम्भ में मैं सम्पूर्ण सभा की ओर माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि वह प्रधान मंत्री को सूचित कर दें कि श्री इरशाद के साथ वार्ता को सफल बनाने के लिए हम चाहते हैं कि सभी प्रयास किए जाएं।

निचले क्षेत्रों में पानी बहुत ही महत्वपूर्ण है परन्तु ऊपरी क्षेत्रों में भी पानी की समस्या बनी हुई है।

मंत्री महोदय काफी अच्छी तरह से जानते हैं कि पहले गंगा के ऊपरी क्षेत्रों में परियोजनाएं थी, जिनसे उत्तर प्रदेश में सिंचाई के लिए काफी पानी खर्च हो जाता था, जिसके परिणाम स्वरूप नीचे की ओर गंगा का प्रवाह काफी कम हो जाता है। लेकिन ऐसा अब नहीं किया जा सकता। इस परियोजना को सफल बनाने के लिए, यह बहुत जरूरी है कि ऊपरी क्षेत्रों में और पानी न लिया जाये, क्योंकि आपने खुद ही कहा है कि इलाहाबाद के नजदीक के क्षेत्रों में हालात काफी खराब हैं। यह सभी ऊपरी क्षेत्रों पर लागू होता हैं। मेरे माननीय सहयोगी ने अभी उस क्षेत्र में पानी की कमी के बारे में कहा है। यह बहुत मुनासिब है। मैं अपने भाषण के शुरू में ही यह कहना चाहती हूं कि अगर इस परियोजना को सफल बनाना है तो इन महत्वपूर्ण बातों पर काफी गहराई से सोच विचार करना होगा।

विधेयक को पुरःस्थापित करने के बारे में यह कहना चाहूंगी कि हालांकि सरकार यह अच्छी प्रकार से जानती थी कि जल मार्ग से परिवहन सस्ता पड़ता है। फिर भी उनको यह विधेयक

लाने में 32 वर्ष का समय लगा है। 1950 में संविधान को अपनाया गया था और उस समय केन्द्र सरकार को यह अधिकार था कि किसी भी नदी को परिवहन के लिए राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करे। अब 1982 में, यह किया जा रहा है। जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि यह पहली दफा किया जा रहा है, वह भी हमारे जैसे देश में जो कि बहुत ही गरीब है। इस पर बहुत पहले ही विचार कर लिया जाना चाहिए था। लेकिन इससे भी अधिक महत्वपूर्ण यह है— कि चूंकि अब इसे संसद के सामने लाया गया है और इसे सफलता मिलनी चाहिए। इसे भी कि एक अन्य विधेयक पारित किये जाने तक ही सीमित न रह कर, सही रूप में लागू किया जाना चाहिए ताकि यह परियोजना को सफल बनाया जाना चाहिए।

दूसरा पहलू है धन राशि का उचित आवंटन करना। इस परियोजना पर काफी राशि खर्च होगी। इस विधेयक को पारित करने के बाद अगर आप यह कहें कि इस राशि को कौन वहन करेगा, तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। मंत्री महोदय को मंत्रीमंडल में अपने अन्य संबंध मंत्रियों से बातचीत करके इस परियोजना के लिए पर्याप्त धन राशि की व्यवस्था करनी चाहिए। यह मेरा दूसरा सुझाव है।

मेरा तीसरा निवेदन यह है कि इसको सफल बनाने के लिए केन्द्र सरकार को जो-जो राज्य इस क्षेत्र में पड़ते हैं उन राज्यों की सरकारों को भी इस परियोजना को सफल बनाने के लिए हिस्सेदार और जिम्मेदार बनाया जाये। इससे किसी खास एक राज्य के ही हित में नहीं होगा बल्कि उस क्षेत्र के सभी संबंधित राज्यों के हित में होगा। इस संबंध में, मेरे विचार से इस विधेयक में कमी है। मैं नहीं समझती कि जिस सलाहकार समिति को यह विधेयक भेजा जायेगा, उसमें संबंधित राज्य सरकारों के प्रतिनिधित्व का जिक्र तक नहीं है। जब पं० जवाहर लाल नेहरू ने दामोदर घाटी निगम की शुरूआत की तो, उन्होंने फौरन ही कहा कि सभी भागीदार राज्य इसके बोर्ड के सदस्य होंगे। इस तरह के मामलों में, झगड़े खड़े सकते हैं, जैसे कि आप से कावेरी नदी आदि के बारे में सुना है। मैं नहीं समझ पायी कि सलाहकार समिति में राज्यों के प्रतिनिधित्व न देने के बारे में केन्द्र सरकार ने कैसे फैसला किया है? अगर ऐसा कर दिया जाता है तो धन राशि और पानी के अलावा, सफलता के लिए तीसरी बात, यानि सही, समन्वय कैसे हो सकेगा। मेरे विचार से विधेयक में यह बहुत बड़ी कमी है। आजकल केन्द्र सरकार की यह प्रवृति वित्त के नाम पर चीजों का केन्द्रीयकरण करना हो गई है। हांलाकि, धन की आवश्यकता है। वे संविधान के अनुसार इसकी मुख्य जिम्मेदारी ले सकते हैं और वित्त पर भी नियंत्रण रख सकते हैं।

यह भी आवश्यक है कि सभी राज्यों का सहयोग प्राप्त किया जाये और उन्हें सही प्रतिनिधित्व दिया जाये। यह किसी कार्य को करने का लोकतन्त्रात्मक रास्ता है। इसे कोई न कोई बहाना कर मना कर दिया जाता है। केन्द्रीय सरकार अभी भी इस विधेयक में संशोधन करके सलाहकार समितियों में राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित कर सकती है। मैंने एक

संशोधन पेश किया था। जो कि तकनीकी कारणों से काल बाधित हो गया है। इसलिए मैं जोर देकर कहना चाहती हूं कि इस सलाहकार समिति में राज्य सरकारों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

मुझे पूर्ण विश्वास है कि मंत्री महोदय स्वेच्छा से कहेंगे कि यह किया जायेगा। सांविध के अन्तर्गत यह नहीं किया गया है। लेकिन नियमों में इसका प्रावधान है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं। मैं चाहती हूं कि इस विधेयक को मात्र कागजों तक ही सीमित न रखा जाये। अच्छा है कि वे इस विधेयक को लाये हैं और उन्होंने इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है, मैं आशा करती हूं कि इसे काफी सफलता मिलेगी।

श्री हरीश कुमार गंगवार (पीलीभीत) : माननीय सभापति जी, मैं माननीय मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि वे बहुत लम्बे अरसे, करीब बीस साल, के बाद इस बिल को सदन में विचार करने के लिए समर्थ हुए हैं। शायद इसीलिए कि वे खुद पटना के रहने वाले हैं। इसके साथ मुझे यह भी आशा है कि अधिक लगाव होने के कारण वर्षों तक यह पड़ा नहीं रहेगा, बल्कि जल्दी ही इस पर कार्यवाही की जाएगी।

श्रीमन्, इस पर बहुत समय से विचार किया जा रहा था। सबसे पहले इन्लैण्ड वाटर ट्रांसपोर्ट पर विचार करने के लिए पार्लियामेंट की एस्टीमेट कमेटी 1956-57 में बनी, गोखले कमेटी आन इन्लेंड वाटरट्रांसपोर्ट 1969 में बनी, कमेटी आन टाँसपोर्ट पालिसी एण्ड कोआर्डिनेशन 1960 में बनी, फिर एस्टीमेट कमेटी 1968-69 में बनी, इन्लैण्ड वाटरट्रांसपोर्ट कमेटी असम के एम. एल. ए., श्री भगवती जी की अध्यक्षता में बनी। इस प्रकार 24-25 वर्ष हो गए हैं, यह कार्यवाही चलती रही और रिपोर्ट आती रहीं, और अब यह बिल बहुत देर से आ पाया है। इतनी देर से इस बिल के आने से हमारे उद्योग व यातायात पर अधिकाधिक दुष्प्रभाव पड़ा है। आप जानते हैं रेल का यातायात, हवाई जहाज का यातायात, सड़क का यातायात बहुत मंहगा है। और यदि हम जलमार्गों का विकास करके उनमें यातायात सुविधा प्रदान कर दें तो बहुत सस्ता होगा। सस्ता ही नहीं श्रीमन सुरक्षित भी होगा। सुरक्षित इस मायने में क्योंकि हवाई जहाज को तो हाईजैक कर लिया जाता है। रेलगाड़ी में डकैतियां होती हैं, लोगों को मार भी दिया जाता है। सामान तो लूटा ही जाता है। बसें भी घेर ली जाती हैं। परन्तु जलमार्ग पर ऐसी बात नहीं है। मैं यह नहीं कहता कि वहां घटनाएं नहीं होती होंगी, लेकिन उनका प्रतिशत बहुत कम होगा। हमारे देश में यदि इस प्रकार के जलमार्ग कार्य करने लगें तो मैं माननीय केसरी जी को वास्तव में बधाई दूंगा और उनका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं। इस विधेयक को प्रस्तुत करते समय माननीय मंत्री जी ने कहा था कि 9 अन्य जलमार्गों के ऊपर भी राष्ट्रीय घोषित करने के बारे में विचार किया

जा रहा है । मैं चाहता था कि मंत्री जी अपना उत्तर देते समय उन मार्गों के नाम भी घोषित कर दें, जिससे सारे देश को पता चल जाए कि कौन-कौन से अन्य 9 मार्ग आप राष्ट्रीय जल मार्ग घोषित करने जा रहे हैं ।

इस विधेयक में गंगा-भागीरथी-हुगली नदी के इलाहाबाद-हल्दिया भाग को राष्ट्रीय जल-मार्ग घोषित करने का प्रस्ताव है । जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जलमार्ग सबसे सस्ता यातायात का साधन है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं । हमें जलमार्गों के राष्ट्रीय स्तर के महत्व को समझना चाहिए और उनका विकास करना चाहिए । आप जलमार्ग का विकास कैसे करेंगे, यह आपने कहीं बताया नहीं है । जो रेत भर गई है, मिट्टी भर गई है, नदियां उथली हो गई हैं, उनकी सफाई कराने का काम आपको करना पड़ेगा और हो सकता है कि उसे कुछ स्थानों पर बाढ़ को रोकने में सफलता मिले, परन्तु यह काम बहुत कठिन होगा । मैं माननीय मंत्री जी की हिम्मत को जानता हूं और आशा करता हूं कि अगर पैसा खर्च भी होगा तो वे घबरायेंगे नहीं । यह बहुत बड़ा काम है, नदियों की सफाई का ।

श्रीमन, बहुत पहले हमारे देश के एक बड़े इंजीनियर श्री विश्वरैया ने भारत की सभी नदियों को जोड़कर बाढ़ को रोकने तथा जलमार्ग विकसित करने की एक रूपरेखा तैयार की थी । मैं समझता हूं कि माननीय मंत्री जी उस पर अमल करने की कोशिश ही नहीं करेंगे, बल्कि उनको कार्यरूप देंगे ।

श्रीमन्, काफी कुछ कहा जा चुका है । मैं एक महत्वपूर्ण बात की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि नदियों में काम करने वाले मल्लाह, केवट, विंद, मछली पकड़ने वाले लोग और नौ-परिवहन करने वाले, लोग, इनके बारे में आपकी क्या राय है ? जो सदियों से इस काम को नदियों में करते चले आ रहे हैं उनके पुनर्वास की या उन्हें काम देने की कोई व्यवस्था की है ? यदि नहीं, तो वास्तव में यह दुर्भाग्यपूर्ण होगा । उनके साथ न्याय कीजिए और उनकी रोजी रोटी का इन्तजाम कीजिए और उनको वेकार न होने दीजिए इस मार्ग के राष्ट्रीय-करण करने की वजह से ।

इस देश में और दुनिया के सभी देशों में चाहे फ्रांस, अमरीका, जर्मनी या पश्चिमी देश या डेनमार्क हो, सब जगह बस परिवहन और रेलों के ईजाद होने से पहले सब स्थानों पर नदियों के द्वारा ही यातायात और परिवहन हुआ करता था । हमारे देश में भी अभी कुछ वर्षों पहले तक यह होता रहा है । सारे संसार में, नीदरलैंड में प्रति व्यक्ति जल यातायात का रेशियो सबसे अधिक है । वहाँ बहुत विकास किया गया है और डेनमार्क में जल यातायात का विशिष्ट स्थान है । उनकी योजना में बाढ़ से रक्षा, बहते पानी का निकास और नौवहन सभी का एक साथ विकास किया गया है । इसी प्रकार की योजनाएं हमारे देश में भी बनें तो अधिक अच्छा होगा ।

जहां तक नदियों के जल भागों के राष्ट्रीयकरण का प्रश्न है इसमें बहुत से राज्यों के अन्तर्गत नदियां बह कर जाती हैं। मेरा विचार है कि किसी एक राज्य के अन्तर्गत बहने वाली नदी इस नौवहन के कार्य को नहीं ले सकती और इसलिये उन्हें कोई आपत्ति भी नहीं होती जब हमारी केन्द्रीय सरकार ऐसे जल मार्गों का राष्ट्रीकरण करती हैं। इसलिए सारे देश के अन्दर जल मार्गों के राष्ट्रीयकरण में राज्य सरकारों की ओर से कोई बाधा नहीं है। इसलिए बहुत आसानी से आप इनका राष्ट्रीकरण कर सकते हैं। जब आप इनका राष्ट्रीयकरण करेंगे तो उसके किनारों पर जो भी छोटे मोटे टाइम के बन्दरगाह आप बनायेंगे, उनका विकास होगा, ऐसे स्थानों पर आप उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण न करें। जो बेकार पड़ी हुई जमीन है उसी को लें जिससे अधिक हानि न हो।

साथ ही इस समय सभी नदियों में विशेषकर गंगा के पानी में बहुत प्रदूषण है। उसमें गन्दे नाले, फैक्ट्रीज का गंदा पानी आकर मिलता है, और बरौनी जैसी रिफाइनरीज जहां हैं वहां से जो ऐफ्लूरेंट निकलता है वह भी इसी में मिलता है। और वहां एक बार माचिस जला कर छोड़ दी थी तो भयंकर आग लग गई थी। इस सब बातों की ओर भी आपका ध्यान देना चाहिए और प्रदुषण को रोकने की ओर भी विचार करना चाहिए और उनका कार्यान्वियन करना चाहिए। इस पर कोई बात कही जाये और किसी को विरोध हो।

इन सुझावों के साथ मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि वह इस बिल को लाये और देश में एक नया नौ-वहन खोलने की उन्होंने कृपा की जिससे हमारे देश को जनता लाभान्वित होगी। धन्यवाद।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : सभापति महोदय, सर्वप्रथम श्री मिश्रा जी ने जो आरोप लगाया है कि ट्रक और बस लारी ने इस बिल को लाने में बिलम्ब किया, ऐसी बात नहीं है। मैं उनसे कहना चाहूंगा कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण के फौरन ही बाद यह विधेयक राज्य सभा में आया और विगत सत्र में पारित होने के बाद अब आपके बीच में आया है।

जहां तक सुन्दरवन की बात है, उसकी भी गणना राष्ट्रीय जलमार्ग के अन्तर्गत होने वाली है और उसका लाभ हम उठायेंगे, इसकी पूर्ण संभावना है। जहां तक फरक्का के कंटेनर के लिए टर्मिनल बनाने की बात है, इसकी संभावना कम है, इसलिए कि कंटेनर का ज्यादातर इस्तेमाल समुद्री मार्ग के द्वारा ही होता है।

सलाहकार समिति के बारे में उन्होंने प्रश्न किया और गीता बहिन ने भी कहा। इस सिलसिले में भी हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि सलाहकार समिति में उन सभी लोगों का प्रतिनिधित्व होगा जो जल-मार्ग के बनने के कारण संबंधित हैं चाहे राज्य का प्रतिनिधित्व हो या उस इलाके का प्रतिनिधित्व हो या मल्लाह, मछुए का प्रतिनित्व हो। जो भी इससे इफैक्टिव होंगे उनका सबका पूर्ण रूप से हित देखा जायेगा।

श्री सिंह ने सिल्टिंग की बात कही और क्रियात्मक रूप देने की बात कही कि इसकी सीमा क्या है। वह भी हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं। इधर आपके बीच में बिल उपस्थित है, उधर इनलैंड वाटर अथोरिटी के निर्माण का भी हम अपने कार्यालय में काम जारी रखे हैं। इसलिए मेरा विश्वास है और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र बिल पारित होने के बाद मैं इसको क्रियात्मक रूप देने का प्रयन्त करूंगा।

जहां तक प्राइवेट ओनर्स की बात कही है, 2,3 बातें साफ हैं। मल्लाह या मछुए या जो बेचारे कमजोर वर्ग के लोग इससे प्रभावित होंगे उनका हित तो निश्चित रूप से सर्वप्रथम मैं और मेरी सरकार देखेगी, जहां तक को-आपरेटिव बनाने की बात है, इस दिशा में हमारी सरकार और राज्य सरकार उन्हें प्रोत्साहित करेगी कि वह को-आपरेटिब बनावें, लेकिन आपको और मुझे दोनों को अनुभव है कि को-आपरेटिव बनने पर भी बहुत से कमजोर वर्ग के लोग इससे वंचित रह जाते हैं। यदि यह प्रावधान हम देते हैं कि प्राइवेट ओनर्स को अगर हम नाव या कंट्री वोट चलाने की अनुमति नहीं देंगे तो बहुत संभावना है कि मछुए, मल्लाह या केवट जो भी प्रभावित होंगे, वह उनसे वंचित रह जायेंगे।

इसलिए मैं आपसे कहूंगा कि प्रावधान हमें इसमें रखने नहीं जा रहे हैं और जो भी कमजोर वर्ग के लोग हों, आप जानते हैं कि अधिकतर गांव के लोग 4,5,6,10 मिलकर, एक परिवार भी नाव चलाता है। इसलिए यहां पर प्राइवेट ओनर्स की बात लाभदायक नहीं होगी गरीबों के हित में।

जहां तक जल के प्रदूषण की संभावना है, मैं आपको कह सकता हूं कि यह संभावना इसलिए कम है, हमारे श्री गंगवार जी ने प्रश्न उठाया कि नगर की गन्दी चीजें गंगा में फेंक दी जाती हैं। यह बात ठीक है; उसकी वजह से गंगा के जल में जो पवित्रता और पावनता है, उसमें एक खामी आती हैं। लेकिन जहाजरानी और जल-यानों को चलाने से जल-प्रदूषण की संभावना नहीं है। जहां तक सिल्टिंग का सम्बन्ध है, ड्रेजिंग तो करना ही पड़ेगा। अगर डेढ़ मीटर गहराई न हो और 45 मीटर चौड़ाई न हो, तब तो जहाज और जलयान के चलने की संभावना घट जाती है।

श्री भीम सिंह ने त्रिवेणी की पवित्रता के बारे में कहा है। जितनी उनकी निष्ठा है, उतनी मेरी भी निष्ठा है। लेकिन एक बात ध्यान में रखनी चाहिए कि जब हम जमुना की तरफ जायेंगे, तो तकरीबन दो किलोमीटर गंगा के जलमार्ग से अलग होना पड़ेगा। इस विधेयक के द्वारा हम गंगा के एक भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित कर रहे हैं। इसलिए दूसरे जल में जाने का प्रश्न नहीं उठता है और इसकी सम्भावना भी नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो पवित्रता की बात कही है, उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा, यह मैं आश्वासन देता हूं।

श्री वर्मा ने कहा है कि दुर्घटनाओं से लोगों को बचाने के लिए दक्ष तैराक रखने चाहिए। खेवट मल्लाह और मछुए दक्ष होते हैं। उनको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम लोग

उनसे तैरना सीखते हैं। उनको हर हालत में प्रोत्साहन मिलेगा। इस योजना में उनसे ज्यादा काम लेने का प्रावधान होगा।

100, 200 किलोमीटर या राज्य के स्तर पर सलाहकार समिति बनाने की बात कही गई है। मैं इस बारे में कोई आश्वासन तो नहीं देता, लेकिन यह सुझाव अच्छा है, इसको हम देखेंगे।

श्री गंगवार ने पूछा है कि नेशनल वाटरवेज कितने हैं और उनके नाम क्या हैं। वे हैं ब्रह्मपुत्र, सुन्दरवन्ज, नर्मदा, महानदी, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा, मांडवी, जुवारी और वेस्ट कोस्ठ कैनाल— सिस्टम इन केरल। ये राष्ट्रीय जलमार्ग परीक्षा के अन्तर्गत हैं, इनकी संभावना है।

श्री ईरा मोहन ने कृषि की सिंचाई की बात कही है। उसमें कोई व्यवधान आने की संभावना नहीं है। सब हितों को मद्दे-नजर रखते हुए जल-परिवहन की व्यवस्था की गई है। ये सब योजनाएं राष्ट्र-हित में हैं और ये एक दूसरे से सम्बद्ध सबजेक्ट्स हैं। उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं होगा।

उन्होंने कहा है कि प्रधान मंत्री ने कुछ साल पहले मद्रास में पेय जल के सम्बन्ध में कुछ वादा किया था। मैं नहीं जानता, लेकिन जब प्रधान मंत्री ने वादा किया है, तो उसके पूरा होने की पूर्ण संभावना हमेशा रहेगी।

मैं समझता हूं कि माननीय सदस्यों ने इस विधेयक का जो हार्दिक स्वागत किया है, उसको देखते हुए वे इस विधेयक को, जिस रूप में मैंने इसे पेश किया है, करतलध्वनि और समर्थन के साथ पारित करेंगे।

श्री सत्य गोपाल मिश्र (तामलुक) : 40,000 क्यूसेक पानी का क्या हुआ ?

श्री सीताराम केसरी : कहाँ के लिए ?

श्री सत्य गोपाल मिश्र : फरक्का के लिए ?

श्री सी० एम० स्टीफन : यह इससे सम्बन्धित नहीं हैं।

सभापति महोदय : यह इससे सम्बन्धित नहीं है।

प्रश्न यह है :

"कि गंगा-भागीरथी-हुगली नदी के इलाहाबाद-हल्दिया भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए उपबन्ध करने के लिए और उक्त जलमार्ग पर पोत-परिवहन और नौ-परिवहन के प्रयोजनों के लिए उस नदी का विनियमन और विकास करने के लिए

और उनसे सबद्ध या उनसे आनुषंगिक विषयों के लिए भी उपबन्ध करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : सदन अब, विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगा।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

कि खंड 2 से 15 विधेयक के अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 2 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।

अनुसूची, खंड 1, अधिनियम न सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

श्री सीता राम केसरी : सभापति जी, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि "विधेयक पास किया जाए"।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : सभापति जी, इस बिल का सभी ओर से समर्थन किया गया है। मैं भी इसका समर्थन करते हुए एक बात की ओर माननीय मन्त्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि भागल पुर, के वरारिया, पटना, छपरा गाजीपुर और बरारीचाट, इलाहाबाद तक देशीय जल परिवहन की व्यवस्था चलती है। पानी के जहाजों से माल ढ़ोने का काम किया जाता है। आज से नहीं, वर्षों से यह काम होता चला आ रहा है। लेकिन इस काम की स्थिति अच्छी नहीं है। भारत सरकार पर इस बात का दबाव डाला जाता रहा है कि इस परिवहन व्यवस्था को समाप्त कर दिया जाए। यदि माननीय मन्त्री जी अपने द्फतर की फाइलों को देखेंगे तो दर्जनों चिट्ठियां मिलेंगी। इनलैण्ड वाटर ट्रांस्पोर्ट एम्पलाइज यूनियन, जिसका कि मैं चेयरमैन हूं, उसकी तरफ से भी आपके पास सुझाव गए है कि कैसे इसको विकसित करना चाहिए। सभी लोग इस बात को मानते हैं कि पानी के जहाज से सामान ढ़ोना सबसे कम खर्चीला होता है। लोग अपना माल पानी के जहाजों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना पसन्द करेंगे लेकिन यह तभी सम्भव होगा जब कि सरकार का ध्यान इसकी ओर विशेष रूप से जाए। अभी जिन स्थानों के नाम मैंने लिए हैं वहां जहाज चल रहे हैं लेकिन यदि आप वहां पर पुराने डिस्कार्डेड जहाज देंगे तो वे कितना माल ढो सकेंगे ? इसके पीछे आपके अधिकारियों की भी मिली भगत है। आप इसका पता लगायें। सभी यही चाहते हैं कि बिहार में और गाजीपुर से इलाहाबाद तक जो जहाज के द्वारा माल ढोया जाता है उसको बन्द करा दिया जाए। एक स्टेज पर तो आपकी केन्द्रीय सरकार ने यह प्रस्ताव रखा था कि यह काम बिहार सरकार को दे दिया जाये। यदि बिहार सरकार को देंगे तो इसकी क्या स्थिति

होगी इस बात को आप समझ सकते हैं क्योंकि आप भी बिहार के हैं और मैं भी बिहार का हूं। बिहार की सरकार कैसी अदभुत सरकार है इसको आप अच्छी तरह से जानते हैं। इसलिए आप ऐसा कभी मत करिएगा। यह काम आपको ही चलाना है। बिहार के लोगों की यह आकांक्षा है कि आप इसको ठीक प्रकार से विकसित करें।

मैं इस बिल के जरिए इस महत्वपूर्ण पहलू की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। जैसा कि उन्होने कहा था कि शायद आप पटना के हैं, इसीलिए आप इस बिल को लाए हैं। आप पटना के हैं, तभी इस बिल को लेकर आए हैं या नहीं लाए हैं, लेकिन आप इस परिवहन व्यवस्था को ठीक से चलाइए। यह आपका दायित्व है और आपके मंत्रालय का भी दायित्व है।

बहुत से लोग व्यक्तिगत रूप से माल को ढ़ोते हैं।

बच्चा बाबू का नाम छिपा हुआ नहीं है। वह कितना बड़ा रैकेटियर है और वह सरकार को बहुत नुकसान पहुंचाते है। उसको बकालत करने वाले हमारे सूबे के बहुत से लोग हैं और शायद इस सदन में भी हो सकते हैं। इनको आपको बन्द करना चाहिए, नहीं तो आपको जो काम चल रहा है, उसमें इससे बाधा पड़ सकती है।

आखिरी बात, अभी जो जहाज चल रहे हैं, उनमें बहुत से कर्मचारी काम करते हैं। उनको प्रोमोशन के सिलसिले में, उनके ट्रांसफर के सिलसिले में, उनको और सुविधायें देने के सिलसिले में, आपकी निती या तो स्पष्ट नहीं हैं, अगर स्पष्ट है तो उसकी क्रियान्विति नहीं होती है। जिससे कर्मचारियों में असंतोस होना स्वाभाविक है। मैं उस यूनियन से संबंधित हूं, इसलिए मैं जानता हूं। उनकी सुविधाओं की तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिए। यदि मन्त्री महोदय चाहेगें तो हम लोग आप से इस सिलसिले में, बात करने को तैयार हैं। कैसे बिहार के जलमार्ग को विकसित किया जाए, कैसे आपकी आमदनी बढ़े, अभी तो घाटा ही घाटा होता है, हमारी बातों को आप सुन लें कि किस तरह से इसको विकसित किया जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री सीता राम केसरी : सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बातें कहीं हैं और अन्त में जैसा कि उन्होंने कहा कि वे बात करना चाहते हैं, तो मैं उनका स्वागत करूंगा। जो और भी समस्यायें वे रखेंगे, उनको देखेंगे। यदि जायज होंगी, तो निश्चित रूप से हम उस पर कार्यवाही करेंगे।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक

सभापति महोदय : हम अब मद संख्या 12 अर्थात् सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक पर विचार करेंगे । मंत्री महोदय ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : इससे पहले कि वह इसे पेश करे, मेरी विधेयक के बारे में एक आपत्ति है ।

सभापति महोदय : क्या आपने इसे लिखित में दिया है ?

श्री मूल चन्द डागा : हां ।

सभापति महोदय : कब ? यह यहां पर नहीं है । इसलिए मैं इसकी अनुमति नहीं दे सकता ।

श्री सीता राम केसरी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि— सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक, 1981 पर विचार किया जाए ।

निःसन्देह माननीय सदस्यों को पता है सड़क परिवहन सेवा की कुछ मितव्ययी तथा समुचित समन्वित योजना प्रदान करने के लिए राज्य सरकारों ने सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 के तहत सड़क परिवहन निगमों की स्थापना की है । अभी 21 ऐसे निगम कार्य कर रहे हैं ।

वर्षानुक्रम में इन निगमों के कार्यकरण में कुछ प्रतिक्रियात्मक और व्यावहारिक कठिनाइयों का अनुभव किया गया है । ऐसी अवधारणा थी कि अधिनियम को न सिर्फ अधिक प्रगामी और आधुनिक प्रबंधकीय पद्धति पर आधारित बनाए जाने बल्कि विभिन्न राज्य परिवहन उपक्रमों को हो रही व्यावहारिक कठिनाइयों पर काबु पाने के लिए अधिनियम को संशोधित किया जाए । इस बात को ध्यान में रखते हुए चालू सड़क परिवहन निगम अधिनियम में थोड़ा संशोधन करने का प्रयास किया गया है और संसद के समक्ष रखा गया है । इन संशोधनों को तैयार करने में विाभन्न राज्य उपक्रमों, सरकारी उद्यमों, वित और रेल मंत्रालय तथा परिवहन विकास परिषद् की सिफारिशों को ध्यान में रखा गया है । इस संशोधन विधेयक के प्रमुख मुद्दे हैं : –

1. अधिनियम की धारा-1 को संशोधित करते हुए इस अधिनियम को संघ शासित क्षेत्र मिजोरम पर लागू करने की अपेक्षा की गई है ;

2. अभी संगठनात्मक और कार्यपालक पक्ष के बीच के अन्तर को स्पष्ट नहीं किया गया है, क्योंकि दोनों को निगम की संज्ञा दी गई है । इसलिए, यह महसूस किया गया कि उनकी भूमिका को स्पष्ट रूप में पारिभाषित किया जाए । इसलिए,

एक निदेशक मंडल का सृजन करने का प्रस्ताव है जो कार्यपालक स्तर से नीति निर्धारण स्तर के बीच विभेद करे। इसलिए धारा 5 (1) को संशोधित करने की उपेक्षा की गई है।

3. वर्षानुक्रम में विभिन्न राज्य परिवहन निगमों के कार्यकलाप में वृद्धि हुई है और उनकी सेवाएं गंवई क्षेत्रों तक पहुंचाई गई हैं जिसके परिणामस्वरूप बेड़े की क्षमता में वृद्धि करनी पड़ी। इसलिए बेहतर प्रबन्ध के लिए यह महसूस किया गया है कि एक समर्थ उपबंध लागू किया जाए, जिससे निगमों को सहयोगी संगठन का सृजन करने के लिए प्राधिकृत किया जा सके। चालू विधेयक में ऐसी व्यवस्था की अपेक्षा की गई है।

4. फिलहाल निगम अपनी ओर से शेयर पूंजी जुटाने के लिए प्राधिकृत नहीं है। अभी उनको उपलब्ध सीमित वित्तीय स्रोतों को देखते हुए यह महसूस किया गया है कि राज्य उपक्रमों को इस प्रकार गठित किया जाए जिससे वे अपनी शेयर पूंजी जुटा सकें। ऐसे उपबन्ध से राज्य और केन्द्रीय सरकारी ऋण की गुणावगुण के आधार पर आंशिक या पूर्णरूप से इक्विटी में बदला जा सके। इससे वे खुले बाजार और अन्य वित्तीय संस्थानों से भी ऋण जुटा सकेंगे। इस अधिकार का अधिक प्रयोग किए जाने की स्थिति में राज्य सरकार की पुर्नानुमति बाध्यकर बना दी गई है।

5. प्रस्तावित संशोधन का लक्ष्य यह है कि पर्याप्त और कुशल परिवहन पद्धति के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सड़क परिवहन निगमों के प्रक्रियात्मक और प्रशासनिक पहलुओं से संबंधित कुछ उपबन्धों को संशोधित किया जाए। प्रस्तावित उपायों और देश में परिवहन सेवा में सुधार पर इसके प्रभाव की उपयोगिता को देखते हुए, मेरा अनुरोध है कि इन संशोधनों को पारित किया जाए।

महोदय, मैं विधेयक पर विचार करने और इसे पारित करने के लिए पेश करता हूं।

मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 को आज संशोधित किया जा रहा है और सभा के समक्ष पेश किया गया है। इस अधिनियम का अनुच्छेद 44 इस प्रकार है :—

"राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बना सकेगी।"

फिर अनुच्छेद 45 में कहा गया है :

"निगम, अपना कार्यकलाप चलाने के लिए, राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से ऐसे विनियम बना सकेगा जो इस अधिनियम और तदधीन बने नियमों से असंगत न हो।"

अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने सुझाव दिया है कि सभा पटल पर रखे जाने के लिए एक सूत्र होना चाहिए। मैं पाँचवी लोक सभा के नौवें प्रतिवेदन से उद्धृत करना चाहता हूं। इसमें कहा गया है कि :

"समिति को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि तीसरे प्रतिवेदन के प्रस्तुत किए जाने के 18 वर्ष बाद भी (प्रथम लोक सभा) (प्रतिवेदन 3-5-1955 को प्रस्तुत किया गया था) इस प्रकार की चूकें अभी भी की जा रही है। समिति ने इस प्रतिवेदन में पहले भी नियमों, विनियमों, तथा उपविधियों आदि को संसद के सम्मुख प्रस्तुत करने के प्रावधानों के महत्व का उल्लेख किया था। अत: समिति अपने तीसरे प्रतिवेदन (प्रथम लोक सभा) के पैरा 36-37 में की गई सिफारिशों को पुन: दोहराती है जिसमें उन्होंने इस बात पर बल दिया था कि सभी भावी विधेयकों में, जिनके द्वारा नियमों विनियमों आदि को बनाने की शक्ति प्रत्यायोजित करने का प्रस्ताव किया गया हो, जिनके द्वारा ये नियम, विनियम आदि बनाने की शक्ति देने के लिए अधिनियमों में संशोधन करने का प्रस्ताव किया जाये, उनमें इन्हें सभा पटल पर रखने के सम्बन्ध में यथोचित प्रावधान किया जाना चाहिए।"

चूंकि वह 1950 के अधिनियम में संशोधन ला रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस संशोधित विधेयक में भी इसे शामिल किया जाये। उनको इस सूत्र को अवश्य ही इसमें शामिल करना चाहिए, वह प्रावधान इसमें होना चाहिए। अगर इसे शामिल नहीं किया जाता, तो यह अपूर्ण है। कई दफा हमने इसको दोहराया है। वह सूत्र क्या है ? फार्मूला इस प्रकार है :

"केन्द्रीय सरकार द्वारा इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाये तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जायें कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात वह निष्प्रभावी हो जायेगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभावी होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

यह सूत्र विधि मंत्रालय द्वारा मंजूर किया गया था और, और सभी मन्त्रालयों में इसे परिचालित किया गया था, इस आदेश के साथ कि किसी भी संशोधित विधेयक में यह फार्मूला अवश्य होनाचाहिए। लेकिन मैं देखता हूं कि सड़क परिवहन निगम अधिनियम, 1950 में इसे शामिल नहीं किया गया है। यह एक और गलती है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि अगर उन्होंने पहले इसे नही जोड़ा तो इसे अब इसमें जोड़ दें। इस संदर्भ में 30 वर्ष पूर्व समिति द्वारा की गई सिफारिशों वैसें की वैसे ही हैं। और हमने बार-बार कहा है कि भविष्य के सभी विधेयकों में इस सूत्र को जोड़ा जाये। यह एक स्थायी प्रावधान है।

सभापति महोदय : बहुत अच्छा, मन्त्री महोदय क्या आपने इस बारे में कुछ कहना है ?

नौवहन और परिवहन मन्त्री (श्री सी० एम० स्टीफन) : मैं नहीं जानता कि यह व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठाया गया है। हम विधेयक पर विचार करने की अवस्था में हैं। अगर कोई नया खण्ड जोड़ना है तो इसका तरीका यह है कि एक संशोधन पेश किया जाये। और संशोधन के जरिए हम इस पर चर्चा कर सकते हैं। और जहां तक इस प्रस्ताव का सम्बन्ध है हम नियम बनाने के सूत्र के प्रति सावधान हैं, हम विधायी नीति की दृष्टि से कि सभा पटल पर इसे 30 दिन पहले पेश करना चाहिए, नियम बनाने सम्बन्धी सूत्र का पालन कर रहे हैं और सभा को इसे स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का मौका मिलेगा। इस सूत्र का ध्यान रखा गया है। अगर इसका ध्यान न भी रखा गया हो, तो इसे लाने का यह तरीका नहीं है। यह व्यवस्था का प्रश्न विधान के ठीक नहीं है।

सभापति महोदय : अब मेरे विचार से श्री डागा जी संतुष्ट हैं। श्री मोहमम्द इस्माईल।

श्री मूल चन्द डागा : यह बात नहीं है। आप अधिनियम में कुछ संशोधन कर रहे हैं।

सभापति महोदय : श्री डागा जी, पहली बात यह है कि आपने इस बात की कोई सूचना नहीं दी है कि आप इस मुद्दे को उठाएंगे अथवा नहीं इसके बावजूद भी मन्त्री महोदय ने यह कहा है नियम बनाने का अधिकार है। आप जो भी सुझाव दे रहे हैं उन पर ध्यान दिया जाएगा।

श्री मूल चन्द डागा : यह सुझाव नहीं है। यह निर्धारित किया गया है कि जो भी नियम बनाया जाये उसको सम्मिलित किया जाना चाहिए। यह अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति का फार्मूला है।

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं फार्मूला देता हूं :

"इस धारा के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि के

लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी। यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व, दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाये तो तत्पश्चात् वह ऐसे परिवर्तित रूप में ही प्रभावी होगा। यदि उक्त अवसान के पूर्व दोनों सदन सहमत हो जायें कि वह नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात् वह निष्प्रभाव हो जाएगा। किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।" यह उपबन्ध पहले से ही कानूनी रूप से मौजूद सभी नियम बनाने वाली शक्तियों पर लागू होगा।

श्री मूल चन्द डागा : क्या इस विधेयक में इसका प्रावधान है अथवा नहीं ?

सी० एम० स्टीफन : संशोधन विधेयक में इसका प्रावधान है। यह उस संशोधन में मौजूद है, जिसका हम प्रस्ताव कर रहे है।

सभापति महोदय : उन्होंने इसको स्पष्ट कर दिया है। डागा जी, मन्त्री महोदय ने इसको स्पष्ट कर दिया है।

श्रीमूल चन्द डागा : अब सड़क परिवहन निगम संशोधन विधेयक आ रहा है। तथा संशोधन का प्रस्ताव किया जा रहा है। जिस संशोधन को अब लाने का प्रस्ताव है, उसको सदस्यों में परिचालित किया जाना चाहिये था।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए।)

श्री सी० एम० स्टीफन : मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूं कि जिस संशोधन को मैंने पढ़ा है वह पूर्व के विधेयक से सम्बन्धित हैं। जिसे सदन द्वारा पहले ही पारित किया जा चुका है। मुझे इस बात का खेद है कि मैंने इसके बारे में गलत निवेदन किया है।

इस विधेयक के सम्बन्ध में जो संशोधन किया जा रहा है उसमें हम किसी भी नियम बनाने की शक्ति प्राप्त करने का प्रस्ताव नहीं कर रहे हैं। अब माननीय सदस्य यह प्रस्ताव कर रहे हैं कि अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति द्वारा जिस फार्मूले को स्वीकार किया गया था, उसको एक नये संशोधन के द्वारा मूल अधिनियम में सम्मिलित किया जा सकता है। मूल अधिनियम में नियम बनाने की शक्ति के लिए ऐसा कोई विशेष फार्मूला नहीं है, जिसका उन्होंने जिक्र किया है। वह यह चाहते हैं कि मैं इस विधेयक के द्वारा एक अन्य खण्ड को जोड़कर जिसमें स्वीकार किये गये फार्मूले को सम्मिलित करने का प्रस्ताव दो एक संशोधन लाऊं। यदि उनका यही अभिप्राय है तो ऐसे संशोधन को लाने का सरकार का कोई विचार नहीं है। वह चाहें तं आवश्यक संशोधन का प्रस्ताव कर सकते हैं। और सरकार उस पर विचार करेगी।

श्री मूलचन्द डागा : आपका क्या विनिर्णय है ?

उपाध्यक्ष महोदय : मेरा निर्णय यह है कि आपका व्यवस्था का प्रश्न ठीक नहीं है ।

श्री मोहम्मद इस्माइल (बैरकपुर) उपाध्यक्ष महोदय, इस अमैंडमैंट बिल के बारे में मुझे कुछ ज्यादा नहीं बोलना है । इस अमैंडमैंट को जो मैंने समझा है इससे उन कमेटियों को जो स्टेट में कायम हैं, जो इनको कन्ट्रोल करती हैं, इसमें पूरी तरह से गवर्नमेंट ने यह समझा कि वह पूरी तरह से ठीक काम नहीं कर पा रही है । कानूनी कुछ मुश्किलात हैं, उस लिहाज से यह अमैंडमैंट लाये हैं । इसमें ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि अमैंडमैंट के बाद जो तमाम चीजें डिटेल की हैं, उसके बारे में दो, तीन प्वाइन्ट्स खासतौर से बोलना चाहता हूं ।

यह अच्छी बात है कि स्टेट्स में जो रोड ट्रांसपोर्ट की कमेटियां हैं, उनको और पावर होंगी, यह काम होना चाहिए । अगर सैन्ट्रली कन्ट्रोल न हो स्टेट्स में तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स आज जिस तरह से रोड ट्रांसपोर्ट के वर्करों के साथ मनमाना वर्ताव कर रही हैं, आप जानते हैं कि रोड ट्रांस्पोर्ट, जो मोटर लाबी ट्रक ओनर्स की है, वह बहुत स्ट्रांग है, ताकत रखती है, अभी उसके खिलाफ यह कार्पोरेशन कुछ नहीं कर पाती है । ये लोग ही कार्पोरेशन को कंट्रोल करते हैं । आज हिन्दुस्तान में यह लाबी काफी शक्तिशाली है, और इसके खिलाफ जाना बहुत मुश्किल है । इस एमैंडमेंट से उनका दखल कुछ कम होगा, ज्यादा नहीं । स्टेट कमेटियों में उनका इनफ्लुएन्स है और कार्पोरेशन्ज उनके इनफ्लुएन्स में चल रही हैं ।

जहां तक ट्रांसपोर्ट वर्करों का सम्बन्ध है, उनके बारे में कोई जिक्र नहीं है, न तो इस बिल में और न मंत्री महोदय के भाषण में । सुप्रीम कोर्ट का डिसिजन है कि ट्रांसपोर्ट के बर्करों और ड्राइवरों की तन्खाहों और फैसिलिटीज में बहुत डिसपैरिटी है । अलग-अलग स्टेट्स और पब्लिक अंडरटेकिंग्ज के स्केल्ज में कोई यूनिफार्मिटी नहीं है । इस एमैंडिंग बिल में इस बारे में प्राविजन किया जाना चाहिए था । लेकिन सिर्फ यह कहा गया है कि एम्पलाईज की वेजिज का ख्याल किया जाएगा ।

इन कमेटियों में एक्सीक्यूटिव आफिसर्ज मुकर्रर होंगे । अगर वे पुराने ढंग से काम करेंगे, तो फिर कोई सुधार नहीं होने वाला है । रोड ट्रांसपोर्ट में स्ट्रांगेस्ट लाबी काम कर रही है । मंत्री महोदय यह विश्वास दिलाएं कि वह एम्पलाईज के हालात को सुधारने के लिए प्राविजन करेंगे । जैसा कि अभी कुछ पहले कहा गया है कि बैंकों को मैनेजर वगैरह कंट्रोल करते हैं और वे वीकर सैक्शन्ज को नहीं, बल्कि अपने दोस्तों को फायदा पहुंचाते हैं । मंत्री महोदय एमैंडमैंट लाकर स्टेट कमेटियों को ताकत दें ।

मुझे सब से ज्यादा अफसोस इस बात का है कि इस बिल में एम्पलाईज के सेफगार्ड का जिक्र तक नहीं किया गया है । जिस तरह इससे पहले बिल में एक कैटेगरी के बारे में एशोरेंस दिया गया है, उसी तरह रोड ट्रांसपोर्ट के एम्पलाईज के बारे में एशोरेंस दिया जाए, ताकि इस

बिल के पास होने के बाद वे लोग यह महसूस करें कि अब उनकी हालत बेहतर होगी। जैसा कि मैंने कहा है, स्टेट ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन्ज में तन्ख्वाहें और फैसिलिटीज अलग-अलग हैं। इसके लिए एक सेन्ट्रल पालिसी होनी चाहिए और इन सारी बातों को मद्दे नजर रखते हुए आपको आगे बढ़ना चाहिए। मैं इसके बारे में और ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता और न ही इसकी मुखालिफत करना चाहता हूं। लेकिन मैंने जो बहुत सी बातें यहां पर उठाई हैं उनका जवाब अगर माननीय मन्त्री जी देंगे तो अच्छा रहेगा। भारत आई. एन. ओ. का सदस्य है। वहां का कन्वेंशन है कि ड्राईवरों से एक साथ पांच घंटे से ज्यादा काम न कराया जाये। इस पर मंत्री महोदय अपनी राय देने की कृपा करें। उनके जवाब से यह बात साफ हो सकेगी कि वे पुराने तरीके से ही घोड़ा चलायेंगे या कोई और लगाम लगाना चाहेंगे। चूंकि इस बिल के लिए केवल दो घंटे का ही समय रखा गया है और दूसरे माननीय सदस्यों को भी अपनी राय जाहिर करनी है इसलिए मैं कोई बाधा नहीं बनना चाहता हूं।

श्री वृद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, जो रोड ट्रांसोर्ट कार्पोरेशन विल यहां पर प्रस्तुत किया गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं।

मैं मंत्री जी का ध्यान क्लाज (2) और (3) की ओर दिलाना चाहता हूं जो बहुत इम्पार्टेन्ट है :—

"(2) राज्य सरकार निगम के अध्यक्ष या किसी अन्य निदेशक को, जो अवचार का (जिसके अन्तर्गत शक्ति का दुरुपयोग या भ्रष्टाचार भी है) दोषी है, पद से हटा सकेगी।"

परन्तु, इस उपधारा के अधीन किसी व्यक्ति को ऐसी जांच के पश्चात ही जिसमें उसे अपने विरुद्ध आरोपों की सूचना दे दी गई हो, और उन आरोपों की बाबत सुने जाने का उचित अवसर दे दिया गया हो, हटाया जायेगा, अन्यथा नहीं ;

परन्तु यह और भी कि पूर्ववर्ती परन्तुक वहां लागू नहीं होगा,—

(एक) जहां ऐसे व्यक्ति को आचरण के ऐसे आधार पर हटाया जाता है, जिसके कारण आपराधिक आरोप पर उसकी दोषसिद्धि हुई है ; या

(दो) जहां राज्य सरकार का किन्हीं ऐसे कारणों से जो उस सरकार द्वारा लेखबद्ध किये जायेंगे। यह समाधान हो जाता है, कि ऐसी जांच करना युक्तियुक्त रूप से साक्ष्य नहीं है ; या

(तीन) जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाता है कि राज्य की सुरक्षा के हित ं ऐसी जांच करना समीचीन नहीं है।

एक तरफ तो अपने चेयरमैन के सम्बन्ध में प्राविजों लगाया है कि उसको अपनी बात कहने का अवसर मिलेगा और उसके बाद ही उसको हटाया जायेगा। लेकिन बाद में आपने जो प्राविजो लगाया है और उसमें जो अधिकार ले लिया है उसके अनुसार इन्क्वायरी करने और रोजन्स बताने की आवश्यकता भी नहीं रह गई है, चेयरमैन को तत्काल हटाया जा सकता है। मैं समझता हूं चेयरमैन की एक बहुत महत्वपूर्ण पोस्ट होती है, उसको बिना कारण बताए बिना जांच किए हुए हटाने का प्राविजन यदि आप करते हैं तो यह चेयरमैन का अपमान है। इतनी बड़ी संस्था के चेयरमैन को गवर्नमेंट जब भी चाहे तब निकाल सकती है, बिना कोई कारण बताए निकाल सकती है। मैं समझता हूं यह सेक्शन (2) और (3) में जो प्राविजन्स हैं उनसे चेयरमैन का अपमान होता है। ऐसी स्थिति में कोई भी नान-आफिशियल चेयरमैन इस पोस्ट पर नहीं रहना चाहेगा। गवर्नमेंट आफिशियल की बात और हो सकती है लेकिन कोई भी अधिकारी या नान-आफिशियल जो सम्मानजनक स्थिति में रहना चाहेगा वह इस पद पर रहना नहीं चाहेगा।

इसमें कुछ और प्राविजन्स भी किए गए हैं। विशेष तौर से रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन्स की स्थिति बड़ी कमजोर रहती है अतः उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए कुछ अमेन्डमेन्ट लाए गए हैं जिनका मैं स्वागत करता हूं। कारपोरेशन होने के नाते उनको "बोरो" करने, उधार लेने के अधिकार दिए गए हैं। पहले ओपेन मार्केट से बारो करने का अधिकार था अब नेशनलाइज्ड बैंक्स से भी बारो करने का अधिकार दिया गया है। इसका मैं स्वागत करता हूं और आशा करता हूं इससे उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ हो सकेगी। शेयर-होल्डर्स के द्वारा भी शेयर्स कंट्रिब्यूट करके वित्तीय स्थिति को मजबूत करने का प्रावधान रखा गया है, इसका भी मैं स्वागत करता हूं।

जिस उद्देश्य से हमने निगमों की स्थापना की थी, सन् 1950 में कानून बनाया था, उस उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि जनता को अधिक से अधिक सुविधायें दें, अधिक से अधिक लाभ दिया जाए, लेकिन इस दिशा में हमारे उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो पाई है।

मैं आपको राजस्थान के बारे में कहना चाहता हूं। राजस्थान में कारपोरेशन बहुत ही घाटे में चल रहे हैं। मुझे यह भी जानकारी है कि प्राइवेट पर्सन्स राजस्थान की सरकार को चैलज दे रहे हैं कि यदि यह कार्य आप हमें सौंप दें, तो हम जितना तुम्हारा ओवर-ड्राफ्ट चल रहा है, करीब दो सौ करोड़ रु० का, हम उसको देने के लिए तैयार हैं। हम जनता को सुविधायें देने के लिए भी तैयार हैं। हम चाहते हैं कि यह किसी भी हालत में उन आदमियों को नहीं सौंपा जाना चाहिए। आज गाड़ियों की स्थिति यह है कि वे ओवर-लोडेड होती हैं। नीचे और ऊपर दोनों जगहों पर आदमियों को भर दिया जाता है। 90 प्रतिशत लोगों के टिकट काटते ही नहीं हैं। कन्डक्टर्स इतनी बेइमानी और बदमाशी कर रहे हैं, उनके ऊपर कोई सुपरवीजन कन्ट्रोल नही है, वहां पूरी तरह से करप्शन चल रहा है, इसको रोकने के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हर डिस्ट्रिक्ट के अन्दर एप्वाइंट कर दिया जाना चाहिए। लेकिन आप यह नहीं कर

सकते हैं। एक डिवीजन में एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट एरिए को कन्ट्रोल नहीं कर सकता है। मेरे कहने का मतलव यह है कि स्टेट्स में जो करप्शन चल रहे हैं, उनको दूर करना चाहिए, क्योंकि सैन्ट्रल गवर्नमेंट कन्ट्रीव्यूट करती है, रेलवे कन्ट्रीव्यूट करता है। इससे बदनामी हमारी कांग्रेस सरकार की होती है। जब हम पैसेन्जर्स के साथ बसेज में सफर करते हैं, जो हमें इस प्रकार आलोचनायें सुनने को मिलती हैं, तो हमें बहुत ही बुरा लगता है हम चाहते हैं कि हमारी केन्द्रीय सरकार और हमारे मंत्री महोदय इस ओर प्रयास करें और उन पर प्रभाव डालें, कि उनको इस प्रकार का करप्शन नहीं फैलाना चाहिए। बसेज के कन्डक्टर्स इस प्रकार की दादागिरी डालते हैं, टिकट नहीं काटते हैं, जरा सा कहने पर लड़ाई करने को तैयार हो जाते हैं। जहां तक लासेंज का सवाल है, इस सम्बन्ध में मैं एक बात कहना चाहता हूं। महाराष्ट्र की सरकार के आंकड़ों के अनुसार 1979 में 3.91 करोड़ रुपए का लास हुआ और 1980-82 में 34.6 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। लॉस बढ़ रहा है और किसी भी हालत में घट नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि बस स्टेंण्ड की सुविधा नहीं है। आपको यह इंस्ट्रक्शन्स देनी चाहिए जो महत्वपूर्ण नगरों में जिले के मुख्यालय है, वहां इस प्रकार की असुविधा कम से कम नहीं होनी चाहिए। हम लोगों को अच्छे बस-स्टेंड बनाने चाहिएं। टेंपरेरी कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। लेट्रिन और पेशावघरों की व्यवस्था भी ठीक तरह से नहीं है। ये सुविधाएं दी जानी चाहिएं। जिस तरह से रेलवे-स्टेशनों पर सुविधाएं दी जाती हैं, इसी प्रकार बस स्टेंडों पर भी सारी सुविधाओं की व्यवस्था होनी चाहिए। जोधपुर जैसे बड़े शहर के बस स्टेंड पर भी लेट्रिन वगैरह की अच्छी तरह से व्यवस्था नहीं है। इस तरह की सुविधाएं यात्रियों को प्रदान की जानी चाहिएं।

सड़कों की हालत भी बहुत खराब है। इन सड़कों पर ओवर लोडेड गाड़ियां चलती हैं, जिनको सड़कें सहन नहीं कर पातीं। सड़कें मजबूत नहीं हैं। नेशनल हाईवेज की स्थिति भी यह है कि अगर सेंक्शन के अनुसार चलें तो 3000 करोड़ रुपया खर्च करना होगा और अगर राज्यों में सेंक्शन रोड्स को भी शामिल कर लिया जाए तो 6000 करोड़ रुपया खर्च करना होगा।

मेरे कहने का मतलब यह है कि प्लान के अन्दर प्राथमिकता नहीं दी जा रही है, फण्ड्स का प्रावीजन नहीं कर रहे हैं। जो रेवेन्यू प्राप्त होता है, उसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा सड़कों के विकास पर खर्च किया जाता है। अगर सड़कों का विकास नहीं होगा तो ट्रांस्पोर्ट अच्छी तरह से नहीं चल सकता। दुर्घटनाएं होंगी। अभी पिछले दिनों पढ़ने में आया था कि दुनियां में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं हिन्दुस्तान में होती हैं और बड़े शहरों में सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं दिल्ली में होती हैं। योजना में इस चीज को प्राथमिकता दिए बिना सड़कों का विकास नहीं हो सकता। इसका असर गुड्स ट्राँस्पोर्ट पर भी पड़ता है, जिसका जरिया मुख्य रूप से ट्रक हैं। ये सारी व्यवस्थाएं करने के बाद ही जो आशाएं हमने कारपोरेशनों से लगा रखी हैं, पब्लिक सेक्टर से लगा रखी हैं, पूरी हो सकती हैं। पब्लिक सेक्टर को आगे बढ़ाना चाहिएं, उनको सुविधाएं देकर लाभदायी बनाना चाहिए और जनता की असुविधाओं को दूर करने में पूरी तरह से सहयोग देना चाहिए।

कर्मचारियों ने तो मुझे यहां तक कहा है कि उस डिपो के मैनेजर, ** सड़े गले टायर महंगी कीमत पर खरीदते हैं। और अगर किसी रूट पर 50 बसें चल रही हैं ···।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री जगपाल सिंह जी, कृपया किसी ऐसे अधिकार के नाम का उल्लेख न करे जो यहाँ पर मौजूद न हो। इस नाम को रिकार्ड में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

श्री जग पाल सिंह : ठीक है। तो मैं कह रहा था कि अगर किसी रूट पर 50 बसें चल रही हैं तो उनमें से 28, 30, बसें पूरे रूट पर कहीं न कहीं खराब हालत में खड़ी रहती हैं। डिपो के अन्दर कोई बस ठीक होने के लिये गई तो कई कई महीने वहाँ खड़ी रहती है। बस स्टैन्डों की हालत यह है कि कोई सुविधा वहां मुसाफिरों को नहीं है, बल्कि आपके अधिकारी शामिल हो कर उन मुसाफिरों को लुटवाने का काम करते हैं। चाय छोले भटूरे आदि के ठेके महंगे देकर मुसाफिरों को लुटवाते हैं, और बस स्टैन्डों पर आपके पुलिस कर्मचारी लोगों के जेब कटवाने में शामिल रहते हैं। इसलिए बस स्टैन्डों पर सुविधायें बढ़ाइये। आज वहां सफाई नाम की चीज नहीं है। वहां की लेट्रीन्स की हालत यह है कि कोई आदमी उनमें जाना पसन्द नहीं करता है, बाहर स्टैन्ड को ही खराब करता है।

बसों के बारे में खासतौर से कहना चाहता हूं कि उनकी हालत को सुधारें। आज पूरे देश में एक राय बन चुकी है कि प्राइवेट बसों में अच्छी सुविधायें मिलती हैं, सरकारी बसों में नहीं। उनकी कंडीशन अच्छी होती है, उनमें सुविधाएं ज्यादा हैं, किराये भी कम हैं।

एक माननीय सदस्य : उनकी भी वही हालत है। कोई फर्क नहीं है।

श्री जगपाल सिंह : फिर भी प्राइवेट बसेज ज्यादा अच्छी हैं, उनमें सुविधा होती हैं।

आपकी ऐसी ऐसी बसेज रूट पर चलती हैं जिनमें किसी वक्त अगर वारिश आ जाये तो यह गारन्टी नहीं कि मुसाफिर उससे बच पायेंगे या नहीं। यह हालत आपके कार्पोरेशन की है। इन कार्पोरेशन्ज को आप विभिन्न साधनों के द्वारा अधिक पैसे की छूट देना चाहते हैं। मुझे मालूम है कि ऐसे अधिकारी और चेयरमैन इन कार्पोरेशनों के हैं, जिनके खिलाफ आपने कोई कार्यवाही नहीं की है जिन्होंने करोड़ों-करोड़ों रुपये की गड़बड़ की है। आप रिपोर्ट मंगवाइये और उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कीजिए।

प्राइवेट बसों के मालिक फायदे में जाते हैं और आपकी कार्पोरेशन करोड़ों रुपये के घाटे में जाती हैं। आप ऐसे इन-कंपीटेंट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कीजिए, उन्हें सस्पेंड

** कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

कीजिए, हटाइये, वरना उनकी यह आदत बन गई है। कुछ अधिकारी सरकारी डिपो के अन्दर सारा सामान पर्चेज करते हैं प्राइवेट ओनर्स से चाहे टायर्स हों या स्पेयर पार्टस हों, लेकिन फिर भी आपकी बसेज खराब रहती हैं। वह कम पेमेंट कर के ज्यादा वसूली करते हैं। जितने डिपोज के अधिकारी हैं, वह मालोमाल होते जा रहे हैं।

मैं मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इस मुल्क की इकानामिक कंडीशन का सवाल है, मुल्क की ट्रांसपोर्ट का सवाल है। अगर इसको हम नहीं सुधारेंगे तो कौन सुधारेगा।

आपको सड़कों के सम्बन्ध में सी०पी०डब्ल्यू०डी० और पी०डब्ल्यू०डी० का तालमेल बैठाना चाहिए। ऐसी-ऐसी सड़कें हैं जिन पर बसेज चलती हैं तो वह जल्दी खराब हो जाती हैं। सड़कों की हालत बहुत खराब है। मैं आपको यह भी बता दूं कि आज देश के हर प्रदेश में सैकड़ों पुल ऐसे हैं जिन पर रोड कार्पोरेशन काम करती है, जिन पर लिखा है कि आप व्हीकल को आराम से निकालिये, क्योंकि पुल बहुत कमजोर है। आप देख सकते हैं, बरसों-बरसों से लिखा है कि आप आराम से गाड़ी उतारिये। यह खिलवाड़ लोगों के साथ किया जा रहा है। ऐसे पुल हैं, दिल्ली के अन्दर भी इस तरह की 2, 3 घटनायें हुई हैं। आप अपनी कार्पोरेशन को निर्देश दीजिए कि वह सी०पी०डब्ल्यू०डी० और पी०डब्ल्यू०डी० के साथ तालमेल करके ऐसे पुलों को खत्म करें और नये पुल का निर्माण करे और सड़कों की स्थिति को भी सुधारने का काम करें।

मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट इस मामले में कुछ सख्ती करने जा रही है, और इसमें उसका सहयोग किया जाना चाहिए। जो मुसाफिरों को असुविधायें होती हैं, और जो नई बसों की कंडीशन खराब है, उसकी तरफ खासतौर से ध्यान दिया जाना चाहिये।

देहातों में और जो छोटे कस्बे हैं, वहां जो बस स्टेंड हैं, आज तक पूरे देश के अन्दर पंजाब और हरियाणा को छोड़कर कहीं भी किसी साये का इन्तजाम नहीं है। बड़े-बड़े कस्बों में कोई बस-स्टेंड नहीं है। बरसात हो, धूप हो या गर्मी सर्दी हो खुले आकाश के नीचे मुसाफिर बैठते हैं, उतरते और चढ़ते हैं। कार्पोरेशन को चाहिए कि देहातों और कस्बों में भी बस-स्टेंड बनायें और पेसेन्जर्स की अच्छी सुविधाओं की व्यवस्था करें। आज जो उनको लूटने का तरीका हो गया है, जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है, पुलिस वाले और आपके आफीसर्स उसमें शामिल होते हैं, ठेकेदार शामिल होते हैं, जो सरकार को पैसा कम देते हैं और खुद ज्यादा वसूल करते हैं, उनके खिलाफ सख्ती से कदम उठाइये। इससे आपकी स्टेट गवर्नमेंट फायदे में जायगी और मुल्क को भी फायदा होगा वरना इस बिल को बना देने का कोई फायदा नहीं है।

बिल के पीछे एम जनता को फायदा पहुंचाने का होना चाहिए और कार्पोरेशन की इनकम बढ़ाने का होना चाहिये यह तभी संभव होगा जब सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्ती से कदम उठायेगी। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री गिरधारी लाल व्यास । यदि प्रत्येक माननीय सदस्य सहयोग करे और प्रत्येक सदस्य पांच मिनट का समय लें तो हम आज ही इस विधेयक को पूरा कर सकते हैं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास : इसको पांच मिनट में पूरा नहीं किया जा सकता ।

उपाध्यक्ष महोदय : इस पर निर्णय लेना आपका कार्य नहीं है । यदि आप सम्पूर्ण सड़क परिवहन पर सामान्य चर्चा न करके अपने भाषण को उचित संशोधन तक ही सीमित रखें तो इससे आप सरकार तथा सदस्यों को भी अपने विचारों से अवगत करा सकते हैं ।

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सड़क परिवहन निगम (संशोधन) विधेयक का स्वागत करता हूं ।

आप जानते हैं कि इस देश में जितने भी रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन हैं, वे सब घाटे में चल रहे हैं । एक भी ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन ऐसा नहीं हैं, जो मुनाफे में चलता हो, हालांकि उनकी पूरी मानोपली है और सारी स्टेट की बढ़िया रोड्ज उनके कब्जे में है । राजस्थान के प्राइवेट आपरेटर कहते हैं कि अगर यह व्यवस्था किसी प्राईवेट आदमी को दी जाए, तो वह 350 करोड़ रुपए का मुनाफा करे । लेकिन रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन्ज की वजह से सरकार को कितना घाटा हो रहा है । तीन हजार गाड़ियों में 500,700 और 1000 बेकार पड़ी हुई हैं ।

15,000 मजदूरों में से 500 मजदूर ऐसे मिलेंगे हर स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन में, जो एक पाई का काम भी नहीं करते हैं, बल्कि अलग अलग ट्रेड यूनियन के नेता बने हुए हैं। (व्यवधान) मैं मजदूरों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जब मजदूर इस प्रकार की हरकत करें···।

उपाध्यक्ष महोदय : यदि 5,000 कर्मकार काम न करें तो परिवहन कैसे कार्य कर सकता है ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : केवल एक तिहाई ही कार्य नहीं कर रहे हैं।

वे सिर्फ ट्रेड यूनियन का काम करते हैं। लाल झंडे वाले लोग जहाँ भी चले जाते हैं, वे किसी को काम नहीं करने देते हैं । मुफ्त में पैसे लें और देश को बर्बाद करें, यही उनका ध्येय और लक्ष्य है । वे स्टेट रोड़ ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन्ज में घुस गए हैं । अगर इन कार्पोरेशन्ज को सही ढंग से काम करना है, तो इस समस्या को हल करना होगा ।

गाड़ियों की देख-भाल बिल्कुल नहीं होती है । एक नई गाड़ी साल भर में ही टूट-फूट जाती है, उसके सारे नए पार्ट्स बदल दिए जाते हैं और पुराने पार्ट्स लगा दिए जाते हैं । उनकी सफाई कभी नहीं होती है, कोई उन्हें धोने पोंछने वाला नहीं है । इस नेशनलाइजेशन का क्या

फायदा है ? इससे तो देश का धन बर्बाद हो रहा है। नेशनलाइजेशन के साथ साथ व्यवस्था को अच्छा बनाना चाहिए, ताकि लोगों को सहूलियत मिले। आज तो लोगों को गालियां और धक्के मिलते हैं। लोग अपमानित होते हैं। उन्हें शिकायत की पुस्तिका देना तो दूर, जूतों से उनकी पिटाई की जाती है। अगर ऐसी स्थिति जारी रहती है, तो रोड़ ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन ठीक तरह से नहीं चल सकती हैं।

एक गाड़ी से एक हजार रुपए रोज की आमदनी हो सकती है, लेकिन कार्पोरेशन को नुकसान होता है-- करोड़ों रुपयों का घाटा होता है। नेशनलाइजेशन के पीछे हमारा मकसद यह था कि ज्यादा लोगों को एम्पलायमेंट मिले, जनता को अच्छी सर्विस मिले। वह तो नहीं हुआ और कम्युनिस्ट भाई उनमें आ कर बैठ गए हैं और लोगों को जूते मार मार कर बाहर निकालते हैं। इस तरह की हालत कम्युनिस्ट भाइयों ने कर रखी है। यह लाल झंडी वाले जो हैं इन्होंने ही ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन्स में गड़बड़ मचा रखी है। ये लोग अपने आपको बड़ा प्रोग्रेसिव मानते हैं लेकिन इन्होंने देश को बर्बाद करने की हालत पैदा कर रखी है। (व्यवधान)।

दूसरी तरफ मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कार्पोरेशन के जो बाबू हैं, टिकट चेकर और कंडक्टर्स हैं वे क्या कर रहे हैं ? वे 55 सवारियों में से केवल 5 सवारियों को ही टिकट इश्यु करते हैं और 50 सवारियाँ बिना टिकट ही जाती है। ऐसी हालत में टांसपोर्ट कार्पोरेशन्स को कहाँ से आमदनी हो सकती है ? अगर उनका दिवाला नहीं निकलेगा तो और क्या होगा ? इन बातों को रोकने के लिए भी सरकार की ओर से माकूल व्यवस्था की जानी चाहिए।

हमारे यहां राजस्थान में रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन के लोगों ने पुराने और नए टायर मिलाकर 40 रुपए फी टायर के हिसाब से नीलाम कर दिए। तीन हजार का टायर केवल चालीस रुपए में बेच दिया गया। इस तरह से लाखों करोड़ों रुपए का सामान कौड़ियों के भाव पर बेच दिया गया। इस सम्बन्ध में पुलिस में भी केस रजिस्टर किया गया लेकिन वहां भी गोल-माल हो गया। इस सौदे में किस किस ने कितने कितने पैसे खाए इसका अन्दाज आप लगा सकते हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस सारे मामले की जांच करवायें। राजस्थान में रोड़ ट्रांसपोर्ट में चालीस रुपए प्रति टायर के हिसाब से टायर नीलाम कर दिए गए हैं...।

उपाध्यक्ष महोदय : व्यास जी जो भाषण राजस्थान विधान सभा में दिया जाना चाहिए वह यहां पर दिया जा रहा है।

श्री गिरधारी लाल व्यास : चूंकि यह इस सरकार द्वारा दिया गया करोड़ों रुपया है, जिसका इस प्रकार से दुरुपयोग किया जा रहा है इसीलिए मैं यहां पर यह कह रहा हूं। जनता के इस पैसे को डूबना नहीं चाहिए। इसकी पूरी जांच करवाने की आवश्यकता है तथा जांच में जो भी लोग दोषी पाए जायें उनके खिलाफ समुचित कार्यवाही की जानी चाहिए। सी० बी०

आई० के द्वारा इसकी जांच होनी चाहिए। इतना बड़ा केस हुआ जो पुलिस में भी रजिस्टर किया गया लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। इसलिए मेरा आग्रह है कि सी० बी० अ ई० के द्वारा जांच करवा कर दोषी व्यक्तियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए।

मैं मंत्री जी का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि रूटस का नेशनलाईजेशन होने के बाद भी बड़ा घपला होता है। उस रूट पर यदि आपकी दो गाड़ियां चलती हैं तो प्राइवेट 50 चलती हैं। आज सरकार द्वारा नेशनलाइज्ड रूट्स का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है इसको आप अच्छी तरह से देख सकते हैं। इससे ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन्स को बड़ा नुकसान हो रहा है जिसको रोकने की नितान्त आवश्यकता है।

उपाध्य महोदय : अब आपको संशोधनों के विषय में भी थोड़े शब्द कहने चाहिए।

श्री गिरधारी लाल व्यास : कार्पोरेशन के लोग भी मिले रहते हैं। सरकार के पैसे का किस प्रकार से दुरुपयोग हो रहा है इसका आप अन्दाजा भी नहीं लगा सकते हैं। इन सारी बातों को रोका जाना चाहिए ताकि स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कार्पोरेशन्स ठीक प्रकार से चल सकें।

मेरा निवेदन है कि मैं नेशनलाईजेशन के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन जितने आपके पास साधन हैं, उतना कीजिए, ताकि व्यवस्था न बिगड़े। सड़कों पर गाड़ियां खाली जाती रहती हैं, लेकिन वहां खड़े गरीब किसान को, गरीब लोगों को गाड़ी में नहीं बैठाया जाता है। इस व्यवस्था की माकूल तरीके से व्यवस्था की जानी चाहिए।

जो लोग प्राइवेट बसेज चलाते हैं, वे तो अपनी गाड़ियों की रोज सफाई करते हैं, उनको ठीक रखते हैं, लेकिन यदि आप हमारे रोडवेज की हालत को देखें, तो सारी गाड़ियां खराब रहती हैं। कई कई महीने तक उनकी सफाई नहीं होती है। टूट-फूट की कोई व्यवस्था नहीं है। यह स्थिति सारे देश की है। प्राइवेट बसेज वाले 1 रु० 70 पै० मील के हिसाब से चलकर भी प्रोफिट कमा लेते हैं, लेकिन हम लोग घाटे में चलते हैं। यह स्थिति कब तक चलेगी। रोड ट्रांसपोर्ट कारपोरेशन वाले 20-20 करोड़ रुपया का घाटा देंगे तो कब तक आप सरकारी खजाने से उसकी पूर्ति करते जायेंगे। आपको इन पर अंकुश लगाना चाहिए। इनकी आमदनी पर अंकुश लगाना चाहिए। लीकेज बन्द कीजिए। इसमें बड़े-से-बड़े अधिकारी से लेकर छोटे से छोटे तमाम लोग इसमें मिले हुए हैं। तमाम आदमी कन्डक्टर से लेकर जनरल मैनेजर तक मिले हुए हैं और भयंकर घोटाला चल रहा है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि यदि आप इसको कामयाब बनाना चाहते हैं, तो आपको निश्चित तरीके से इस व्यवस्था को ठीक तरीके से चलाना पड़ेगा। तभी जाकर देश प्रगति कर सकता है···(व्यवधान)···इन लाल झंडे वालों को बदनाम करते हैं, उनको भी आप देखिए। लाल झंडे वाले सब जगह गड़बड़ करते हैं। सब जगह चीटिंग, फ्राड, जितने भी काम होते हैं, ये सब ये लोग करते हैं। इनको रोकने की व्यवस्था कीजिए। तभी काम आपका ठीक प्रकार से चल सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और इस बिल का समर्थन करता हूं।

श्री चतुर्भुज (झालवाड़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का किश्तों में समर्थन करता हूं। 1950 के अन्दर कानून बना था और अब इसके बाद 1982 में यह बिल आया है। 30 वर्षों के अन्दर यदि हमारी सरकार ने पिछड़े आंकड़ों का अवलोकन किया होता कि हमारे देश में रोडवेज की स्थिति क्या रही है, तो वह बहुत पहले इस बिल को लेकर सदन में आ जाती। इस बिल में एक गुणात्मक सुधार करने के लिए यह संशोधन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि आप फिर भी गुणात्मक सुधार नहीं कर पायेंगे। रोडवेज की हालत दिन-प्रति-दिन खराब होती जा रही है। कारपोरेशन्स की स्थिति खराब हो चुकी है। आज हिन्दुस्तान का एक भी स्टेट ऐसा नहीं है, जहां घाटा न चल रहा हो। कोई भी पब्लिक सैक्टर को आप ले लीजिए, किसी भी इन्डस्ट्री को आप ले लीजिए, सभी जगह पर घाटे हो रहे हैं। कहना यह चाहिए कि इन लोगों के अन्दर गुणात्मक सुधार नहीं हो रहा है, अगर इन जनप्रतिनिधियों के अन्दर गुणात्मक सुधार नहीं होगा तो आप कारपोरेशन्स के अन्दर गुणात्मक सुधार नहीं कर सकते हैं—यह मेरा सदन के अन्दर दावा है। क्या आज कोई भी जनता के बीच में खड़ा होकर कह सकता है कि उसके अधीन चलने वाला अमुक कारपोरेशन फायदे में चल रहा है ? इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप अपने चिंतन में गुणात्मक सुधार कीजिए, प्रशासन के अन्दर गुणात्मक सुधार कीजिए, तभी देश का भला होगा। नहीं तो देश धीरे-धीरे रसातल में जा रहा है और हो सकता है कि आप 5 साल पूरे न कर सकें। जनता जाग रही है। आपके कारनामों को जनता देख रखी है। मैं कहता हूं कि आप इन चीजों की ओर गम्भीरता से विचार कीजिए। अमेंडमेंट करने से कुछ नहीं होगा। देश की क्या स्थिति हो रही है। भारत गावों में बसता है। देश में 5 लाख 70 हजार गांव हैं, इनमें से कितने गांवों को लिंकरोड़ से जोड़ा गया है ? आज आप यह बताने की स्थिति में नहीं हैं। आपका ध्यान शहरों की तरफ है। शहरों की सड़कों को गुलाब के फूलों से सजाया जा रहा है, लेकिन गाँवों की क्या स्थिति है। हम सही विकास तब समझेंगे जब गांव का किसान ठीक तरह से यात्रा कर सकेगा। किसान की महिला, मजदूर की महिला के बच्चे को बस में टट्टी आती है, तब उसके साथ आपके कर्मचारी का व्यवहार जब मानवता का होगा, तब सही मायने में सुधार होगा।

आप कहीं से भी कर्जा ले लीजिए, सुधार नहीं हो सकता। आपके यहां दौलत की कमी नहीं है, कमी है तो नेशनल करेक्टर की। अगर नेशनल करेक्टर को सुधारा जाए तो सारी व्यवस्थाएं ठीक हो सकती हैं। आज महात्मा गाँधी के सपनों को साकार होने में यदि कोई सबसे बड़ा बाधक है तो वह स्वयं सरकार है। मैं यह आरोप सरकार पर लगा रहा हूं। इस देश का मजदूर इस देश की मिट्टी से बना हुआ है। वह इस देश के लिए जिएगा। कोई झण्डा अपने साथ लेकर नहीं आया है। कोई लाल झण्डे वाला नहीं है। हम इस देश की मिट्टी से बने हुए हैं। हम आपसे सहयोग करने के लिए तैयार हैं यदि राष्ट्रीयता के आधार पर गुणात्मक सुधार करने का प्रयत्न किया जाए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यदि गुणात्मक सुधार

नहीं किया गया मैनेजमेंट को नहीं सुधारा गया तो कोई सहयोग नहीं करेगा। आज पढ़ा-लिखा आदमी तो सरकार को गाली देता ही है, गांव का किसान भी जब बस स्टैंड पर बैठकर जब देखता है कि बसों का पता नहीं है तो सोचता है कि इस देश का क्या होगा। सड़कों की हालत खराब है।

आप देखिए कि एक वर्ष के अन्दर राष्ट्रीय मार्गों पर कितनी मिट्टी डाली जाती है। 20 हजार व्यक्ति प्रति वर्ष राष्ट्रीय मार्गों पर दुर्घटना के शिकार होते हैं और 1 लाख 20 हजार व्यक्ति स्टेट्स के मार्गों पर दुर्घटनाओं के शिकार होते हैं और कच्ची सड़कों पर तो दुर्घटनाओं की गिनती ही नहीं है। यह देश के लिए शर्म की बात है।

इसलिए मेरा निवेदन है कि ऋण आप कहीं से भी लें किसी भी चहेते व्यक्ति को कुर्सी पर बैठाएं, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन कैरेक्टर के द्वारा बैठाइए। और अगर कोई गलत काम करता है तो उसको जेल भेजो। गांधी जी ने यह कहीं नहीं कहा था कि खाने पीने वाले आदमी को कुर्सी पर बैठाओ। ऐसे आदमी को तो जेल भेजना चाहिए।

हमारे देश में छठी योजना और 20 सूत्री कार्यक्रम के बारे में आपका कहना है कि गरीबों के लिए काम किया है। मैं जानना चाहता हूं कि गरीबों के लिए आप कितना काम कर रहे हैं? उसका कोई लक्ष्य है? आप कहेंगे कि 28 परसेंट कार्य करने का लक्ष्य रखा है। तो उसके अनुसार तो केवल 20,000 गाँव ही आते हैं, जब कि हालत यह है कि देश के 4 लाख गांव रोड से नहीं जुड़े हुए हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण जिले रोड से नहीं जुड़ रहे हैं। तो क्या आशा करें कि आप छठी योजना में कुछ कर सकेंगे? यही कारण है कि जनता का अविश्वास आपके प्रति बढ़ता जा रहा है। कोई भी पार्टी छूटी नहीं है। एक गंदा आदमी सारे आदमियों पर आरोप लगा देता है। इसलिए आप हमारे और देश के मार्गदर्शनकर्ता बनिये।

जैसा माननीय व्यास जी ने कहा राजस्थान परिवहन के अन्दर टायर कांड हुआ और दोषी आदमी के खिलाफ कोई ऐक्शन नहीं लिया। उल्टे उस व्यक्ति को प्रोमोशन दिया गया। क्या ऐसे कारनामों को आप पसन्द करते हैं? मैं चाहता हूं उपाध्यक्ष जी, आप अपनी जगह से कोई व्यवस्था दीजिये। आप देखें कि दिल्ली से राजस्थान को जो बसें चलती हैं डीलक्स या एयर कंडीशन्ज बसेज उनकी हालत क्या है? बीकानेर हाउस से वह चलती हैं लेकिन वहां यात्रियों के लिए न पानी की व्यवस्था है, न कोई शैड है, न कोई वेटिंग रूम है। एक तरफ आप किराया बढ़ाते जा रहे हैं, दूसरी तरफ सुविधायें शून्य करते जा रहे हैं।

हमारा देश गाँवों में बसता है। गांधी जी ने कहा था कि गांवों का उद्धार होगा तो देश का उद्धार होगा क्योंकि 90 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है जिनकी मेहनत पर हम यहां बैठे हैं। अगर आपने उनकी गरीबी को दूर नहीं किया, ईमानदारी को जागृत नहीं किया और उनमें निराशा आ गई तो लोकतंत्र नष्ट हो सकता है। लोगों के विचार दूर हट सकते हैं। इसलिए

आप सही रास्ते पर आइये। यदि देश को कहीं खतरा पहुंचा तो आप ही उसके लिए जिम्मेदार होंगे। इसलिए उचित व्यवस्था कीजिए।

आप और कोरपोरेशन्स बढ़ाइये, हमें कोई आपत्ति नही है। आप उन पर लाखों रुपया खर्च कीजिये लेकिन समुचित और उचित व्यवस्था कीजिए, लोगों की यात्रा सस्ती और सुविधा-जनक कीजिए ताकि गरीब का भाव आपके प्रति बढ़े कि वास्तव में देश में कोई सरकार चल रही है जो हमारे लिए व्यवस्था कर रही है और हमारे प्रतिनिधि अपने उत्तरदायित्व का ठीक ठीक निर्वाह कर रहे हैं। यदि आप इस उत्तरदायित्व को नहीं निभा सके तो लोकतंत्र के साथ गद्दारी कर रहे हैं, और उस महान क्रांतिकारी, जिसने देश को आगे बढ़ना सिखाया था यानी गांधी जी, उसके साथ भी विश्वासघात कर रहे हैं। इसलिए गांवों की ओर भी परिवहन को ले जाइये। गांवों को शहर से जोड़ने के लिए आवागमन की ठीक से व्यवस्था कीजिए तभी इस देश का उद्धार होगा।

इन शब्दों के साथ मैं इस बिल का स्वागत करता हूं और कहना चाहता हूं कि आपको इसमें गुणात्मक सुधार करना चाहिए और हर स्टेज पर करना चाहिए।

6-00 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार, 7 अक्तूबर 1982/15 आश्विन, 1904 (शक) के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

———